रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276736
CG-DL-E-03102026-276736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948
No. 270] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2026

मामला सं.-एडी (ओआई)–44/2024

विषयः चीन जन.गण. और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/47/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने अधिसूचना संख्या 6/14/2022-डीजीटीआर द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2022 को दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। इसके बाद प्राधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 20 दिसंबर 2023 के माध्यम से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए। वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 04/2024-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे।

2. प्राधिकारी को विनाति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" या "वीओएल" कहा गया है) द्वारा दायर वर्तमान आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, चीन जन.गण. और ताइवान (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" (जिसे इसके बाद "पीटीबीपी" या "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की गई है।

3. आवेदक ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध सामानों के आयात पर शुल्क लगाने के बाद, चीन जन.गण. और ताइवान में उत्पादकों ने भारत में संबद्ध सामानों का पाटन शुरू कर दिया। जांच की अवधि में चीन जन.गण. और ताइवान से पाटन और क्षतिकारक कीमतों पर आयात की मात्रा कई गुना बढ़ गई और इस तरह के आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

4. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/47/2024-डीजीटीआर, दिनांक 26 जून, 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

5. जांच के संबंध में यहाँ नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

5.1 जांच की शुरुआत

i. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से चीन जन.गण. की सरकार को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन-पत्र की जांच करने पर प्राधिकारी को *प्रथम दृष्टया* पाटन और इस तरह के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने का प्रमाण मिला। अत:, नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं. 6/47/2024-डीजीटीआर दिनांक 26 जून 2025 ('जांच शुरुआत अधिसूचना') के माध्यम से वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

5.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से चीन जन.गण. की सरकार को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराई गई थी।

5.3 जांच की अवधि और क्षति की जांच की अवधि

i. जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि (पीओआई) को 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि) के रूप में माना गया था। क्षति की अवधि में 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल थी।

ii. क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़ें प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। आंकड़े प्राप्त हो गए थे और आवश्यक विश्लेषण के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

5.4 संबद्ध देशों से निर्यातकों और भारत से आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रतिभागिता

i. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों, आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों और भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों के साथ जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

ii. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के बारे में सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली जारी की।

क्र.सं.	चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1.	सीआईडीआईसी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, चीन
2.	फार्मसिनो क .लिमिटेड, चीन
3.	हैंग्जो सेलोर केमिकल कंलिमिटेड ., चीन
4.	हेल्म चाइना कंलिमिटेड ., चीन
5.	नानजिंग डेटांग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन
6.	चिंगदाओ बोलिमिटेड .सिन इंटरनेशनल कं-, चीन
7.	शेडोंग जॉयलि .रिंग केमिकल कं-, चीन
8.	तास्को केमिकल कॉर्पोरेशन, ताइवान
9.	ट्विंकल स्टार केम टेक्नोलॉजी, चीन
10.	झेजियांग केमिकल्स इम्पोर्ट, चीन
11.	झेजियांग टोंगक्सियांग फॉरेन ट्रेड)ग्रुपलि .कं (, चीन
12.	ज़िबो ज़ुजिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन
13.	राचेम कंपनी लिमिटेड (चीन), चीन
14.	रेलीबो फार्माकेमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
15.	झेंगझोउ मेइया केमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, चीन

iii. किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक या निर्यातक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	आयातकों/प्रयोक्ताओं के नाम
1.	एबेलिन पॉलीमर्स
2.	अडानी इंटरनेशनल
3.	अमृत पॉलीकेम प्रालिमिटेड .
4.	एटर्निस फाइन केमिकल्स लिमिटेड
5.	फ्लेमिंग लैबोरेटरीज लिमिटेड
6.	फ्लोरा केमिकल्स
7.	एमपीडी इंडस्ट्रीज प्रा .लिमिटेड
8.	लियो केमो प्लास्ट प्रा .लिमिटेड
9.	मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
10.	पायनियर केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
11.	पोलिओल्स एंड पॉलीमर्स प्रा .लिमिटेड
12.	प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड
13.	हार्डवेयर ट्रेडिंग कारपोरेशन
14.	आर. नंदलाल एंड संस
15.	ह्यूबरग्रुप इंडिया प्रा .लिमिटेड
16.	आर इनोवेटिव प्राइवेट .आर.लिमिटेड
17.	कनोड़िया चेम्बोंड प्रा .लिमिटेड
18.	संजय केमिकल्स प्राइवेट (इंडिया)लिमिटेड
19.	कांतीलाल मणिलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
20.	टेक्नो वैक्सकेम प्रा .लिमिटेड
21.	मैक इंडस्ट्री

v. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके या जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में अनुरोध को दायर करके वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

vi. प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव और सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग को भी भेजी गई थी। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय

के साथ भी साझा किया गया था। प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया था।

5.5 आगे की प्रक्रिया

i. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत किया:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार
1.	भारत में ताइपेई इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर

ii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

iii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 7 मई 2026 को हाइब्रिड मोड में सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों को 12 मई 2026 तक मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था, इसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, 15 मई, 2026 तक दायर करने का अवसर दिया गया था।

iv. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

v. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान

करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

vi. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया, जो वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक माना गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

vii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान ध्यान में रखते हुए की गई है।

viii. प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान उद्देश्यों के लिए संगत थे।

ix. जांच के आवश्यक तथ्यों का एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बना था, 14 अगस्त 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को 19 अगस्त 2026 तक टिप्पणी करने का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों और हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर संगत पाई गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में साक्ष्य के साथ समर्थित और गैर-पुनरावृत्तियों टिप्पणियों पर विचार किया गया है।

x. प्राधिकारी ने इसके पश्चात प्रकटन विवरण के अनुपूरक के रूप में 17 सितंबर 2026 को एक अनुपूरक प्रकटन विवरण जारी किया, जिसमें संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक तथ्यों का तथा प्रकटन विवरण में प्रस्तावित परिणामी संशोधनों का प्रकटन किया गया और उस पर टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। अनुपूरक प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों

पर संगत, गैर-पुनरावृत्त और साक्ष्य से समर्थित पाई गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है।

xi. *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xii. जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 85.43रु है ।यह रेट POI के दौरान इंपोर्ट किए गए सामान की वैल्यू बदलने के लिए कस्टम्स एक्ट,1962 की धारा 14 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा बताए गए एक्सचेंज रेट्स का औसत है। इस डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में यही रेट इस्तेमाल किया गया है। (source:https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view)

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद पैरा-टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल ("पीटीबीपी") है, जिसे 4 टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पी टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पीटीबीपी केमिकल/पैरा टर्ट ब्यूटाइल फेनोल के रूप में भी जाना जाता है, जो सीएएस संख्या 98-54-4। पीटीबी की पुष्टि करता है। पीटीबीटी एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी10एच14O) है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक विशिष्ट फेनोलिक गंध होती है।

ii. संबद्ध सामान सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29071940 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

iii. इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सील एसीटेट (पीटीबीसीएचए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इपॉक्सी, पॉलीकार्बोनेट रेजिन और फेनोलिक रेजिन सहित कई रेजिन बनाने के लिए भी किया जाता है।

iv. संबद्ध सामान पिघले हुए और परतदार दोनों रूपों में हो सकते है। दोनों रूपों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है क्योंकि अंतर पिघले हुए रूप की लागत और कीमत है और परतदार रूप न्यूनतम है। संबद्ध सामानों पर पिछली जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में दोनों रूपों पर विचार किया था।

v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का इस्तेमाल परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. वर्तमान जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया गया था।

"3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "पैरा-टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" या "पीटीबीटी" हैं जो सीएएस संख्या 98-54-4 के अनुरूप है। पीटीबीपी को 4 टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पी टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पीटीबीपी केमिकल/पैरा टर्ट ब्यूटाइल फेनोल के रूप में भी जाना जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक सूत्र (सी10एच14O) के साथ एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक विशिष्ट फेनोलिक गंध होती है। पीटीबीपी रसायन आमतौर पर फिनोल और आइसोब्यूटाइलिन की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है।

क. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में

9. पैरा-टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी10एच14O) है। पीटीबीपी को उत्प्रेरक के रूप में एसिड सक्रिय मिट्टी की उपस्थिति में ब्यूटेन्स के गैसीय आइसोमर को फिनोल में शामिल करके तैयार किया जाता है। इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्साइल एसीटेट (पीटीबीसीएचए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इपॉक्सी, पॉलीकार्बोनेट रेजिन और फेनोलिक रेजिन सहित कई रेजिन बनाने के लिए भी किया जाता है।

10. पीटीबीपी पिघले हुए और परतदार रूपों में हो सकता है। पिघला हुआ और परतदार दोनों रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं। संबद्ध सामान मुख्य रूप से परतदार रूप में बेचे जाते हैं। पिघले हुए और परतदार दोनों रूपों का उपयोग आम है और इसका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा सकता है। पिघले हुए रूप और परतदार रूप की लागत और कीमत में अंतर न्यूनतम है।

11. चूँकि वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः प्राधिकरण का मत है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही माना जाए, जो जाँच आरंभ करने की अधिसूचना में निर्धारित किया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण

12. संबद्ध सामानों को सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29071940 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. आवेदक द्वारा उत्पादित समान वस्तु

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद वास्तविक भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

14. प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय और क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. यह आवेदन-पत्र विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ii. आवेदक ने जुलाई 2020 में संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इससे पहले, भारत अपनी घरेलू मांग के लिए संबद्ध सामानों के आयात पर पूरी तरह से निर्भर था।

iii. आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सेदारी रखता है।

iv. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक या आयातक से भी संबद्ध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे*

उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

18. वर्तमान आवेदन-पत्र विनाति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और भारतीय उत्पादन में उसका पूरा हिस्सा है।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

20. यद्यपि घरेलू बाजार में लंबे समय से संबद्ध सामान का प्रयोग किया जा रहा है, तथापि आवश्यकताओं को पूरी तरह से आयात द्वारा पूरा किया गया था। संबद्ध सामानों का कोई ज्ञात विकल्प नहीं है। आवेदक ने भारत में संबद्ध सामानों के निर्माण के लिए एक नया संयंत्र शुरू किया है और 2014-15 में इस उत्पाद की कल्पना की है और जुलाई 2020 में संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। जहां तक भारत में इसके उत्पादन का संबंध है, संबद्ध सामान देश में एक नया उत्पाद है।

21. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता का दावा करने के संबंध में अनुरोध दायर नहीं किया है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है और घरेलू उद्योग द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

ड.3. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

> *"7. गोपनीय सूचना:*
>
> *(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे। निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*
>
> *(2) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में*

या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

25. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. ताइवान से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए कोई वैध आधार नहीं है क्योंकि ताइवान से पाटन का कोई इतिहास नहीं है, आवेदक यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि आयातकों को पाटन के बारे में पता था और ताइवान से उत्पाद का बड़े पैमाने पर पाटन नहीं है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. वर्तमान जांच में पूर्वव्यापी पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है क्योंकि भारत में पाटन का इतिहास है, आयातकों को पाटन के बारे में पता होना चाहिए था और चीन और ताइवान से आयात में काफी वृद्धि हुई है जिससे देश में बड़े पैमाने पर पाटन हुआ है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. ताइपे इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाए जाने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं और इसलिए, इस संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन जन.गण. को चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुबंध- I के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. यदि यह तर्क दिया जाए कि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए, इसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15(क)(i) अभी भी लागू है और चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।

iii. चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत दायित्व के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को निर्यातक द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है।

iv. चूंकि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के हकदार नहीं है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 को अपनाना चाहिए।

v. आवेदक ने भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो उचित मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत पर आधारित है।

vi. आवेदक के पास ताइवान में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना तक पहुंच नहीं थी।

vii. आवेदक ने ताइवान में उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर ताइवान में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक ने एक प्रमुख कच्चे माल, फ़ीनोल के आयात कीमत पर सूचना एकत्र की। उचित समायोजन के बाद, सामान्य मूल्य की गणना के लिए सर्वोत्तम सूचना के आधार पर अन्य कच्चे माल की कीमत और खपत मानदंडों पर विचार किया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

32. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते

हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

33. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ अनुबंध-I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने करने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार-संचालित हैं, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

34. यह नोट किया गया है कि जहां धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, वहीं डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के साथ-साथ अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के लिए नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता है। चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य या कीमत, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को उस तीसरे देश की कीमत या जहां यह संभव न हो, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित अन्य किसी उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को ध्यान में रखा जाएगा। जांच की समय सीमाओं के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में उसी तरह के मामले में की गई जांच को ध्यान में रखा जाएगा। जांच में पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में अनुपयुक्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समयावधि दी जाएगी"

35. आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद का कई देशों में उत्पादन किया जाता है, लेकिन उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, भारत में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश आयात या तो चीन जन.गण., या कोरिया

गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से हैं, जो पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है या नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के तहत सूचीबद्ध आधारों में से कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बने।

36. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारत में समान वस्तु के लिए देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए भारत में उत्पादन की अनुकूलित लागत और उचित लाभ जोड़ने के बाद निर्धारित किया गया है।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। चीन जन.गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

38. जबकि आवेदक ने ताइवान में उत्पादन की अनुमानित लागत के संबंध में आयात कीमत के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रस्ताव दिया है, और प्रमुख कच्चे माल की आयात कीमत के संबंध में, और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़कर, प्राधिकारी ने ताइवान में उत्पादकों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे उचित रूप से बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ताइवान के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। ताइवान से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

क्र.सं.	देश	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन

		(यूएसडॉ./ एमटी)	(यूएसडॉ./एम टी)	(यूएसडॉ./एमटी)	%	रेंज %
1.	चीन जन.गण.	***	***	***	***	10-20%
2.	ताईवान	***	***	***	***	5-15%

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क का आंकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. ताइवान से आयात को चीन जन.गण. से आयात के साथ संचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संचय की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। ताइवान से आयात चीन जन.गण. से आयात की तुलना में बहुत कम है और इस तरह के आयात की तुलना में अधिक कीमत है।

ii. ताइवान से आयात बहुत कम है और आयात की इतनी मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती है।

iii. जबकि ताइवान से आयात में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

iv. ताइवान से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम नहीं कर रहा है। इसके अलावा, बिक्री के बाद छूट का साक्ष्य केवल चीन जन.गण. से आयात के संबंध में प्रस्तुत किया गया है और ताइवान से आयात के संबंध में नहीं।

v. ताइवान से आयात कीमत में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान और जब से इसने भारत में उत्पादन शुरू किया है, काफी वृद्धि हुई है। यह स्वस्थ प्रचालन दर्शाता है और घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं दर्शाता है।

vii. जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, ताइवान से आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

viii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है जो कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास का अभाव दर्शाता है।

ix. घरेलू उद्योग को क्षति उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत के कारण है और इसे संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

x. ताइवान से आयात इतने कम हैं कि वे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते और ताइवान के संबंध में जांच समाप्त की जानी चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने जुलाई 2020 में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू किया, इससे पहले भारत में पीटीबीपी का कोई उत्पादन नहीं था। भारत में संबद्ध सामानों की पूरी मांग आयात द्वारा पूरी की जा रही थी।

ii. दक्षिण कोरिया, अमेरिका और सिंगापुर से आयात के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना में मंदी आ रही थी। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त देशों पर शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जो 14 मार्च 2024 को लगाया गया था।

iii. जैसे ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और सिंगापुर पर शुल्क लगाया गया, वर्तमान जांच में पाटन का स्रोत चीन जन.गण. में स्थानांतरित हो गया।

iv. आयातक जो पहले पिछली पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. से आयात कर रहे थे, उन्होंने ऐसे देशों से आयात कम कर दिया है और पाटित कीमतों पर ऐसे आयात की उपलब्धता के कारण वर्तमान जांच में चीन जन.गण. से आयात बढ़ा दिया है।

v. पाटन के पिछले प्रभावों से घरेलू उद्योग की गैर-वसूली अपने आप में एक क्षति कारक है, जैसा कि विश्व स्तर पर अधिकारियों द्वारा माना जाता है।

vi. चीन जन.गण. से आयात जो 2021-22 में भारत में कुल आयात का केवल 1% था। अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद इस तरह के आयात में काफी वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में भारत में कुल आयात का 40% से अधिक हिस्सा है।

vii. 2022-23 में ताइवान से कोई आयात नहीं हुआ था। हालाँकि, 2023-24 से भारत में आयात शुरू हुआ और जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई।

viii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात में भी जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।

ix. जबकि भारत में मांग में वृद्धि हुई है, यह वृद्धि संबद्ध आयातों द्वारा ली जा रही है।

x. चीनी निर्यातकों ने भारत में आयातकों को बीजक के बाद छूट प्रदान की है और इसलिए, लेनदेन के अनुसार आयात आंकड़ों के अनुसार आयात कीमत चीन जन.गण. से आयातों का सही मूल्य नहीं दर्शाता है।

xi. संबद्ध सामानों की पुन: बिक्री कीमत सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचित की गई आयात कीमत से भी कम है। घरेलू उद्योग को भारत में पुन: बिक्री की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया है और ऐसी कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रही हैं।

xii. यदि पुन: बिक्री कीमत को खर्चों के लिए समायोजित किया जाता है और यह पुन:बिक्रीकर्ता/आयातक द्वारा अर्जित किया जाता है, तो कीमत में कटौती अभी भी सकारात्मक बनी हुई है।

xiii. संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

xiv. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए मजबूर किया गया है। आवेदक को भारतीय बाजार में ऑर्डर प्राप्त करने और टिके रहने के लिए अपने ग्राहकों को छूट देने के लिए मजबूर किया गया है।

xv. क्षति की अवधि में चीन जन.गण. की बाजार हिस्सेदारी तीन गुना बढ़ गई। चीन जन.गण. से आयात ने अन्य देशों द्वारा खाली किए गए बाजार हिस्सेदारी को पीछे छोड़ दिया है, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। जबकि इस आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, वहीं जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

xvi. पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग एक या दूसरे स्रोत से पाटन के कारण अपनी क्षमता को साकार नहीं कर पाया है। बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, इसे भारत में आयात मूल्य कीमत के अनुरूप अपनी कीमतों को बेंचमार्क करना होगा। चूंकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, इसलिए घरेलू उद्योग को घाटे में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

xvii. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति की अवधि में काफी वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।

xviii. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद से घरेलू उद्योग को एक या दूसरे स्रोत से पाटन के कारण लगातार वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। अनुमानित आय और घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के बीच काफी अंतर है।

xix. घरेलू उद्योग ने पीटीबीपी उत्पादन इकाई की स्थापना में *** करोड़ रु. का निवेश किया था। तथापि, लगातार पाटन के कारण इसे लगभग *** करोड़ रुपये की लगातार हानि हुई है और व्यापार उपचारात्मक उपायों के बिना प्रचालन बंद हो सकता है।

xx. यदि स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग भारत में उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालाँकि, प्रचालन बंद करने से प्रचालनात्मक और निश्चित खर्च में काफी वृद्धि होगी जिससे कंपनी की समग्र लाभप्रदता में गिरावट आएगी। परिणामस्वरूप कर्मचारियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्राहकों और भविष्य की निवेश योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।

xxi. घरेलू उद्योग के निवेश में पहले से ही जांच की अवधि तक लगभग *** लाख रु. की कमी आई है।

xxii. क्षति की अवधि में औसत मालसूची काफी बनी रही और जांच की अवधि में और बढ़ गई।

xxiii. घरेलू उद्योग में उत्पादन और बिक्री मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन कीमत निर्धारण मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि हुई है। मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि केवल इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता पर समझौता किया है और संबद्ध सामानों को हानि पर बेचा है।

xxiv. चीन जन.गण. के उत्पादकों के पास अतरिक्त निपटान योग्य क्षमता है जो भारत की घरेलू मांग से कहीं अधिक है। उपचारात्मक उपायों के अभाव में, पाटन तेज होने की संभावना है।

xxv. घरेलू उद्योग को क्षति, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन के कारण हुई है और किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

xxvi. एक से अधिक देश से आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन के लिए नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तें वर्तमान मामले में पूरी होती हैं और चीन जन.गण. तथा ताइवान से आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से किया जाना आवश्यक है।

xxvii. ताइवान के संबंध में जांच समाप्त करना अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि न तो ताइवान के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और न ही ताइवान से आयातों की मात्रा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से कम है। ताइवान से पाटन के इतिहास का अभाव वर्तमान निर्धारण के लिए संगत नहीं है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से

अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

43. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि उसे संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और रिकॉर्ड में सत्यापित साक्ष्य को ध्यान में रखा है और इसके तहत नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

44. ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान द्वारा अनुरोध किए गए हैं, तथापि, हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग को ऐसे अनुरोध परिचालित करने में विफल रहा है। इक्विटी के हित में, प्राधिकारी ने ताइवानी प्राधिकारी द्वारा दायर किए गए अनुरोधों पर विचार किया है। ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान ने अनुरोध किया है कि ताइवान से आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि क्षति की अवधि में इसमें गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की कीमतों को कम नहीं कर रहे हैं।

45. ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर के तर्क ताइवान से आयातों की मात्रा और कीमत पर अलग-अलग रूप में विचार करने से संबंधित हैं। दोनों संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन पृथक रूप से किया जाना है अथवा संचयी रूप से, यह नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) द्वारा शासित है। तदनुसार इन तर्कों की जांच नीचे दर्ज संचयी मूल्यांकन संबंधी निर्धारण में और उसके पश्चात पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव की जांच में की गई है।

ज.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

46. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 के पैरा (iii) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करते हैं किः

क. *प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों*

की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होते हैं, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

47. पहली शर्त के संबंध में, चीन जन.गण. से आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 10-20% की सीमा में है और ताइवान से आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 5-15% की सीमा में है, जिनमें से प्रत्येक निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है। जांच अवधि में चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा 3,391 मीट्रिक टन और ताइवान से आयातों की मात्रा 427 मीट्रिक टन थी, जो भारत में समान वस्तु के कुल आयातों 8,928 मीट्रिक टन का क्रमशः 38% और 4.78% है। इस प्रकार प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों के तीन प्रतिशत से अधिक है। अतः दोनों संबद्ध देशों के संबंध में पहली शर्त पूरी होती है।

48. दूसरी शर्त के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एक एकल रसायन, अर्थात सीएएस सं. 98-54-4 के अनुरूप पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल है, जिसे प्रशुल्क मद 29071940 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्राधिकारी ऊपर यह मान चुके हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देशों से आयातित सामानों की समान वस्तु हैं। इसलिए दोनों संबद्ध देशों से आयातित सामान परस्पर तथा घरेलू समान वस्तु के साथ परिवर्तनीय हैं। यह घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोधों के अनुबंध-ग के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए चीनी, ताइवानी और भारतीय उत्पादकों के उत्पाद विवरण पत्रकों से भी सिद्ध होता है।

49. डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दोनों संबद्ध देशों से संबद्ध सामान भारत में प्रयोक्ता उद्योगों और व्यापारियों द्वारा सीधे आयात किए जाते हैं, न कि किसी पृथक वितरण माध्यम से। क्षति अवधि के दौरान उन्हीं आयातकों ने ताइवान से, चीन जन.गण. से तथा पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। जांच अवधि में ताइवान से संबद्ध सामानों के प्रमुख आयातकों ने चीन जन.गण. अथवा कोरिया गणराज्य से भी संबद्ध सामानों का आयात किया है और उनमें से कई घरेलू उद्योग के ग्राहक भी हैं। इस प्रकार दोनों

संबद्ध देशों से आयातित सामान और घरेलू समान वस्तु उन्हीं वितरण माध्यमों से ग्राहकों के उसी वर्ग को बेचे जाते हैं।

50. दोनों संबद्ध देशों से आयात जांच अवधि के दौरान भारतीय बाजार में उपस्थित रहे और उन्होंने परस्पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए सामानों के साथ उसी अवधि में और उन्हीं बाजार परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा की।

51. ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर ने यह तर्क दिया है कि संचय इस कारण उपयुक्त नहीं है कि ताइवान से आयात चीन जन.गण. से आयातों की तुलना में मात्रा में कम और कीमत में अधिक हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के बीच आयातों की मात्रा का अंतर पहली शर्त में निर्धारित मात्रात्मक सीमा द्वारा संबोधित होता है, जिसे ताइवान से आयात पूरा करते हैं, और यह कि संबद्ध देशों के बीच आयात कीमतों के स्तर का अंतर स्वयं में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का अंतर नहीं है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की जांच नीचे पृथक रूप से की गई है। ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर ने आवेदन-पत्र में किए गए इस कथन पर भी विश्वास किया है कि घरेलू उत्पादक के अभाव में भारतीय बाजार पर पूरी तरह चीनी आयातों का प्रभुत्व हो जाता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कथन एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग के हित के संदर्भ में किया गया है और यह इस बात की स्वीकृति नहीं है कि क्षति केवल चीन जन.गण. से आयातों के कारण है। आवेदन-पत्र, लिखित अनुरोधों तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियों में क्षति को लगातार दोनों संबद्ध देशों से आयातों के कारण बताया गया है।

52. जहां तक यह अनुरोध है कि ताइवान के संबंध में जांच समाप्त की जानी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ताइवान के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और ताइवान से आयातों की मात्रा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित नगण्यता की सीमा से अधिक है। अतः ताइवान के संबंध में जांच समाप्त करने की शर्तें आकृष्ट नहीं होती हैं।

53. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं और घरेलू उद्योग पर चीन जन.गण. तथा ताइवान से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करना उपयुक्त है।

तदनुसार, पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उनके परिणामी प्रभाव की जांच आगे के पैराग्राफों में संचयी आधार पर की गई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आंकलन

54. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात की राशि के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग निम्नानुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	125	116	110	3,391
ताईवान से आयात	एमटी	862	-	397	427
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	987	116	507	3,818
पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों से आयात:	एमटी	11,118	6,797	5,895	5,111
कोरिया गणराज्य	एमटी	6,174	4,835	5,613	4,752
सिंगापुर	एमटी	4,004	982	42	-
यूएसए	एमटी	940	980	240	359
अन्य देशों से आयात	एमटी	176	225	15	-
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	232	401	464
घरेलू उद्योग– कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	-	71	20
मांग/खपत - कैप्टिव को छोड़कर	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	83	102	129
मांग/खपत- कैप्टिव सहित	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	83	102	128

55. यह देखा गया है कि 2022-23 में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई और उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है।

ख. समग्र और सापेक्ष रूप में आयात

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान समग्र एवं सापेक्ष रूप में आयातों की मात्रा की जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
चीन जन गण से आयात	मी. टन	125	116	110	3,391
ताइवान से आयात	मी. टन	862	-	397	427
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	987	116	507	3,818
देश जिनपर शुल्क लागू है	मी. टन	11,118	6,797	5,895	5,111
अन्य देश	मी. टन	176	225	15	-
कुल आयात	मी. टन	12,281	7,138	6,417	8,928
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों से आयात:					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	6	16	95
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	14	50	301
कुल आयात	%	8%	2%	8%	43%

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में 287% की वृद्धि हुई है, जो आधार वर्ष के 987 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 3,818 मीट्रिक टन हो गए, तथा जांच अवधि में यह अपने उच्चतम स्तर पर थे।

ii. मार्च 2024 में अन्य देशों अर्थात कोरिया गणराज्य, सिंगापुर तथा यूएसए पर शुल्क लगाए जाने के उपरांत संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयात ऐतिहासिक रूप से कम रहे हैं, यद्यपि पाटन के अन्य स्रोतों पर शुल्क लगाए जाने के पश्चात इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

iii. यह देखा गया है कि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से होने वाले पाटित आयातों द्वारा छोड़े गए बाजार के एक बड़े हिस्से पर संबद्ध देशों से होने वाले आयातों ने कब्जा कर लिया है। इस प्रकार, पाटन अब संबद्ध देशों की ओर स्थानांतरित हो गया है।

iv. पूर्ववर्ती जांच के अध्यधीन देशों से आयातों में आई गिरावट के बाद, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

v. भारत में खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।

vi. कुल उत्पादन के संबंध में आयातों में 2022-23 तक गिरावट आई और 2023-24 में इसमें वृद्धि शुरू हुई। भारत में उत्पादन के सापेक्ष आयातों में जांच अवधि के दौरान तीव्र वृद्धि हुई।

58. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जुलाई 2020 में उत्पादन शुरू किया था तथा कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से होने वाले पाटित आयातों ने इसकी स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई थी। तथापि, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए पर शुल्क लगाए जाने के तुरंत बाद, संबद्ध देशों से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची, जिस प्रकार से नीचे विस्तार से जॉच की गई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय रूप से कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा

कीमतों को कम करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना रहा है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में काफी बढ़ गई होती।

60. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का जॉच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में किया गया है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना प्रत्येक संबद्ध देश से तथा संबद्ध देशों से कुल मिलाकर संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

61. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी के लिए कीमत कटौती का निर्धारण करना आवश्यक है। कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, व्यापार के समान स्तर पर संबद्ध वस्तु के पंहुच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है।

विवरण	यूनिट	चीन जन.गण.	ताइवान	संबद्ध देश
आयात मात्रा	मी. टन	3,391	427	3,818
पंहुच कीमत	₹/मी. टन	1,60,037	1,67,477	1,60,869
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी. टन	***	***	***
कीमत कटौती	₹/मी. टन	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के संबंध में तथा संबद्ध देशों से कुल मिलाकर आयातों के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि आयात आंकड़ों में दर्ज सीआईएफ कीमत आयातों की वास्तविक कीमत नहीं है, क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक बीजक जारी

करने के बाद छूट प्रदान करते हैं। घरेलू उद्योग ने वस्तु को पुनः बेचने के लिए आयातकों द्वारा जारी किए गए कुछ बीजकों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

63. यद्यपि यह देखा गया है कि यदि वस्तु की पुन: बिक्री कीमत पर विचार किया जाए तो कीमत कटौती सकारात्मक होती है, तथापि पुन: बिक्री कीमतों के इन साक्ष्यों में शामिल आयातों की कम मात्रा को देखते हुए, प्राधिकारी ने इस आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण करना अनुचित समझा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बीजक-उपरांत छूट का साक्ष्य केवल चीन जनवादी गणराज्य से आयातों से संबंधित है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह मानने के लिए कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, सकारात्मक कीमत कटौती होना कोई अनिवार्य पूर्व-शर्त नहीं है। यह वर्तमान मामले में अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण है, जहां घरेलू उद्योग पहले विभिन्न स्रोतों से होने वाली पाटन से नुकसान उठा रहा था जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और घरेलू उद्योग पाटन के पूर्व दुष्प्रभावों से उबरने के मार्ग पर था।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

64. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, बिक्री लागत, घरेलू बिक्री कीमत, क्षतिरहित कीमत तथा पंहुच कीमत की जॉच की गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	112	105
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	96	99
संबद्ध देशों से आयातों का पंहुच मूल्य	₹/मी. टन	1,27,146	1,80,983	1,59,161	1,60,869
क्षतिरहित कीमत	₹/मी. टन				***

65. यह देखा गया है कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, फिर भी बिक्री कीमत में गिरावट आई है। इसके अलावा, पूरी जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत, बिक्री लागत से कम रही है। यह भी नोट किया जाता है कि

यद्यपि संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, फिर भी यह पूर्ववर्ती जांच और वर्तमान जांच अवधि दोनों में ही घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम बनी हुई है। जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से *** कम है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से होने वाले आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को क्षतिरहित कीमत से अधिक के स्तर तक बढ़ाने से रोका है।

66. आगे यह भी नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पूर्ववर्ती जांच में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना में मंदी आ रही थी तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षतिरहित कीमत से कम थी। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण, उस समय बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत के बीच का अंतर कम हो जाना चाहिए था। तथापि, चूंकि पाटन अब संबद्ध देशों की ओर स्थानांतरित हो गया है, इसलिए वर्तमान क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच का अंतर वास्तव में काफी बढ़ गया है। यह आगे दर्शाता है कि संबद्ध देशों की ओर पाटन स्थानांतरित होने के कारण संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है, जिसके परिणामस्वरूप वह संबद्ध वस्तु को क्षतिरहित कीमत पर बेचने में असमर्थ रहा है।

विवरण	यूनिट	जुलाई 2021 - जून 2022 (पूर्ववर्ती पीओआई)	2024-25 (वर्तमान पीओआई)
क्षतिरहित कीमत	₹/मी. टन	***	***
	सूचीबद्ध	100	104
बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***
	सूचीबद्ध	100	94
अंतर	₹/मी. टन	***	***
	सूचीबद्ध	100	335

ज.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव</u>

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जॉच शामिल होनी आवश्यक है। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के

संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के जॉच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

68. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
स्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	197	330	407
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	197	330	407
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	232	401	464
निर्यात बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	176	268	370

69. यह देखा गया है कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

ii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में हुई यह वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को अपनी बिक्री लागत से

कम कीमतों पर बेचा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को लाभप्रदता के संदर्भ में नुकसान उठाना पड़ा है, न कि मात्रात्मक मापदंडों के संदर्भ में।

iii. यद्यपि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति ने घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री करने से रोका है तथा इसके स्थान पर घरेलू उद्योग को अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है तथा भारत में मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है। तथापि, मांग-आपूर्ति के ऐसे अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में वस्तुओं की बिक्री करने से रोका गया है और उसे अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ा है। यह स्पष्ट रूप से पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

ख. मांग में बाजार हिस्सेदारी

71. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार रही थी:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	275	387	355
चीन जन गण से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	86	2114
ताइवान से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	0	45	39
संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	14	50	301
देश जिनपर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	74	52	36
अन्य देश	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	154	8	0

कुल आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	51	57

72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. जिन देशों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है, वहां से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में 2021-22 के बाद से उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि हुई है।

ii. क्षति अवधि के दौरान भारत में मांग में संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी तीन गुना बढ़ गई (आधार वर्ष में सूचीबद्ध 100 से जांच अवधि में 301)।

iii. यद्यपि जिन देशों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है, उनका 2023-24 तक भारत में होने वाले आयातों में प्रमुख हिस्सा था, ऐसे आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है जबकि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के दायरे में आने वाले आयातों द्वारा छोड़ी गई बाजार हिस्सेदारी पर संबद्ध आयातों ने कब्जा कर लिया है।

iv. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, फिर भी यदि पाटित आयातों की मौजूदगी नहीं होती तो यह बाजार हिस्सेदारी और अधिक बढ़ सकती थी।

ग. मालसूची

73. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
आरंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	96	130

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में मांग में वृद्धि होने के बावजूद भी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने

संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचा है, फिर भी घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

75. इसके अलावा, मालसूची में यह वृद्धि इस तथ्य के आलोक में और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है कि भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर विद्यमान है। मांग-आपूर्ति के ऐसे अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची में वृद्धि हुई है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

76. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्रियों की लागत	₹ /मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	112	105
बिक्री कीमत	₹ /मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	96	99
पीबीटी	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(554)	(865)	(373)
प्रति इकाई पीबीआईटी	₹ /मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(552)	(862)	(374)
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1,282	3,454	1,736
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	(2,601)	(10,939)	(4,562)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(911)	(2,589)	(1,435)

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लगातार घाटा हुआ है। यद्यपि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से संबद्ध वस्तुओं की पाटन के कारण घरेलू उद्योग को 2023-24

तक घाटा हुआ था, परंतु जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग का घाटा निरंतर जारी रहा है।

ii. घरेलू उद्योग के नकद लाभ ने भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। यद्यपि जांच अवधि में नकद घाटे में कमी के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में मामूली सुधार हुआ है, तथापि नकद घाटा निरंतर बना रहा है क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन शुरू कर दिया है।

iii. जांच अवधि में तथा अतीत में पाटन करते पाए गए देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक बनी रही है।

iv. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्री लागत से कम रही है। घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचकर अपनी बिक्री में वृद्धि की है।

ड़. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता तथा मजदूरी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	122	122	120
वेतन और मजदूरी	लाख रूपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	28	97	130
प्रतिदिन उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	197	330	407
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	161	270	339

79. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी

उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान दिए गए वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

80. उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी तथा नकद लाभ के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवृद्धि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	0%	0%	0%
उत्पादन	%	-	97%	67%	24%
घरेलू बिक्रियॉ	%	-	132%	73%	16%
प्रति इकाई लाभ/(घाटा) (कर पूर्व लाभ)	%	-	-454%	-56%	57%
नकद लाभ	%	-	-2701%	-321%	58%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-811%	-184%	45%

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता स्थिर रही है।

ii. मात्रात्मक मापदंडों ने वर्ष-दर-वर्ष सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि केवल इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया और संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचा है।

iii. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय ने 2023-24 तक नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। तथापि, जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में मामूली सुधार हुआ है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि में मामूली सुधार के बाद भी, घरेलू उद्योग को लगातार घाटा, नकद घाटा उठाना पड़ा है और उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है तथा पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम रही है। इसके अलावा, अन्य देशों पर शुल्क लगाए जाने के बाद मुक्त हुई बाजार हिस्सेदारी पर आयातों ने कब्जा कर लिया है और वे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। आयातों की समायोजित पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को लाभप्रदता से समझौता करने के लिए बाध्य किया है। घरेलू उद्योग को जांच अवधि में घाटा, नकद घाटा हुआ है तथा उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। इसलिए, यह माना जाता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

83. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इसकी स्थापना से पहले भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को देखते हुए, उत्पाद में आगे और निवेश की गुंजाइश है। घरेलू उद्योग को जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी घाटा, नकद घाटा हुआ है तथा उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। इसके अलावा, जांच अवधि तक घरेलू उद्योग के निवेश में *** लाख रूपये का नुकसान हुआ है। इस प्रकार, पाटित आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित हुई है।

झ. पाटन मार्जिन की मात्रा

84. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि भारत में वस्तुओं को किस सीमा तक पाटित किया जा रहा है। जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

ञ. वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

85. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

क. संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वे जांच अवधि में यह अपने उच्चतम स्तर पर थे।

ख. कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन देशों से आयातों द्वारा खाली किए गए बाजार के एक बड़े हिस्से पर संबद्ध देशों से आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

ग. जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में तीव्र वृद्धि हुई। कुल आयातों के संबंध में संबद्ध आयात भी आधार वर्ष के 8% से बढ़कर जांच अवधि में 43% हो गए हैं।

घ. कीमत कटौती नकारात्मक है। तथापि, आयात घरेलू बाजार में कीमत ह्रास का कारण बन रहे हैं।

ङ. उत्पाद को घाटे में बेचने की कीमत पर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई।

च. देश में मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री करने से रोका गया और उसे अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ा है।

छ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों की अनुपस्थिति में इसकी बाजार हिस्सेदारी में और अधिक वृद्धि हो सकती थी।

ज. देश में मांग में वृद्धि और मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में तीव्र वृद्धि हुई।

झ. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। यद्यपि जांच अवधि में इसके निष्पादन में मामूली सुधार हुआ, फिर भी इसे लगातार घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर अत्यधिक नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है।

ञ. उत्पादन में वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

ट. उत्पाद को घाटे में बेचने के कारण मात्रात्मक मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवृद्धि सकारात्मक रही थी। कीमत मापदंडों के संदर्भ में, घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान लगातार घाटा उठाना पड़ा है।

ठ. संबद्ध आयातों ने आगे पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निवेश में काफी नुकसान हुआ है।

ड. जांच अवधि में प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है।

ट. क्षति मार्जिन की मात्रा

86. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की पंहुच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, सुविधाओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय शामिल न किया जाए। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर कर-पूर्व लाभ के रूप में उचित आय (22% की दर से कर-पूर्व) की अनुमति दी गई है और इसका पालन किया जा रहा है।

87. उपर्युक्त निर्धारित पंहुच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

देश	**उत्पादक**	**क्षतिरहित कीमत (अम.डा. /मी. टन)**	**आयातों की पंहुच कीमत (अम.डा. /मी. टन)**	**क्षति मार्जिन (अम.डा. /मी. टन)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (रैंज)**
चीन जन गण	कोई	***	***	***	***	0-10
ताइवान	कोई	***	***	***	***	0-10

ज.4. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

88. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक का जॉच करना आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में संगत माने जाने वाले कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या उपभोग की प्रवृति में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में विकास एवं घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जॉच की गई है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

89. संबद्ध देशों से होने वाले आयात जांच अवधि में भारत में होने वाले कुल आयातों का 43% हिस्सा हैं। यद्यपि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से होने वाले आयात मात्रा में उल्लेखनीय हैं, तथापि ऐसे आयात पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं और ऐसे आयातों की पाटनरोधी शुल्क सहित पंहुच कीमत संबद्ध देशों से आयातों की पंहुच कीमत से काफी अधिक है। जांच अवधि में अन्य देशों से आयात शून्य रहे। इसलिए, घरेलू उद्योग तीसरे देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं उठा रहा है।

ख. मांग में संकुचन

90. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को मांग में संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग. उपभोग की प्रवृति में परिवर्तन

91. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती थी।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

92. यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थितियों या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

93. प्रौद्योगिकी के ऐसे किसी विकास का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने हाल ही में भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है और इसलिए, उसके पास नई तकनीक उपलब्ध है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

94. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों से संबंधित क्षति आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के लिए क्षति आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा उन्हीं को अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. उत्पादकता

96. उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः क्षति का कारण उत्पादकता में गिरावट नहीं हो सकता है।

झ. उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नए उद्योग और निवेश के मामले में, मूल्यह्रास और ब्याज लागत अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। तथापि, वर्तमान मामले में, मूल्यह्रास और ब्याज लागत में कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कीमतह्रास और ब्याज लागत में गिरावट आई है तथा इस प्रकार, इसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

98. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि ब्याज लागत और कीमतह्रास को समायोजित भी कर दिया जाए, तब भी कीमतह्रास और ब्याज लागत का हिसाब लगाने से पहले ही घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। इस प्रकार, उच्च ब्याज और कीमतह्रास लागत घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है।

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
पीबीटी	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(554)	(865)	(373)
ब्याज लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1157	1755	44
मूल्यह्रास लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	201	105	86
मूल्यह्रास और ब्याज लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	203	110	86

पीबीडीआईटी	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	(1,092)	(2,673)	(970)

99. इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो। निम्नलिखित कारक यह सिद्ध करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं की पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है:

i. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

ii. कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के बाद, संबद्ध देशों से पाटन शुरू हुआ और संबद्ध आयातों में काफी अधिक वृद्धि हुई।

iii. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में इसके अनुरूप वृद्धि करने में असमर्थ रहा है।

iv. भारत में पाटित आयातों की उपस्थिति के बीच घरेलू उद्योग केवल लाभप्रदता से समझौता करके ही अपने मात्रात्मक मापदंडों को बनाए रखने में सक्षम रहा है।

v. इसके कारण घरेलू उद्योग की मालसूची में भी वृद्धि हुई है।

vi. पूर्व में विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने वाले देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में बना रहा है।

vii. घरेलू उद्योग को नकद घाटा भी हुआ है और उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है क्योंकि वह संबद्ध वस्तुओं को अपनी बिक्री लागत से अधिक कीमतों पर बेचने में असमर्थ रहा है।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश में काफी नुकसान हुआ है।

ix. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

x. कीमत संबंधी मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक रही है।

100. अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

101. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय उद्योग के हित अथवा किसी अन्य मुद्दे के संबंध में न तो भागीदारी की है और न ही कोई अनुरोध किया है।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. संबद्ध वस्तुओं का कोई प्रत्यक्ष उपयोग या अनुप्रयोग नहीं है और अनुप्रयोग योग्य बनाने के लिए इनका रूपांतरण किया जाना आवश्यक है। संबद्ध वस्तुओं के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योग निम्नानुसार हैं:

   क. पीटीबीसीएचए जिसका उपयोग सुगंध उद्योग द्वारा सुगंध के उत्पादन के लिए किया जाता है।

   ख. रेजिन जिसका उपयोग कोटिंग/स्याही/ एडहेसिव उद्योग में किया जाता है।

ii. पीटीबीपी का उपयोग पीटीबीसीएचए के उत्पादन में किया जाता है (लगभग 78% खपत)। घरेलू स्तर पर उत्पादित पीटीबीसीएचए का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। पीटीबीसीएचए के निर्यात के लिए पीटीबीपी का आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत कवर होता है। इस प्रकार, शुल्क लगाए जाने से ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीटीबीसीएचए का उपयोग सुगंध उद्योग द्वारा साबुन, डिटर्जेंट और शैंपू में सुगंध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण लागत में होने वाली किसी भी वृद्धि को एफएमसीजी क्षेत्र के विनिर्माताओं पर अंतरित किया जा सकता है। एफएमसीजी की लागत में सुगंध की लागत नगण्य होती है।

iv. पीटीबीपी का उपयोग रेजिन के उत्पादन में भी किया जाता है, जिसका अंतिम उत्पाद कोटिंग, स्याही और चिपकने वाले पदार्थ हैं (लगभग 45% खपत)। अंतिम उत्पाद में

रेजिन की खपत नगण्य है और इस प्रकार, लागत में वृद्धि का कोई भी प्रभाव नगण्य होगा।

v. यदि 20% पाटनरोधी शुल्क भी लगाया जाता है, तो सुगंध उद्योग पर इसका प्रभाव केवल 0.07% और रेजिन उद्योग पर केवल 0.05% होगा। अंतिम उपयोगकर्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

vi. यदि पाटन जारी रहता है, तो घरेलू उद्योग अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा और प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य हो जाएगा। देश में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक के बंद होने से भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएगा।

vii. उत्पाद का एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन होना व्यापक जनहित में है।

viii. व्यापार उपचारात्मक उपायों के अभाव में घरेलू उद्योग और सरकार को कुल मिलाकर लगभग 24 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

ix. यद्यपि भारत ब्यूटाइल फिनोल का एक बड़ा उपभोक्ता है, फिर भी आवेदक द्वारा घरेलू उत्पादन स्थापित करने से पहले भारत में इसके उत्पादन की कोई क्षमता मौजूद नहीं थी।

x. भारत में पीटीबीपी की मांग बढ़ रही है और सुगंध एवं रेजिन उद्योग में वृद्धि के साथ इसके और बढ़ने का अनुमान है। मांग में वृद्धि को देखते हुए, यह आवश्यक है कि भारत में एक मजबूत घरेलू उद्योग होना चाहिए।

xi. पीटीबीपी का उपयोग पॉली कार्बोनेट के लिए एक चेन टर्मिनेटर के रूप में भी किया जा रहा है, जो एक इंजीनियर्ड प्लास्टिक है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, चिकित्सा तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में होता है। पॉली कार्बोनेट उद्योग की वैश्विक वृद्धि दर लगभग 5-6% प्रति वर्ष है।

xii. बढ़ते डाउनस्ट्रीम उद्योगों के साथ, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक 17,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है, जो 2047 तक बढ़कर 40,000 मीट्रिक टन हो जाएगी। यदि पाटन जारी रहता है, तो अतिरिक्त निवेश संभव नहीं होगा।

xiii. इस आरंभिक अवस्था के उद्योग को विस्तार करने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त उचित प्रतिस्पर्धी माहौल की आवश्यकता है।

xiv. पूर्ववर्ती और वर्तमान स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद की पाटन के कारण *** लाख रूपये का संचयी घाटा, *** लाख रूपये का नकद घाटा और *** का नकारात्मक आरओआई हुआ है, जबकि अनुमान *** लाख रूपये के संचयी लाभ, *** लाख रूपये के नकद लाभ और *** के आरओआई का था। यदि व्यापार उपचारात्मक उपाय नहीं लगाए जाते हैं, तो भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

103. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति का निवारण करना है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह एक समान अवसर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के बने रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने पर रोक लगती है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तुओं के व्यापक चयन तक पहुंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई बाधा नहीं हैं बल्कि उचित व्यापार प्रथाओं के सुविधा प्रदाता हैं।

104. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जॉच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जांच के बारे में संगत जानकारी प्रदान करने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी संभावित प्रभाव का विवरण शामिल था।

105. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग ने ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

वर्तमान जांच में किसी भी उपयोगकर्ता, आयातक या निर्यातक ने भाग नहीं लिया। यह भी नोट किया जाता है कि उपभोक्ता उद्योग कोई छोटा उद्योग नहीं है, तथा वर्तमान जांच उनके संज्ञान में मानी जाती है।

106. पीटीबीपी का उपयोग सुगंध और रेजिन उद्योग में किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव नगण्य और 0.1% से कम है। इस प्रकार, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। नीचे दी गई तालिका पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	सुगंध (साबुन, डिटर्जेंट, शैंपू)	रेजिन (कोटिंग/स्याही, एडेसिव)
1	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत	₹/किग्रा	50.00	220.00
2	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की प्रति इकाई पीटीबीपी खपत	किग्रा	0.00094	0.0007
3	पीटीबीपी की पंहुच कीमत	₹/किग्रा.	161	161
4	पाटनरोधी शुल्क	%	20%	20%
5	पाटनरोधी शुल्क	₹/ किग्रा.	32.20	32.20
6	पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण कीमत में वृद्धि	₹/ किग्रा.	0.03	0.02
7	प्रभाव	%	0.06%	0.01%

107. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि वे उचित कीमत पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करें। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल पाटित आयातों को रोकना और उस घरेलू उद्योग को उपचार प्रदान करना है जो उत्पादन शुरू होने के बाद से ही किसी न किसी स्रोत से होने वाले पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठा रहा है। बाजार के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति अभी भी ऐसे आयातों द्वारा ही की जाएगी।

108. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपर्युक्त तालिका में डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का आकलन 20% की शुल्क दर पर किया गया है, जो कमतर शुल्क नियम के प्रयोग से किसी भी संबद्ध देश के लिए निकलने वाली शुल्क दर से अधिक है। अतः इस प्रकार आकलित प्रभाव कम करके नहीं आंका गया है।

109. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य संबद्ध वस्तुओं के अनुचित आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों को समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है। इसके साथ ही, प्राधिकारी इस तथ्य से भी अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव सामान्य तौर पर केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह विचाराधीन उत्पाद के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है।

110. पीटीबीपी का उपयोग पीटीबीसीएचए (4-टेर्ट-ब्युटाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटेट) के उत्पादन में किया जाता है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि पीटीबीसीएचए में पीटीबीपी की अनुमानित खपत लगभग 78% है। पीटीबीसीएचए का एकमात्र उपयोग सुगंध उद्योग में होता है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि पीटीबीसीएचए का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है और इसलिए, पीटीबीसीएचए के लिए प्राप्त किया गया पीटीबीपी आमतौर पर अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत खरीदा जाता है, जिससे शुल्क लगाने से ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर कोई विवाद भी नहीं हुआ है।

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीटीबीसीएचए के उत्पादक लागत में होने वाले परिवर्तनों को अपने ग्राहकों, अर्थात अगले उत्पाद के उत्पादकों अर्थात सुगंध/इत्र निर्माताओं पर अंतरित कर देते हैं, जिसका उपयोग साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट निर्माताओं द्वारा किया जाता है जो एफएमसीजी क्षेत्र का हिस्सा हैं। तथापि, इस उत्पाद का उपयोग सभी प्रकार के साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट निर्माण में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट निर्माण के प्रीमियम या उच्च-स्तरीय खंड में किया जाता है। इसी प्रकार, कोटिंग, स्याही और चिपकने वाले पदार्थों में पीटीबीपी रेजिन की खपत बहुत कम है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई गणना से पता चलता है कि उपाय लागू करने से अंतिम उत्पाद की उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होगी और इसलिए अंतिम उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

112. आवेदक संबद्ध वस्तु का एकमात्र और नया उत्पादक है। आवेदक द्वारा उत्पादन क्षमता स्थापित करने से पहले प्रयोक्ता केवल आयात पर निर्भर थे। आपूर्ति का घरेलू स्रोत होने से देश आत्मनिर्भर बनेगा और ग्राहकों को आपूर्ति का एक सुदृढ़ और विश्वसनीय स्रोत प्राप्त होगा।

ञ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ञ.1 अअन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

113. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन के पश्चात कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। अनुपूरक प्रकटन विवरण पर ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

114. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण और अनुपूरक प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

क. प्राधिकारी ने बीजक-उपरांत छूट पर विचार नहीं किया है, जबकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ है कि यह चीन के निर्यातकों की वास्तविक वाणिज्यिक प्रथा है। इस समायोजन के बिना पाटन मार्जिन को काफी कम आंका गया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों को लागू किया जाए और उसके अनुसार निवल निर्यात कीमत को समायोजित किया जाए, क्योंकि साक्ष्य संबंधी बाधा पूरी तरह से निर्यातकों की गैर-भागीदारी के कारण उत्पन्न हुई है, न कि घरेलू उद्योग की ओर से किसी कमी के कारण।

ख. घरेलू उद्योग इस तर्क का खंडन करता है कि क्षति केवल पहले के स्रोतों से चीन की ओर पाटन के स्थानांतरण के कारण हुई है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और यूएसए पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने (14 मार्च 2024 से प्रभावी) से पहले, इन निर्यातक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से आयात कम था। चूंकि जांच अवधि वर्ष 2024-25 है, अर्थात पहले के स्रोतों पर शुल्क लगाए जाने के केवल 12 महीने बाद, इसलिए यह व्यापार विचलन की संपूर्ण मात्रा को दर्ज नहीं करता है।

ग. जांच अवधि के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि ताइवान से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हैं। घरेलू उद्योग को केवल अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए आयातों के पंहुच कीमत से कम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिससे भारी नुकसान हुआ है और कीमत ह्रास की स्थिति बनी है। आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कटौती किए जाने से, उठाई जा रही क्षति और अधिक तीव्र हो गई है।

घ. यह अनुरोध किया जाता है कि ताइवान से होने वाले आयातों से कोई वास्तविक क्षति न होने का निष्कर्ष वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाता है। ताइवान से आयात ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर हैं, जिसकी बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष से लगभग तीन गुना हो गई है, और यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कटौती कर रहा है। इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह ताइवान से होने वाले आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करें।

ङ. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में क्षति अवधि के दौरान 2612% की वृद्धि हुई और वे जांच अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर थे। कोरिया गणराज्य पर शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है।

च. प्राधिकारी ने सही रूप से नोट किया है कि शुल्क लगाए जाने के कारण बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत के बीच का अंतर कम होना चाहिए था, परंतु चूंकि पाटन चीन जनवादी गणराज्य की ओर स्थानांतरित हो गया है, इसलिए यह अंतर वास्तव में काफी बढ़ गया है, जो घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव को दर्शाता है।

छ. बाजार हिस्सेदारी के संबंध में, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह ताइवान से आयातों में जांच अवधि के बाद हुई वृद्धि पर विचार करें, जो कुल आयात और भारतीय खपत में काफी अधिक वृद्धि दर्शाता है। सामूहिक रूप से, पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने वाले देशों पर शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से आयात काफी बढ़ रहे हैं।

ज. घरेलू उद्योग ने कई स्रोतों से पाटन का सामना किया है और अब जाकर वह उबरने के मार्ग पर है। कम आंका गया क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग को लगातार क्षतिकारी आयातों का सामना करने के लिए छोड़ सकता है और उपचारात्मक उपाय की

प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि क्षति मार्जिन उठाई गई क्षति की वास्तविक मात्रा को प्रदर्शित करे।

झ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच अवधि के बाद के आयात आंकड़ों पर विचार करें जो दर्शाते हैं कि ताइवान से आयात अपने उच्चतम स्तर पर हैं, जो आधार वर्ष से लगभग तीन गुना हो गए हैं, और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कटौती कर रहे हैं। ऐसे आयातों की पंहुच कीमत भी क्षतिरहित कीमत से कम रही है, जो पहुंचाई जा रही क्षति की सीमा को प्रदर्शित करता है।

ञ. प्राधिकारी ने नोट किया कि चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयात भारत में होने वाले कुल आयात का 42% हैं। जांच अवधि के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन से आयात 36% है जबकि ताइवान से आयात 16% है, जिससे संबद्ध देशों से आयातों की संचयी हिस्सेदारी 52% हो जाती है। इसके साथ ही, जिन देशों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू है, उनका कुल आयात में लगभग 47% हिस्सा है। ऐसे किसी अन्य कारक की पहचान नहीं की गई है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकता था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान दोनों से कम कीमत वाले आयातों के कारण हुए पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष ज्ञात करें।

ट. घरेलू उद्योग अनुपूरक प्रकटन विवरण में चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है और प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि अनुपूरक प्रकटन विवरण के खंड ग में उल्लिखित संबद्ध देशों के संशोधित दायरे की पुष्टि की जाए।

ठ. संबद्ध देशों से आयात पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अंतर्गत संचयी मूल्यांकन की शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है, प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कुल आयातों के तीन प्रतिशत से अधिक है, और आयातित वस्तुओं के बीच तथा आयातित वस्तुओं और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

ड. संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के परस्पर तुलनीय गुण हैं, वे वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और भारत में उन्हीं अनुप्रयोगों के

लिए प्रयुक्त होती हैं, जो लिखित अनुरोधों के साथ अनुबंध-ग के रूप में दायर चीनी, ताइवानी और भारतीय उत्पादकों के उत्पाद विवरण पत्रकों से सिद्ध होता है।

ढ. संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं उसी अवधि में ग्राहकों के उसी वर्ग को विपणित की जाती हैं, जो लिखित अनुरोधों के साथ अनुबंध-घ के रूप में दायर विवरणों से सिद्ध होता है, और संबद्ध देशों से आयात भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के समान बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

ण. जहां पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अंतर्गत शर्तें पूरी होती हैं वहां आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना विभिन्न क्षेत्राधिकारों में जांच प्राधिकारियों की सामान्य प्रथा है, और 2025 तथा 2026 में प्राधिकारी द्वारा संपन्न ऐसी ग्यारह जांचों की सूची रिकॉर्ड पर रखी गई है जिनमें संचयी मूल्यांकन किया गया था।

त. संचय का सिद्धांत उरुग्वे दौर में चर्चा का विषय रहा था, और यह चिंता कि जिस देश के निर्यात अलग-अलग रूप में वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाते उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं चलाई जानी चाहिए, इस सिद्धांत के प्रयोग पर न्यूनतम सीमा संबंधी प्रतिबंधों के समावेश का कारण बनी। अतः पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 में निर्धारित मापदंड यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि किसी मामले में संचयी मूल्यांकन वैध और उपयुक्त है अथवा नहीं।

थ. घरेलू उद्योग अभी भी कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से हुए पूर्ववर्ती पाटन से उबर रहा है, जिन पर पाटनरोधी शुल्क केवल 14 मार्च 2024 को लगाया गया था, और चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान से नए सिरे से हो रहा पाटन उसकी पूर्ण वसूली में बाधक है। वसूली की यह चल रही अवस्था स्वयं में एक वैध क्षति मापदंड है जो घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता को दर्शाती है।

द. क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कारणात्मक संबंध, संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत की तुलना पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से आयातों की पाटनरोधी शुल्क सहित पंहुच कीमत से करने पर स्थापित होता है, जो काफी अधिक है, और इससे यह सिद्ध होता है कि क्षति संबद्ध देशों से आयातों की कीमत के कारण है न कि अन्य स्रोतों से आयातों की कीमत के कारण।

ध. घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार इस कारण है कि उसने संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचा है तथा शुल्क लगाए जाने के बाद कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से आयातों में गिरावट आई है, और जब पूर्ववर्ती स्रोतों पर शुल्क लगाए जाने के बाद पाटन नए स्रोतों की ओर स्थानांतरित होता है तो ऐसा अल्पकालिक सुधार स्वाभाविक है।

न. घरेलू उद्योग ने अपनी पीटीबीपी उत्पादन इकाई की स्थापना में *** करोड़ रुपये का निवेश किया है और पाटित आयातों से संरक्षण के अभाव में उसे उत्पादन बंद करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसके कर्मचारियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्राहकों और भविष्य की निवेश योजनाओं पर पड़ेगा।

प. घरेलू उद्योग ने सभी विनिर्दिष्ट गैर-आरोपण कारकों, अर्थात अन्य स्रोतों से आयात, मांग में संकुचन, उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन, प्रतिस्थापनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी में विकास, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और निर्यात निष्पादन, के साथ-साथ अपने लिखित अनुरोधों के पैरा 68 में उल्लिखित अतिरिक्त कारकों पर विचार किया है, और संबद्ध देशों से आयातों के अतिरिक्त कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुंचा रहा है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

115. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जॉच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और दावों की पुनरावृत्ति हैं जिनका इन अंतिम जॉच परिणामों के संगत पैराग्राफों में आवश्यक सीमा तक पहले ही जॉच और समाधान किया जा चुका है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटन पश्चात जॉच में ऐसे अनुरोधों के उत्तरों को दोहराने का परिहार किया है। तथापि, प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए नए मुद्दों के साथ-साथ उन मुद्दों का, जिनका पहले समाधान किया गया था परंतु आगे जॉच करना आवश्यक समझा गया, नीचे समाधान किया गया है।

116. बीजक-उपरांत छूट के लिए निर्यात कीमत के समायोजन की मांग करने संबंधी घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि ऐसा अनुरोध चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की केवल एक छोटी मात्रा को कवर करने वाले पुन: बिक्री बीजकों पर आधारित है, जो उन भारतीय आयातकों द्वारा जारी किए गए हैं जिन्होंने स्वयं

जांच में भाग नहीं लिया था और जिनके अभिलेखों का संबंधित सौदों के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सका। तदनुसार, प्राधिकारी ऐसे पुन: बिक्री बीजकों के आधार पर निवल निर्यात कीमत को समायोजित करना उचित नहीं मानते हैं।

117. अनुपूरक प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तों की जांच इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में की गई है और उन्हें दोनों संबद्ध देशों के संबंध में पूरा पाया गया है। तदनुसार प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन किया है, तथा ताइवान से आयातों के पृथक मूल्यांकन और ताइवान के संबंध में जांच समाप्त करने संबंधी ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर के अनुरोधों पर उन्हीं पैराग्राफों में विचार किया गया है।

118. प्राधिकारी की अन्य जांचों में पूर्ववर्ती प्रथा तथा संचय के सिद्धांत के वार्ता-संबंधी इतिहास पर घरेलू उद्योग के अनुरोधों की पृथक जांच अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वर्तमान जांच में निर्धारण नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

119. जांच अवधि के पश्चात की अवधियों के आयात आंकड़ों पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विश्वास पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि क्षति का निर्धारण क्षति अवधि और जांच अवधि के संदर्भ में किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी टिप्पणियों में उद्धृत पंहुच कीमत के आंकड़े प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आंकड़ों से मामूली रूप से भिन्न हैं, और प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों से किए गए अपने स्वयं के निर्धारण पर विश्वास किया है।

ञ. निष्कर्ष और सिफारिश

120. ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार दिए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि: -

क. विचाराधीन उत्पाद "पैरा-टर्शियरी ब्यूटाइल फिनोल" या "पीटीबीपी" है, जो सीएएस संख्या 98-54-4 के अनुरूप है। उत्पाद के पिघले हुए और फ्लेक्ड दोनों रूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 29071940 के अंतर्गत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तु "समान वस्तु" हैं।

घ. यह आवेदन विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

ङ. आवेदक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

च. घरेलू उद्योग नियमावली के अंतर्गत पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

छ. चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया।

ज. चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ का उचित योग शामिल है।

झ. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के लिए पाटन मार्जिन 10-20% की सीमा में है, जबकि ताइवान से आयातों के लिए पाटन मार्जिन 5-15% की सीमा में है।

ञ. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन के लिए निर्धारित शर्तें दोनों संबद्ध देशों के संबंध में पूरी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और प्रत्येक से आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के कुल आयातों के तीन प्रतिशत से अधिक है।

ट. तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं और घरेलू समान वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उसी अवधि में उसी बाजार में ग्राहकों के उसी वर्ग को बेची जाती हैं।

ठ. विचाराधीन उत्पाद की मांग में 2022-23 में गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

ड. संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष के 987 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 3,818 मीट्रिक टन हो गए, जो 287% की वृद्धि को दर्शाता है। चीन जनवादी गणराज्य से आयात आधार वर्ष के 125 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 3,391 मीट्रिक टन हो गया, जो 2,612% की वृद्धि को दर्शाता है। जांच अवधि में आयात अपने उच्चतम स्तर पर थे।

ढ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई, जबकि इसकी बिक्री कीमत में गिरावट आई है। पूरी क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम रही है।

ण. पाटित आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग के क्षतिरहित कीमत से कम रही है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने से रोका है।

त. देश में मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री करने से रोका गया और उसे अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ा है।

थ. देश में मांग में वृद्धि और मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 30% की वृद्धि हुई।

द. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। यद्यपि जांच अवधि में इसके निष्पादन में मामूली सुधार हुआ, फिर भी इसे लगातार घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर अत्यधिक नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है।

ध. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

न. पहले यह पाया गया था कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से डंप किए गए इंपोर्ट की वजह से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था। अथॉरिटी ने उन स्रोतों पर एडीडी लगाने की सिफारिश की थी और उसे लागू भी किया गया था। इससे घरेलू इंडस्ट्री के सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद थी। हालाँकि, मौजूदा संबंधित देशों से हो रही डंपिंग ने घरेलू इंडस्ट्री को डंपिंग के पिछले बुरे असर से पूरी तरह उबरने से रोका है। इसके अलावा, यह तथ्य कि मौजूदा संबंधित देशों से इंपोर्ट की लैंडेड कीमत घरेलू इंडस्ट्री की नॉन-इंजुरियस कीमत (नुकसान न पहुँचाने वाली कीमत) से काफी कम है, यह साबित करता है कि अगर मौजूदा स्रोतों से हो रही डंपिंग पर एडीडी लगाकर कार्रवाई नहीं की गई, तो डंपिंग वाला इंपोर्ट घरेलू इंडस्ट्री को सामान्य स्तर पर लौटने से रोकेगा और घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होता रहेगा।

प. ऐसा कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो।

फ. किसी भी प्रयोक्ता, आयातक या निर्यातक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया। केवल घरेलू उद्योग ने जानकारी प्रदान की है।

ब. डाउनस्ट्रीम सुगंध और रेजिन उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य और 0.1% से कम है।

भ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और केवल यह सुनिश्चित होगा कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें। भारतीय बाजार के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति आयातों द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

म. पाटनरोधी शुल्क समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करेगा और विदेशी उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग के बीच एक समान अवसर की प्रतिस्पर्धा बनाए रखेगा।

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक

संबंध की जांच शुरू करने और उसका संचालन करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

122. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक मानते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	**शीर्ष/उप शीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**यूओएम**	**मुद्रा**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29071940	पैरा-टर्शियरी ब्यूटाइल फिनोल" (पीटीबीपी)	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	कोई	115	मी. टन	अम.डा.
2	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	चीन जन गण	कोई	115	मी. टन	अम.डा.

3	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई देश	कोई	28	मी. टन	अम.डा.
4	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	ताइवान	कोई	28	मी. टन	अम.डा.

ट. आगे की प्रक्रिया

123. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 24th September, 2026

Case No. – AD(OI) – 44/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Para Tertiary Butyl Phenol" originating in or exported from China PR and Taiwan

F. No. 6/47/2024-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "Rules") thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") initiated anti-dumping investigation concerning imports of "Para-Tertiary Butyl Phenol" originating in or exported from South Korea, Singapore and the United States of America vide Notification no. 6/14/2022-DGTR on 21st December 2022. The Authority thereafter notified Final Findings recommending definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods vide notification dated 20th December 2023. Definitive duties were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 04/2024-Customs (ADD) dated 14th March 2024.

2. The Authority received the present application filed by Vinati Organics Ltd., (hereinafter referred to as the "applicant" or the "petitioner" or "VOL") seeking initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of "para tertiary butyl phenol" (hereinafter also referred to as "PTBP" or "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR and Taiwan (hereinafter also referred to as the "subject countries").

3. The applicant alleged that pursuant to the imposition of duties on imports of the subject goods from South Korea, Singapore and the United States of America, the producers in China PR and Taiwan started dumping of the subject goods in India. The volume of subject imports from China PR and Taiwan, at dumped and injurious prices, increased manifold in the period of investigation and such imports have caused material injury to the domestic industry.

4. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No.6/47/2024-DGTR dated 26th June 2025, published in the Gazette of India - Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

5. The procedure, as described herein below, has been followed with regard to the investigation:

5.1 Initiation

i. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the Authority notified governments of subject countries through their embassies in India about the receipt of the present anti-dumping application.

ii. As noted above, upon examination of the application, the Authority found *prima facie* evidence of dumping and consequent injury to the domestic industry due to such dumping. Therefore, in accordance with Rule 5 of the Rules, the Authority vide Notification F. No. No.6/47/2024-DGTR dated 26th June 2025 ('Initiation Notification') initiated the present proceedings.

5.2 Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of China PR, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

5.3 Period of Investigation and Injury investigation Period

i. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') was considered as 1st April 2024 – 31st March 2025 (a period of 12 months). The injury period was set to cover 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and the period of investigation.

ii. A request was made to the DG system to procure the transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data was received and the same has been relied upon for the necessary analysis.

5.4 **Participation by exporters from the subject countries and importers/users from India**

i. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject countries, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

ii. In accordance with Rule 6(4), the Authority issued questionnaires to the following producers and exporters to seek information regarding the normal value and net export price for the investigation.

S.N.	Names of producers/exporters in China PR
1.	CIDIC Holding Co. Ltd., China
2.	Farmasino Co. Ltd., China
3.	Hangzhou Celor Chemical Co. Ltd., China
4.	Helm China Co. Ltd., China
5.	Nanjing Datang Chemicals Co. Ltd., China
6.	Qingdao Bo-Sin International Co. Ltd., China
7.	Shandong Joy-Ring Chemical Co. Ltd., China
8.	TASCO Chemical Corporation, Taiwan
9.	Twinkle Star Chem Technology, China
10.	Zhejiang Chemicals Import, China
11.	Zhejiang Tongxiang Foreign Trade (Group) Co. Ltd., China
12.	Zibo Xujia Chemical Industry Co. Ltd., China
13.	Rachem (China) Co. Ltd., China
14.	Relybo Pharmachemical Co. Ltd., China
15.	Zhengzhou Meiya Chemical Products Co. Ltd., China

iii. None of the exporters have participated in the present investigation by filing a response to the exporters' questionnaire. Further, no submissions have been made by any producer or exporter from the subject countries.

iv. The Authority sent importer's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

S.N.	Names of importers/users
1.	Abelin Polymers
2.	Adani International
3.	Amrit Polychem Pvt. Ltd.
4.	Eternis Fine Chemicals Ltd.
5.	Fleming Laboratories Ltd.

6.	Flora Chemicals
7.	MPD Industries Pvt. Ltd.
8.	Leo Chemo Plast Pvt. Ltd.
9.	Mangalam Organics Ltd.
10.	Pioneer Chemical Industries Pvt. Ltd.
11.	Polyols & Polymers Pvt. Ltd.
12.	Privi Specialty Chemicals Ltd.
13.	Hardware Trading Corporation
14.	R. Nandlal & Sons
15.	Hubergroup India Pvt. Ltd.
16.	R.R. Innovative Pvt. Ltd.
17.	Kanoria Chembond Pvt. Ltd.
18.	Sanjay Chemicals (India) Pvt. Ltd.
19.	Kantilala Manilal and Co. Pvt. Ltd.
20.	Techno Waxchem Pvt. Ltd.
21.	MAC Industry

v. None of the importers/users have participated in the present investigation by filing a response to the questionnaire issued or by filing submissions, in response to the Initiation notification.

vi. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and the impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of each subject country, all the known exporters, importers and users as well as the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Response to the economic interest questionnaire issued by the Authority was filed by the domestic industry only.

5.5 **Further Procedure**

i. In response to the initiation notification, the following interested party registered themself within the prescribed timeline:

SN	Interested Party
1.	Taipei Economic and Cultural Center in India

ii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings to all other interested parties.

iii. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing on 7th May 2026 in hybrid mode. The

interested parties were provided the opportunity to file written submissions of the views expressed orally by 12th May 2026, followed by rejoinder submissions, if any, by 15th May 2026.

iv. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

v. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on a confidential basis.

vi. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data in its analysis in the present case.

vii. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.

viii. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes.

ix. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 14th August 2026 and the interested parties were allowed time up to 19th August 2026 to comment on the same. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final finding notification.

x. The Authority thereafter issued a supplementary disclosure statement on 17th September 2026, as an addendum to the disclosure statement, disclosing the essential facts relating

to the cumulative assessment of the effect of the dumped imports from the subject countries and the consequential modifications proposed to the disclosure statement, inviting comments on the supplementary disclosure statement. Comments on the supplementary disclosure statement have been received from the domestic industry. No comments have been received from any other interested party. The comments so received have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence, in this final finding notification.

xi. *** represents information furnished by a party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = Rs. 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the POI. The same rate has been applied throughout this disclosure (source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view).

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by other interested parties

6. No other interested parties has participated in the present investigation and made submissions with respect to the product under consideration or like article.

C.2. Submissions made by the domestic industry

7. The domestic industry has made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:

i. The product under consideration is Para-Tertiary Butyl Phenol ("PTBP"), also known as 4 tert butylphenol/ p tert butylphenol/ PTBP Chemical / para tert butyl phenol, confirming to CAS no. 98-54-4. PTBP is an organic aromatic compound with chemical formula ($C_{10}H_{14}O$). It occurs in a white crystalline solid form and has a distinct phenolic odour.

ii. The subject goods are classifiable under Chapter 29 under customs sub-headings 29071940. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

iii. This product is mainly used to manufacture perfumery raw material para tertiary butyl cyclo hexyl acetate (PTBCHA). It is also used to manufacture a range of resins including epoxy, polycarbonate resins and phenolic resins.

iv. The subject goods can be in both molten and flaked forms. Both forms are included within the scope of the product under consideration since the difference is cost and

price of molten form and flaked form is minimal. The Designated Authority in the past investigation on subject goods had considered both forms within the scope of the product under consideration.

v. The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries.

C.3. Examination by the Authority

8. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration.

"3. The product under consideration (PUC) is "Para-Tertiary Butyl Phenol" or "PTBP" conforming to CAS no. 98-54-4. PTBP is also known as 4 tert butylphenol/ p tert butylphenol/ PTBP Chemical/ para tert butyl phenol.

4. The product under consideration is an organic aromatic compound with the chemical formula (C10H14O). It occurs in a white crystalline solid form and has a distinct phenolic odour. PTBP chemical is usually prepared by a reaction of phenols and isobutylene."

a. About the product under consideration

9. Para-Tertiary Butyl Phenol is an organic aromatic compound with the chemical formula (C10H14O). PTBP is prepared by incorporating a gaseous isomer of butenes into phenols in the presence of an acid activated clay as a catalyst. This product is mainly used to manufacture a perfumery raw material para tertiary butyl cyclo hexyl acetate (PTBCHA). It is also used to manufacture a range of resins including epoxy, polycarbonate resins and phenolic resins.

10. PTBP can be in molten and flaked forms. Both, molten and flaked form are covered within the scope of the product under consideration. The subject goods are predominantly sold in flaked form. The usage of both molten and flaked forms is common and can be used interchangeably. The difference in the cost and price of molten form and flaked form is minimal.

11. Since no comments have been filed on the scope of the product under consideration in the present investigation, the Authority consider the scope of product under consideration as determined in the notification of initiation.

b. Customs classification for the product under consideration

12. The subject goods are classified under Chapter 29 under Customs sub-heading 29071940. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

c. Like article produced by the applicant

13. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable.

14. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are "like article" to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by other interested parties

15. No other interested parties has participated in the present investigation and filed submission with regard to scope of the domestic industry and standing.

D.2. Submissions made by the domestic industry

16. The domestic industry has made the following submissions with regard to scope of the domestic industry and standing:
    i. The application has been filed by Vinati Organics Limited.
    ii. The applicant started commercial production of the subject goods in July 2020. Prior to this, India had been fully dependent on imports of the subject goods for its domestic demand.
    iii. The applicant is the sole producer of the product under consideration in India and holds 100% share in the total domestic production of the subject goods.
    iv. The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries and is also not related to any producers/exporters or importers of the subject goods in India.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"*

18. The present application has been filed by Vinati Organics Limited. The applicant is the sole producer of subject goods in India and account for entirety of Indian production.

19. The Authority notes that the applicant is not related to any exporter of the subject goods from the subject countries or any importer of the subject goods in India. Further, an analysis of DG System transaction-wise data shows that the applicant has not imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation.

20. Although the subject goods have been in use in the domestic market since long, the requirements were, however, met entirely by imports. There is no known substitute for the subject goods. The applicant has started a new plant for manufacturing of the subject goods in India and conceived this product in 2014-15 and started commercial production of the subject goods in July 2020. The subject goods are a new product in the country in so far as its production in India is concerned.

21. Having regard to information and evidence available on record, the Authority notes that the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules. Hence, the Authority holds that the applicant constitutes the domestic industry within the meaning of the Anti-dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by other interested parties

22. No other interested party has participated in the present investigation and filed submission with regard to confidentiality claimed by the domestic industry.

E.2. Submissions made by the domestic industry

23. No other interested party has filed any submissions and no comments have been made by the domestic industry.

E.3. Submissions made by the domestic industry

24. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

> *"7. Confidential Information:*
> *(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information. The designated Authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

25. The information provided by the domestic industry on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by other interested parties

26. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions.

i. There are no valid grounds for retrospective imposition of anti-dumping duty on imports from Taiwan as there is no history of dumping from Taiwan, the applicant has failed to establish that the importers were aware of dumping and there is no massive dumping of the product from Taiwan.

F.2. Submissions made by the domestic industry

27. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions.

i. There is a need for imposition of retrospective anti-dumping duty in the present investigation as there is history of dumping in India, importers should have been aware of dumping and imports from China and Taiwan increased significantly leading to massive dumping in the country.

F.3. Examination by the Authority

28. The Taipei Economic and Cultural Centre, Taiwan has submitted that there is no need for retrospective imposition of anti-dumping duty as conditions for the same have not been met. The Authority notes that it is not recommending imposition of retrospective imposition of anti-dumping duty in the present investigation and hence, there is no need for examining the submissions made in this regard.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by other interested parties

29. No other interested party has participated in the present investigation and filed submissions with regard to normal value, export price and dumping margin.

G.2. Submissions made by the domestic industry

30. The domestic industry has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:

i. China PR should be considered a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the AD Rules.

ii. Should it be contended that Article 15(a)(ii) of China PR's Accession Protocol has already ceased and therefore, the same cannot be applied to the present case, Article 15(a)(i) is still applicable and must be considered for determination of normal value for China PR.

iii. The obligation under 15(a)(i) of China PR's Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied by the exporter.

iv. Since Chinese producers are not entitled to market economy treatment, the Designated Authority should follow para 7 of Annexure I of the Rules for the determination of Normal Value.

v. The applicant has determined normal value for China PR on the basis of price payable in India which is based on cost of production of the applicant duly adjusted for selling, general and administrative expenses with reasonable addition of margins.

vi. The applicant did not have access to information regarding the domestic selling price prevailing in Taiwan.

vii. The applicant has determined the normal value for producers in Taiwan based on estimates of cost of production in Taiwan. The applicant collected information on import price of phenol, a major raw material. After due adjustment therein, price of other raw materials and consumption norms have been considered on best information basis to calculate normal value.

G.3. Examination by the Authority

31. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

a. Determination of Normal Value for China PR

32. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

33. The domestic industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, production and sale

of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.

34. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. Since no producer/exporter from China PR have participated in the present investigation and submitted response to the exporters' questionnaire, the normal value computation is required to be done in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any, made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

35. The applicant has claimed that although the product under consideration is produced in several countries, the selling price or cost in appropriate market economy third country is not available publicly. Thus, price prevailing in market economy third country is not available. Further, price of imports into India cannot be considered as majority of imports are either from China PR, or from Korea RP, Singapore, and USA which are already subject to anti-dumping duty. None of the exporters/producers from China PR have participated in the present investigation or adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value.

36. In view of the above, the Authority has determined normal value for China PR based on price payable in India for the like article. The normal value has been determined considering the optimized cost of production in India after addition for the selling, general and administrative expenses, and reasonable profits.

37. The Authority notes that none of the producers from China PR have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers and exporters from China PR has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

b. Determination of Normal Value and Export price for Taiwan

38. While the applicant has proposed determination of normal value based on estimated cost of production in Taiwan having regard to the import price of major raw material from the subject country, and addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits, the Authority has determined the normal value for producers in Taiwan based on best available information. The normal value has been determined having regard to the cost of production in India duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

39. The Authority notes that none of the producers from Taiwan have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Taiwan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

SN	Countries	Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin		
		(US$/MT)	(US$/MT)	(US$/MT)	%	Range %
1.	China PR	***	***	***	***	10-20%
2.	Taiwan	***	***	***	***	5-15%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by other interested parties

40. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link.

i. The imports from Taiwan should not be cumulated with imports from China PR as the conditions of cumulation have not been met. The imports from Taiwan are much lower than imports from China PR and priced higher than such imports.

ii. Imports from Taiwan are miniscule and such volume of imports cannot be a reason for injury to the domestic industry.

iii. While imports from Taiwan have declined, the domestic sales of the domestic industry has increased.

iv. The imports from Taiwan are not undercutting the prices of the domestic industry. Further, the evidence of post sales discounts has been submitted only in relation to imports from China PR and not imports from Taiwan.

v. The import price from Taiwan has increased over the injury period.

vi. The production and sales of the domestic industry have increased significantly over the injury period and since the time it commenced production in India. This shows healthy operation trajectory and no material injury to the domestic industry.

vii. While market share of the domestic industry has increased, the market share of imports from Taiwan has declined.

viii. The selling price of the domestic industry has increased which shows lack of price suppression depression.

ix. The injury to the domestic industry is due to high interest and depreciation costs and the same cannot be attributed to subject imports.

x. Imports from Taiwan are too small to cause injury to the domestic industry and the investigation in respect of Taiwan is liable to be terminated.

H.2. Submissions made by the domestic industry

41. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. The domestic industry commenced production of subject goods in July 2020 prior to which there was no production of PTBP in India. The entire demand for subject goods in India was being met by imports.

ii. The establishment of the domestic industry was being retarded by imports from South Korea, USA and Singapore. Therefore, the Designated Authority recommended the imposition of duties on said countries which was imposed on 14th March 2024.

iii. As soon as duties were imposed on South Korea, USA and Singapore, source of dumping shifted to China PR in the present investigation.

iv. Importers which were earlier importing from China PR in the previous anti-dumping investigation have reduced imports from such countries and have increased imports from China PR in the present investigation due to availability of such imports at dumped prices.

v. The non-recovery of domestic industry from past effects of dumping itself is an injury factor, as considered by authorities globally.

vi. Imports from China PR which accounted for only 1% of total imports into India in 2021-22. Such imports have increased significantly post imposition of anti-dumping duty on other countries and account for over 40% of total imports into India in the period of investigation.

vii. There were no imports from Taiwan in 2022-23. However, the imports started entering in India since 2023-24 and increased significantly in the period of investigation.

viii. Subject imports in relation to production and consumption in India have also increased significantly in the period of investigation.

ix. While the demand in India has increased, the increase is being captured by subject imports.

x. Chinese exporters have provided post invoicing discount to the importers in India and therefore, import prices as per the transaction wise import data do not reflect the true value of imports from China PR.

xi. Re-sale price of subject goods is even lower than the import price reported to the Customs authority. The domestic industry has been forced to compete with the re-sale prices in India and such prices are undercutting the prices of the domestic industry.

xii. If resale price is adjusted for expenses incurred and profit earned by the reseller/importer, the price undercutting still remains positive.

xiii. Landed price of subject imports is below the cost of sales of the domestic industry.

xiv. The cost of sales of the domestic industry has increased over the injury period, however, the domestic industry has been forced to reduce its selling price. The applicant has been forced to grant discounts to its customers in order to get orders and sustain in the Indian market.

xv. The market share of China PR increased three-fold over the injury period. The imports from China PR have overtaken the market share vacated by other countries attracting anti-dumping duty. While the market share of the subject imports has increased, the market share of the domestic industry has declined in the POI.

xvi. Despite having enough capacity, the domestic industry has not been able to realise its potential due to dumping from one source or another. To retain its foothold in the market, it has to benchmark its prices to the import price in India. Since the subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry, the domestic industry has been forced to sell at losses.

xvii. The domestic industry has incurred significant financial losses, cash losses and recorded a negative ROI throughout the injury period.

xviii. The domestic industry has continuously incurred financial losses since commencement of commercial production due to dumping from one source or another. The difference between the projected profitability and actual performance of the domestic industry is significant.

xix. The domestic industry had invested ₹ *** crores in setting up the PTBP production unit. However, due to continued dumping it has continuously suffered losses of approx. ₹*** crores and may cease operation without trade remedial measures.

xx. In case, the situation is not remedied, the domestic industry will be forced to cease production in India. However, cessation of operations would significantly increase operational and fixed expenses leading to deterioration in the overall profitability of the company. The consequent impact would fall on employees, supply chains, customers and future investment plans.

xxi. The investment of the domestic industry has already eroded by approx. ₹ *** lacs by the POI.

xxii. Average inventories remained significant in the injury period and increased further in the POI.

xxiii. The domestic industry had positive growth in production and sales parameters but negative growth in pricing parameters. The positive growth in volume parameters is only due to the fact that the domestic industry has compromised on profitability

and sold the subject goods at losses.

xxiv. Producers in China PR have excess disposable capacity which far exceeds India's domestic demand. In the absence of remedial measures, dumping is likely to intensify.

xxv. The injury to the domestic industry is due to dumping of the subject goods from the subject country and no other known factor has caused injury to the domestic industry.

xxvi. The conditions laid down in paragraph (iii) of Annexure II to the Rules for cumulative assessment of the effect of the imports from more than one country are satisfied in the present case, and the effect of the imports from China PR and Taiwan is required to be assessed cumulatively.

xxvii. Termination of the investigation in respect of Taiwan is not permissible as neither the margin of dumping determined for Taiwan nor the volume of imports from Taiwan is below the thresholds prescribed under the Rules. The absence of a history of dumping from Taiwan is not relevant to the present determination.

H.3. Examination by the Authority

42. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"…taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…".* In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

43. The domestic industry has alleged that it is suffering material injury due to dumped imports from the subject countries. The Authority has taken note of submissions made by the domestic industry and verified evidence on record and has hereunder examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.

44. Submissions have been made by Taipei Economic and Cultural Centre, Taiwan, however, the interested party has failed to circulate such submissions to the domestic industry. In the interest of equity, the Authority has considered the submissions filed by the Taiwanese Authority. Taipei Economic and Cultural Centre has submitted that the imports from Taiwan are not causing injury to the domestic industry as the same have declined over the injury period and are not undercutting the prices of the domestic

industry.

45. The contentions of the Taipei Economic and Cultural Centre relate to the volume and the price of the imports from Taiwan taken in isolation. Whether the effect of the imports from the two subject countries is required to be assessed separately or cumulatively is governed by paragraph (iii) of Annexure II to the Rules. These contentions have accordingly been examined in the determination on cumulative assessment recorded hereinbelow and thereafter in the examination of the volume effect, the price effect and the consequent impact of the dumped imports on the domestic industry.

H.3.1 Cumulative Assessment of Injury

46. Article 3.3 of the WTO Agreement and para (iii) of the Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determined that:

a) The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of the like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the imports of the like article, and

b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.

47. As regards the first condition, the dumping margin determined for the imports from China PR is in the range of 10-20% and that determined for the imports from Taiwan is in the range of 5-15%, each of which is more than two percent expressed as a percentage of the export price. The volume of imports from China PR in the period of investigation was 3,391 MT and that from Taiwan was 427 MT, constituting 38% and 4.78% respectively of the total imports of the like article into India of 8,928 MT. The volume of imports from each of the subject countries is thus more than three percent of the imports of the like article. The first condition is therefore satisfied in respect of both the subject countries.

48. As regards the second condition, the Authority notes that the product under consideration is a single chemical, para tertiary butyl phenol conforming to CAS No. 98-54-4, classified under tariff item 29071940. The Authority has held hereinabove that the goods produced by the domestic industry are like article to the goods imported from the subject countries. The goods imported from the two subject countries are therefore interchangeable inter se and with the domestic like article. This is borne out by the product data sheets of the Chinese, Taiwanese and Indian producers placed on record by the domestic industry as

Annexure C to its written submissions.

49. The transaction-wise import data obtained from DG Systems show that the subject goods from both the subject countries are imported directly by user industries and traders in India and not through any distinct channel of distribution. The same importers have imported the subject goods from Taiwan, from China PR and from the countries already attracting anti-dumping duty during the injury period. In the period of investigation, the principal importers of the subject goods from Taiwan have also imported the subject goods from China PR or from Korea RP, and several of them are also customers of the domestic industry. The imported goods from both the subject countries and the domestic like article are thus sold to the same segment of customers through the same channels of distribution.

50. The imports from both the subject countries were present in the Indian market throughout the period of investigation and competed with each other and with the goods produced and sold by the domestic industry in the same period and under the same market conditions.

51. The Taipei Economic and Cultural Centre has contended that cumulation is not appropriate for the reason that the imports from Taiwan are lower in volume and higher in price than the imports from China PR. The Authority notes that the difference in the volume of imports as between the subject countries is addressed by the volume threshold prescribed in the first condition, which the imports from Taiwan satisfy, and that a difference in the level of import prices as between the subject countries is not, by itself, a difference in the conditions of competition. The price effect of the dumped imports has been examined separately hereinbelow. The Taipei Economic and Cultural Centre has also relied upon the statement made in the application that, in the absence of a domestic producer, the Indian market would be completely dominated by Chinese imports. The Authority notes that the said statement has been made in the context of the interest in having a competitive domestic industry and is not an admission that the injury is attributable to the imports from China PR alone. The application, the written submissions and the comments filed by the domestic industry have consistently attributed the injury to the imports from both the subject countries.

52. Having regard to the above, the Authority holds that the conditions laid down in paragraph (iii) of Annexure II to the Rules are satisfied and that it is appropriate to assess cumulatively the effect of the dumped imports from China PR and Taiwan on the domestic industry. The volume effect and the price effect of the dumped imports and the consequent impact thereof on the domestic industry have accordingly been examined on a cumulative basis in the paragraphs that follow.

53. As regards the submission that the investigation in respect of Taiwan is liable to be terminated, the Authority notes that the margin of dumping determined for Taiwan is above the de minimis level and that the volume of imports from Taiwan is above the threshold of negligibility prescribed under the Rules. The conditions for termination of

the investigation in respect of Taiwan are therefore not attracted.

H.3.2 Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

54. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand for the product under consideration is as follows:

Particulars	**Unit**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
Imports from China PR	MT	125	116	110	3,391
Imports from Taiwan	MT	862	-	397	427
Imports from subject countries	MT	987	116	507	3,818
Imports from countries already attracting ADD:	MT	11,118	6,797	5,895	5,111
Korea RP	MT	6,174	4,835	5,613	4,752
Singapore	MT	4,004	982	42	-
USA	MT	940	980	240	359
Imports from other countries	MT	176	225	15	-
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	232	401	464
Domestic industry – captive consumption	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	-	71	20
Demand/Consumption – excluding captive	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	83	102	129
Demand/Consumption – including captive	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	83	102	128

55. It is seen that the demand for the subject goods declined in 2022-23 and increased thereafter. The demand for the subject goods has increased over the injury period.

b. Imports in absolute and relative terms

56. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data procured from DG Systems. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over

the injury period and in the period of investigation is as below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from China PR	MT	125	116	110	3,391
Imports from Taiwan	MT	862	-	397	427
Imports from subject countries	MT	987	116	507	3,818
Countries attracting duties	MT	11,118	6,797	5,895	5,111
Other Countries	MT	176	225	15	-
Total Imports	MT	12,281	7,138	6,417	8,928
Imports from the subject countries in relation to:					
Indian production	%	***	***	***	***
	Indexed	100	6	16	95
Indian Consumption	%	***	***	***	***
	Indexed	100	14	50	301
Total imports	%	8%	2%	8%	43%

57. The Authority notes that:

i. The imports from the subject countries have increased by 287% over the injury period, from 987 MT in the base year to 3,818 MT in the period of investigation, and were the highest in the period of investigation.

ii. The import volume from the subject countries sharply increased post imposition of duties on other countries i.e. Korea RP, Singapore and USA in March 2024. The applicant has claimed that imports from the subject countries have been historically low, however, these increased significantly after imposition of duties on other sources of dumping.

iii. It is seen, significant part of the market vacated by dumped imports from Korea RP, Singapore and USA has been taken over by imports from the subject countries. Thus, dumping has shifted to the subject countries.

iv. With decline in imports from the countries subjected to the previous investigation, the imports from the subject countries have increased.

v. The imports have increased in relation to consumption in India.

vi. The imports in relation to total production declined till 2022-23 and started increasing in 2023-24. The imports in relation to production in India increased sharply in the period of investigation.

58. It is also noted that the domestic industry commenced production in July 2020 and dumped imports from Korea RP, Singapore and USA caused injury to the domestic industry in the form of material retardation to its establishment. However, right after imposition of duties on Korea RP, Singapore and USA, imports from the subject countries increased significantly causing injury to the domestic industry as is examined in detail hereinbelow.

H.3.3 Price effect of dumped imports on domestic industry

59. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree in normal course.

60. Accordingly, the impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from each of the subject countries and from the subject countries taken together.

a. Price undercutting

61. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority is required to determine price undercutting. To determine the price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, at the same level of trade.

Particulars	Unit	China PR	Taiwan	Subject countries
Import Volume	MT	3,391	427	3,818
Landed price	₹/MT	1,60,037	1,67,477	1,60,869
Net sales realization	₹/MT	***	***	***
Price undercutting	₹/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***

62. The Authority notes that the price undercutting is negative in respect of the imports from each of the subject countries as well as in respect of the imports from the subject countries taken together. The domestic industry has submitted that the CIF price reported in the import data is not the actual price of imports as the producers from China PR offer post invoicing discounts. The domestic industry has submitted evidence in form of some invoices issued by importers for re-selling the product.

63. While it is seen that the price undercutting is positive, if the resale price of the product is considered, however, given low volume of imports involved in these evidences of resale prices, the authority considered it inappropriate to determine price undercutting on this basis. The Authority further notes that the evidence of post invoicing discounts relates only to the imports from China PR. In any case, the authority notes that positive price

undercutting is not a mandatory pre-requisite for holding that the domestic industry has suffered injury. This is additionally important in the present case where the domestic industry was earlier suffering from dumping from different sources leading to imposition of ADD and the domestic industry was on its path of recovery from past ill effects of dumping.

b. Price suppression / depression

64. For the purposes of analysing price suppression/ depression in the domestic market, cost of sales, domestic selling price, non-injuries price and the landed value has been examined, as is shown in the table below.

Particulars	**Unit**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	124	112	105
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	115	96	99
Landed value of imports from the subject countries	₹/MT	1,27,146	1,80,983	1,59,161	1,60,869
Non-injurious price	₹/MT				***

65. It is seen that while the cost of sales of the domestic industry increased over the injury period, the selling price has declined. Further, the selling price has been below cost of sales throughout the investigation period. It is also noted that while the landed price of subject imports has increased over the injury period, it continues to be below the non-injurious price of the domestic industry in both the previous investigation and present investigation period. The landed value of the imports from the subject countries in the period of investigation is lower than the non-injurious price of the domestic industry by ***. Thus, the imports from the subject countries have prevented the domestic industry from increasing its prices to a level above the non-injurious price.

66. It is further noted that in the previous investigation into imports of the subject goods from Korea RP, Singapore and USA, the Authority recommended imposition of anti-dumping duty as dumping was retarding establishment of the domestic industry and as the selling price of the domestic industry was below the non-injurious price. Due to imposition of the anti-dumping duty, the gap between the selling price and non-injurious price at that time should have declined. However, since the dumping has shifted to the subject countries, the gap between the present non-injurious price and the selling price of the domestic industry has in fact increased significantly. This further shows that the subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry because of dumping shifting to the subject countries due to which it has not been able to sell the subject goods at non-injurious price.

Particulars	Unit	July 2021 – June 2022 (Previous POI)	2024-25 (Current POI)
Non-injurious price	₹/MT	***	***
	Indexed	100	104
Selling price	₹/MT	***	***
	Indexed	100	94
Difference	₹/MT	***	***
	Indexed	100	335

H.3.4 Consequent impact on economic parameters of the domestic industry

67. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, the various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and sales volume

68. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over injury period.

Particulars	**Unit**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
Installed capacity	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	197	330	407
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Indexed	100	197	330	407
Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	232	401	464
Export sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	176	268	370

69. It is seen that:

i. The capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.

ii. Production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period. The increase in volume parameters of the domestic industry is attributable to the fact that the domestic industry has sold the subject goods in the domestic market at prices below its cost of sales. Thus, the domestic industry has suffered in terms of profitability and not in terms of volume parameters.

iii. While the domestic sales of the domestic industry have increased, the domestic industry has submitted that the presence of dumped imports in the Indian market has prevented the domestic industry from selling higher volumes in the domestic market and rather the domestic industry was forced to export subject goods to other countries.

70. The Authority notes that there is a demand supply gap in the Indian market and the demand in India is higher than the capacity of the domestic industry. However, despite such demand-supply gap, the domestic industry has been prevented from selling goods in the domestic market and has been forced to export the subject goods to other countries. This clearly shows adverse volume effect of dumped imports.

b. Market Share in Demand

71. The market share of the subject imports and the domestic industry over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
	Indexed	100	275	387	355
Imports from China PR	%	***	***	***	***
	Indexed	100	112	86	2114
Imports from Taiwan	%	***	***	***	***
	Indexed	100	0	45	39
Imports from subject countries	%	***	***	***	***
	Indexed	100	14	50	301
Countries already attracting ADD	%	***	***	***	***
	Indexed	100	74	52	36
Other countries	%	***	***	***	***
	Indexed	100	154	8	0
Total imports	%	***	***	***	***
	Indexed	100	70	51	57

72. The Authority notes that:

i. The market share of imports from countries already attracting ADD has declined significantly since 2021-22 whereas the market share of imports from the subject countries has sharply increased.

ii. The market share of the imports from the subject countries in the demand in India increased three-fold over the injury period, indexed 100 in the base year and 301 in the period of investigation.

iii. While imports from countries already attracting anti-dumping duty commanded a major share of imports into India till 2023-24, the market share of such imports has declined while market share of subject imports has increased significantly in the POI. Thus, the market share vacated by the imports attracting anti-dumping duty has been taken over by the subject imports.

iv. While the market share of the domestic industry has increased over the injury period, such market share could have increased further if not for presence of dumped imports.

c. Inventories

73. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	111	96	130

74. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased over the injury period even when the demand has increased in India. While the domestic industry has sold the subject goods at losses, the inventories of the domestic industry have increased.

75. Further, such increase in inventories is starker in light of the fact that there is a demand-supply gap in India. Despite such demand-supply gap, the domestic industry is unable to sell its product in the domestic market leading to increase in inventories.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed

76. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
Cost of sales	₹ /MT	***	***	***	***
	Indexed	100	124	112	105
Selling Price	₹ /MT	***	***	***	***

	Indexed	100	115	96	99
PBT	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	(100)	(554)	(865)	(373)
PBIT per unit	₹ /MT	***	***	***	***
	Indexed	(100)	(552)	(862)	(374)
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	1,282	3,454	1,736
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	(2,601)	(10,939)	(4,562)
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Indexed	(100)	(911)	(2,589)	(1,435)

77. The Authority notes that:

i. The domestic industry has incurred losses throughout the injury period. While the domestic industry incurred losses till 2023-24 due to dumping of subject goods from Korea RP, Singapore and USA, the losses of the domestic industry have continued in the period of investigation due to dumping of the subject imports from China PR.

ii. The cash profits of the domestic industry have also followed the same trend. While there is slight improvement in performance of the domestic industry in terms of reduction in cash losses in the period of investigation, the cash losses have continued as the producers in China PR have started dumping the product under consideration in India.

iii. The return on capital employed of the domestic industry has remained significantly negative in the period of investigation and even after imposition of anti-dumping duty on countries found to be dumping in the past.

iv. The selling price of the domestic industry has remained below cost of sales throughout the injury period. The domestic industry increased its sales by selling subject goods at losses competing with dumped imports.

e. Employment, Wages and Productivity

78. Employment, productivity and wages of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
	Indexed	100	122	122	120
Salaries and wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	28	97	130
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	197	330	407
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	161	270	339

79. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry have increased over the injury period. The productivity per employee, productivity per day has increased over the injury period with increase in production. Salaries and wages paid have also increased over the injury period.

f. Growth

80. The growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales volume, PBT, PBIT and cash profits are given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	%	-	0%	0%	0%
Production	%	-	97%	67%	24%
Domestic sales	%	-	132%	73%	16%
Profit / (loss) per unit (Profit before tax)	%	-	-454%	-56%	57%
Cash profits	%	-	-2701%	-321%	58%
Return on capital employed	%	-	-811%	-184%	45%

81. The Authority notes that:

i. The installed capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.

ii. The volume parameters have registered a positive growth year on year. The domestic industry has submitted that the positive growth in volume parameters is only due to the fact that the domestic industry has compromised on profitability and sold the subject goods at losses.

iii. The profits, cash profit and return on capital employed of the domestic industry showed a negative growth till 2023-24. However, there is a slight improvement in the performance of the domestic industry in the period of investigation. The Authority notes that even after a slight improvement in the period of investigation, the domestic industry has continued to suffer losses, cash losses and has recorded a negative return on capital employed.

g. Factors affecting domestic prices

82. It is noted that the domestic industry has not been able to increase its prices despite increase in its cost of sales and the selling price of the domestic industry has remained below the cost of sales throughout the injury period. Further imports have occupied the market share vacated after imposition of duties on other countries and are undercutting the prices of the domestic industry. The adjusted landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry. Thus, the subject imports have forced the domestic industry to compromise on profitability. The domestic industry has incurred losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed in the period of investigation. It is therefore, considered that the dumped imports have adversely affected the prices of the domestic industry.

h. Ability to raise capital investment

83. The domestic industry has submitted that prior to its establishment, India was completely relied upon imports. Considering the demand supply gap in the country, there is scope for further investment in the product. The domestic industry has incurred significant losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed over the entire injury period including the period of investigation. Further, domestic industry's investments have eroded by ₹ *** lacs by the period of investigation. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been impacted due to dumped imports.

i. Magnitude of dumping margin

84. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the goods are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

j. Conclusion on material injury

85. Based on the above analysis, the Authority concludes as follows:

a. Imports from the subject countries increased significantly over the injury period and were the highest in the period of investigation.
b. Imports from the subject countries increased significantly after the imposition of anti-dumping duties on imports from Korea RP, Singapore and USA. A significant part of the market vacated by imports from these countries has been taken over by imports from the subject countries.
c. Imports from the subject countries increased sharply in relation to production and consumption in India during the period of investigation. The subject imports in relation to total imports also increased from 8% in the base year to 43% in the period of investigation.
d. The price undercutting is negative. However, the imports are causing price suppression in the domestic market.
e. The production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry increased over the injury period at the cost of selling the product at losses.
f. Despite the demand-supply gap in the country, the domestic industry was prevented from selling higher volumes in the domestic market and was forced to export the subject goods to other countries.
g. The market share of the domestic industry increased over the injury period. However, its market share could have increased further in the absence of dumped imports from China PR.

h. The inventories of the domestic industry increased sharply in the period of investigation despite an increase in demand and the demand-supply gap in the country.

i. The domestic industry incurred losses throughout the injury period. While its performance improved slightly in the period of investigation, it continued to suffer losses, cash losses and a significantly negative return on capital employed.

j. The number of employees, wages and productivity of the domestic industry increased over the injury period with the increase in production.

k. The growth of the domestic industry in terms of volume parameters was positive on account of selling the product at losses. In terms of price parameters, the domestic industry continued to suffer losses over the injury period.

l. The subject imports have adversely affected the ability of the domestic industry to raise further capital investment. The investments of the domestic industry have eroded significantly over the injury period.

m. The dumping margin for imports from each of the subject countries is positive and significant in the period of investigation.

k. Magnitude of injury margin

86. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price of the imports from each of the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

87. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

INJURY MARGIN TABLE

Country	Producer	Non-injurious price (USD /MT)	Landed value of imports (USD/MT)	Injury Margin (USD /MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
China PR	**Any**	***	***	***	***	0-10
Taiwan	**Any**	***	***	***	***	0-10

H.4. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

88. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports from other countries, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and value of imports from third countries

89. Imports from the subject countries constitute 43% share of total imports into India in the period of investigation. While imports from Korea RP, Singapore and USA are significant in volume, such imports are already subject to anti-dumping duty and the landed price of such imports including anti-dumping duty is substantially higher than the landed price of the imports from the subject countries. Imports from other countries were nil in the period of investigation. Therefore, the domestic industry is not suffering injury due to imports from third countries.

b. Contraction in demand

90. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

c. Changes in pattern of consumption

91. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

92. It is seen that there is no evidence of conditions of competition or any trade restrictive practices that may have caused injury to the domestic industry.

e. Development in technology

93. There is no evidence of development of technology which could have led to injury to the domestic industry. In any case, the domestic industry has recently set up a plant for manufacturing of the subject goods in India and hence, has new technology.

f. Export performance of the domestic industry

94. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

g. Performance of other products

95. The domestic industry has provided the injury data for the like article and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry have not been considered. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

h. Productivity

96. The productivity of the domestic industry has increased in line with increase in production. Thus, injury cannot be due to decline in productivity

i. High depreciation and interest cost

97. The other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to high depreciation and interest cost. The Authority notes that in case of a new industry and investment, the depreciation and interest cost tends to be higher. However, in the present case, the depreciation and interest cost has not increased which could have caused injury to the domestic industry. The depreciation and interest cost of the domestic industry has declined over the injury period and thus, it cannot be considered as a factor of injury to the domestic industry.

98. The Authority further notes that even if, interest cost and depreciation are adjusted, the profit of the domestic industry has suffered losses even before accounting for depreciation and interest cost. Thus, high interest and depreciation cost is not a factor causing injury to the domestic industry.

Particulars	**Unit**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
PBT	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	(100)	(554)	(865)	(373)
Interest cost	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	1157	1755	44
Depreciation cost	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	201	105	86
Depreciation and interest cost	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	203	110	86
PBDIT	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	(1,092)	(2,673)	(970)

99. Thus, the Authority notes that no other known factors which could have caused injury to the domestic industry. The following factors establish that dumping of subject goods from China PR has caused injury to the domestic industry.

i. The product under consideration is being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant in respect of each of the subject countries.
ii. After imposition of duties on subject goods from Korea RP, Singapore and USA, dumping started from the subject countries and the subject imports increased significantly.
iii. While the cost of sales of the domestic industry has increased, the domestic industry has not been able to increase its selling price commensurately.
iv. The domestic industry has been able to maintain its volume parameters only by compromising on profitability in the presence of dumped imports in India.
v. This has also led to increase in inventories of the domestic industry.
vi. The domestic industry has remained in losses in the period of investigation even after imposition of anti-dumping duty on countries dumping the product under consideration previously.
vii. The domestic industry has also incurred cash losses and recorded a negative return on capital employed as it has not been able to sell the subject goods at prices above its cost of sales.
viii. The investment made by the domestic industry has eroded significantly.
ix. The imports have adversely impacted the prices of the domestic industry.
x. The growth of the domestic industry is negative in terms of price parameters.

100. The Authority, thus, concludes that there exists a causal relation between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

I.1. Submissions by the other interested parties

101. No other interested party has participated and made submissions regarding Indian industry's interest or any other issues.

I.2. Submissions by the domestic industry

102. The domestic industry has made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues:
i. The subject goods have no direct use or application and must be transformed to have an application. The downstream industries for the subject goods are:
a. PTBCHA which is used by the perfumery industry for producing fragrance
b. Resin which is used in the coating/ink/adhesive industry.
ii. PTBP is used in the production of PTBCHA (approx. 78% consumption). Almost 90% of PTBCHA produced domestically is exported. The import of PTBP for exports of PTBCHA is covered under advance license. Thus, the imposition of duty will not have any impact on such sales.

iii. PTBCHA is used by the perfumery industry to produce fragrance in soaps, detergent and shampoos. Any increase in cost due to imposition of anti-dumping duty can be passed onto manufacturers in the FMCG sector. The cost of perfumery in FMCG cost is minimal.

iv. PTBP is also used in the production of Resin with the eventual end product being coating, ink and adhesives (approx. 45% consumption). The consumption of resin in end product is minimal and thus, any impact on increase in cost will be minimal.

v. Even if 20% anti-dumping duty is imposed, the impact on the perfumery industry is only 0.07% and only 0.05% on the resin industry. The impact of anti-dumping duty on the end users is negligible.

vi. If dumping continues, domestic industry would not be able to compete with unfairly low-priced imports and would be forced to cease operations. Shutting down of the sole producer of subject goods in the country would make India completely dependent on imports.

vii. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive domestic production of the product.

viii. The domestic industry and government at large would incur a loss of approx. 24 crores in the absence of trade remedial measures.

ix. While India is a large user of butyl phenols, there were no capacities for production of the same in India prior to the applicant setting up domestic production.

x. The demand for PTBP in India is growing and is estimated to grow further with growth in perfumery and resin industry. With growth in demand, it is essential that there should be a strong domestic industry in India.

xi. PTBP is also being used as a chain terminator for polycarbonate, an engineered plastic which finds applications in automobiles, electrical and electronics, construction, medical and consumer durables. The global growth rate of polycarbonate industry is around 5-6% per annum.

xii. With growing downstream industries, India needs an additional capacity of 17,000 MT by 2030 to cater to domestic demand, which would further increase to 40,000 MT by 2047. In the event dumping continues, additional investments will not be possible.

xiii. The nascent industry needs adequate fair playing field to expand and serve domestic needs.

xiv. Dumping of product under consideration from previous and present sources has led to cumulative loss of Rs. *** lacs, cash loss of Rs. *** lacs and a negative ROI of ***, as against projections of cumulative profit of Rs. *** lacs, cash profit of Rs. *** lacs and ROI of ***. In the event trade remedial measures are not imposed, the sole producer of subject goods in India would be forced to cease operations.

I.3. Examination by the Authority

103. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duty is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by unfair trade practice of dumping. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject

countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

104. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations.

105. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties. Only the domestic industry has responded to the economic interest questionnaire. No user, importer or exporter participated in the present investigation. It is further noted that the consumer industry is not a small industry, and the present investigation is deemed to be within their knowledge.

106. PTBP is used in the perfumery and resin industry. The Authority notes that the impact of imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods is negligible and less than 0.1%. Thus, there is no significant impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry. The table below shows quantified impact of imposition of anti-dumping duty.

SN	Particulars	Unit	Fragrance (Soap, detergent, shampoo)	Resin (Coating/ink, adhesive)
1	Price of downstream product	₹/Kg	50.00	220.00
2	PTBP consumption in per unit of downstream product	Kg	0.00094	0.0007
3	PTBP landed price	₹/Kg	161	161
4	Anti-dumping duty	%	20%	20%
5	Anti-dumping duty	₹/kg	32.20	32.20
6	Increase in price due to imposition of ADD	₹/kg	0.03	0.02
7	Impact	%	0.06%	0.01%

107. It is noted that imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports of the PUC and would only ensure that they would enter into the Indian territory at fair price. The anti-dumping duty is meant to only prevent dumped imports and provide remedy to the domestic industry which has been suffering material injury due to dumping from one

source or the other since commencement of production. A substantial share of the market would still be catered by such imports.

108. The Authority further notes that the impact of the anti-dumping duty on the downstream industry has been assessed in the table above at a rate of duty of 20%, which is higher than the rate of duty that results for either of the subject countries on the application of the lesser duty rule. The impact so assessed is therefore not understated.

109. The Authority notes that trade remedial measures are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring level playing field to domestic producers through imposition of appropriate duties against unfair imports of the subject goods. At the same time, the Authority is cognizant of the fact that the impact of such duties, in general, are not limited to only the domestic producers of the PUC but can also affect the users as well as consumers of the PUC.

110. PTBP is used in the production of PTBCHA (4-tert-Butyl Cyclohexyl Acetate). The petitioner has claimed that the approximate consumption of PTBP is PTBCHA is around 78%. The only use of PTBCHA is in perfumery industry. The applicant also submits that PTBCHA is largely exported and thus, PTBP procured for PTBCHA is generally procured under advance license and thus the imposition of duty will not have any impact on such sales. The same has not been disputed either.

111. The Authority notes that the producers of PTBCHA pass on the changes in cost to their customer, i.e., producers of the next product, i.e., fragrance/perfume, which is used by soaps, shampoos and detergent manufacturers who are part of FMCG sector. However, the product is not used in all kinds of soaps, shampoos and detergent manufacturing. The product is used only in premium or high-end segment of soaps, shampoos and detergent manufacturing. Similarly, PTBP resin consumption in coating, ink and adhesive is very minimal. The calculation provided by the domestic industry shows imposition of measures will not impact the cost of production of eventual end product and therefore would not adversely impact relative competitiveness of the eventual end product.

112. The applicant is the sole and new producer of subject goods. Users were reliant only on imports prior to the establishment of production capacities by the applicant. Having a domestic source of supply would make the country self-reliant will give the customers a healthy and reliant source of supply.

J. POST DISCLOSURE COMMNETS

J.1 Submissions by the other interested parties

113. No other interested party has made post disclosure comments. No comments have been received from the Taipei Economic and Cultural Centre, Taiwan or from any other interested party on the supplementary disclosure statement.

J.2 Submissions by the domestic industry

114. The domestic industry has made the following post disclosure comments on the disclosure statement and on the supplementary disclosure statement:

a. The Authority has not accounted for post-invoicing discounts, despite evidence establishing this as the actual commercial practice of Chinese exporters. The dumping margin is significantly understated without this adjustment. The Authority is requested that facts available be applied under Rule 6(8) and the net export price be adjusted accordingly, as the evidentiary constraint arises solely from non-participation of exporters and not from any deficiency on the part of the domestic industry.

b. The domestic industry refutes the contention that injury is due to shifting of dumping from earlier sources to China alone. Prior to imposition of anti-dumping duties on South Korea, Singapore and the USA (effective 14th March 2024), competition amongst these exporting countries led to low imports from China PR and Taiwan. Since the POI is from 2024 - 25, i.e. barely 12 months from the imposition of duties on the earlier sources, it does not capture the full extent of trade diversion.

c. Post-POI data shows that imports from Taiwan are below the cost of sales of the domestic industry. The domestic industry has been compelled to sell below the landed price of imports, incurring significant losses merely to sustain its operations, further causing price depression. With imports undercutting the domestic industry's cost of sales, the injury being suffered stands further intensified.

d. It is submitted that the finding of no material injury from imports from Taiwan does not reflect the actual factual position. Imports from Taiwan are at a historical high, with market share having nearly tripled from the base year, undercutting the domestic industry's cost of sales. Therefore, the Authority is requested to recommend imposition of anti-dumping duty on imports from Taiwan as well.

e. Imports from China PR increased by 2612% over the injury period and were the highest in the period of investigation. Import volume from subject countries sharply increased post imposition of duties on Korea RP.

f. The Authority has rightly noted that the gap between selling price and NIP should have declined due to imposition of duty, since dumping has shifted to China PR, the gap has in fact increased significantly, indicating suppressing and depressing effect of imports on the prices of the domestic industry.

g. With regard to market share, the Authority is requested to consider post-POI increase in imports from Taiwan, which shows a significant increase in total imports and Indian consumption. Cumulatively, imports from subject countries are significantly increasing after imposition of duties on countries already attracting ADD.

h. The domestic industry has suffered dumping from multiple sources and is only now on a path towards recovery. An under-calculated injury margin may leave the

domestic industry exposed to continued injurious imports and undermine the effectiveness of the remedial measure. The Authority is requested to ensure that the injury margin reflects the actual extent of injury suffered.

i. The Authority is requested to consider post-POI import data demonstrating that imports from Taiwan are at their highest level, having nearly tripled from the base year, and are undercutting the domestic industry's cost of sales. The landed price of such imports is also below the Non-Injurious Price (NIP), demonstrating the extent of injury being caused.

j. The Authority noted that imports from China PR constitute 42% of total imports into India. Post-POI data shows that imports from China account for 36% whereas imports from Taiwan account for 16%, making cumulative share of imports from subject countries as 52%. Simultaneously, countries already attracting ADD account for approximately 47% of total imports. No other factors have been identified that could have contributed to the injury suffered by the domestic industry. The Authority is requested to conclude the causal link between dumping and injury caused due to low priced imports from both China PR and Taiwan.

k. The domestic industry supports the proposal made in the supplementary disclosure statement to assess the effect of the imports from China PR and Taiwan cumulatively and requests the Authority to confirm the revised scope of the subject countries as set out in Section C of the supplementary disclosure statement.

l. The imports from the subject countries meet the conditions for cumulative assessment under Article 3.3 of the Anti-Dumping Agreement and paragraph (iii) of Annexure II to the Rules, in that the margin of dumping from each of the subject countries is more than two percent, the volume of imports from each of the subject countries is more than three percent of the total imports, and cumulative assessment is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported goods and between the imported goods and the like domestic article.

m. The goods produced by the producers in the subject countries have inter se comparable properties, are commercially and technically substitutable and are used for the same applications in India, as is established by the product data sheets of the Chinese, Taiwanese and Indian producers filed as Annexure C to the written submissions.

n. The goods imported from the subject countries and those sold by the domestic industry are marketed to the same segment of customers during the same period, as is established by the details filed as Annexure D to the written submissions, and the imports from the subject countries compete in the same market as the subject goods produced in India.

o. It is the general practice of investigating authorities across jurisdictions to assess the effect of imports cumulatively where the conditions under Article 3.3 of the Anti-Dumping Agreement are met, and a list of eleven investigations concluded by the Authority in 2025 and 2026 in which cumulative assessment was undertaken has been placed on record.

p. The principle of cumulation was the subject of debate in the Uruguay Round, and the concern that proceedings ought not to be maintained against a country whose

exports do not individually cause material injury led to the inclusion of the de minimis restrictions on the application of the principle. The parameters prescribed under Article 3.3 of the Anti-Dumping Agreement therefore sufficiently determine whether cumulative assessment in a given case is valid and appropriate.

q. The domestic industry is still recovering from the earlier dumping from Korea RP, Singapore and the USA, on which anti-dumping duty was imposed only on 14th March 2024, and the renewed dumping from China PR and Taiwan is hindering its full recovery. The ongoing phase of recovery is itself a valid injury parameter demonstrating the vulnerability of the domestic industry.

r. The causal link between the injury and the subject imports is established by a comparison of the landed price of the subject imports with the landed price, inclusive of anti-dumping duty, of the imports from the countries already attracting anti-dumping duty, the latter being materially higher, which shows that the injury is caused by the price of the imports from the subject countries and not by the price of imports from the other sources.

s. The improvement in the volume parameters of the domestic industry is on account of its having sold the subject goods at a loss and on account of the decline in imports from Korea RP, Singapore and the USA after the imposition of duty on those sources, and such short-term improvement is natural when dumping shifts to new sources after duties are imposed on the earlier ones.

t. The domestic industry has invested ₹ *** crores in setting up its PTBP production unit and, in the absence of protection against dumped imports, would be forced to cease production, with consequent adverse effects on its employees, supply chains, customers and future investment plans.

u. The domestic industry has addressed all the specified non-attribution factors, namely imports from other sources, contraction in demand, changes in the pattern of consumption, availability of substitutes, development in technology, trade restrictive practices and export performance, along with the additional factors set out at paragraph 68 of its written submissions, and no factor other than the imports from the subject countries is causing material injury to the domestic industry.

J.3 Examination by the Authority

115. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such submissions in this post-disclosure examination. However, new submissions raised for the first time in post-disclosure comments, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further, are addressed hereunder.

116. With regard to the domestic industry's submission seeking adjustment of the export price for post-invoicing discounts, the Authority reiterates that such request rests on resale invoices covering only a small quantity of imports from China PR, issued by Indian

importers who did not themselves participate in the investigation and whose records could not accordingly be verified against the transactions in question. The Authority accordingly does not find it appropriate to adjust the net export price based on such resale invoices.

117. With regard to the comments filed by the domestic industry on the supplementary disclosure statement, the Authority notes that the domestic industry has supported the proposal to assess the effect of the imports from the subject countries cumulatively. The conditions laid down in paragraph (iii) of Annexure II to the Rules have been examined in the relevant paragraphs of these final findings and have been found to be satisfied in respect of both the subject countries. The Authority has accordingly assessed the effect of the dumped imports from China PR and Taiwan cumulatively, and the submissions of the Taipei Economic and Cultural Centre seeking a separate assessment of the imports from Taiwan and termination of the investigation in respect of Taiwan have been dealt with in those paragraphs.

118. The submissions of the domestic industry on the past practice of the Authority in other investigations and on the negotiating history of the principle of cumulation do not require separate examination, the determination in the present investigation having been made on the basis of the conditions prescribed in paragraph (iii) of Annexure II to the Rules and the facts on record.

119. The reliance placed by the domestic industry on the import data for the periods subsequent to the period of investigation has not been taken into account, the determination of injury having been made with reference to the injury period and the period of investigation. The figures of landed value relied upon by the domestic industry in its comments vary marginally from the figures determined by the Authority, and the Authority has relied upon its own determination made from the transaction-wise import data obtained from DG Systems.

J. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

120. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above, and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that: -

a. The product under consideration is “Para-Tertiary Butyl Phenol” or “PTBP”, conforming to CAS No. 98-54-4. Both molten and flaked forms of the product are included within the scope of the product under consideration.

b. The product under consideration is classifiable under Chapter 29 under sub-heading 29071940. However, the customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

c. The product produced by the domestic industry and the subject goods exported from the subject countries are like articles in terms of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

d. The application has been filed by Vinati Organics Limited, which is the sole producer of the subject goods in India.

e. The applicant is not related to any exporter of the subject goods from the subject countries or any importer of the subject goods in India. The applicant did not import the subject goods from the subject countries during the period of investigation.

f. The domestic industry satisfies the standing requirements under the Rules.

g. None of the producers or exporters from China PR and Taiwan participated in the investigation.

h. The normal value for China PR and Taiwan has been determined based on the cost of production in India, with appropriate additions for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

i. The dumping margin for imports from China PR is in the range of 10–20%, whereas the dumping margin for imports from Taiwan is in the range of 5–15%.

j. The conditions laid down in paragraph (iii) of Annexure II to the Rules for cumulative assessment of the effect of the imports are satisfied in respect of both the subject countries, the dumping margin determined for each being above the de minimis level and the volume of imports from each being more than three percent of the total imports of the like article into India.

k. The effect of the dumped imports from China PR and Taiwan has accordingly been assessed cumulatively, the goods imported from the subject countries and the domestic like article being technically and commercially substitutable and being sold to the same segment of customers in the same market during the same period.

l. The demand for the product under consideration declined in 2022-23 and increased thereafter. Overall, the demand increased over the injury period.

m. Imports from the subject countries increased from 987 MT in the base year to 3,818 MT in the period of investigation, representing an increase of 287%. Imports from China PR increased from 125 MT in the base year to 3,391 MT in the period of investigation, representing an increase of 2,612%. The imports were the highest in the period of investigation.

n. The cost of sales of the domestic industry increased over the injury period, whereas its selling price declined. The selling price remained below the cost of sales throughout the injury period.

o. The landed price of the dumped imports remained below the non-injurious price of the domestic industry. The dumped imports prevented the domestic industry from increasing its prices to a remunerative level.

p. Despite the demand-supply gap in the country, the domestic industry was prevented from selling higher volumes in the domestic market and was forced to export the subject goods to other countries.

q. The average inventories of the domestic industry increased by 30% over the injury period despite the increase in demand and the demand-supply gap in the country.

r. The domestic industry incurred losses throughout the injury period. While its performance improved slightly in the period of investigation, it continued to suffer losses, cash losses and a significantly negative return on capital employed.

s. The injury margin for imports from each of the subject countries is positive and significant.

t. The domestic industry was earlier found to have suffered injury because of dumped imports from South Korea, Singapore and the United States of America. The Authority recommended imposition of ADD on those sources and it was imposed. This should have led to recovery of the domestic industry to normalcy. However, dumping from present subject countries has prevented full recovery of the domestic industry from past ill effects of dumping. Further, the fact that the landed price of imports from the present subject countries is materially below non-injurious price of the domestic industry establishes that the dumped imports shall prevent recovery of the domestic industry to normal levels and the domestic industry shall continue to suffer injury, if the dumping from present sources is not addressed through imposition of ADD.

u. No other known factor that have caused injury to the domestic industry.

v. No user, importer or exporter responded to the economic interest questionnaire. Only the domestic industry provided the information.

w. The impact of anti-dumping duty on the downstream perfumery and resin industries is negligible and less than 0.1%.

x. The imposition of anti-dumping duty will not restrict imports and will only ensure that imports enter the Indian market at fair prices. A substantial share of the Indian market will continue to be catered to by imports.

y. Anti-dumping duty will restore equal competitive opportunities and maintain a level playing field between foreign producers and the domestic industry.

121. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

122. Having regard to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of final anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years,

from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

S.N.	Heading/ Subheading	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29071940	Para-Tertiary Butyl Phenol (PTBP)	China PR	Any country including China PR	Any	115	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	China PR	Any	115	MT	USD
3	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Any	28	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	Taiwan	Any	28	MT	USD

K. FURTHER PROCEDURE

123. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.10.03 10:21:37 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276745
CG-DL-E-03102026-276745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948
No. 275] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

मामला सं. – एडी (ओआई) – 29/2025

विषय: यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6 टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट ("यूवी 770") के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/32/2025-डीजीटीआर :- समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' अथवा 'नियमावली' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("सीएसटीएल") और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड ("सीएफसीएल") (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने यूरोपीय संघ ("ईयू") और चीन जन.गण. (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6 टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष विधिवत रूप से आवेदन-पत्र दायर किया था।

2. और जबकि, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र की जांच करने पर, प्राधिकारी ने सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अनुसार, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/32/2025-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर 2025 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच संबद्ध सामानों के किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा उसके परिणामस्वरूप यह निर्धारित करने के प्रयोजन से शुरू की गई थी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है और यदि हां, तो ऐसे शुल्क की वह राशि निर्धारित करने के लिए जो घरेलू उद्योग को हुई तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1. जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 9क और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच की शुरुआत करने से पूर्व भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27 सितंबर 2025 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

iii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2. आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। जहां भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।

3.3. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

a. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.

b. बीएएसएफ एसई, जर्मनी

c. बायोरे केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

d. हांगझोउ डिशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

e. एनएलसी इंडस्ट्री (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

f. क्विंगदाओ रिचकेम कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

g. क्विंगदाओ यूनिकेम इंटरनेशनल ट्रेड, चीन जन.गण.

h. रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.

i. राइजवे इंटरनेशनल लिमिटेड, चीन जन.गण.

j. साबो एस.पी.ए., इटली

k. सुकियान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

l. यूनिटेकेम (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

m. यांताई सनशो केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

a. बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच, ईयू

b. बीएएसएफ एसई, ईयू

c. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.

d. रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.

e. रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

f. रियानलॉन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

g. सिक्कान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.

h. सिक्कान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

3.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी।

a. आलोक इंडस्ट्रीज

b. आलोक मास्टर बैचेस प्राइवेट लिमिटेड

c. एम्पासेट स्पेशियलिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

d. बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

e. बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

f. बजाज सुपरपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

g. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड

h. ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
i. चंद्रमुखी इम्पेक्स लिमिटेड
j. केमवेरा स्पेशियलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
k. क्लाउड केमिकल्स
l. कोक्रिएट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
m. कोराप्लास्ट इंडस्ट्रीज
n. डी डी इंटरनेशनल
o. दीप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
p. दीवान मुंधड़ा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
q. एनवायरन स्पेशियलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
r. फ्लेक्सीटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
s. जी एम टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड
t. हाई ग्रेड इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
u. जे जे प्लास्टएलॉय प्राइवेट लिमिटेड
v. कंदोई फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
w. कंदुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
x. कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड
y. कोंकण स्पेशियलिटी
z. कोंकण स्पेशियलिटी पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
aa. लान्या केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
bb. लवीक एडकेम
cc. एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dd. मेकवेल प्लास्टिसाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
ee. मान्या पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
ff. मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
gg. मिनोल्टा केम
hh. मोबेलकेम स्पेशियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
ii. परफेक्ट कलरेंट्स एंड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
jj. पेट्रोटेक केमिका प्राइवेट लिमिटेड
kk. प्लाज़िमक्स प्राइवेट लिमिटेड
ll. प्लास्टीन इंडिया लिमिटेड
mm. प्लास्टीन पॉलीफिल्म्स लिमिटेड
nn. प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड

oo. पॉली वर्ल्ड
pp. पॉलीक्रोमैक्स कंपाउंड्स
qq. पॉलीवन पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
rr. प्रभु पॉली कलर लिमिटेड
ss. प्रकाश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
tt. रेनबो पॉलीकेम
uu. रास पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
vv. रीना ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ww. रुद्राक्ष पॉलीकेम
xx. एस के पॉलिमर्स
yy. सैमटोन इंडस्ट्रीज
zz. सर्वो प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
aaa. शक्ति पॉलीवीव प्राइवेट लिमिटेड
bbb. श्री सेल्स कॉर्पोरेशन
ccc. श्री अंबिका पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
ddd. श्री जगदंबा पॉलिमर्स लिमिटेड
eee. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
fff. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
ggg. स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मैटेरियल्स लिमिटेड
hhh. सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड
iii. ट्राइगॉन स्पेशियलिटी केम एलएलपी
jjj. वेलसेट प्लास्ट एक्सट्रूज़न्स प्राइवेट लिमिटेड
kkk. ज़ेटकेम सप्लाई चेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

ii. जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति कंपाउंड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भेजी गई थी।

iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

3.5. जांच की अवधि और क्षति की अवधि

i. वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2021-22, 2022-23, 2023-24 की

अवधियों और जांच की अवधि को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि आवेदक केवल 2022-23 से ही प्रचालनरत हैं, इसलिए संगत प्रचालन अवधि पर विचार किया गया है।

3.6. आगे की प्रक्रिया

i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया।

   i. घरेलू उद्योग
   ii. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
   iii. सिक्कान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.
   iv. सिक्कान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
   v. कंपाउंड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

ii. आर्थिक हित प्रश्नावली रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। इसे दिनांक 10 सितंबर, 2026 के ईमेल द्वारा उनके साथ पुनः साझा किया गया है।

iii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 10 फरवरी 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

iv. संबद्ध जांच में उत्पादकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और आयातकों के साथ-साथ प्रयोक्ताओं के संघ सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध दायर किए गए।

   i. घरेलू उद्योग
   ii. 'भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल' अथवा 'यूरोपीय आयोग' रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.
   iii. रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
   iv. रियानलॉन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
   v. बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच, ईयू
   vi. बीएएसएफ एसई, ईयू
   vii. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.
   viii. सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.

ix. सुकियान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

x. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड

xi. कंपाउंड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

v. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

vi. डीजी सिस्टम से क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन-वार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के पश्चात आयातों की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

vii. यह पता लगाने के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और उत्पादन एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत ("एनआईपी") निकाली गई है।

viii. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया गया है।

ix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

x. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां अभिलिखित की हैं।

xi. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना, जो इन अंतिम निष्कर्षों का आधार है, की यथासंभव सीमा तक सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया और

सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का, संगत, व्यवहार्य और आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापन किया।

xii. इन अंतिम निष्कर्षों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू, आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन संपूर्ण अंतिम निष्कर्षों में लागू की गई है। स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

xiv. इन अंतिम निष्कर्षों में जहां कहीं भी अनुमानित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिनमें घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय से संबंधित आंकड़े शामिल हैं, वे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों पर आधारित हैं, अर्थात् 2021 में तैयार की गई सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट और 2022 में तैयार की गई सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट, जिन पर संबंधित कंपनियों के प्रबंधन द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं और जिन्हें दोनों घटकों के तुलनीय प्रचालन वर्षों के संदर्भ में समेकित किया गया है। उक्त परियोजना रिपोर्टें गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं और उनके संबंध में दावा की गई गोपनीयता को प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 7 के अनुसार स्वीकार किया गया है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

(i) रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद एक विशिष्ट रूप से अभिनिर्धारित रासायनिक यौगिक, अर्थात् सीएएस सं. 52829-07-9 वाला बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) है, जबकि याचिका में कई स्थानों पर सीएसटीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद को "समान वस्तु" कहा गया

है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या सीएसटीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद जांच में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के ठीक अनुरूप है।

(ii) उन्होंने आगे अनुरोध किया कि सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी में यूवी 770 का अथवा विचाराधीन उत्पाद के लिए किसी अनन्य उत्पादन क्षमता का अलग से उल्लेख नहीं है। उनके अनुसार, इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या सीएसटीएल संगत अवधि के दौरान वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के परिभाषित दायरे में आने वाले उत्पाद का विनिर्माण कर रहा था।

(iii) तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे सीएसटीएल द्वारा विनिर्मित और वाणिज्यिक रूप से बेचे गए उत्पाद, उसके विनिर्देशों और संगत उत्पादन अभिलेखों का सत्यापन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सीएसटीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।

ग.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल दोनों ही जांचाधीन विचाराधीन उत्पाद के अनुरूप, सीएएस सं. 52829-07-9 वाले संबद्ध सामानों का विनिर्माण करते हैं। उसने कहा कि सीएसटीएल संबद्ध सामानों का पहला घरेलू उत्पादक था और सीएफसीएल ने बाद में उसी उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

(ii) घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद की पहचान से संबंधित तर्क के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने तुलनात्मक तकनीकी आंकड़ा शीटों, ग्राहक अनुमोदनों और उन ग्राहकों को की गई बिक्री पर विश्वास किया जो आयातित यूवी 770 का भी प्रयोग करते हैं। उसने अनुरोध किया कि इनसे यह प्रदर्शित होता है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और एक समान वस्तु है।

(iii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी पर किए गए विश्वास के संबंध में, मंजूरियां आवश्यक रूप से सीएएस-वार अलग क्षमता विनिर्देशों के साथ जारी नहीं की जाती हैं, और इसलिए यूवी 770 के लिए अलग से अभिनिर्धारित क्षमता का अभाव

विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन न होना सिद्ध नहीं करता। प्राधिकारी यह देखने के लिए सीएसटीएल और सीएफसीएल के संगत उत्पादन और अन्य अभिलेखों का सत्यापन कर सकते हैं कि क्या उत्पादित उत्पाद एक समान वस्तु है।

(iv) संबद्ध सामान सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 और अध्याय 38 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। संबद्ध सामानों का आयात कोड 29333990 और 38123990 के अंतर्गत किया जाता है। यह अनुरोध किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

6. **वर्तमान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया।**

"विचाराधीन उत्पाद बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट है, जिसे यूवी 770 अथवा हिंडर्ड एमीन्स लाइट स्टेबिलाइज़र 770 (एचएएलएस 770) के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद रासायनिक सूत्र C28H52N2O4 वाला एक निम्न आणविक भार का कार्बनिक यौगिक है, जिसकी सीएएस संख्या 52829-07-9 है। यह रंगहीन से हल्के पीले रंग का होता है।

विचाराधीन उत्पाद एक यूवी प्रकाश स्थिरक है, जिसका प्रयोग पराबैंगनी विकिरण अथवा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से पॉलिमरों के क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों का जीवनकाल बढ़ जाता है। विचाराधीन उत्पाद को यूवी स्टेबिलाइज़र 770 अथवा लाइट स्टेबिलाइज़र 770 भी कहा जाता है, और यह टिनुविन 770, साबोस्टैब 77, रियासॉर्ब 770 और सनोविन 770 सहित, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत उपलब्ध है।"

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद सीएएस सं. 52829-07-9 वाला बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट ("यूवी 770") है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की जांच की है कि आवेदन-पत्र में "समान वस्तु" अभिव्यक्ति का प्रयोग और सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी में यूवी 770 की अलग से अभिनिर्धारित क्षमता का अभाव इस बात पर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या सीएसटीएल ठीक विचाराधीन उत्पाद का ही विनिर्माण करता है। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि "समान वस्तु" अभिव्यक्ति पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत मान्यताप्राप्त पद है और संगत विचारणीय बिंदु यह है कि क्या घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के समरूप है अथवा समरूप उत्पाद के अभाव में, उसकी विशेषताएं आयातित विचाराधीन उत्पाद की विशेषताओं के अत्यधिक सदृश हैं।

8. प्राधिकारी ने सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद के संबंध में प्रस्तुत सूचना की जांच की है, जिसमें उत्पाद का विवरण, सीएएस संख्या, तकनीकी विनिर्देश, उत्पादन और बिक्री अभिलेख तथा रिकॉर्ड में रखी गई तुलनात्मक तकनीकी सूचना शामिल है। यह नोट किया जाता है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद की सीएएस सं. 52829-07-9 है, जो विचाराधीन उत्पाद की सीएएस संख्या ही है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से आगे यह पता चलता है कि घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद और आयातित संबद्ध सामानों की तकनीकी विशेषताएं और विनिर्देश तुलनीय हैं और वे समान अंतिम उपयोगों के लिए अभिप्रेत हैं। घरेलू उद्योग ने ग्राहक अनुमोदनों और आयातित यूवी 770 का प्रयोग करने वाले ग्राहकों को की गई बिक्री के संबंध में भी सूचना रिकॉर्ड में रखी है, जो घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित उत्पादों के बीच वाणिज्यिक परस्पर परिवर्तनीयता का समर्थन करती है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है जिससे कोई ऐसा वास्तविक तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अंतर प्रदर्शित हो, जिसके कारण सीएसटीएल अथवा सीएफसीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद को समान वस्तु के दायरे से बाहर करना आवश्यक हो।

9. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास की गई पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में, प्राधिकारी का विचार है कि ऐसी मंजूरी में यूवी 770 के लिए सीएएस-वार अलग क्षमता प्रविष्टि का अभाव, अपने आप में, यह निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या विचाराधीन उत्पाद का वास्तव में विनिर्माण किया गया था। विनिर्माण के प्रश्न की जांच उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादकों द्वारा रखे गए समकालीन उत्पादन, लागत निर्धारण और बिक्री अभिलेखों के संदर्भ में उचित रूप से की जाती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समरूप है, अथवा किसी भी स्थिति में उसके अत्यधिक सदृश है और उसके साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। अतः प्राधिकारी सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" मानते हैं।

10. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति अपनाने पर भी टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन पद्धति अपनाने का अनुरोध नहीं किया और पीसीएन-

वार तुलना को आवश्यक बनाने वाला कोई उत्पाद विभेदन अभिनिर्धारित नहीं हुआ। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाना आवश्यक नहीं समझा।

11. संबद्ध सामानों का आयात एचएस कोड 29333990 और 38123990 के अंतर्गत किया जाता है, यद्यपि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय यथा-अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बनाए रखने का निर्धारण किया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770/एचएएलएस 770) है, जिसका रासायनिक सूत्र $C_{28}H_{52}N_2O_4$ और सीएएस सं. 52829-07-9 है, जिसका प्रयोग पॉलिमरों के लिए यूवी प्रकाश स्थिरक के रूप में किया जाता है और जिसे टिनुविन 770, साबोस्टैब 77, रियासॉर्ब 770 और सनोविन 770 जैसे विभिन्न व्यापारिक नामों के अंतर्गत भी बेचा जाता है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई ने अनुरोध किया कि घरेलू उत्पादक के रूप में सीएसटीएल की पात्रता को सबसे पहले विचाराधीन उत्पाद के उसके वास्तविक वाणिज्यिक उत्पादन का सत्यापन करके स्थापित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, सीएसटीएल केवल इस आधार पर घरेलू उत्पादक के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता कि सीएफसीएल उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ii. उन्होंने आगे अनुरोध किया कि क्षति विश्लेषण के लिए सीएसटीएल और सीएफसीएल को यांत्रिक रूप से एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने अलग-अलग समय पर उत्पादन शुरू किया था। सुकियान समूह ने भी यह तर्क दिया कि कोई समेकित आकलन करने से पूर्व प्रत्येक उत्पादक के निष्पादन, परियोजना रिपोर्टों और परिस्थितियों की अलग-अलग जांच की जानी चाहिए।

iii. तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के क्षेत्र और नियम 2(ख) और 5(3) के अंतर्गत उसके आधार का निर्धारण करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक की उत्पादक स्थिति और संगत उत्पादन का अलग-अलग निर्धारण करना चाहिए।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल भारत में संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक हैं। सीएसटीएल ने *** में विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जबकि सीएफसीएल ने बाद में *** में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। तदनुसार, आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

ii. सीएसटीएल की उत्पादक स्थिति से संबंधित आपत्ति के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल दोनों ने वास्तव में संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है और सत्यापन के लिए अपने उत्पादन, बिक्री, क्षति और लागत निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। उसने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग में सीएसटीएल को शामिल करना विचाराधीन उत्पाद के उसके अपने उत्पादन पर आधारित है, न कि केवल सीएफसीएल में उसकी शेयरधारिता पर।

iii. समेकन के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएफसीएल, सीएसटीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और दोनों ही संस्थाएं विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उत्पादक हैं तथा समान उत्पाद का घरेलू उद्योग गठित करती हैं। उसने कहा कि घरेलू उद्योग के लिए समेकित क्षति सूचना प्रस्तुत की गई है, जबकि सीएसटीएल और सीएफसीएल की कंपनी-विशिष्ट सूचना और अलग-अलग परियोजना रिपोर्टें भी प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है"।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जो समान वस्तु के विनिर्माण में संलग्न हैं, अथवा ऐसे उत्पादकों के रूप में जिनका सामूहिक उत्पादन ऐसी वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है। वर्तमान जांच में आवेदन-पत्र क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीएसटीएल) और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड (सीएफसीएल) द्वारा दायर किया गया है।

17. प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है कि जब तक विचाराधीन उत्पाद का सीएसटीएल का स्वतंत्र उत्पादन स्थापित नहीं हो जाता, तब तक सीएसटीएल को घरेलू उद्योग का भाग नहीं होना चाहिए। जैसा कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु वाले खंड में पहले ही जांच की जा चुकी है, रिकॉर्ड में उपलब्ध उत्पाद-विशिष्ट उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और लागत निर्धारण अभिलेखों से *** से सीएसटीएल द्वारा और *** से सीएफसीएल द्वारा संबद्ध सामानों का विनिर्माण स्थापित होता है। इस प्रकार, घरेलू उत्पादक के रूप में सीएसटीएल को शामिल करना समान उत्पाद के उसके अपने उत्पादन पर आधारित है, न कि केवल सीएफसीएल के साथ उसके कॉर्पोरेट संबंध पर।

18. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सीएसटीएल और सीएफसीएल भारत में समान वस्तु के एकमात्र ज्ञात उत्पादक हैं और दोनों मिलकर संबद्ध सामानों के संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदकों ने न तो भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं। तदनुसार, नियम 2(ख) के अंतर्गत उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करने का कोई आधार नहीं है।

19. इस तर्क के संबंध में कि सीएसटीएल और सीएफसीएल को केवल इसलिए समेकित नहीं किया जाना चाहिए कि वे संबंधित संस्थाएं हैं और उन्होंने अलग-अलग समय पर उत्पादन शुरू किया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन पर एक साथ विचार करना उनके धारक-सहायक कंपनी संबंध पर आधारित नहीं है, बल्कि इस तथ्य पर आधारित है कि दोनों समान वस्तु के घरेलू उत्पादक हैं और दोनों मिलकर घरेलू उद्योग गठित करते हैं। उनकी उत्पादन शुरू करने की अलग-अलग तारीखें और प्रचालन इतिहास वास्तविक मंदन और विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच के लिए संगत हैं और क्षति की जांच में उन पर उचित रूप से विचार किया गया है; तथापि, इससे किसी भी उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर करना आवश्यक नहीं हो जाता।

20. जांच की अवधि के दौरान आवेदकों का उत्पादन और कुल घरेलू उत्पादन में उनकी संबंधित हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**जांच की अवधि**
क	**आवेदक**	एमटी	***
1	क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड	एमटी	***
2	क्लीन फिनो केम लिमिटेड	एमटी	***
ख	**अन्य उत्पादक**	**एमटी**	-
ग	**कुल**	**एमटी**	***
	% हिस्सेदारी		
1	क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड	%	40-50
2	क्लीन फिनो केम लिमिटेड	%	50-60
	कुल	%	100

21. तदनुसार, प्राधिकारी सीएसटीएल और सीएफसीएल को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत सामूहिक रूप से घरेलू उद्योग मानते हैं, क्योंकि आवेदकों का हिस्सा समान वस्तु के संपूर्ण घरेलू उत्पादन के बराबर है। प्राधिकारी आगे यह मानते हैं कि आवेदन-पत्र नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है। तदनुसार, क्षति सूचना पर समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए विचार किया गया है, जबकि क्षति और वास्तविक मंदन के आकलन के लिए जहां भी संगत हो, संस्था-विशिष्ट परिस्थितियों की अलग से जांच की गई है।

ङ. <u>गोपनीयता से संबंधित मुद्दे</u>

ङ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट किए गए सूचीबद्ध बिक्री आंकड़े, प्रकट की गई आयात सूचना से तुलना करने पर गलत हैं। उनके अनुसार, सही ढंग से सूचीबद्ध बिक्री आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई बिक्री से काफी अधिक बिक्री दर्शाएंगे, और अगोपनीय रूपांतर की विसंगतियों को ठीक किया जाना चाहिए।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि पर्याप्त अगोपनीय सारांश अथवा रेंज प्रदान किए बिना अनुमानों को पूर्णतः गोपनीय होने का दावा किया गया है। उनके अनुसार, इससे घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास की गई मान्यताओं, पद्धति, बेंचमार्क और वित्तीय अनुमानों की जांच बाधित होती है और इसलिए वास्तविक मंदन के दावे का आधार बनने वाले साक्ष्य की सार्थक संवीक्षा संभव नहीं होती।

ङ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

23. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 के विपरीत अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। विशेष रूप से, सुकियान और बीएएसएफ ने अपनी उत्पादन सुविधाओं के ब्यौरे प्रकट नहीं किए हैं, जबकि रियानलॉन और बीएएसएफ ने उत्पादन प्रक्रिया, उत्पाद कैटलॉग, शेयरधारकों, कच्चे माल, सहयोगी कंपनियों और वितरण चैनलों से संबंधित सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है।

ii. उसने आगे अनुरोध किया कि सुकियान ने विनिमय दर का आधार, लागत-लेखांकन पद्धति और उप-उत्पादों/स्क्रैप का व्यवहार प्रकट नहीं किया है, जबकि बीएएसएफ ने अपनी तकनीकी आंकड़ा शीट, विनिमय दरों, मूल्य श्रृंखला और व्यापार स्तर समायोजन का दावा करने के आधार पर गोपनीयता का दावा किया है। निर्यातकों/उत्पादकों ने उचित तुलना के लिए दावा किए गए समायोजनों की पद्धति भी पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं की है। इसके अतिरिक्त, सीएमएमएआई ने अपनी सदस्यता प्रकट नहीं की है और प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव की अपनी गणना को गोपनीय होने का दावा किया है।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट किए गए बिक्री आंकड़ों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई गोपनीयता संबंधी आपत्तियों के उत्तर में, सूचीबद्ध मांग और आयात आंकड़ों से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निकाले गए बिक्री आंकड़े गलत हैं। सूचकांक आंकड़े प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए वास्तविक गोपनीय आंकड़ों पर आधारित हैं, जिनका सत्यापन किया जा सकता है।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि परियोजना रिपोर्टें, अंतर्निहित मान्यताएं, पद्धति, बेंचमार्क और वित्तीय अनुमान वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हैं और सत्यापन के लिए प्राधिकारी को गोपनीय रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि अनुमान सूचीबद्ध रूप में प्रदान किए गए हैं। उसने कहा कि एक समान आधार का प्रयोग अनुमानित और प्राप्त निष्पादन के बीच सार्थक तुलना की अनुमति देता है, जबकि दोनों श्रृंखलाओं का अलग-अलग पुनः आधार निर्धारण ऐसा नहीं करेगा। उसने आगे अनुरोध किया कि अनुमानों की अंतर्निहित पद्धति के प्रकटन से उसके

वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह कि संयंत्र बंदी के ब्यौरे भी गोपनीय हैं और प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं।

ङ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

24. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर, उनके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी कोई सूचना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले किसी पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है। (3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसके सामान्य या सारांश रूप में प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

25. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है।

26. सूचीबद्ध बिक्री आंकड़ों में तथाकथित विसंगति पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी ने दायर किए गए आंकड़ों की जांच की है। यह देखा जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई गणनाएं प्रकट की गई सूचीबद्ध मांग और आयात सूचना से निकाली गई हैं। प्राधिकारी ने

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सूचना की जांच की है और क्षति विश्लेषण के लिए सत्यापित बिक्री आंकड़ों पर विश्वास किया है।

27. बाजार हिस्सेदारी के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध मांग सूचना के साथ पठित, घरेलू उद्योग की निरपेक्ष बाजार हिस्सेदारी के प्रकटन से उसकी गोपनीय बिक्री मात्रा निकाली जा सकती है। अतः संगत सूचना सूचीबद्ध/सारांश रूप में प्रकट की गई है। प्राधिकारी इस संबंध में दावा की गई गोपनीयता को उचित मानते हैं।

28. परियोजना रिपोर्टों और अनुमानों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन रिपोर्टों में अपेक्षित क्षमता उपयोग, बिक्री, लागत, कीमतों, लाभप्रदता और व्यावसायिक रणनीति से संबंधित वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है। ये रिपोर्टें प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई हैं, जबकि अनुमानित और वास्तविक निष्पादन सूचीबद्ध रूप में प्रकट किया गया है। प्राधिकारी का विचार है कि अंतर्निहित स्वामित्व संबंधी सूचना पर दावा की गई गोपनीयता, इस अपेक्षा के अधीन उचित है कि अगोपनीय प्रकटन से विश्वास की गई सूचना की उचित समझ प्राप्त हो।

29. प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उनकी उत्पादन सुविधाओं और प्रक्रिया, कच्चे माल, लागत-लेखांकन पद्धति, उप-उत्पादों/स्क्रैप के व्यवहार, विनिमय दरों, वितरण चैनलों, मूल्य श्रृंखला और व्यापार स्तर समायोजनों सहित समायोजनों की पद्धति के संबंध में दावा की गई गोपनीयता पर घरेलू उद्योग की आपत्तियों की भी जांच की है। गोपनीयता के दावों की उनके गुण-दोष के आधार पर जांच की गई है और उन्हें केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जिस सीमा तक वे वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील और विधिवत रूप से उचित माने गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों को दावों की प्रकृति समझने और अपने अनुरोध प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अगोपनीय सूचना उपलब्ध कराई गई है। जहां घरेलू उद्योग की स्वयं बीएएसएफ के तकनीकी विनिर्देशों सहित संगत उत्पाद सूचना तक पहुंच थी, वहां ऐसी सूचना पर दावा की गई गोपनीयता से कोई वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ नहीं पाया गया है।

30. सीएमएमएआई द्वारा शुल्कों के प्रभाव संबंधी सूचना प्रकट न किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रभाव विश्लेषण में प्रयोक्ता-विशिष्ट खपत और वाणिज्यिक सूचना शामिल है। ऐसी सूचना के प्रकटन से अलग-अलग प्रयोक्ताओं की वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना प्रकट हो सकती है। अतः ऐसी प्रयोक्ता-विशिष्ट सूचना पर दावा की गई गोपनीयता को उचित माना जाता है। तथापि, प्राधिकारी ने जनहित आकलन के प्रयोजन से अंतर्निहित सूचना की जांच की है।

31. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संयंत्र बंदी से संबंधित ब्यौरे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, गोपनीयता का दावा स्वीकार किया गया है। बंदी के प्रभाव की जांच क्षति और गैर-आरोपण विश्लेषण के अंतर्गत अलग से की गई है और इसका निर्धारण केवल गोपनीयता के दावे के आधार पर नहीं किया गया है।

32. तदनुसार, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक और उचित कारण द्वारा समर्थित था, गोपनीयता को स्वीकार किया है और साथ ही यथासंभव सीमा तक यह सुनिश्चित किया है कि हितबद्ध पक्षकारों को उत्तर देने के अपने अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अगोपनीय सूचना उपलब्ध हो।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्रपत्र IV-क से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और इस बात के सत्यापन का अनुरोध किया कि क्या कोई निर्यात किया गया था। उन्होंने यह स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या प्रपत्र IV-क में 2022-23 के लिए रिपोर्ट की गई सूचना को वार्षिकीकृत किया गया है।

ii. संबद्ध सामानों के लिए सीएफसीएल की क्षमता 6,000 एमटी रिपोर्ट की गई है, जो घरेलू मांग से अधिक है। प्रयोक्ताओं के अनुरोधों के आधार पर आगे यह तर्क दिया गया कि केवल सीएफसीएल ही संबद्ध सामानों की आपूर्ति करता है और इसलिए सीएसटीएल की सूचना पर विचार करने की संगतता की जांच की जानी चाहिए।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्टों को यांत्रिक रूप से समेकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अलग-अलग समय पर अलग-अलग संस्थाओं के लिए तैयार की गई थीं। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट विशेष रसायनों से संबंधित है, जबकि सीएफसीएल की रिपोर्ट संबद्ध सामानों से संबंधित है, और अनुमानों के समेकन के लिए अपनाई गई तारीख, दायरे और पद्धति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

iv. उन्होंने सीएसटीएल के अमूर्त (साकार न हुए) अनुमानों को सीएफसीएल के अनुमानों के साथ समेकित करने पर भी प्रश्न उठाया और यह तर्क दिया कि इस तुलना में नए निवेश से जुड़ी आरंभिक स्थिर लागतों का पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने 2023-24 की

तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में अनुमानित वृद्धि पर भी प्रश्न उठाया और अनुरोध किया कि अनुमानों और उनके समेकन की अंतर्निहित पद्धति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

च.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

34. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसने संबद्ध सामानों के निर्यात के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं और अगोपनीय रूपांतर में विसंगति सूचीबद्ध निर्यात आंकड़ों में लिंकिंग त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई थी।

ii. उसने स्पष्ट किया कि आधार वर्ष की सूचना केवल तीन माह के प्रचालनों को दर्शाती है और यदि इसे वार्षिकीकृत किया जाए, तो आधार वर्ष में प्राप्त क्षमता संगत अवधि के लिए अनुमानित क्षमता के तुलनीय है।

iii. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया कि प्रपत्र IV-क सीएसटीएल और सीएफसीएल दोनों से संबंधित है और एक पृष्ठ पर सीएफसीएल का नाम छूट जाना अनजाने में हुआ था। उसने कहा कि क्षति सूचना को दोनों आवेदकों के लिए समेकित किया गया है।

iv. उसने कहा कि सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट *** में और सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट *** में तैयार की गई थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि दोनों संस्थाओं के अनुमानों को यांत्रिक रूप से संयोजित नहीं किया गया था और समेकित तुलना के लिए उन्हें तुलनीय प्रचालन वर्षों के अनुसार संरेखित किया गया था, जबकि कंपनी-विशिष्ट तुलनाएं भी उपलब्ध हैं।

v. घरेलू उद्योग ने इस तर्क का भी खंडन किया कि सीएफसीएल के पास विचाराधीन उत्पाद के लिए 6,000 एमटी क्षमता है और कहा कि विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट संस्थापित क्षमता सीएफसीएल में *** एमटी और सीएसटीएल में *** एमटी है। उसने आगे कहा कि सीएसटीएल भी संबद्ध सामानों का उत्पादक है और इसलिए उसकी सूचना क्षति विश्लेषण के लिए संगत है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

35. निर्यात के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संगत अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। यह सूचना नीचे जांचे गए क्षति मापदंडों में प्रकट की गई है।

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सीएफसीएल की क्षमता 6,000 एमटी है, जो घरेलू मांग से काफी अधिक है, और सीएफसीएल ही संबद्ध सामानों की आपूर्ति करने वाला एकमात्र

उत्पादक है और इसलिए सीएसटीएल की सूचना पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की है और नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट क्षमता सीएफसीएल के लिए *** एमटी और सीएसटीएल के लिए *** एमटी है, और सीएसटीएल तथा सीएफसीएल दोनों ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है। अतः सीएफसीएल की क्षमता और केवल सीएफसीएल द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन किए जाने से संबंधित तर्क की रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पुष्टि नहीं होती। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के लिए विचार की गई सूचना केवल संबद्ध सामानों से संबंधित है और इसमें घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पादों से संबंधित सूचना शामिल नहीं है। 10 फरवरी 2026 को, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रपत्र IV-क में रिपोर्ट की गई सूचना और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे। घरेलू उद्योग ने दिनांक 11 फरवरी 2026 के अनुरोध द्वारा स्पष्ट किया कि प्रपत्र IV-क में क्षति सूचना दोनों आवेदकों से संबंधित है और 2022-23 की सूचना को वार्षिकीकृत नहीं किया गया है। उसने परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने की संगत अवधि, अर्थात् सीएसटीएल के लिए *** और सीएफसीएल के लिए ***, भी प्रदान की। प्राधिकारी ने इन स्पष्टीकरणों और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की है और क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से इन्हें ध्यान में रखा है।

37. परियोजना रिपोर्टों के समेकन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएसटीएल और सीएफसीएल के लिए अलग-अलग परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई थीं और संगत प्रचालन अवधियों के लिए संरेखित करने के पश्चात अनुमानों को समेकित किया गया है। प्राधिकारी समग्र रूप से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए समेकित सूचना पर विचार करते हैं, जबकि जहां भी संगत हो, कंपनी-विशिष्ट सूचना की भी जांच की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रचालन के आरंभिक चरणों के दौरान उच्च स्थिर लागतों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए सूचना पर अनुमानों के अनुसार सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर विचार किया गया है, ताकि ऐसी आरंभिक लागतें क्षति के आकलन को विकृत न करें।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रदान की गई सूचना के आधार पर व्यक्तिगत शुल्क का अनुरोध किया है, क्योंकि उत्पादकों और निर्यातकों ने सहयोग किया है और पूर्ण उत्तर प्रदान किए हैं।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया है।

i. चीन जन.गण. को चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

ii. किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने पाटन के दावों का खंडन नहीं किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पक्षकार भली-भांति जानते हैं कि उन्होंने पाटन का सहारा लिया है और भारतीय बाजार को विकृत किया है।

iii. वास्तविक पाटन मार्जिन परिमाणित मार्जिन से कहीं अधिक है, क्योंकि उत्पादकों/निर्यातकों ने बीजक-पश्चात छूट प्रदान की हैं, जिन पर निर्यात कीमत के लिए विचार नहीं किया गया है।

iv. यह देखते हुए कि उत्पादकों ने बीजक-पश्चात छूट की सूचना दी है, भारतीय ग्राहकों को जारी बीजकों पर उल्लिखित राशियों की तुलना निर्यातकों द्वारा प्राप्त भुगतान से की जानी चाहिए।

v. प्रस्तुत की गई सूचना की सटीकता और पर्याप्तता के उचित सत्यापन के पश्चात उत्पादकों को व्यक्तिगत शुल्क दर दी जा सकती है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

40. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत, जब वह उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की विशेष बाजार स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो, तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से अथवा किसी उचित तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते कि यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरित किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।"

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

i. बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच, ईयू
ii. बीएएसएफ एसई, ईयू
iii. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.
iv. रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
v. रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.
vi. रियानलॉन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
vii. सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.
viii. सुकियान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

42. यह नोट किया जाता है कि सूचना की सटीकता के लिए जांच की गई है और पाटन मार्जिन का निर्धारण उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया गया है।

छ.3.1. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

1. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

43. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार ("पाटनरोधी करार") और एससीएम करार, किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीनी मूल के आयातों से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे।

15. (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य निम्नलिखित नियमों के आधार पर या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित नहीं है।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित राजसहायताओं पर विचार करते समय, एससीएम करार के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उनके लागू करने में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसे मापने के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जिनमें इस संभावना को ध्यान में रखा गया हो कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन से बाहर प्रचलित निबंधनों और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पूर्व ऐसी प्रचलित निबंधनों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी परिपाटी समिति को अधिसूचित करेगा तथा उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को राजसहायता और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार चीन ने आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर दिया कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैराग्राफ (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में अभिगम की तारीख की स्थिति के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड विद्यमान हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान अभिगम की तारीख के 15 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह स्थापित कर दे कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर आगे लागू नहीं होंगे।"

44. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) पर विश्वास किया है और अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में, विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि जहां उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में विफल रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार-आधारित है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

45. वर्तमान मामले में किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है।

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, अथवा जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में

वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। जहां उचित हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच को भी समय-सीमा के भीतर ध्यान में रखा जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

46. वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा परिकलित मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित प्रशुल्क वर्गीकरण नहीं है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमतों पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है। यह भी देखा जाता है कि अन्य देशों से भारत में आयात मात्रा की दृष्टि से नगण्य हैं, जो कुल आयातों का 0.11% हैं। इन आयातों को सामान्य मूल्य निकालने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसका निर्माण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के संदर्भ में, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ राशि के लिए विधिवत समायोजन करते हुए किया गया है।

2. चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

47. जांच की अवधि के दौरान, सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड ("सुकियान यूनिटेक") ने अपने संबंधित निर्यातक, सुकियान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड ("सुकियान यूनिटेकॉमर्स") के माध्यम से भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** एमटी निर्यात किया, जिसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद बेचा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान सुकियान यूनिटेक द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के सभी निर्यात उसके संबंधित निर्यातक, सुकियान यूनिटेकॉमर्स के माध्यम से किए गए थे।

सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड → सुकियान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

48. प्राधिकारी ने सुकियान यूनिटेकॉमर्स द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने रिपोर्ट किए गए अनुसार और डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए उचित समायोजन किए हैं। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

49. जांच की अवधि के दौरान, रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड ("रियानलॉन काइया") ने अपने संबंधित निर्यातकों, रियानलॉन कॉर्पोरेशन और रियानलॉन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("रियानलॉन टेक्नोलॉजी") के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का *** एमटी निर्यात किया। तीनों कंपनियों ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर किया है। निर्यात की गई कुल मात्रा में से, *** एमटी का निर्यात रियानलॉन कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया गया, जबकि शेष *** एमटी का निर्यात रियानलॉन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया। बिक्री चैनल नीचे दिया गया है।

रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड → रियानलॉन कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक
रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड → रियानलॉन टेक्नोलॉजी → भारत में असंबद्ध ग्राहक

50. प्राधिकारी ने रियानलॉन कॉर्पोरेशन और रियानलॉन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह हैंडलिंग प्रभारों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन.गण. के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

51. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन.गण. के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

3. यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच के लिए सामान्य मूल्य

52. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ जीएमबीएच ने घरेलू बाजार में अपनी संबंधित संस्था को संबद्ध सामानों का *** एमटी बेचा और भारत को संबद्ध सामानों का *** एमटी निर्यात किया। घरेलू बिक्री में से, बीएएसएफ जीएमबीएच ने *** एमटी बीएएसएफ एसई को बेचा, जिसने उसके बाद *** एमटी असंबद्ध ग्राहकों को पुनः बेचा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ जीएमबीएच द्वारा घरेलू बिक्री की मात्रा भारत को उसके निर्यातों की तुलना में पर्याप्त है और इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त है।

बीएएसएफ जीएमबीएच → बीएएसएफ एसई → असंबद्ध ग्राहक

53. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री लेनदेनों की पहचान करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभकारी कीमतों पर की गई थी, इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में कारखानागत बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर बिक्री कीमत में अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, पैकिंग लागत और ऋण लागत के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, बीएएसएफ जीएमबीएच के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

54. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूरोपीय संघ के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

4. यूरोपीय संघ के लिए निर्यात कीमत

बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच के लिए निर्यात कीमत

55. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच ("बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम") ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** एमटी निर्यात किया। इस मात्रा में से, *** एमटी का निर्यात

बीएएसएफ एसई के माध्यम से किया गया, जिसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बाद में पुनर्बिक्री हेतु विचाराधीन उत्पाद अपने संबंधित आयातक, बीएएसएफ इंडिया को बेचा। शेष *** एमटी का निर्यात बीएएसएफ एसई द्वारा बीएएसएफ हांगकांग के माध्यम से किया गया, जिसने विचाराधीन उत्पाद बीएएसएफ इंडिया को बेचा, जिसने उसके बाद उसे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को पुनः बेचा। बिक्री चैनल नीचे दिया गया है।

बीएएसएफ जीएमबीएच → बीएएसएफ एसई → बीएएसएफ इंडिया → भारत में असंबद्ध ग्राहक
बीएएसएफ जीएमबीएच → बीएएसएफ एसई → बीएएसएफ हांगकांग → बीएएसएफ इंडिया → भारत में असंबद्ध ग्राहक

56. सभी कंपनियों ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया है जिस पर प्रतिभागी उत्पादकों ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है। डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

57. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

छ.3.2. पाटन मार्जिन

58. ऊपर यथाउल्लिखित निर्मित सामान्य मूल्य और यथानिर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (यूएसडी/ एमटी)	निर्यात कीमत (यूएसडी/ एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/ एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
क	**चीन जन.गण.**					
1.	सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2.	रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
3.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
ख	**यूरोपीय संघ**					
1.	बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच	***	***	***	***	60-70
2.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	80-90

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन

ज.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. तुर्की से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात पर मोरक्को-पाटनरोधी उपाय मामले में निर्धारित वास्तविक मंदन स्थापित करने का परीक्षण केवल एक नए उत्पाद की शुरुआत पर नहीं, बल्कि विद्यमान अवसंरचना के साथ अतिव्यापन की मात्रा पर केंद्रित है। सीएसटीएल कोई नई संस्था नहीं है, और नए उत्पाद की शुरुआत की जांच सीएसटीएल की स्थापित विनिर्माण, अनुसंधान, विपणन और वितरण क्षमताओं के संदर्भ में की जानी चाहिए। यह देखते हुए कि सीएफसीएल, सीएसटीएल की सहायक कंपनी है, सीएफसीएल की नई उत्पाद श्रृंखला की सीएसटीएल के स्थापित चैनलों तक पहुंच है।

ii. घरेलू उद्योग को एकल संस्था के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीएसटीएल एक स्थापित उद्योग है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि (क) उसने नई सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए काफी निवेश किया है; (ख) वह 2 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन में है। पूर्ववर्ती जांचों में उत्पादन शुरू होने और जांच की अवधि के बीच का अंतराल न्यूनतम रहा है, जैसा कि फ्लोरोइलास्टोमर्स, डेकोर पेपर, इंडक्शन और विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग के मामलों में माना गया है।

iii. वास्तविक मंदन का मानक केवल सीएफसीएल पर लागू होता है। सीएसटीएल एक स्थापित उत्पादक है, क्योंकि उसने 2022-23 में उत्पादन शुरू किया था। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर की पाटनरोधी जांच में भी यही पाया गया था।

iv. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 34% हो गई है और संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी घटकर 66% हो गई है। घरेलू उद्योग की बाजार स्थिति यह निर्धारित करने के लिए संगत है कि क्या वह बाजार में स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ रहा है। यह तुर्की से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात संबंधी पैनल रिपोर्ट और प्राधिकारी की विगत जांचों के अनुरूप है।

v. क्षति सूचना और अनुमान केवल सीएसटीएल के लिए प्रदान किए गए हैं। यदि अनुमान केवल सीएसटीएल के लिए हैं, तो उनका उपयोग समेकित निष्पादन के साथ तुलना के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें सीएफसीएल की लागतों, क्षमताओं और निवेश का ध्यान नहीं रखा गया है।

vi. चूंकि सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट व्यापक विशेष रसायनों से संबंधित है और सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट संबद्ध सामानों से संबंधित है, इसलिए परियोजना रिपोर्टों को संयोजित करने से विकृत विश्लेषण प्राप्त होता है।

vii. परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने और उत्पादन शुरू होने के बीच काफी अंतराल है। इससे अनुमानों की विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं।

viii. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पहले अनुमानों के समय यह ज्ञात था कि सीएफसीएल की भी स्थापना की जाएगी। यदि सीएफसीएल के विस्तार की योजना 2021 में ही बनाई गई थी, तो समेकित रिपोर्ट 2021 में ही तैयार की गई होती। यदि यह अनियोजित था, तो 2021 की रिपोर्ट अपने आप में स्वतंत्र है और उसे समेकित नहीं किया जा सकता तथा 2022 की नई परियोजना रिपोर्ट से उसकी कोई संगतता नहीं है।

ix. घटनाक्रम से यह संकेत मिलता है कि सीएसटीएल के अनुमान अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त किए गए थे और सीएफसीएल की स्थापना उसके बाद की गई थी; सीएसटीएल एक स्थापित उद्योग है और उसके अनुमानों को सीएफसीएल के अनुमानों में नहीं जोड़ा जा सकता, तथा सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट की कोई संगतता नहीं है।

x. प्रतीत होता है कि अनुमान आवेदन-पत्र के लिए कार्योत्तर रूप से तैयार किए गए हैं। दिए गए दोनों अनुमानों में बिक्री लागत, लाभ और आय में स्पष्ट विसंगतियां दिखाई देती हैं। दो अनुमान प्रदान करने का कारण बताया जाना चाहिए और प्रयुक्त बेंचमार्क की पुष्टि की जानी चाहिए।

xi. प्रपत्र IV-क में कोई निर्यात नहीं दर्शाया गया है, जो कंपनी द्वारा दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों के विपरीत है। यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या उत्पादन को निर्यात और घरेलू बाजारों के बीच आबंटित किया गया है। निर्यात बिक्री की सूचना के अभाव में, केवल घरेलू बिक्री पर आधारित क्षति आकलन आर्थिक निष्पादन को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेगा।

xii. दो कंपनियों के अनुमानों के समेकन में नए निवेशों के प्रचालन के आरंभिक वर्षों में होने वाली उच्च स्थिर लागतों का ध्यान नहीं रखा गया है और 2023-24 की तुलना में जांच की अवधि में लाभप्रदता में 2 गुना से अधिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

xiii. साक्ष्य से पता चलता है कि सीएफसीएल में अनेक उत्पादों के लिए *** एमटी प्रति वर्ष की क्षमता स्थापित की गई थी। घरेलू उद्योग केवल एचएएलएस 770 का ही नहीं, बल्कि अनेक एचएएलएस उत्पादों का उत्पादक है। क्षति की सटीक जांच के लिए केवल समान वस्तु की क्षमता और उत्पादन की तुलना की जानी चाहिए।

xiv. मांग में वृद्धि संबद्ध आयातों में वृद्धि से कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि मांग में वृद्धि को घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया गया है और वह बढ़ते बाजार में अपनी बिक्री का विस्तार करने में समर्थ रहा है। इससे इस बात का समर्थन नहीं होता कि आयातों के कारण बिक्री दबी है अथवा घरेलू उद्योग बाजार में प्रवेश करने से रुका है।

xv. मांग में आयातों की हिस्सेदारी में गिरावट दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने अपनी स्थापना के बाद से मजबूती से विकास किया है, जिससे वास्तविक मंदन का संकेत नहीं मिलता।

xvi. यह देखते हुए कि मांग में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है, किसी नए उत्पादक से पहले ही वर्ष में इतनी बड़ी मात्रा की आपूर्ति की अपेक्षा करना अनुचित है।

xvii. कोई कीमत ह्रास नहीं है, क्योंकि बिक्री लागत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयात कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट के बराबर है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आयात कीमत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट के कारण हुई है। कीमत कटौती नकारात्मक है। कोई कीमत दबाव नहीं है।

xviii. घरेलू उद्योग अपनी लागतों के अनुरूप कीमतें निर्धारित करने में समर्थ रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नए संयंत्र में उत्पादन शुरू होने के बावजूद घरेलू उद्योग की हानियों में कमी आई है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक मंदन नहीं हो रहा है, बल्कि ये सामान्य आरंभिक परिस्थितियां हैं। यदि सीएफसीएल में नए निवेश न होते, तो उसने लाभ अर्जित किया होता।

xix. पहुंच कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट के कारण हुई है, न कि भारत में पाटन के कारण।

xx. बिक्री कीमत में गिरावट पहुंच कीमत में गिरावट के अनुरूप नहीं है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कीमतों से मेल बैठाने के लिए बाध्य नहीं किया गया था।

xxi. वास्तविक मंदन के दावे क्षति सूचना के विपरीत हैं, जो बाजार हिस्सेदारी, उत्पादन, क्षमता उपयोग, मालसूची, प्रतिदिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता, प्रति कर्मचारी प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि और हानियों में कमी दर्शाती है।

xxii. कम क्षमता उपयोग का कारण अनेक उत्पादों के लिए चरणबद्ध वाणिज्यीकरण रणनीति और कंपनियों के आंतरिक व्यावसायिक निर्णय हैं, न कि आयात प्रतिस्पर्धा। अर्निंग्स कॉल से पता चलता है कि कई अन्य उत्पादों का वाणिज्यीकरण जांच की अवधि से कुछ ही समय पहले अथवा बाद में किया गया। यदि क्षमताओं का उपयोग अनेक उत्पादों के लिए किया जाता है, तो किसी भी अल्प-उपयोग का कारण आयात नहीं हो सकते।

xxiii. अर्निंग्स कॉल में दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों से पता चलता है कि कंपनी को संबद्ध सामानों की बिक्री में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उसे ग्राहक अनुमोदन प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे वक्तव्य इस दावे से असंगत हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन ने उद्योग की स्थापना को रोका है।

xxiv. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए अर्निंग्स कॉल में दिए गए वक्तव्यों से यह संकेत मिलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री राजस्व में वृद्धि हुई है और इसका मुख्य श्रेय लाइट स्टेबिलाइज़र खंड को दिया गया है।

xxv. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पर्यावरणीय मंजूरी रिपोर्टों से पता चलता है कि संबद्ध सामानों के लिए सीएफसीएल की क्षमता 6,000 एमटी है, जो भारत में कुल मांग से अधिक है।

xxvi. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 में आरंभिक अदक्षताओं, उत्पादन बढ़ाने की लागतों, विलंबों, मांग जैसे अन्य कारकों के प्रभाव को अलग करने की अपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं किया गया है।

xxvii. आरंभिक कठिनाइयां, बाजार विकास प्रयास, ग्राहक परीक्षण और परिपक्वता अवधि जैसे कारक सामान्य हैं और इन्हें आयातों के कारण हुई क्षति से अलग किया जाना चाहिए।

xxviii. अनुमानित वर्ष 1 में क्षमता के सूचीबद्ध आंकड़े 2022-23 में वास्तविक क्षमता के चार गुना हैं। आयातों और विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने में विफलता के बीच कारणात्मक संपर्क का आकलन किए बिना उत्पादन, बिक्री अथवा बाजार हिस्सेदारी में किसी भी कमी का कारण पाटन को नहीं माना जा सकता। यह जांच की जानी चाहिए कि क्या अनुमानित क्षमता और कार्यान्वित क्षमता में अंतर आंतरिक कारकों और अन्य वाणिज्यिक विचारों के कारण है।

xxix. बिक्री कीमत में गिरावट आयातों के कारण नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई छूटों के कारण है, जैसा कि अर्निंग्स कॉल में स्वीकार किया गया है। घरेलू उद्योग बाजार में कीमत निर्धारक है।

xxx. यह एक समयपूर्व आवेदन है, क्योंकि सीएसटीएल केवल 1 वर्ष से और सीएफसीएल केवल एक माह से प्रचालन में है। वित्तीय निष्पादन में गिरावट नव-स्थापित संयंत्र की अंतर्निहित आरंभिक अदक्षताओं और सामान्य प्रचालन चुनौतियों के कारण है।

xxxi. कंपनी को उत्पादन बढ़ाने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जैसा कि वार्षिक रिपोर्टों में बताया गया है। इसका उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, परिवर्तन लागत और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आयात मात्रा अथवा आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव के बजाय प्रचालन संबंधी मुद्दों का सावधानीपूर्वक गैर-आरोपण विश्लेषण करें।

xxxii. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मंदन पाटन के कारण है, न कि आरंभिक चुनौतियों के कारण।

xxxiii. दावा किए गए कारणात्मक संपर्क के समर्थन में कोई सूचना, लेनदेन अभिलेख, बाजार विश्लेषण अथवा ग्राहक पत्राचार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

xxxiv. आवेदक संबद्ध सामानों को अपने पोर्टफोलियो में कम मार्जिन वाले उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करते हैं और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अन्य उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना रखते हैं।

xxxv. अन्य उच्च मार्जिन वाले उत्पादों को रणनीतिक प्राथमिकता देने से क्षमता आबंटन और निष्पादन परिणामों की व्याख्या होती है, जिससे आयातों और तथाकथित मंदन के बीच किसी भी कारणात्मक संपर्क को और कमजोर करता है।

xxxvi. अनुप्रयोग प्रयोगशालाओं का अस्तित्व दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अभी भी इष्टतमीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

xxxvii. संयंत्र बंदी के ब्यौरों को गोपनीय होने का दावा किया गया है। नए संयंत्रों का रखरखाव के लिए बंद होना सामान्य बात है। इसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता।

xxxviii. सार्वजनिक वक्तव्यों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का निर्यात शुरू कर दिया है। सीमित उत्पादन को देखते हुए, निर्यात की ओर विपथन से घरेलू बिक्री में उतार-चढ़ाव की व्याख्या होती है और इसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता।

xxxix. बिक्री अनुपात पर निवल अचल परिसंपत्तियों का आबंटन उचित नहीं है, क्योंकि साझा परिसंपत्तियों का प्रयोग अनेक उत्पादों के लिए किया जाता है और इससे घरेलू उद्योग की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी बिक्री मात्रा कम है। आबंटन प्रत्येक उत्पाद श्रृंखला की अभिकल्पित क्षमता, वास्तविक मशीन उपयोग अथवा बैच आबंटन के आधार पर किया जाना चाहिए।

xl. प्राधिकारी को कोरिया गणराज्य से ईजी इस्पात के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में देखी गई अपनी सतत परिपाटी के अनुसार अनुमानित क्षमता उपयोग के आधार पर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करना चाहिए।

ज.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

60. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. वास्तविक मंदन पर विचार करने का मानदंड यह है कि क्या घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित करने में समर्थ रहा है, न कि उसके द्वारा किए गए उत्पादन की समयावधि।

ii. आवेदकों ने संबद्ध सामानों के लिए समर्पित उत्पादन लाइनें और संबद्ध सामानों के लिए पूर्णतः एकीकृत पश्चगामी प्रक्रिया स्थापित की है।

iii. संबद्ध सामानों का कोई भी ग्राहक घरेलू उद्योग के विद्यमान उत्पादों के ग्राहकों में साझा नहीं है। संबद्ध सामानों का उद्योग खंड भिन्न है और घरेलू उद्योग के विद्यमान विपणन चैनलों का उपयोग नहीं किया गया है।

iv. एन, एन′-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी) से संबंधित पाटनरोधी जांच में, उस मामले का आवेदक नए उत्पाद की शुरुआत से बहुत पहले से अस्तित्व में था और उस मामले को वास्तविक मंदन का मामला माना गया था।

v. फ्लोरोइलास्टोमर्स, डेकोर पेपर, इंडक्शन और विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग की विगत जांचों पर विश्वास करना गलत है। इसके विपरीत, एचआईआईआर से संबंधित पाटनरोधी जांच में, घरेलू उद्योग को स्थापनाधीन माना गया था, जबकि वह 2 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन में था।

vi. किसी उद्योग को स्थापित मानने के लिए बाजार हिस्सेदारी की कोई सीमा निर्धारित करने वाला कोई विधिक प्रावधान नहीं है। किसी उद्योग की स्थापना को उस उद्योग की

लाभप्रदता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तुर्किये से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात संबंधी डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट पर किया गया विश्वास, रसायन उद्योग से भिन्न बाजार स्थितियों वाले इस्पात उत्पादों से संबंधित है।

vii. इसके अतिरिक्त, कतिपय मापदंडों में सुधार बाजार में स्वयं को स्थापित करने के लिए उत्पादक द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। यह चीन से सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज़्ड एल्युमीनियम फ्रेमों के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों के अनुरूप है।

viii. दोनों कंपनियों की संगत प्रचालन अवधियों पर विचार करने के पश्चात परियोजना रिपोर्टों को संयोजित किया गया है। केवल एक उत्पादक की परियोजना रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षति की जांच अलग-अलग घटकों के लिए नहीं, बल्कि समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए की जानी चाहिए। यह डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णयों और प्राधिकारी की विगत जांचों के अनुरूप है।

ix. अलग-अलग क्षति सूचना और पृथक परियोजना रिपोर्टें भी प्रदान की गई हैं, जिनसे पता चलता है कि व्यक्तिगत निष्पादन से भी यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन हुआ है।

x. परियोजना रिपोर्टों के संबंध में अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान कर दिए गए हैं। प्रदान की गई परियोजना रिपोर्टें केवल संबद्ध सामानों से संबंधित हैं।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया सूचकांकन आधार वर्ष के अनुसार है। चूंकि आधार वर्ष के आधार पर प्रवृत्ति बदलती है, इसलिए वास्तविक और मानकीकृत निष्पादन की तुलना में अनुमानित निष्पादन की प्रवृत्तियां भिन्न हैं। दोनों ही मामलों में तुलना से यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

xii. सीएसटीएल और सीएफसीएल ने क्रमशः *** और *** में परियोजना रिपोर्टें तैयार की थीं और क्रमशः 2023 और 2024 में उत्पादन शुरू किया। परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और उत्पादन शुरू करने के बीच कोई उल्लेखनीय अंतराल नहीं है।

xiii. एक के बजाय दो परियोजना रिपोर्टें क्यों तैयार की गईं और परियोजना रिपोर्टों के क्रमिक समय के संबंध में व्यक्त चिंताओं के संबंध में, यह नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित क्षमता प्राप्त करने के लिए दो कंपनियों के लिए दो भिन्न परियोजनाएं तैयार की गई थीं।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सीएसटीएल के अनुमानों को प्राप्त हुआ बताने के पीछे कोई तर्क प्रदान नहीं किया है। संबद्ध सामानों के लिए सीएसटीएल को स्थापित उद्योग मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि किसी उद्योग की स्थापना पर उत्पाद के आधार पर विचार किया जाता है। व्यक्तिगत अनुमानों से पता चलता है कि दोनों आवेदकों ने अपना-अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त नहीं किया है।

xv. घरेलू उत्पादकों के प्रवेश के बावजूद जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

xvi. घरेलू उद्योग के 2 वर्ष के प्रचालन के बाद भी उत्पादन और खपत में आयातों की हिस्सेदारी अधिक बनी हुई है।

xvii. घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद मांग में संबद्ध आयातों की बहुलता बनी हुई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

xviii. देश में मांग और आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है और आयात अनावश्यक हैं।

xix. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने से पहले, उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार से अधिकतम लाभ अर्जित किया है। आयात कीमतों में कमी केवल बाजार में घरेलू उद्योग के प्रवेश के बाद से ही आई है, क्योंकि उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू उद्योग को बाजार में स्थापित होने से रोकने के लिए आक्रामक रूप से पाटन किया है।

xx. नए उत्पादक होने के कारण, घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की कीमत आयात कीमतों से अधिक निर्धारित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध हैं।

xxi. चूंकि घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित कर रहा है, इसलिए कीमत प्रभाव की उचित जांच अनुमानित बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना मानकीकृत लागतों और बिक्री कीमत से करना होगी। प्राधिकारी ने हैलोब्यूटाइल रबर के आयातों की पाटनरोधी जांच में ऐसा ही किया था।

xxii. पहुंच कीमत अनुमानित बिक्री कीमतों से कम है, और अनुमानित कीमतों के लिए कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है। इसके अतिरिक्त, विगत आयात कीमतों से कम कीमत का अनुमान लगाने के बावजूद, कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है, क्योंकि आयात कीमतों में और गिरावट आई है।

xxiii. बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

xxiv. अनुमान से कम लागत प्राप्त करने के बावजूद, घरेलू उद्योग को हानि पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

xxv. जांच की अवधि और पिछले वर्ष में बिक्री कीमतें पहुंच कीमत से कम हैं। घरेलू उद्योग ने छूट प्रदान की हैं, क्योंकि कम कीमत वाले आयातों के कारण ग्राहक उससे संबद्ध सामान खरीदने के इच्छुक नहीं थे।

xxvi. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण किया है, जो अनुमानित बिक्री कीमतों से काफी नीचे गिर गई हैं।

xxvii. किसी नए उत्पादक के लिए बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करना स्वाभाविक है और इसका अर्थ क्षति का अभाव नहीं है। संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी कम है।

xxviii. घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद उसका क्षमता उपयोग अनुमानों से काफी कम है।

xxix. यद्यपि समग्र आधार पर उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि मासिक उत्पादन और मालसूची से पता चलता है कि संचित मालसूची के कारण उत्पादन में कटौती की गई है।

xxx. घरेलू उद्योग की बिक्री अनुमानित बिक्री से कम रही है, और उसे घरेलू बाजार में स्थापित होने से पहले ही निर्यात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

xxxi. कम बिक्री के कारण, संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद बाजार हिस्सेदारी कम रही है और अनुमानित हिस्सेदारी से काफी कम है।

xxxii. घरेलू उद्योग के पास मालसूची संचित हो गई है, जो जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मालसूची उस स्तर तक बढ़ गई कि घरेलू उद्योग को उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

xxxiii. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है और वह लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ है। यह निष्पादन अनुमानित लाभों के विपरीत है।

xxxiv. 2 वर्ष के प्रचालन के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अभी तक अपने निवेशों पर कोई आय अर्जित नहीं की है और अपने प्रचालन की शुरुआत से उसे केवल हानि ही हुई है। ऐसी स्थिति प्रचालनों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

xxxv. घरेलू उद्योग को हुई निरंतर हानियों के कारण किए गए निवेशों का आधे से अधिक भाग समाप्त हो गया है।

xxxvi. संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी बाधित हुई है।

xxxvii. जांच की अवधि के बाद की अवधि में स्थिति और बिगड़ गई है, जिसमें आयात कीमतों में और गिरावट आई है और बिक्री कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ गई हैं, और अनुमानित निष्पादन और भी अप्राप्य हो गया है।

xxxviii. बिक्री कीमत में निरंतर कमी के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है। बिक्री में वृद्धि हुई है, किंतु यह अनुमानों से काफी कम है।

xxxix. यद्यपि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने में समर्थ है, किंतु यह लाभों की कीमत पर हो रहा है।

xl. जांच की अवधि और 2023-24 की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में हानियां बढ़ गई हैं।

xli. घरेलू उद्योग के बिक्री राजस्व में सुधार का दावा करने के लिए सार्वजनिक वक्तव्यों और समेकित निष्पादन पर विश्वास करना गलत है, क्योंकि एचएएलएस खंड में एचएएलएस 944, एचएएलएस 622, एचएएलएस 119, एचएएलएस 783 और एचएएलएस 701 जैसे विभिन्न लाइट स्टेबिलाइज़र शामिल हैं। इनमें उच्च कीमत वाले उत्पाद शामिल हैं, जिनके कारण समग्र रूप से कंपनी के बिक्री राजस्व में वृद्धि हुई। केवल संबद्ध सामानों से

संबंधित सूचना प्रदान की गई है, जिससे पता चलता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है।

xlii. ऐसा नहीं है कि मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग बिक्री करने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग के पास कुल मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और उसके बाद भी अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को कीमत के मोर्चे पर भी क्षति हुई है।

xliii. क्षमता पर विचार केवल संबद्ध सामानों से जुड़े उपकरणों के आधार पर किया गया है। क्षमता उपयोग की गणना केवल संबद्ध सामानों के लिए की गई है। परियोजना रिपोर्ट और क्षति सूचना केवल संबद्ध सामानों के लिए प्रदान की गई है।

xliv. घरेलू उद्योग को प्राप्त पर्यावरणीय मंजूरियों के रूप में संस्थापित क्षमता के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास की गई सूचना गलत है। दोनों आवेदकों द्वारा संबद्ध सामानों के लिए संस्थापित क्षमता हेतु प्रदान की गई वास्तविक सूचना और परियोजना रिपोर्टें प्रदान की गई हैं और उन पर विचार किया जाना चाहिए।

xlv. निर्यातकों के कीमत निर्धारण पैटर्न से विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा घरेलू उद्योग को बाहर करने के सुविचारित प्रयासों का पता चलता है। पाटन और प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर उसके प्रभाव के बीच स्पष्ट संपर्क है।

xlvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उजागर किए गए सार्वजनिक वक्तव्यों में अड़चन-निवारण (डी-बॉटलनेक) के संदर्भ स्थापनाधीन और स्थापित उत्पादकों की एक सामान्य प्रक्रिया का भाग हैं। वस्तुतः, अड़चन-निवारण जांच की अवधि से पहले हुआ था, और कंपनी ने यह नहीं कहा है कि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं रही है। इससे क्षति का संकेत नहीं मिलता।

xlvii. अड़चनयुक्त क्षमता की स्थिति में भी मालसूची में वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि अड़चनों से असंबंधित बिक्री पाटन के कारण प्रभावित हुई है।

xlviii. यह महत्वहीन है कि संबद्ध सामान उच्च कीमत वाले उत्पाद हैं अथवा कम कीमत वाले, क्योंकि घरेलू उद्योग को हानि हुई है। किसी उत्पाद का कम मार्जिन वाला होना घरेलू प्रचालनों की व्यवहार्यता की कीमत पर पाटन को उचित नहीं ठहराता।

xlix. विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अपने उत्पादों की उपयुक्तता हेतु गुणवत्ता जांच करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित प्रयोगशालाएं केवल ग्राहकों का विश्वास बढ़ाती हैं और यह दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति सजग है।

l. आधार वर्ष में आरंभिक लागतों के समायोजन के लिए लागतों का मानकीकरण किया गया है। मानकीकृत लागतें अनुमानित लागतों से कम हैं, और पाटन के कारण बिक्री कीमत कम है, जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई है। ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि पाटन के कारण बिक्री कीमतों में गिरावट आई है।

li. संबद्ध सामानों के मात्र निर्यात का अर्थ यह नहीं है कि क्षति निर्यातों के कारण है। पाटन के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ है। यह देखते हुए

कि स्थिर लागतें उत्पादन मात्रा पर ध्यान दिए बिना वहन की जाती हैं और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए, घरेलू उद्योग संचित मालसूची से बचने के लिए उत्पादन और निर्यात जारी रखने के लिए बाध्य हुआ है।

lii. सार्वजनिक रूप से दिए गए वक्तव्य एचएएलएस खंड के सभी उत्पादों के लिए हैं और उन पर केवल संबद्ध सामानों के लिए विचार नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग ने मानकीकृत लागतें प्रदान की हैं, जो आरंभिक प्रचालनों के कारण हुई क्षति को ठीक करती हैं।

liii. गुणवत्ता के संबंध में उठाई गई चिंताएं निराधार हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है। ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि बातचीत केवल कीमतों पर होती है, न कि गुणवत्ता पर।

liv. ग्राहक आसानी से आपूर्तिकर्ता बदल सकते हैं। आपूर्तिकर्ता बदलने में लंबी अवधि की आवश्यकता नहीं होती और रासायनिक परीक्षण में लगभग 30 से 45 दिन ही लगते हैं तथा कोई बोझिल संक्रमण लागत नहीं होती।

lv. अनुमानित निष्पादन अनुचित नहीं है, क्योंकि अनुमानित लागत वास्तविक लागतों के तुलनीय है और उसे केवल क्षमता उपयोग के लिए समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिक्री कीमत पिछले वर्षों की पहुंच कीमत के अनुसार है। अनुमानित बिक्री से घरेलू उद्योग बाजार के एक उचित हिस्से की आपूर्ति कर सकता है। उससे अपनी कम से कम आधी क्षमता का उपयोग करने की भी अपेक्षा है।

lvi. क्षति नई सहायक कंपनी में निवेश के कारण नहीं है। घरेलू उद्योग को मूल्यह्रास और ब्याज का प्रावधान करने से पहले भी हानि हुई है और सीएसटीएल को ब्याज का प्रावधान करने से पहले हानि हुई है।

lvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन दावों के संबंध में कि घरेलू उद्योग में रखरखाव संबंधी सामान्य बंदी हुई है जिसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता, यह नोट किया जाए कि किए गए लागतों के मानकीकरण से नव-स्थापित सुविधाओं के कारण हुई किसी भी बंदी का समायोजन हो जाता है।

lviii. प्रदान की गई लागत संबंधी सूचना में आरंभिक अदक्षताओं, उत्पादन बढ़ाने की लागतों अथवा विलंबों के कारण उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव शामिल नहीं है, जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, मांग में वृद्धि हुई है और क्षति मांग में गिरावट के कारण नहीं है।

lix. वर्तमान जांच को समयपूर्व मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आवेदकों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है। वास्तविक मंदन के मामले के लिए उत्पादन में होना आवश्यक नहीं है।

lx. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, अनुमानित लागत को पुराना नहीं माना जा सकता, क्योंकि मानकीकृत लागतें ऐसे अनुमानों से कम हैं।

lxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित नहीं किया है। यदि आयात अपाटित कीमतों पर प्रवेश करते हैं, तो घरेलू उद्योग मानकीकृत लागतों के आधार पर लाभ अर्जित करेगा।

lxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के उत्तर में कि बिक्री अनुपात पर निवल अचल परिसंपत्तियों के आबंटन से लागतें बढ़ जाएंगी क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कम है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि साझा परिसंपत्तियों का आबंटन संबद्ध सामानों और अन्य उत्पादों के लिए परिसंपत्ति अनुपात के आधार पर किया गया है।

lxiii. क्षतिरहित कीमत को अनुमानित क्षमता उपयोग पर आधारित करने का हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध इस दावे के विपरीत है कि घरेलू उद्योग स्थापित है। अनुमानित क्षमता उपयोग का संदर्भ केवल तभी लिया जा सकता है जब घरेलू उद्योग स्थापनाधीन हो। इसके अतिरिक्त, विचार किया जाने वाला अनुमानित क्षमता उपयोग सीएसटीएल के लिए प्रचालन का तीसरा वर्ष और सीएफसीएल के लिए प्रचालन का दूसरा वर्ष होना चाहिए।

ज.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

61. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी मात्रा में न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि वर्तमान आवेदन-पत्र किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन के संबंध में है। अतः विस्तृत क्षति जांच करने से पूर्व, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग इस सीमा तक एक स्थापित उद्योग था कि वास्तविक क्षति के रूप में क्षति का आकलन किया

जा सके, अथवा घरेलू उद्योग स्थापना की प्रक्रिया में था और उसका पर्याप्त विगत इतिहास नहीं था जिससे वास्तविक क्षति के रूप में क्षति का आकलन किया जा सके।

ज.3.1. किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन।

63. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली में "वास्तविक मंदन" की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 की पाद-टिप्पणी 9 में केवल निम्नानुसार उल्लेख है –

"इस करार के अंतर्गत "क्षति" शब्द का, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अर्थ किसी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, किसी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा अथवा ऐसे उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन लिया जाएगा और इसकी व्याख्या इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।"

64. इसी प्रकार, नियमावली के अनुबंध-II में किसी स्थापित उद्योग को 'वास्तविक क्षति' अथवा 'वास्तविक क्षति के खतरे' के रूप में, अथवा उद्योग की स्थापना में 'वास्तविक मंदन' के रूप में हुई क्षति का उल्लेख है। किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन किसे माना जाएगा, इसकी कोई और व्याख्या नहीं दी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि किसी उद्योग को 'वास्तविक मंदन' स्थापनाधीन/अस्थापित उद्योग के संदर्भ में होगा, न कि पूर्णतः स्थापित उद्योग के संदर्भ में।

65. मोरक्को – तुर्की से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात पर पाटनरोधी उपाय मामले में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्धारित करने के लिए कुछ मार्गदर्शन दिया कि क्या किसी उद्योग की स्थापना हुई है। पैनल ने यह टिप्पणी की कि अनुच्छेद 3.1 में यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं की गई है कि क्या कोई उद्योग स्थापित हो चुका है। तदनुसार, जांच प्राधिकारी को मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित किसी भी उचित पद्धति का उपयोग करने की अनुमति है। तथापि, ये अनुमान तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए।

66. पैनल ने यह भी टिप्पणी की कि यह निर्णय करने में जांच प्राधिकारी को विवेकाधिकार है कि यह निर्धारित करने के लिए कौन-से मापदंड संगत हैं कि क्या कोई नया उद्योग स्थापित हो चुका है। पैनल द्वारा संगत माने गए मापदंडों में से एक यह था कि क्या उत्पादन किसी विद्यमान कंपनी की नई 'उत्पाद श्रृंखला' है। यदि कोई विद्यमान उद्योग/कंपनी केवल एक नई उत्पाद श्रृंखला शुरू करती है, तो

उसे 'स्थापनाधीन उद्योग' नहीं माना जा सकता है। इस कारक की जांच करने के लिए, जांच प्राधिकारी को उत्पादक की समग्र अवसंरचना (ग्राहक संपर्कों, वितरण चैनलों, विद्यमान उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों आदि सहित) के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा पर ध्यान देना होगा। पैनल की टिप्पणी का संगत अंश निम्नानुसार है।

"7.211. हम आरंभ में ही यह नोट करते हैं कि हम इन कारकों पर अथवा इस पर कोई मत व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि क्या ये यह निर्धारित करने के लिए निर्देशात्मक अथवा निर्णायक हैं कि घरेलू उद्योग अस्थापित है। हम स्वीकार करते हैं कि एक संगत कारक यह हो सकता है कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में संबंधित समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। साथ ही, हम नोट करते हैं कि यद्यपि बाजार में उस उत्पाद का केवल एक उत्पादक हो सकता है, तथापि जहां वह उत्पाद किसी विद्यमान उद्योग की मात्र एक नई "उत्पाद श्रृंखला" है और विद्यमान उत्पादन, विपणन और अन्य प्रचालनों से लाभान्वित होता है, वहां ऐसे साझा प्रचालन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क्या कोई विशिष्ट नया उद्योग स्थापित हुआ है। यदि कोई विद्यमान उद्योग वर्तमान में उत्पादित किसी अन्य उत्पाद से भिन्न कोई नया उत्पाद शुरू करने का विकल्प चुनता है, तो उस नए उत्पाद की शुरुआत से आवश्यक रूप से किसी नए उद्योग का सृजन नहीं होगा। इसे अब भी विद्यमान उद्योग में एक नई उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यमान उद्योग की समग्र अवसंरचना (उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों सहित) किस सीमा तक संलग्न है। समग्र अवसंरचना के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी, इस धारणा की संभावना उतनी ही कम होगी कि नए उत्पाद की शुरुआत एक नए उद्योग की स्थापना का द्योतक है। यह तथ्य कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 में घरेलू उद्योग को समान उत्पाद के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, और यह कि घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद का कोई पूर्व-विद्यमान उत्पादक नहीं है, इस संभावना को नहीं रोकता कि वह घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद की शुरुआत में ग्राहक संपर्कों और वितरण चैनलों जैसी विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करे।"

67. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन से संबंधित जांच में, संबंधित उद्योग, अपनी प्रकृति से ही, प्रचालन का इतना लंबा इतिहास नहीं रखता जिसके सापेक्ष क्षति की अवधि में उसके आर्थिक मापदंडों के उतार-चढ़ाव का सार्थक आकलन किया जा सके। शून्य अथवा नगण्य प्रचालन के आधार से उत्पादन शुरू करने वाला उद्योग क्षति की अवधि में अपने मात्रात्मक मापदंडों में आवश्यक रूप से सुधार दर्ज करेगा, और प्रवृत्ति विश्लेषण, जो किसी स्थापित

उद्योग को वास्तविक क्षति के आकलन का परंपरागत आधार है, अपने आप में यह प्रकट नहीं करेगा कि क्या उद्योग की स्थापना मंद हुई है। अतः ऐसे उद्योग के निष्पादन का आकलन करने के लिए उपयुक्त बेंचमार्क वह निष्पादन है जिसे प्राप्त करने की उद्योग ने उचित रूप से अपेक्षा की थी, जैसा कि उस परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता अध्ययन अथवा व्यावसायिक योजना में अभिलिखित है जिसके आधार पर निवेश का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार, उद्योग के वास्तविक निष्पादन की तुलना ऐसी परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित निष्पादन से करना वास्तविक मंदन के मामले में मूल्यांकन का केंद्रीय तत्व है, और ऐसे मूल्यांकन और तुलना के दस्तावेज के रूप में परियोजना रिपोर्ट का रिकॉर्ड में रखा जाना अपेक्षित है।

68. यह दृष्टिकोण पाटनरोधी करार और नियमावली के पाठ पर आधारित है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय और क्षमता उपयोग में "वास्तविक और संभावित" गिरावट तथा नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर "वास्तविक और संभावित" नकारात्मक प्रभावों के मूल्यांकन की अपेक्षा की गई है। किसी स्थापनाधीन उद्योग के मामले में, उद्योग के संभावित निष्पादन का सर्वोत्तम साक्ष्य उसकी परियोजना रिपोर्ट है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 में आगे यह अपेक्षा की गई है कि क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित हो और उसमें वस्तुनिष्ठ जांच शामिल हो। निवेश के निर्णय के प्रयोजन से उत्पादन शुरू होने से पूर्व तैयार की गई, कंपनी के प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकारी द्वारा जांची गई परियोजना रिपोर्ट, उस निष्पादन का समकालीन, सकारात्मक और सत्यापन योग्य साक्ष्य है जिसे प्राप्त करने की उद्योग उचित रूप से अपेक्षा कर सकता था, और यह इन अपेक्षाओं को पूरा करती है।

69. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और किसी घरेलू उद्योग के स्थापित होने का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली किसी निर्धारित पद्धति के अभाव में, प्राधिकारी ने यह जांच करते समय निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया है कि क्या यह मामला वास्तविक मंदन की जांच के लिए उपयुक्त है।

ज.3.2. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन

70. यह देखा जाता है कि आवेदकों ने काफी निवेश करके संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने से पहले, संबद्ध

सामानों की संपूर्ण मांग आयातों द्वारा पूरी की जा रही थी। नीचे जांचे गए कारकों के आधार पर, यह देखा जाता है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और उद्योग को हुई क्षति वास्तविक मंदन की प्रकृति की है।

i. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दो आवेदकों में से, सीएसटीएल ने [*** 2023] को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया है। उस समय कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं था। 22 मार्च 2022 को सीएफसीएल को सीएसटीएल की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया, जिसने [*** 2024] को संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और ऐसे उत्पादन की शुरुआत से पूर्व, मांग केवल आयातों द्वारा पूरी की जा रही थी। यह नोट किया जाता है कि सीएसटीएल क्षति की अवधि के चार वर्षों तक प्रचालन में नहीं रहा है। वह क्षति की अवधि के [***] माह तक प्रचालन में रहा है। सीएफसीएल ने पिछले वर्ष के अंतिम माह में ही उत्पादन शुरू किया है और पूरी जांच की अवधि में उत्पादन किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के वास्तविक और अनुमानित उत्पादन तथा बिक्री की तुलना से पता चलता है कि जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादन और बिक्री अनुमानित स्तरों तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग किए गए अनुमानों के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित करने में समर्थ नहीं रहा है।

ii. क्या संबद्ध सामानों का उत्पादन किसी विद्यमान उद्योग में मात्र एक नई उत्पाद श्रृंखला है

72. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह टिप्पणी की है कि यदि उद्योग का उत्पादन किसी विद्यमान उद्योग में मात्र एक नई उत्पाद श्रृंखला है, तो यह वास्तविक मंदन का मामला नहीं हो सकता है। तथापि, पैनल ने इस बात पर बल दिया कि महत्वपूर्ण यह है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए विद्यमान अवसंरचना का किस सीमा तक उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पैनल ने यह टिप्पणी की कि नई उत्पाद श्रृंखला के अतिरिक्त, प्राधिकारी को उद्योग की विद्यमान अवसंरचना के साथ अतिव्यापन की मात्रा की जांच करनी चाहिए।

73. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामान देश में विनिर्मित किया जा रहा एक नया उत्पाद है। आवेदक देश में यूवी 770 के एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं। सीएसटीएल ने [*** 2022] में संबद्ध सामानों और उनके मध्यवर्ती उत्पादों के लिए उत्पादन लाइनों के साथ एक नया संयंत्र चालू करने के लिए निवेश किया है। सीएसटीएल ने संबद्ध सामानों के लिए पूर्णतः पश्चगामी एकीकृत प्रक्रिया विकसित की है। मार्च

2022 में, सीएसटीएल ने यूवी 770 सहित विशेष रसायनों के विनिर्माण के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सीएफसीएल के अंतर्गत एक नया संयंत्र स्थापित किया। सीएफसीएल के संयंत्र में उत्पादन प्रचालन की शुरुआत यूवी 770 और उसके मध्यवर्ती उत्पादों के उत्पादन के साथ हुई। दोनों संयंत्रों में संयुक्त निवेश ₹ *** करोड़ से अधिक था। यह अनुरोध किया गया है कि ये मध्यवर्ती उत्पाद व्यापारिक बाजार में सीधे बिक्री योग्य नहीं हैं और इनकी खपत यूवी 770 अथवा उत्पादक द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों के उत्पादन में की जाती है।

74. इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने अपनी विद्यमान सुविधाओं के उसी परिसर में एक नया संयंत्र स्थापित किया है। स्थापित संयंत्र और मशीनरी के ब्यौरे प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों में दिए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पादों की श्रृंखला में एक नव-प्रवर्तित रासायनिक उत्पाद है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा शुरू की गई मात्र एक नई उत्पाद श्रृंखला नहीं है। घरेलू उद्योग ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है और समान वस्तु के लिए संयंत्र स्थापित करने में काफी निवेश किया है।

75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सीएसटीएल एक स्थापित उद्योग है, क्योंकि 2003 से उत्पादक होने के नाते सीएसटीएल के पास पहले से ही स्थापित उत्पादन प्रचालन, विपणन और वितरण नेटवर्क हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया है कि केवल सीएफसीएल को नया उद्योग माना जा सकता है, क्योंकि सीएसटीएल 2 वर्ष से अधिक समय से प्रचालन में है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आवेदकों के संबद्ध सामानों और उनके अन्य स्थापित उत्पादों के लिए कोई अतिव्यापी ग्राहक नहीं हैं और संबद्ध सामान एक भिन्न उद्योग खंड की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसमें घरेलू उद्योग के विद्यमान विपणन चैनलों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, किसी भी स्थिति में, यह जांच की गई है और नोट किया गया है कि संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन लाइन तथा संयंत्र और मशीनरी का अन्य उत्पादों के साथ अतिव्यापन नहीं है। इस तर्क के संबंध में कि सीएसटीएल स्थापित है क्योंकि उसने 2 वर्ष से अधिक समय तक संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली में वास्तविक मंदन के रूप में क्षति की जांच के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्राधिकारी ने पूर्व में भी 2 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन कर रहे उत्पादक पर वास्तविक मंदन के रूप में क्षति के लिए विचार किया है।

iii. समग्र रूप से घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन और क्षमता का आकार

76. घरेलू उद्योग के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है और वह क्षमता उपयोग के अपने अनुमानित स्तरों तक नहीं पहुंच पाया है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी केवल [***]% है, जबकि आयातों की हिस्सेदारी [***]% है। बाजार में एकमात्र घरेलू उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग के उत्पादन और मालसूची की माह-वार प्रवृत्ति से पता चलता है कि आयातों से प्रतिस्पर्धा और मालसूची के संचय के कारण, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन बीच-बीच में स्थगित किया गया। इसके अतिरिक्त, क्षमता उपयोग अत्यंत कम, केवल [***]% रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का वास्तविक सीमा तक उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को भारत में घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने नहीं दिया है।

iv. लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने की क्षमता

77. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन की सभी अवधियों में वित्तीय और नकद हानि हुई है। इसके अतिरिक्त, इष्टतम क्षमता उपयोग पर लागतों पर विचार करने पर भी, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानि और नकद हानि हुई है। भारतीय बाजार में एकमात्र उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग बाजार में स्वयं को स्थापित करने और लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ है।

78. यह भी देखा जाता है कि जांच की अवधि तक घरेलू उद्योग को हुई हानियां, संबद्ध सामानों का उत्पादन स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों के मूल्य की तुलना में काफी अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में घरेलू उद्योग की हानियों में काफी वृद्धि हुई है।

v. अनुमानित प्रचालनों की तुलना में प्रचालनों की स्थिरता

79. सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के अनुसार, प्राधिकारी से घरेलू उद्योग के वास्तविक और संभावित, दोनों निष्पादनों पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है।

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।"

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-II के प्रावधानों में केवल उन मापदंडों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर स्थापित उद्योगों को वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति के खतरे के रूप में हुई क्षति की जांच में विचार किया जाना है। उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की जांच के लिए किन्हीं मापदंडों की पहचान नहीं की गई है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत संभावित निष्पादन की जांच की विशिष्ट रूप से अनुमति है। इसके अतिरिक्त, पैरा (iv) के प्रावधानों में मापदंडों की एक समावेशी सूची है, जिनकी जांच की जा सकती है। अतः प्राधिकारी जांच की आवश्यकताओं के आधार पर अन्य मापदंडों की जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं।

81. प्राधिकारी ने यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध सामानों के पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है, इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की जांच की है और उसकी तुलना किए गए अनुमानों से की है।

विवरण	इकाई	अनुमानित (जांच की अवधि)	वास्तविक	अंतर
उत्पादन	एमटी	***	***	-46%
सर्वोत्तम क्षमता उपयोग	%	***	***	-46%
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	-51%
लाभ*	₹ लाख	***	***	-120%
नकद लाभ*	₹ लाख	***	***	-108%
निवेश पर आय*	%	***	***	-126%

** परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर वास्तविक*

82. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जैसे विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त निष्पादन, निवेश करते समय घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम है। इसके अतिरिक्त, जबकि घरेलू उद्योग ने अनुमान लगाया था कि वह अपने प्रचालन के तीसरे वर्ष में लाभप्रद होगा, उसे हानि, नकद हानि हुई है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है।

83. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपर्युक्त तुलना घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर निष्पादन के आधार पर की गई है, जो परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित क्षमता उपयोग में से उच्चतर है, ताकि प्रचालन की आरंभिक अवधि की उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव बाहर रहे। जब घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर सर्वोत्तम क्षमता उपयोग के साथ विचार किया जाता है, तो क्षति और अधिक गंभीर हो जाती है। इस प्रकार, चाहे घरेलू उद्योग के निष्पादन का आकलन वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जाए अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों के आधार पर, घरेलू उद्योग का निष्पादन अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम है।

84. उपर्युक्त विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल, दोनों द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन नया है, और आवेदकों की विद्यमान विनिर्माण सुविधाओं के साथ अतिव्यापन की कोई उल्लेखनीय मात्रा नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान निष्पादन अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की है।

85. इन अनुरोधों के संबंध में कि सार्वजनिक रूप से दिए गए अन्य वक्तव्यों में आवेदकों का निष्पादन घरेलू उद्योग के निष्पादन से मेल नहीं खाता, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन के संबंध में आवेदकों की सत्यापित सूचना पर विश्वास किया है। घरेलू उत्पादकों के अन्य वक्तव्यों का संदर्भ उचित नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अन्य बाजारों और अन्य उत्पादों में निष्पादन से संबंधित सूचना भी शामिल होगी।

86. इस तर्क के संबंध में कि क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार और मजदूरी, उत्पादकता आदि जैसे मापदंडों सहित घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में काफी सुधार हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे मापदंडों में सुधार मुख्यतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत के कारण है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदन की है, इसलिए क्षति की अवधि में निष्पादन की तुलना उचित नहीं है। बल्कि तुलना इस तथ्य के संबंध में की जानी चाहिए कि

क्या घरेलू उद्योग अपने लक्षित निष्पादन मापदंडों को प्राप्त करने में समर्थ रहा है अथवा नहीं। उत्पादन शुरू करने वाले किसी नए उद्योग के लिए इस अवधि में सुधार दर्शाना स्वाभाविक है। इसके बजाय प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन मंद हो रहा है।

87. अनुमान और क्षति सूचना दोनों आवेदकों के लिए प्रदान की गई है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने सुनवाई-पश्चात दिनांक 11 फरवरी 2026 के अपने अनुरोध में स्पष्ट किया है। प्राधिकारी ने नीचे क्षति की जांच के लिए अनुमानों और वास्तविक निष्पादन की समेकित सूचना पर विचार किया है।

88. इस अनुरोध के संबंध में कि आरंभिक चरण में होने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिर लागतें अधिक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इष्टतम क्षमता उपयोग पर घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन और घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन के बीच तुलना की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने क्षति के निर्धारण के लिए आरंभिक चरण में घरेलू उद्योग की उच्च स्थिर लागतों पर विचार नहीं किया है।

ज.3.3. <u>क्षति का संचयी आकलन</u>

89. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयातों की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही हो, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे, यदि वे यह निर्धारित करते हैं कि:

a. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक हैं, और

b. आयातित उत्पादों के बीच परस्पर और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है।

90. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश के लिए आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद परस्पर तुलनीय गुणधर्म रखते हैं और उनका प्रयोग समान अनुप्रयोगों के लिए तथा ग्राहकों के समान खंड द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में परस्पर और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

91. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में क्षति का संचयी आकलन करना उचित होगा।

a. संबद्ध सामानों का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है।

b. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित *न्यूनतम* सीमा से अधिक है।

c. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।

d. आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के साथ, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

ज.3.4. <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

i. मांग का आकलन (स्पष्ट खपत)

92. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन से भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	-	100	5,637	13,719
कैप्टिव खपत	एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	-	-
समर्थक उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
संबद्ध आयात	एमटी	2,634	2,517	2,030	2,472
अन्य आयात	एमटी	3 3	22	60	3
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	96	137

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की मांग में 2022-23 और 2023-24 में मामूली गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई, जो 2021-22 में *** एमटी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** एमटी हो गई, जिससे लगभग 37% की समग्र वृद्धि परिलक्षित होती है। घरेलू उद्योग की बिक्री 2022-23 में *** एमटी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** एमटी हो गई, जो घरेलू उत्पादन की शुरुआत और उसमें क्रमिक वृद्धि के अनुरूप है। तथापि, घरेलू बिक्री में काफी वृद्धि के बावजूद, संबद्ध आयात पर्याप्त बने रहे और क्षति की अवधि के दौरान घटकर *** एमटी हो गए, जो बढ़ती हुई घरेलू मांग का एक बड़ा भाग है। पूरी अवधि में अन्य देशों से आयात नगण्य रहे।

ii. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

94. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि में आयातों की मात्रा निम्नानुसार थी:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	2,634	2,517	2,030	2,472
अन्य आयात	एमटी	33	22	60	3
कुल आयात	एमटी	2,667	2,538	2,090	2,475
संबद्ध आयात निम्नलिखित के संबंध में					
घरेलू उत्पादन	%	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	-	100	5	3
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	80	69
कुल आयात	%	99%	99%	97%	100%

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध आयातों की मात्रा में 2023-24 तक गिरावट आई और उसके बाद पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 22% की वृद्धि हुई।

ii. जांच की अवधि के दौरान भारतीय खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा ***% है।

iii. क्षति की अवधि में उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है। उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में गिरावट का कारण भारत में घरेलू उत्पादन की शुरुआत है। तथापि, यह अब भी काफी है और भारतीय उत्पादन का लगभग दोगुना है।

iv. भारत में होने वाले आयातों का लगभग संपूर्ण भाग संबद्ध आयातों का है।

96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि मांग में काफी वृद्धि हुई है और किसी नए उत्पादक द्वारा अपने आरंभिक वर्षों में ऐसी वृद्धि की आपूर्ति नहीं की जा सकती। घरेलू उद्योग के पास देश में मांग से अधिक क्षमताएं हैं। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि घरेलू उद्योग भारत में मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। नीचे दी गई तालिका में क्षमता और मांग संबंधी सूचना दर्शाई गई है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में उपलब्ध क्षमता भारत में मांग से अधिक थी और इसलिए मांग और आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है।

विवरण	**इकाई**	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग की क्षमता	एमटी	***
मांग	एमटी	***
अधिशेष आपूर्ति	एमटी	***

ज.3.5. <u>कीमत प्रभाव</u>

97. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी मात्रा में न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, रोकना है।

i. कीमत कटौती

98. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। तालिका नीचे दर्शाई गई है:

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	ईयू	संबद्ध देश
निवल बिक्री वसूली	₹/एमटी	***	***	***
पहुंच कीमत	₹/एमटी	4,40,829	4,31,046	4,37,795
कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

99. **यह नोट किया जाता है कि कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कीमत कटौती नकारात्मक है, क्योंकि नया उद्योग होने के कारण वह पहुंच कीमत से अधिक कीमत लेने में समर्थ नहीं है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। बाजार में नए उत्पादक के रूप में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसे कम कीमतें लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है।**

100. **घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक/उत्पादक लगभग 20 वर्षों से बाजार में हैं और उनके पास लंबे समय से स्थापित वितरण चैनल हैं। इसके कारण, घरेलू उद्योग केवल तभी बिक्री कर पाता है जब उसके उत्पाद की कीमत आयातित उत्पाद से कम हो। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान किया है कि ग्राहकों ने आयात कीमतों का हवाला देकर कम कीमत पर बातचीत की है। साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि संबद्ध सामान घरेलू उद्योग से उसके द्वारा उद्धृत कीमतों से कम कीमतों पर खरीदे गए हैं। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को बाजार में ग्राहक प्राप्त करने के लिए आयात कीमतों से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।**

101. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि जब अनुमानित बिक्री कीमत की तुलना वास्तविक पहुंच कीमत से की जाती है, तो कीमत कटौती सकारात्मक है। यदि घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत की तुलना की जाए, तो यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की अनुमानित कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जिससे यह स्थापित होता है कि यदि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में भारी कमी न की होती और संयंत्र स्थापित करते समय अनुमानित कीमतों पर बिक्री की होती, तो कीमत कटौती सकारात्मक होती।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
अनुमानित कीमतें	₹/एमटी	***
पहुंच कीमत	₹/एमटी	4,37,795

कीमत कटौती	₹/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	40-50%

102. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत पर आधारित वास्तविक कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक है। तथापि, घरेलू उद्योग बाजार में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा एक नया उत्पादक होने के कारण, आयातों की पहुंच कीमत से कम कीमतों पर बिक्री कर रहा था। अतः नकारात्मक वास्तविक कीमत कटौती, अपने आप में, कीमत प्रभाव का अभाव स्थापित नहीं करती। अनुमानित बिक्री कीमत और पहुंच कीमत के बीच का उल्लेखनीय अंतर यह दर्शाता है कि बाजार में प्रचलित कीमतें निवेश के समय घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित स्तर से काफी कम थीं। प्राधिकारी ने इस तुलना को अनुमानित बनाम प्राप्त कीमत निष्पादन और कीमत ह्रास/वास्तविक मंदन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में माना है।

ii. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

103. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में काफी मात्रा में न्यूनीकरण कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत में काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि को, जो सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा हुई होती, रोकना है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत की जांच की है। घरेलू उद्योग के अनुमानित आंकड़ों पर, घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रस्तुत की गई और कंपनी के प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर विचार किया गया है।

विवरण	इकाई	वास्तविक*	अनुमानित	अंतर	अंतर (%)
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	-11%
निवल बिक्री वसूली	₹/एमटी	***	***	***	-36%

** सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर आधारित बिक्री लागत*

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत अनुमानित लागत से 11% कम थी, जबकि उसकी वास्तविक निवल बिक्री वसूली अनुमानित बिक्री कीमत से 36% कम थी। इस प्रकार, कम इष्टतम बिक्री लागत के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा। बिक्री लागत की तुलना में बिक्री कीमत में अधिक दर से गिरावट

आई है। प्राधिकारी का विचार है कि बिक्री कीमत में यह कमी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग निवेश के समय परिकल्पित कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कोई कीमत दबाव नहीं है, क्योंकि बिक्री लागत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक है और बिक्री कीमत में गिरावट आयात कीमत में गिरावट के अनुरूप आई है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्रवृत्तियों पर विश्वास करना अनुचित है, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में अधिक दर से गिरावट आई है। कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतें लागत से ऊपर बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है।

ज.3.6. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

106. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच नीचे की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

ii.

107. क्षति की अवधि में क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	467	1,200
उत्पादन (पीयूसी)	एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	1,760	3,902
क्षमता उपयोग	%	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	377	325
घरेलू बिक्री	एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	5,637	13,719

108. घरेलू उद्योग ने 2022-23 में नई क्षमता स्थापित की है। क्षमताएं स्थापित होने के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2023-24 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें और वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग में 2023-24 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में गिरावट आई। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

109. तथापि, यह देखा जाता है कि उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित नई क्षमताओं को देखते हुए स्वाभाविक था। तथापि, प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित क्षमताओं को देखते हुए, उत्पादन और घरेलू बिक्री बहुत कम है।

110. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए वास्तविक मात्रा की तुलना अनुमानित मात्रा से भी की है।

विवरण	इकाई	वास्तविक	अनुमानित	अंतर	अंतर (%)
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	0%
उत्पादन	एमटी	***	***	***	-46%
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	-46%
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	-51%
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	-

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन उसके अनुमानित उत्पादन से 46% कम है। परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित क्षमता उपयोग का केवल आधा है।

ii. घरेलू बिक्री घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री से 51% कम है। इसके अतिरिक्त, जबकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रद कीमतों पर अधिक मात्रा की बिक्री का अनुमान लगाया था, वह हानि पर बिक्री करने के बाद भी अनुमानित बिक्री प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

112. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित घरेलू बिक्री को प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है, क्योंकि उसने जांच की अवधि में निर्यात किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमताओं का अल्प-उपयोग हुआ है और क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित क्षमता उपयोग से कम है। किए गए निर्यात बिक्री से घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग में मात्र 2% का सुधार कर पाया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री सहित घरेलू उद्योग की कुल बिक्री घरेलू उद्योग की अनुमानित घरेलू बिक्री से कम है। इस प्रकार, यह दावा उचित नहीं है कि निर्यात बिक्री के कारण घरेलू बिक्री अनुमान से कम है।

113. इस दावे के संबंध में कि क्षमता में वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से अधिक है, तथापि घरेलू उद्योग ने मांग के ***% के बराबर मात्रा की बिक्री का अनुमान लगाया था। अतः घरेलू उद्योग की अनुमानित उत्पादन और बिक्री मात्रा मांग की तुलना में असाधारण रूप से अधिक नहीं है। तथापि, इसके बावजूद घरेलू उद्योग अनुमानित मात्रा प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमताओं का अल्प-उपयोग हुआ है।

114. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उत्पादन और मालसूची की माह-वार तुलना करने पर, घरेलू उद्योग जांच की अवधि में ही उत्पादन के 6 माह के भीतर [***]% का उच्चतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने में समर्थ रहा है, जो अनुमानित उपयोग के तुलनीय है। तथापि, मालसूची के संचय के कारण, घरेलू उद्योग को बीच-बीच में उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और औसत क्षमता उपयोग कम बना रहा।

वर्ष	अवधि	उत्पादन	अंतिम स्टॉक	क्षमता उपयोग
23-24	अप्रैल-23	***	***	***
23-24	मई-23	***	***	***

वर्ष	अवधि	उत्पादन	अंतिम स्टॉक	क्षमता उपयोग
23-24	जून-23	***	***	***
23-24	जुलाई-23	***	***	***
23-24	अगस्त-23	***	***	***
23-24	सितंबर-23	***	***	***
23-24	अक्तूबर-23	***	***	***
23-24	नवंबर-23	***	***	***
23-24	दिसंबर-23	***	***	***
23-24	जनवरी-24	***	***	***
23-24	फरवरी-24	***	***	***
23-24	मार्च-24	***	***	***
जांच की अवधि	अप्रैल-24	***	***	***
जांच की अवधि	मई-24	***	***	***
जांच की अवधि	जून-24	***	***	***
जांच की अवधि	जुलाई-24	***	***	***
जांच की अवधि	अगस्त-24	***	***	***
जांच की अवधि	सितंबर-24	***	***	***
जांच की अवधि	अक्तूबर-24	***	***	***
जांच की अवधि	नवंबर-24	***	***	***
जांच की अवधि	दिसंबर-24	***	***	***
जांच की अवधि	जनवरी-25	***	***	***
जांच की अवधि	फरवरी-25	***	***	***
जांच की अवधि	मार्च-25	***	***	***

** घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित*

iii. मांग में बाजार हिस्सेदारी

115. इस अवधि में संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और अन्य आयातों की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	5589	9596
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	80	69
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	189	6

116. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि उसने इस अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद, बाजार के अधिकांश भाग की आपूर्ति संबद्ध आयातों द्वारा की जा रही है।

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री तक पहुंच गया होता, तो उसने [***]% की बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की होती। तथापि, संबद्ध सामानों को हानि पर और अनुमानित कीमतों से बहुत कम कीमतों पर बेचने के बाद भी, घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बाजार हिस्सेदारी तक नहीं पहुंच पाया है, और आयातों का हिस्सा अब भी सर्वाधिक बना हुआ है।

iv. मालसूची

118. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नानुसार थी।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	एमटी	-	100	645	1,213

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में काफी वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की मालसूची में उस स्थिति में भी वृद्धि हुई है जब उसने संबद्ध सामानों को अनुमानित कीमतों से कम कीमतों पर बेचा है और जांच की अवधि में हानि उठाई है।

120. उत्पादन और मालसूची के माह-वार ब्यौरों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को मालसूची के संचय को नियंत्रित करने के लिए मासिक आधार पर अपना उत्पादन कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। वस्तुतः, जांच की अवधि में, एक माह में रखी गई औसत मालसूची प्रति माह औसत उत्पादन से अधिक है।

वर्ष	अवधि	उत्पादन	अंतिम स्टॉक
23-24	अप्रैल-23	***	***
23-24	मई-23	***	***
23-24	जून-23	***	***
23-24	जुलाई-23	***	***
23-24	अगस्त-23	***	***
23-24	सितंबर-23	***	***
23-24	अक्तूबर-23	***	***
23-24	नवंबर-23	***	***
23-24	दिसंबर-23	***	***
23-24	जनवरी-24	***	***
23-24	फरवरी-24	***	***
23-24	मार्च-24	***	***
जांच की अवधि	अप्रैल-24	***	***
जांच की अवधि	मई-24	***	***
जांच की अवधि	जून-24	***	***
जांच की अवधि	जुलाई-24	***	***
जांच की अवधि	अगस्त-24	***	***
जांच की अवधि	सितंबर-24	***	***
जांच की अवधि	अक्तूबर-24	***	***

जांच की अवधि	नवंबर-24	***	***
जांच की अवधि	दिसंबर-24	***	***
जांच की अवधि	जनवरी-25	***	***
जांच की अवधि	फरवरी-25	***	***
जांच की अवधि	मार्च-25	***	***

v. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

121. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	286	257
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	1,760	3,902
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	616	1,517
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	4,888	7,798

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में 2023-24 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई। उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में किसी क्षति का दावा नहीं किया है।

vi. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

123. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि वास्तविक	जांच की अवधि (इष्टतम

						क्षमता उपयोग)
प्रति एमटी लाभ	रु./एमटी	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-100	-31	-15	-8
लाभ रु. लाख	रु. लाख	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-100	-1,774	-2,024	-1,076
नकद लाभ रु. लाख	रु. लाख	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	-39,500	-34,000	-17,200
आरओसीई	%	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-100	-705	-771	-411

124. अनुमानित निष्पादन की तुलना में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	वास्तविक *	अनुमानित	अंतर %
बिक्री लागत *	₹/एमटी	***	***	-11%
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	-36%
लाभ *	₹/एमटी	***	***	-141%
लाभ *	₹ लाख	***	***	-120%
पीबीडीआईटी*	₹ लाख	***	***	-108%
नकद लाभ *	₹ लाख	***	***	-108%
नियोजित पूंजी पर आय*	%	***	***	-126%

** वास्तविक आंकड़े परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर आधारित हैं*

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. कम क्षमता उपयोग के कारण आरंभिक प्रचालन अवधि के दौरान वहन की गई उच्च स्थिर लागतों के किसी भी प्रभाव को हटाने के लिए, घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर इष्टतम क्षमता उपयोग पर निष्पादन के आधार पर विचार किया गया है।

ii. घरेलू उद्योग ने अनुमान लगाया था कि वह प्रचालन के दूसरे वर्ष में लाभ में होगा। तथापि, वह अपने पूरे प्रचालन के दौरान हानि में रहा है।

iii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमान से 141% कम है।

iv. इसके अतिरिक्त, यद्यपि घरेलू उद्योग अनुमानित बिक्री लागत से कम बिक्री लागत प्राप्त करने में समर्थ रहा है, तथापि जांच की अवधि के दौरान उसे अनुमानित लाभ के बजाय हानि हुई है।

v. घरेलू उद्योग को अनुमानित नकद लाभ के विपरीत नकद हानि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग ने अपने निवेशों पर सकारात्मक आय अर्जित करने का अनुमान लगाया था। तथापि, निरंतर हानियों के कारण, इस अवधि में उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

vii. जब घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर विचार किया जाता है, तो क्षति और अधिक गंभीर हो जाती है। इस प्रकार क्षति वास्तविक आंकड़ों के आधार पर और परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों के आधार पर, दोनों ही रूप में स्थापित होती है, और वास्तविक आंकड़ों पर यह अधिक स्पष्ट है।

vii. वृद्धि

126. मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नानुसार है।

विवरण	इकाइयां	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	%	-	-	367%	157%
उत्पादन	%	-	-	1,660%	122%
घरेलू बिक्री	%	-	-	5,537%	143%
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	%	-	-	-58%	68%
नकद लाभ	%	-	-	-2181	47%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-	-850	26%

127. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में आर्थिक मापदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने इस अवधि में उत्पादन शुरू किया है। ऐसे मापदंड उन सभी उद्योगों के लिए सकारात्मक वृद्धि दर्शा सकते हैं जो हाल की अवधि में किसी उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू

करते हैं। घरेलू उद्योग अभी भी हानि के साथ प्रचालन कर रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग मात्रा और कीमत, दोनों मापदंडों के संदर्भ में अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

128. घरेलू उद्योग ने लगभग ₹ *** करोड़ का निवेश करने के बाद संबद्ध सामानों के लिए क्षमताएं स्थापित की हैं। तथापि, प्रचालन के तीन वर्षों में उसे ऐसे निवेशों के आधे से अधिक के बराबर हानि हुई है। भारत में पाटन के कारण घरेलू उद्योग लाभ-अलाभ स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है और उसने अपनी नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की भविष्य में कोई निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ix. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

129. घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत आयात कीमतों से कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि ग्राहकों ने आयात कीमतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग से बातचीत की है। अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त करने के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है, और पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयातों की कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

x. पाटन मार्जिन की मात्रा

130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज.3.7. क्षति की जांच

131. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उत्पादन की शुरुआत और उसमें वृद्धि के परिणामस्वरूप खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है, तथापि ये जांच की अवधि के दौरान काफी बने रहे, जो भारतीय खपत का ***% और घरेलू उत्पादन के ***% के बराबर हैं।

ii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग प्रचलित आयात कीमतों पर अपनी बिक्री लागत की वसूली करने में असमर्थ रहा, जिससे लाभकारी कीमतें प्राप्त करने की उसकी क्षमता बाधित हुई।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त वास्तविक बिक्री कीमत निवेश करते समय अनुमानित बिक्री कीमत से काफी कम रही। प्राधिकारी ने अनुमानित बिक्री कीमत को घरेलू उद्योग के अनुमानित बनाम प्राप्त निष्पादन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में माना है, न कि कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत पर आधारित कीमत कटौती नकारात्मक है।

iv. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत के बावजूद संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी काफी बनी हुई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी अनुमानित बाजार हिस्सेदारी से बहुत कम है।

vi. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री उसके अनुमानित उत्पादन और बिक्री से काफी कम है।

vii. घरेलू उद्योग की क्षमताओं का काफी अल्प-उपयोग हुआ है।

viii. यद्यपि घरेलू उद्योग के पास भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं, तथापि भारत में बाजार के अधिकांश भाग की आपूर्ति संबद्ध आयातों द्वारा की जाती रही है।

ix. घरेलू उद्योग को मालसूची के संचय का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उसे अपने उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

x. घरेलू उद्योग को अनुमानित लाभ के विपरीत अपने प्रचालन के सभी वर्षों में हानि हुई है।

xi. घरेलू उद्योग को नकद हानि हुई है और उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

xii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमानित निष्पादन से काफी कम है।

xiii. आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xiv. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज.3.8. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

132. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वे पाटित आयातों से भिन्न ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर न किया जाए। वास्तविक मंदन के मामले में, जहां घरेलू उद्योग के निष्पादन का आकलन उसके अनुमानित निष्पादन के संदर्भ में किया जाता है, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अनुमानों की तुलना में निष्पादन में कमी की व्याख्या पाटित आयातों से भिन्न किसी कारक से होती है।

133. क्षति की मौजूदगी तथा घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों से भिन्न किसी अन्य कारक को माना जा सकता है:

a. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

134. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के अतिरिक्त, अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं और इस प्रकार, क्षति का कारण ऐसे आयात नहीं हैं।

b. मांग में संकुचन

135. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है। अतः क्षति का कारण मांग में संकुचन नहीं है।

c. खपत का पैटर्न

136. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

d. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

137. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां अथवा प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। चूंकि घरेलू उद्योग देश में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है, इसलिए घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

e. प्रौद्योगिकी में विकास

138. घरेलू उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी अथवा संयंत्र में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। वस्तुतः, घरेलू उद्योग के संयंत्र भारत में नव-स्थापित हैं।

f. उत्पादकता

139. उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती।

g. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

140. ऊपर जांची गई क्षति सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति का कारण घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को नहीं माना जा सकता।

h. अन्य उत्पादों का निष्पादन

141. हुई क्षति का कारण कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन को नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में सूचना को अलग करके प्रदान किया है।

142. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि अन्य उत्पादों के एक साथ वाणिज्यीकरण और उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण क्षमता उपयोग कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए समर्पित क्षमताएं हैं। अनुमानों और वास्तविक निष्पादन में विचार की गई क्षमता केवल संबद्ध सामानों से संबंधित है और अन्य उत्पादों से प्रभावित नहीं है।

143. इस अनुरोध के संबंध में कि उच्च लाभ वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने से संबद्ध सामानों जैसे कम लाभ वाले उत्पादों को क्षति हुई है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान में घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान कोई लाभ अर्जित करने के बजाय हानि और नकद हानि हुई है। किसी भी स्थिति में, यदि संबद्ध सामान कम लाभ वाले उत्पाद हैं, तब भी इससे भारत में ऐसे पाटन को उचित नहीं ठहराया जा सकता जो घरेलू उद्योग की व्यवहार्यता को खतरे में डालता है।

i. आरंभिक अदक्षताओं और नए उद्योग की प्रचालन संबंधी चुनौतियों के कारण क्षति

144. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि घरेलू उद्योग को क्षति आरंभिक अदक्षताओं, प्रक्रिया हानियों, उच्च अस्वीकृति दरों, बैच चक्र समय, ग्राहक अनुमोदनों और अड़चनों के कारण है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने ऊपर की गई अपनी जांच में इष्टतम क्षमता उपयोग पर घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन से की है। इससे पता चलता है कि आरंभिक अदक्षताओं और कम क्षमता उपयोग के कारण उच्च लागतों पर विचार न करने पर भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रक्रिया हानियों, बैच चक्र समय और अस्वीकृति दरों के संबंध में अपने दावों के समर्थन में कोई सूचना अथवा साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति की अवधि में भारत में अपना उत्पादन बढ़ाने में समर्थ रहा है और उसे मालसूची के संचय के कारण उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जो स्पष्टतः भारत में पाटन का परिणाम है।

j. अन्य कारक

145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि क्षति संयंत्र बंदी के कारण है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पाद की मांग के अभाव के कारण घरेलू उद्योग को अपना संयंत्र बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। किसी भी स्थिति में, क्षति पर इष्टतम क्षमता उपयोग पर विचार किया गया है और इस प्रकार, कोई भी संयंत्र बंदी प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए निष्पादन को प्रभावित नहीं करती।

146. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अनुमानों की तुलना में निष्पादन में कमी का कारण यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग अनुमानित क्षमता संस्थापित करने अथवा अपने नियोजित विस्तार के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की *** एमटी की संस्थापित क्षमता, संगत अवधि के लिए परियोजना रिपोर्टों में परिकल्पित क्षमता के समरूप है। अतः परियोजना का कार्यान्वयन योजना के अनुसार हुआ है, और उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री में कमी का कारण परियोजना कार्यान्वयन में किसी विफलता को नहीं माना जा सकता। घरेलू उद्योग ने आगे अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त की है, जिससे यह स्थापित होता है कि अनुमान लागत के पक्ष में न तो अवास्तविक थे और न ही अप्राप्य।

147. पाटित आयातों के प्रभावों को अन्य कारकों के प्रभावों से अलग करने और उनमें भेद करने के लिए, प्राधिकारी ने अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी को बिक्री लागत के कारण उत्पन्न तत्व और बिक्री कीमत के कारण उत्पन्न तत्व में विभाजित किया है। आरंभिक अदक्षताएं, प्रक्रिया हानियां, उत्पादन बढ़ाने में अड़चनें, संयंत्र बंदी, कम क्षमता उपयोग और उच्च स्थिर लागतें जैसे कारक, जिस सीमा तक उनका कोई प्रभाव हो, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में परिलक्षित होंगे।

148. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से बाधित रही है, जो घरेलू उद्योग की वास्तविक तथा इष्टतम बिक्री लागत, दोनों से कम रही, और रिकॉर्ड में उपलब्ध ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों की कीमतों के संदर्भ में अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ।

k. गैर-आरोपण पर निष्कर्ष

149. प्रत्येक अन्य ज्ञात कारक की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी अन्य ज्ञात कारक, चाहे उस पर अलग-अलग विचार किया जाए अथवा सामूहिक रूप से, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की व्याख्या नहीं करता अथवा पाटित आयातों और हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को भंग नहीं करता। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण संबद्ध देशों से पाटित आयात हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के वास्तविक आंकड़ों पर विचार किए जाने पर क्षति और अधिक गंभीर हो जाती है, और क्षति उस स्थिति में भी स्थापित होती है जब घरेलू उद्योग के निष्पादन पर परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों पर विचार किया जाता है, जिससे पाई गई क्षति का कोई भी भाग आरंभिक अदक्षताओं अथवा प्रचालन के आरंभिक चरण से जुड़े अन्य कारकों पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

ज.3.9. कारणात्मक संपर्क का विश्लेषण

150. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध आयातों का पाटन किया गया है, और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ii. भारत में संबद्ध आयातों में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर वृद्धि हुई है और उन्होंने घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

iii. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की इष्टतम और अनुमानित बिक्री लागत से कम है।

iv. कम कीमत वाले आयातों के कारण, घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

v. उत्पादन की शुरुआत और भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद, मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी कम है।

vi. आयातों की पहुंच कीमत में उसी अवधि के दौरान गिरावट आनी शुरू हुई जब घरेलू उद्योग ने प्रचालन शुरू किया। तब से कीमतों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को ग्राहक प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें अनुमानित स्तरों से और आयातों से कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

vii. घरेलू उद्योग अपना अनुमानित उत्पादन और बिक्री प्राप्त करने में असमर्थ है।

viii. घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन के सभी वर्षों में वित्तीय हानि हुई है और वह लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ है।

ix. जबकि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों में लाभ का अनुमान लगाया था, उसे हानि और नकद हानि हुई है।

x. उसे उत्पादन स्थापित करने के लिए किए गए निवेशों के आधे से अधिक के बराबर संचयी हानि हुई है।

xi. जबकि घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय का अनुमान लगाया था, उसने जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

xii. अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी का कारण न्यूनीकृत बिक्री कीमत है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने वास्तविक और इष्टतम, दोनों आधारों पर अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त की है।

xiii. क्षति वास्तविक आंकड़ों के आधार पर और परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों के आधार पर, दोनों ही रूप में स्थापित होती है, और वास्तविक आंकड़ों पर विचार किए जाने पर यह और अधिक गंभीर हो जाती है।

151. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुआ है, और यह कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण पाटन है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

152. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत से की गई है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटीज़ के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों और/अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/अथवा क्षतिरहित कीमत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए, ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली हेतु विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) की अनुमति दी गई है।

153. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

154. इस तर्क के संबंध में कि आरंभिक प्रचालनों के कारण उच्च लागतों का इष्टतमीकरण किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण [***]% अथवा घरेलू उद्योग के तिमाही-वार क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा आरंभिक प्रचालनों के कारण उच्च लागतों पर विचार नहीं किया है।

155. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और वह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी (यूएसडी/ एमटी)	पहुंच कीमत (यूएसडी/ एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडी/ एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
क	**चीन जन.गण.**					
4.	सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
5.	रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
6.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
ख	**यूरोपीय संघ**					
3.	बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच	***	***	***	***	30-40
4.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50

ञ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ञ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

156. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदकों द्वारा बताया गया प्रभाव कम करके आंका गया है, क्योंकि संबद्ध सामान मास्टरबैच की कुल लागत का 20% हैं और यह एक प्रमुख लागत घटक है।

ii. मास्टरबैच उत्पादक मुख्यतः एमएसएमई हैं और प्लास्टिक प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए अनुबंधों पर कार्य करते हैं। उनकी कीमत निर्धारण क्षमता सीमित है और वे कच्चे माल की लागत में वृद्धि को आगे नहीं बढ़ा सकते।

iii. निचले स्तर के उद्योग के रोजगार, प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात निष्पादन पर शुल्कों के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।

iv. शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित होंगे और प्रयोक्ताओं को आपूर्ति और गुणवत्ता जोखिमों तथा कीमत अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही अड़चनों और बढ़ती मांग को देखते हुए यह खतरा और बढ़ जाता है।

v. संबद्ध सामानों के लिए लंबे ग्राहक अनुमोदनों की आवश्यकता होती है और आपूर्ति स्रोतों में परिवर्तन से विद्यमान आपूर्ति श्रृंखलाएं और वाणिज्यिक व्यवस्थाएं बाधित होंगी तथा प्रयोक्ताओं पर संक्रमण लागत का बोझ बढ़ेगा।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद से संबंधित गुणवत्ता संबंधी चिंताएं हैं, जिससे प्रयोक्ता उद्योग का प्रचालन बोझ बढ़ता है। निचले स्तर के उत्पाद के निर्यात के मामले में अनुमोदनों की आवश्यकता होती है, जो घरेलू उद्योग के पास नहीं हैं।

vii. आवेदकों द्वारा स्थापित अनुप्रयोग प्रयोगशालाओं से यह संकेत मिलता है कि उत्पादन इष्टतमीकरण की प्रक्रिया में है।

viii. जनहित विश्लेषण में ऊपरी और निचले स्तर के विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

ञ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

157. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटित आयातों ने एकमात्र उत्पादकों को बाजार में स्थापित होने से रोका है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हानि पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है, जो अनुमानित निष्पादन से बहुत कम है।

ii. शुल्क लगाने से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना संभव होगी।

iii. शुल्कों से घरेलू उद्योग बाजार में स्थापित हो सकेगा। इससे स्वदेशी क्षमताएं स्थापित करने हेतु अनुसंधान और विकास के लिए किए गए निवेशों की व्यवहार्यता की भी रक्षा होगी।

iv. शुल्क यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित कीमतें प्रचलित रहें और नए घरेलू उत्पादकों को बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिले, जिससे प्रयोक्ता उद्योग के लिए स्रोत के विकल्पों का विस्तार होगा।

v. यदि एकमात्र उत्पादक अपना प्रचालन बंद कर देते हैं, तो प्रयोक्ता उद्योग अस्थिर बाहरी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हो जाएगा।

vi. देश में मांग और आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है और यदि शुल्कों के कारण आयात बंद भी हो जाएं, तब भी प्रयोक्ता उद्योग के लिए आपूर्ति की कोई कमी नहीं होगी।

vii. संबद्ध सामान केवल एक योज्य (एडिटिव) हैं और अंतिम उत्पाद का एक छोटा भाग हैं। प्रस्तावित शुल्कों का अंतिम उत्पाद पर प्रभाव नगण्य है।

viii. विगत में आयात कीमतें अधिक रही हैं और घरेलू उद्योग के अभाव में प्रयोक्ता उद्योग ने संबद्ध सामानों का आयात किया है। विगत में प्रचलित उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया गया है। प्रयोक्ता यह दावा नहीं कर सकते कि शुल्क लगाने के कारण कीमत में कोई वृद्धि उनके प्रचालनों के लिए खतरा उत्पन्न करेगी।

ix. घरेलू उद्योग की मौजूदगी से प्रयोक्ता कम मालसूची रख सकेंगे और इससे मालसूची तथा भंडारण व्ययों को कम करने में सहायता मिलेगी।

x. संबद्ध आयातों की कीमतों में गिरावट इसलिए आई है क्योंकि आवेदकों ने देश में उत्पादन स्थापित किया, ताकि उन्हें बाजार से बाहर किया जा सके। घरेलू उद्योग के अभाव में, कुछ विदेशी उत्पादक बाजार पर एकाधिकार कर लेंगे और प्रयोक्ताओं के अहित में कीमतें बढ़ा देंगे। ऐसा पूर्व में चीन जन.गण. से एन, एन'-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी) के आयातों की पाटनरोधी जांच (फा. सं. 06/53/2020-डीजीटीआर) में देखा गया है।

xi. घरेलू उद्योग हानिकारक विलायकों के बजाय उत्प्रेरकों का उपयोग करके हरित रसायन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे खतरनाक अपशिष्ट और उत्सर्जन न्यूनतम होते हैं।

xii. घरेलू उद्योग समाज के निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के उत्थान के लिए नियमित रूप से सीएसआर कार्यकलापों में संलग्न रहता है। इन सीएसआर पहलों में संलग्न होने के लिए घरेलू उद्योग को पर्याप्त लाभ बनाए रखना आवश्यक है, जो पाटित आयातों के कारण खतरे में पड़ गया है।

xiii. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को विविध राजसहायताएं प्राप्त होती हैं, जिनसे चीन में लागत और कीमतें अविश्वसनीय हो जाती हैं और भारत में बाजार की स्थितियां नष्ट होती हैं।

ञ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा मिले। यह मात्र एक विनियामक उपाय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय है। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त होने से रोका जाता है। इससे संबद्ध सामानों के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच सुरक्षित रहती है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों में बाधक नहीं, बल्कि सहायक हैं।

159. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और

आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है, प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों के पाटन ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है। घरेलू उद्योग ने देश में उत्पादन क्षमताएं स्थापित करने के लिए लगभग ₹ [***] करोड़ का निवेश किया। तथापि, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त करने से रोका है। घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान काफी हानि हुई है और वह लाभ-अलाभ स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। संबद्ध सामान ऐसा उत्पाद है जिसका भारत में उत्पादन नहीं किया जा रहा था, और घरेलू उद्योग ने इसके विनिर्माण के लिए भारत में पहली उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं।

161. यह नोट किया जाता है कि आवेदक देश में एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं। यह आवश्यक है कि घरेलू उत्पादक उत्पादन प्रचालनों को बनाए रखने में समर्थ हों, ताकि घरेलू आपूर्ति स्रोत सुनिश्चित हो और घरेलू उत्पादन क्षमताओं में भविष्य के निवेशों को बढ़ावा मिले। यदि वर्तमान बाजार स्थिति का उपचार नहीं किया जाता और यह अनुचित बनी रहती है, तो घरेलू उत्पादक संभवतः उत्पादन बनाए रखने में समर्थ नहीं होंगे और बंद हो जाएंगे। इससे भारत विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में वापस आ जाएगा।

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध सामान एक प्रमुख लागत घटक है और मास्टरबैच की कुल लागत का ***% है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की खपत मास्टरबैच में योज्य के रूप में की जाती है। प्रयोक्ताओं ने अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, मास्टरबैच का प्रयोग अन्य निचले स्तर के उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जाता है और इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण मास्टरबैच की लागत में किसी वृद्धि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। शुल्क के प्रभाव को नीचे परिमाणित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि सिफारिश किए गए शुल्कों का प्रभाव 0.8% से कम है।

विवरण	**इकाई**	**दर**
एफआईबीसी की कीमत	₹/कि.ग्रा.	205
एफआईबीसी में पॉलीप्रोपाइलीन की मात्रा	कि.ग्रा./कि.ग्रा.	2.15
एफआईबीसी में मास्टरबैच की मात्रा	कि.ग्रा./कि.ग्रा.	0.043

एफआईबीसी में प्रयुक्त पीयूसी*	कि.ग्रा.	0.008600
पाटनरोधी शुल्क	₹/कि.ग्रा.	***
एफआईबीसी में पाटनरोधी शुल्क की लागत	₹/कि.ग्रा.	***
शुल्क का प्रभाव		0.73%

**एसआईओएन के अनुसार*

163. इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादन की शुरुआत से पूर्व आयातों की कीमत जांच की अवधि में आयात कीमतों से अधिक थी। आयातक/प्रयोक्ता उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि विगत में ऐसी उच्च कीमतों ने उनके प्रचालनों और निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने और उचित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच से निचले स्तर के उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

164. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित होंगे, आपूर्ति श्रृंखला संकट में पड़ेगी और प्रयोक्ताओं की संक्रमण लागत बढ़ेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होते, बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि वे उचित कीमतों पर हों। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ताओं और आयातकों ने रिपोर्ट किया है कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं और इस प्रकार, ऐसा नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात प्रयोक्ता घरेलू स्रोतों की ओर नहीं जा सकेंगे।

165. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि देश में मांग और आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है। घरेलू उत्पादकों सहित अनेक स्रोतों से संबद्ध सामानों की उपलब्धता से भारत में उचित कीमतें बनाए रखने में सहायता मिलेगी और प्रयोक्ता मालसूची व्ययों को नियंत्रित कर सकेंगे, क्योंकि संबद्ध सामानों के लिए अधिक मालसूची रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, देश में घरेलू स्रोत की मौजूदगी से प्रयोक्ताओं के लिए स्रोत के विकल्प ही बढ़ेंगे और प्रयोक्ता बाहरी आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों से सुरक्षित रहेंगे।

166. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि निचले स्तर का उद्योग एमएसएमई प्रकृति का है और उसकी कीमत निर्धारण क्षमता सीमित है। यह भी दावा किया गया है कि शुल्कों से रोजगार, प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात निष्पादन प्रभावित होंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि निचले स्तर का उद्योग लागत वृद्धि को अंतिम उपभोक्ता तक आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए ग्राहक पत्राचार से

पता चलता है कि प्रयोक्ताओं द्वारा कम आयात कीमतों का हवाला दिए जाने के कारण घरेलू उद्योग ने कम कीमतों पर आपूर्ति की है और इस प्रकार, भारत में प्रयोक्ताओं ने बाजार में कीमत निर्धारक के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा, प्रयोक्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि विगत में जब बाजार में कीमतें अधिक थीं, तब प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार प्रभावित हुए थे।

167. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत के पश्चात घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट आनी शुरू हुई। यदि घरेलू उत्पादक लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों के संबंध में प्रचालन बंद करना पड़ेगा। घरेलू उत्पादकों के बंद होने की स्थिति में कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।

168. निचले स्तर के उद्योग के निर्यात निष्पादन के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि निर्यात योग्य उत्पादों के उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंस जैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत संबद्ध सामानों का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता कि शुल्क लगाए जाने की स्थिति में निचले स्तर के उद्योग पर अनुचित बोझ पड़ेगा।

169. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं और निचले स्तर के उत्पादों के निर्यात के लिए संबद्ध सामानों हेतु विशिष्ट अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने स्वयं संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और भारतीय बाजार में अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में समर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि प्रयोक्ताओं ने कीमतों पर बातचीत की है और घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए सामानों की गुणवत्ता के संबंध में कोई चिंता व्यक्त नहीं की है। इस प्रकार, यह तर्क कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद वांछित गुणवत्ता का नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

ट. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

170. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए दिनांक 16 सितंबर 2026 का प्रकटन विवरण जारी किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह, मैसर्स सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड और मैसर्स सुकियान यूनिटेकॉमर्स

कंपनी लिमिटेड, कंपाउंड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा घरेलू उद्योग की ओर से प्राप्त हुई हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, संगत मानी गई सीमा तक, इन अंतिम निष्कर्षों में जांच की है। ऐसे किसी भी अनुरोध को, जो पूर्ववर्ती अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।

ट.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध</u>

171. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i. रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई की सामान्य प्रकटन और मामले की पृष्ठभूमि, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, प्रकटन विवरण में प्रस्तावित विचाराधीन उत्पाद के दायरे, अथवा गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निर्धारणों पर कोई टिप्पणी नहीं है, जिन्हें अनेक जांचों में अपनाई गई परिपाटी के अनुरूप बताया गया है।

ii. सीएसटीएल के संबंध में उठाया गया मुद्दा केवल यह नहीं था कि क्या सीएसटीएल ने "समान वस्तु" के रूप में वर्णित उत्पाद का उत्पादन अभिलिखित किया था, बल्कि यह था कि क्या सीएसटीएल ने वास्तव में जांच शुरुआत अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद, अर्थात् सीएएस सं. 52829-07-9 वाले बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट का विनिर्माण और वाणिज्यिक बिक्री की थी। प्रकटन विवरण के पैरा 17 में उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और लागत निर्धारण अभिलेखों का संदर्भ, उठाए गए मुद्दे का तब तक समाधान नहीं करता जब तक यह सत्यापित न किया गया हो कि वे अभिलेख विशिष्ट रूप से सीएएस सं. 52829-07-9 से संबंधित हैं।

iii. रिकॉर्ड में रखी गई सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी में विचाराधीन उत्पाद से विशिष्ट रूप से संबंधित किसी उत्पादन क्षमता का उल्लेख नहीं है। यदि सीएसटीएल द्वारा प्राप्त सांविधिक अनुमोदनों में सीएएस सं. 52829-07-9 के अनन्य विनिर्माण का उल्लेख नहीं है, और यदि विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं इसके बजाय एक अलग विधिक संस्था, अर्थात् सीएफसीएल के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, तो यह जांच की जानी चाहिए कि क्या सीएसटीएल ने विचाराधीन उत्पाद का स्वतंत्र रूप से विनिर्माण और बिक्री की भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीएफसीएल की स्थापना विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के प्रयोजन से एक सहायक कंपनी के रूप में की गई थी।

iv. यदि सीएसटीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद सीएएस सं. 52829-07-9 नहीं है, तो प्राधिकारी से नियमावली के नियम 2(घ) और व्यापार उपचार जांचों के लिए परिचालन पद्धति नियमपुस्तिका के पैरा 3.34 और 3.35 के अनुसार यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या ऐसा उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा उसकी विशेषताएं उसके अत्यधिक सदृश हैं। प्रकटन विवरण के पैरा 18 में यह निष्कर्ष कि सीएसटीएल और सीएफसीएल मिलकर संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पूर्व निष्कर्ष पर आधारित है कि सीएसटीएल एक उत्पादक है। यदि कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो सीएसटीएल को घरेलू उद्योग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उसके आंकड़े क्षति अथवा वास्तविक मंदन विश्लेषण का भाग नहीं होने चाहिए।

v. वास्तविक मंदन का उद्देश्य ऐसे विकासशील उद्योग की रक्षा करना है जिसने अभी तक बाजार में स्वयं को स्थापित नहीं किया है। सीएसटीएल एक स्थापित विशेष रसायन विनिर्माता है और विचाराधीन उत्पाद की मात्र शुरुआत को स्वतः ही एक नए उद्योग की स्थापना के समान नहीं माना जा सकता। संगत परीक्षण विद्यमान अवसंरचना के साथ अतिव्यापन की मात्रा है, और जहां कोई उत्पादक विद्यमान प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय संसाधनों, ग्राहक संबंधों और वाणिज्यिक नेटवर्क का उपयोग करता है, वहां उत्पाद एक नए उद्योग के सृजन के बजाय विद्यमान व्यवसाय का विस्तार है। अतः वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के लिए सीमा पूरी नहीं होती।

vi. घरेलू उद्योग वास्तविक मंदन के अपने दावे की पुष्टि के लिए पारदर्शी और सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है। परियोजना रिपोर्टें, जो तथाकथित बेंचमार्क निष्पादन का आधार हैं, पूर्णतः गोपनीय रखी गई हैं, जिससे हितबद्ध पक्षकार क्षमता उपयोग, लागतों, बिक्री, मांग और लाभप्रदता से संबंधित मान्यताओं की जांच नहीं कर पाए।

vii. अनुमानित और वास्तविक निष्पादन के बीच किसी भी अंतर का कारण स्वतः आयातों को नहीं माना जा सकता। परियोजना कार्यान्वयन, संयंत्र चालू करने की समय-सीमा, क्षमता संस्थापन, ग्राहक विकास, बाजार स्वीकार्यता, आरंभिक अदक्षताएं और किसी नए उत्पाद से जुड़ी सामान्य परिपक्वता संबंधी चुनौतियां घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाले संभावित कारक हैं। यदि घरेलू उद्योग स्वयं अनुमानित क्षमता संस्थापित करने अथवा नियोजित विस्तार के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा, तो परिणामी कमी का कारण, प्रदर्शित कारणात्मक संपर्क के बिना, पाटित आयातों को नहीं माना जा सकता। वास्तविक मंदन के लिए इस बात के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की आवश्यकता होती है कि आयातों ने उद्योग को स्वयं को स्थापित करने से रोका, न कि केवल यह कि वास्तविक निष्पादन महत्वाकांक्षी अनुमानों से कम रहा।

viii. सूचीबद्ध आंकड़ों से न तो कीमत न्यूनीकरण और न ही कीमत ह्रास प्रदर्शित होता है। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 100 के सूचकांक से 45 तक काफी गिरावट आई, जबकि उसकी निवल बिक्री वसूली में 100 से 84 तक बहुत धीमी दर से गिरावट आई। चूंकि लागतों में बिक्री कीमतों की तुलना में अधिक तीव्र गिरावट आई, इसलिए घरेलू उद्योग को न तो लागत से कम पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा और न ही वह आयातों के कारण अपनी लागतों की वसूली करने में असमर्थ रहा। कीमत ह्रास के निष्कर्ष के लिए इस बात के साक्ष्य की आवश्यकता होती है कि आयातों के कारण बढ़ती लागतों को उच्च बिक्री कीमतों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जा सका, जबकि वर्तमान मामले में लागतों में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि उनमें काफी गिरावट आई। घरेलू कीमतों ने आयात कीमतों में गिरावट का अनुसरण नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग आयात कीमतों से मेल बैठाने के लिए बाध्य नहीं था।

ix. घरेलू उद्योग का निष्पादन आयातों के बजाय आंतरिक प्रचालन संबंधी अदक्षताओं, प्रक्रिया इष्टतमीकरण प्रयासों और उत्पादन बढ़ाने में अड़चनों से काफी प्रभावित हुआ है। अपनी अर्निंग्स कॉल में, कंपनी ने स्वीकार किया कि वह अभी तक इष्टतम प्रचालन दक्षता तक नहीं पहुंची है और प्रक्रिया दक्षताओं में चल रहे सुधारों से ईबीआईटीडीए में सार्थक सुधार की अपेक्षा है, तथा उसकी वार्षिक रिपोर्टें यूवी 770 के उत्पादन को बढ़ाने के दौरान अड़चनों के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। प्राधिकारी को आयातों के किसी भी तथाकथित प्रभाव से प्रक्रिया अदक्षताओं, संयंत्र चालू करने संबंधी मुद्दों, उपज हानियों और उत्पादन बढ़ाने की चुनौतियों के प्रभावों को अलग करते हुए उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करना चाहिए।

x. स्वयं प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए वास्तविक निष्पादन आंकड़े 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में संस्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, प्रतिदिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी सुधार दर्शाते हैं, और मानकीकृत प्रति एमटी लाभ में 2022-23 में (–)100 के सूचकांक से 2023-24 में (–)31 और आगे जांच की अवधि में (–)8 तक सुधार हुआ। अनुमानों पर ध्यान दिए बिना, ये प्रवृत्तियां वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं हैं।

xi. प्रकटन विवरण का संपूर्ण आधार वास्तविक मंदन पर टिका है, जो कतिपय अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की तुलना पर आधारित है। जब अनुमानों का पहला सेट साकार नहीं हुआ था, तब एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर सीएसटीएल के अनुमानों के एक सेट को सीएफसीएल के अनुमानों के दूसरे सेट के साथ समेकित करना आर्थिक रूप से अतार्किक है। जहां सीएफसीएल में नया निवेश किया गया, नई क्षमता संस्थापित की गई और *** में, अर्थात् लगभग जांच की अवधि की शुरुआत में, वाणिज्यिक

उत्पादन शुरू हुआ, वहां 2021 के पूर्ववर्ती अनुमानों की तुलना में अनुमानित लाभप्रदता में संयम होना चाहिए था, क्योंकि आरंभिक वर्षों में उच्च स्थिर लागतों के कारण नए निवेश से आय उत्पन्न होने में समय लगता है। अनुमानित लाभों को युक्तिसंगत नहीं बनाया गया और प्राधिकारी ने अलग-अलग समय पर उत्पादन शुरू करने वाले दो घटकों के अनुमानों के समेकन के लिए अपनाई गई पद्धति को प्रकट किए बिना समेकित अनुमानों को स्वीकार कर लिया है।

xii. दूसरे वर्ष में नए निवेश के बावजूद, तीन वर्ष की अवधि में घरेलू उद्योग को हुई हानियों में लगभग 92% की गिरावट आई है। प्राधिकारी ने हानियों में गिरावट को वास्तविक मंदन का संकेतक केवल इसलिए माना है क्योंकि यह गिरावट समेकित अनुमानों के अनुसार नहीं है। इन तथ्यों से किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन प्रदर्शित नहीं होता।

xiii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई नियोजित पूंजी पर 22% की आय रसायन उद्योग के लिए बहुत अधिक है। नियमावली में "उचित" कर-पूर्व आय अभिव्यक्ति का प्रयोग उसे परिभाषित किए बिना किया गया है, और उचित क्या है, इसका मूल्यांकन उद्योग की प्रकृति, प्रचलित आर्थिक स्थितियों, परिपक्वता अवधि और विद्यमान ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए। 22% आय का उल्लेख केवल 1995 में नियमावली अधिसूचित किए जाने के समय फाइल पर अनुमोदित टिप्पणियों में एक दिशानिर्देश के रूप में, औषधियों और भेषजों की कीमतें निर्धारित करने के लिए बनाए गए 1976-77 के कीमत नियंत्रण आदेशों के संदर्भ में किया गया था, जब प्रमुख उधार दर 18% थी, जबकि वर्तमान में भारतीय बैंकों द्वारा परियोजना निधियां प्रदान किए जाने की दर लगभग 9.75% से 10.50% है। ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2011 (270) ई.एल.टी. 696 (ट्राई.-डेल.) में माननीय सेस्टैट की इस टिप्पणी पर विश्वास किया जाता है कि इतनी उच्च आय दर मानकर क्षतिरहित कीमत की गणना करने से कम कीमत पर बिक्री अथवा क्षति मार्जिन की बढ़ी-चढ़ी तस्वीर प्रस्तुत होती है। प्रदर्श-क के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई जुरोंग, सिंगापुर स्थित बीएएसएफ एंटीऑक्सीडेंट साइट की नियोजित पूंजी पर आय 2022 और 2025 के बीच नकारात्मक आय दर्शाती है।

xiv. उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन की गणना करते समय आवेदकों की उच्च स्थिर लागतों और आरंभिक लागतों का मानकीकरण किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध-III के नियम 4(iii) में प्राधिकारी से उत्पादन क्षमताओं के किसी भी अदक्ष उपयोग के लिए लागतों में आवश्यक समायोजन करने की अपेक्षा की गई है। यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से

1500 और 1700 श्रृंखला के स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर (एसबीआर) से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के दिनांक 12 जुलाई 2017 के अंतिम निष्कर्षों पर विश्वास किया जाता है, जिसमें नए प्रवेशकों की असामान्य रूप से उच्च आरंभिक लागतों का समाधान करने के लिए, परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना मानकों अथवा प्राप्त सर्वोत्तम क्षमता उपयोग को अपनाकर एक नए उत्पादक की लागतों का मानकीकरण किया गया था।

xv. चूंकि आवेदकों ने क्षति की अवधि के दौरान ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, इसलिए पाटनरोधी शुल्क, यदि सिफारिश की जाती है, दो वर्ष तक सीमित होना चाहिए, जब तक निर्णायक समीक्षा के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की चार वर्ष की पूर्ण क्षति अवधि उपलब्ध हो जाएगी।

xvi. प्रकटन विवरण में अभिलिखित पद्धति, अर्थात् परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित क्षमता उपयोग अथवा जांच की अवधि और उत्पादन की शुरुआत से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी तिमाही में प्राप्त उच्चतम क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप है और अंतिम निष्कर्षों में इसकी पुष्टि की जा सकती है।

xvii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। विचाराधीन उत्पाद यूवी मास्टरबैच के विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जो एक ऐसा उद्योग है जिसमें अधिकांशतः एमएसएमई शामिल हैं, और बताया गया है कि यह यूवी मास्टरबैच की विनिर्माण लागत का लगभग 20% है। कोई भी पाटनरोधी शुल्क इनपुट लागतों में काफी वृद्धि करेगा, मार्जिन घटाएगा और निचले स्तर के विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार और निर्यात निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जिनमें से अनेक सीमित कीमत निर्धारण क्षमता के साथ प्रचालन करते हैं और उच्च कच्चे माल की लागतों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो सकते हैं। घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता की एकरूपता, उसके जारी प्रक्रिया इष्टतमीकरण और ग्राहक स्वीकार्यता के संबंध में चिंताओं से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद अभी भी बाजार में स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है। लगभग 3,500 एमटी की घरेलू मांग और एकल घरेलू आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को देखते हुए, कोई भी प्रचालन व्यवधान आपूर्ति विश्वसनीयता संबंधी समस्याएं, कीमत अस्थिरता और आपूर्ति संकेंद्रण के जोखिम उत्पन्न कर सकता है, और आपूर्तिकर्ता बदलने पर निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को ग्राहक अनुमोदन प्राप्त करने में तीन से चार माह लग सकते हैं।

ट.2. <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

172. प्रकटन विवरण और उसमें अपनाई गई पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i. प्रकटन विवरण में अभिलिखित निर्धारणों की अंतिम निष्कर्षों में पुष्टि की जा सकती है, अर्थात् यह कि आवेदकों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग है, वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, और तदनुसार वे नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं; यह कि घरेलू उद्योग एक स्थापनाधीन उद्योग है और क्षति की जांच वास्तविक मंदन के रूप में किया जाना अपेक्षित है; यह कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है; यह कि घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास का सामना करना पड़ा है, वित्तीय और नकद हानि हुई है तथा निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है; यह कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन उसके अनुमानों से काफी कम है; यह कि पाटित आयातों और इस प्रकार हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क विद्यमान है; और यह कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

ii. घरेलू उद्योग के अभाव में, भारत में प्रयोक्ता विदेशी उत्पादकों की दया पर निर्भर रह जाएंगे, जिनका पूर्ण एकाधिकार होगा और जो उपभोक्ताओं के अहित में सामानों की कीमतें काफी अधिक निर्धारित करेंगे। चीन जन.गण. से एन,एन′-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी) से संबंधित पाटनरोधी जांच (फा. सं. 06/53/2020-डीजीटीआर) में, घरेलू उद्योग के अभाव में आयातों का निर्यात असामान्य रूप से उच्च कीमतों पर किया जा रहा था और देश में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन सुविधाएं स्थापित किए जाने के बाद कीमतें गिर गईं। इसी प्रकार, चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से एपिक्लोरोहाइड्रिन से संबंधित पाटनरोधी जांच (फा. सं. 6/15/2023-डीजीटीआर) में, एकमात्र घरेलू उत्पादक के बंद होने के बाद आयात कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई और एक नए घरेलू उत्पादक के बाजार में प्रवेश करने पर उनमें भारी गिरावट आई।

iii. घरेलू उद्योग वर्तमान में केवल उस सीमा तक राहत की मांग कर रहा है कि संबद्ध आयातों की कीमतें उचित और प्रतिस्पर्धी स्तरों पर हों। उस सीमा तक शुल्क लगाने से बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि घरेलू उद्योग लाभकारी आय अर्जित करने में समर्थ हो।

iv. विचाराधीन उत्पाद का सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन होना व्यापक जनहित में है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान होगा, जबकि यदि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को जारी रहने दिया जाता है, तो उत्पाद का घरेलू उत्पादन अव्यवहार्य हो जाएगा। घरेलू उद्योग स्वामित्वाधीन उत्प्रेरकों का भी उपयोग करता है, जो हानिकारक विलायकों अथवा अभिकर्मकों के बिना रासायनिक अभिक्रियाओं को संभव बनाते हैं, और विलायकों के बिना अनेक प्रक्रियाओं का प्रचालन करता है, जिससे खतरनाक अपशिष्ट और उत्सर्जन न्यूनतम होते हैं, तथा शून्य तरल निर्वहन प्रणालियों, जल पुनर्चक्रण, उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों और वंचितों की शिक्षा हेतु सहायता सहित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलें करता है, जो सीधे उसके निष्पादन से जुड़ी हैं।

v. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन जन.गण. के उत्पादक चीन सरकार के विभिन्न राजसहायता कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं, जिससे सरकारी हस्तक्षेप के कारण चीन जन.गण. में लागत और कीमतें अविश्वसनीय हो जाती हैं।

ट.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

173. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन-पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा जाता है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध ऐसे तर्कों और कथनों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है और आवश्यक मानी गई सीमा तक उनका समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। ऐसे किसी भी अनुरोध को, जो पूर्ववर्ती अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।

174. रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई के इन अनुरोधों के संबंध में कि सीएएस सं. 52829-07-9 वाले विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में सीएसटीएल की स्थिति स्थापित नहीं हुई है और इसलिए सीएसटीएल के आंकड़ों को बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि उन्होंने सीएसटीएल के उत्पाद-विशिष्ट उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और लागत निर्धारण अभिलेखों की, जो केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं, उत्पाद विवरण, सीएएस संख्या, तकनीकी विनिर्देशों, तुलनात्मक तकनीकी आंकड़ा शीटों तथा ग्राहक अनुमोदनों और आयातित यूवी

770 का भी प्रयोग करने वाले ग्राहकों को की गई बिक्री के साक्ष्य के साथ जांच की है। उक्त सूचना से यह स्थापित होता है कि सीएसटीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद की सीएएस सं. 52829-07-9 है और वह आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। पर्यावरणीय मंजूरी में सीएएस-वार अलग क्षमता प्रविष्टि का अभाव, अपने आप में, यह निर्धारित नहीं करता कि क्या विचाराधीन उत्पाद का वास्तव में विनिर्माण किया गया था; इस प्रश्न की जांच उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादक द्वारा रखे गए समकालीन उत्पादन, लागत निर्धारण और बिक्री अभिलेखों के संदर्भ में उचित रूप से की जाती है। हितबद्ध पक्षकारों ने सीएसटीएल द्वारा विनिर्मित उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई वास्तविक तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अंतर प्रदर्शित करने वाला कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता और इन अंतिम निष्कर्षों में अभिलिखित निर्धारण अपरिवर्तित रहता है।

175. इस तर्क के संबंध में कि वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के लिए सीमा पूरी नहीं होती, क्योंकि सीएसटीएल एक स्थापित विशेष रसायन विनिर्माता है और विचाराधीन उत्पाद विद्यमान व्यवसाय की मात्र एक नई उत्पाद श्रृंखला है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में विस्तार से जांच की गई है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि वर्तमान जांच के रिकॉर्ड के अनुसार आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और उसके मध्यवर्ती उत्पादों के लिए समर्पित उत्पादन लाइनों के साथ नए संयंत्र चालू किए हैं, पूर्णतः पश्चगामी एकीकृत प्रक्रिया विकसित की है, और ₹ *** करोड़ से अधिक का संयुक्त निवेश किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र और मशीनरी तथा उत्पादन लाइनों का आवेदकों के अन्य उत्पादों के साथ अतिव्यापन नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के ग्राहक उनके विद्यमान उत्पादों के ग्राहकों में साझा नहीं हैं, और विचाराधीन उत्पाद के लिए आवेदकों के विद्यमान विपणन चैनलों का उपयोग नहीं किया जाता। नियमावली में वास्तविक मंदन के रूप में क्षति की जांच के लिए उत्पादन की अवधि के संदर्भ में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

176. इस अनुरोध के संबंध में कि परियोजना रिपोर्टों को पूर्णतः गोपनीय रखा गया है, जिससे हितबद्ध पक्षकार अनुमानों की अंतर्निहित मान्यताओं की जांच नहीं कर पाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि परियोजना रिपोर्टों में अपेक्षित क्षमता उपयोग, बिक्री, लागतों, कीमतों, लाभप्रदता और व्यावसायिक रणनीति से संबंधित वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है, और उसके संबंध में दावा की गई गोपनीयता नियमावली के नियम 7 के अनुसार स्वीकार की गई है। ये रिपोर्टें प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं, और घरेलू उद्योग का अनुमानित और प्राप्त निष्पादन उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, बिक्री लागत, निवल बिक्री

वसूली, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में सूचीबद्ध अथवा सारांश रूप में प्रकट किया गया है। प्राधिकारी का विचार है कि हितबद्ध पक्षकारों को दावे की प्रकृति समझने और उत्तर देने के अपने अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अगोपनीय सूचना उपलब्ध कराई गई है।

177. मैसर्स सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड और मैसर्स सुकियान यूनिटेकॉमर्स कंपनी लिमिटेड के इन अनुरोधों के संबंध में कि सीएसटीएल और सीएफसीएल के अनुमानों का समेकन आर्थिक रूप से अतार्किक है और ऐसे समेकन के लिए अपनाई गई पद्धति प्रकट नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग की जांच समग्र रूप से किया जाना अपेक्षित है, और क्षति का आकलन घरेलू उद्योग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, न कि उसके अलग-अलग घटकों के संबंध में। सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट 2021 में और सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट 2022 में तैयार की गई थी, और अनुमानों को यांत्रिक रूप से संयोजित नहीं किया गया है, बल्कि समेकन से पूर्व दोनों घटकों के तुलनीय प्रचालन वर्षों के संदर्भ में संरेखित किया गया है। प्राधिकारी ने इसके अतिरिक्त, संस्था-विशिष्ट परियोजना रिपोर्टों और संस्था-विशिष्ट प्राप्त निष्पादन की भी जांच की है, जिनसे पता चलता है कि किसी भी घटक ने अपना-अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि इन अंतिम निष्कर्षों में की गई तुलना घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन और वास्तविक निष्पादन के बीच है, तथा वास्तविक निष्पादन पर परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित क्षमता उपयोग अथवा उत्पादन की शुरुआत से प्राप्त सर्वोत्तम तिमाही क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के आधार पर विचार किया गया है, ताकि सीएफसीएल में नए निवेश से उत्पन्न लागतों सहित प्रचालन के आरंभिक वर्षों से संबंधित उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाए।

178. इस तर्क के संबंध में कि क्षति की अवधि में संस्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, रोजगार, उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में दर्ज सुधार, और हानियों की मात्रा में कमी, वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के असंगत हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन से संबंधित जांच में क्षति की अवधि में निष्पादन की तुलना, अपने आप में, निर्णायक नहीं है, क्योंकि शून्य अथवा नगण्य प्रचालन के आधार से उत्पादन शुरू करने वाला उद्योग आवश्यक रूप से अपने मात्रात्मक मापदंडों में सुधार दर्ज करेगा। संगत तुलना निवेश करते समय अनुमानित निष्पादन और वास्तव में प्राप्त निष्पादन के बीच है। उस तुलना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन अनुमानित उत्पादन से 46% कम है, उसकी घरेलू बिक्री

अनुमानित बिक्री से 51% कम है, उसका क्षमता उपयोग अनुमानित ***% की तुलना में ***% है, और उसे ₹ *** लाख के अनुमानित लाभ तथा ₹ *** लाख के अनुमानित नकद लाभ की तुलना में ₹ *** लाख की हानि और ₹ *** लाख की नकद हानि हुई है, तथा अनुमानित ***% की तुलना में नियोजित पूंजी पर (–)***% की आय दर्ज की गई है। प्रति इकाई हानियों की मात्रा में कमी से यह स्थापित नहीं होता कि घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित करने में समर्थ रहा है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपने प्रचालन के प्रत्येक वर्ष में हानि और नकद हानि में रहा है और लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ रहा है। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

179. इस अनुरोध के संबंध में कि सूचीबद्ध आंकड़ों से कीमत न्यूनीकरण अथवा कीमत ह्रास प्रदर्शित नहीं होता, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में उसकी निवल बिक्री वसूली की तुलना में अधिक तीव्र गिरावट आई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि वर्तमान मामले में क्षति की अवधि में सूचकांकों की प्रवृत्ति पर विश्वास करना अनुचित है, क्योंकि आधार वर्ष असामान्य रूप से उच्च आरंभिक लागतों पर केवल एक घटक के केवल तीन माह के प्रचालन को दर्शाता है, जिससे सूचकांक में उतार-चढ़ाव बाजार में प्रचलित स्थितियों के बजाय प्रचालनों में वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक मंदन के मामले में उचित तुलना अनुमानित बिक्री लागत और अनुमानित बिक्री कीमत के साथ है। उस तुलना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत अनुमानित बिक्री लागत से 11% कम थी, जबकि उसकी निवल बिक्री वसूली अनुमानित बिक्री कीमत से 36% कम थी, जिससे यह स्थापित होता है कि अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त करने के बावजूद घरेलू उद्योग निवेश के समय परिकल्पित कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ रहा। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की ₹ ***/एमटी की निवल बिक्री वसूली उसकी ₹ ***/एमटी की बिक्री लागत से कम रही, और संबद्ध आयातों की ₹ ***/एमटी की पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

180. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन का कारण उसकी अर्निंग्स कॉल और वार्षिक रिपोर्टों में प्रकट आंतरिक प्रचालन संबंधी अदक्षताएं, प्रक्रिया इष्टतमीकरण और उत्पादन बढ़ाने में अड़चनें हैं, और उचित गैर-आरोपण विश्लेषण नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में गैर-आरोपण विश्लेषण में जांच की गई है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि वर्तमान जांच में क्षति की जांच इष्टतम क्षमता उपयोग पर घरेलू उद्योग के निष्पादन के आधार पर की गई है, ताकि प्रचालन की आरंभिक अवधि में आरंभिक अदक्षताओं, कम क्षमता उपयोग और उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव आकलन से बाहर रहे, और यह कि हितबद्ध पक्षकारों ने

प्रक्रिया हानियों, बैच चक्र समय अथवा अस्वीकृति दरों को परिमाणित करने वाली कोई सूचना अथवा साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि विश्वास किए गए सार्वजनिक वक्तव्य समग्र रूप से आवेदकों के हिंडर्ड एमीन लाइट स्टेबिलाइज़र खंड से संबंधित हैं, जिसमें एचएएलएस 944, एचएएलएस 622, एचएएलएस 119, एचएएलएस 783 और एचएएलएस 701 सहित अनेक उत्पाद शामिल हैं, न कि केवल विचाराधीन उत्पाद से, जबकि प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सत्यापित सूचना पर विश्वास किया है। यह भी नोट किया जाता है कि सार्वजनिक वक्तव्यों में उल्लिखित अड़चन-निवारण जांच की अवधि से पूर्व हुआ था, और मालसूची के संचय, जिसके कारण घरेलू उद्योग को बीच-बीच में उत्पादन में कटौती करनी पड़ी, की व्याख्या विश्वास किए गए प्रचालन संबंधी कारकों से नहीं होती। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

181. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई औसत नियोजित पूंजी पर 22% की आय अत्यधिक और अनुचित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली हेतु विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी पर उचित आय की अनुमति दी जाए। प्राधिकारी ने इस प्रयोजन से सभी जांचों में औसत नियोजित पूंजी पर 22% की कर-पूर्व आय की सतत रूप से अनुमति दी है, और उक्त आय की अनुमति एकरूप रूप से दी जाती है तथा इसका निर्धारण किसी समय विशेष पर प्रचलित ब्याज दर के संदर्भ में नहीं किया जाता, क्योंकि इस आय का आशय ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ को एक साथ शामिल करना है। प्रदर्श-क के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई जुरोंग, सिंगापुर स्थित बीएएसएफ समूह की एक साइट की नियोजित पूंजी पर आय एक भिन्न उत्पादक, एक भिन्न उत्पाद और एक भिन्न बाजार से संबंधित है, और वर्तमान जांच में अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित पद्धति से विचलन का आधार प्रदान नहीं करती। वर्तमान जांच में प्राधिकारी की सतत परिपाटी से विचलन को आवश्यक बनाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

182. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन की गणना करते समय आवेदकों की उच्च स्थिर लागतों और आरंभिक लागतों का प्रभाव हटाया जाना चाहिए, और मैसर्स सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड के इस अनुरोध के संबंध में कि प्रकटन विवरण में अभिलिखित पद्धति की पुष्टि की जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में क्षतिरहित कीमत का निर्धारण, जांच की अवधि और उत्पादन की शुरुआत से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त कच्चे माल और यूटिलिटीज़ के सर्वोत्तम तिमाही-दर-तिमाही उपयोग को, जांच की अवधि के दौरान प्रचलित दरों पर मूल्यांकित करते हुए अपनाकर, और परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित [***]% क्षमता उपयोग अथवा जांच की

अवधि और उत्पादन की शुरुआत से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी तिमाही में प्राप्त उच्चतम क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्थिर लागत पर विचार करके किया गया है। तदनुसार, आरंभिक चरण और घरेलू उद्योग के कम क्षमता उपयोग से संबंधित उच्च स्थिर लागतों पर क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार अपनाई गई पद्धति नियमावली के अनुबंध-III के नियम 4(iii) के अनुरूप है। उक्त पद्धति की पुष्टि की जाती है, और प्रकटन विवरण में अभिलिखित टिप्पणी तदनुसार स्पष्ट की जाती है।

183. रियानलॉन समूह और बीएएसएफ समूह के इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क, यदि सिफारिश की जाती है, दो वर्ष की अवधि तक सीमित किया जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(5) में यह प्रावधान है कि उक्त धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक पहले प्रतिसंहृत न किया जाए, उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, और यह कि नियमावली में, जहां परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, नियम 23 के अनुसार उपाय की समीक्षा का प्रावधान है। वर्तमान जांच घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन से संबंधित है, जो अपने प्रचालन के किसी भी वर्ष में लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ रहा है और जिसकी संचयी हानियां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन स्थापित करने में उसके द्वारा किए गए निवेश के आधे से अधिक हैं। सांविधिक अवधि से कम अवधि उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को साकार होने अथवा घरेलू उद्योग को स्वयं को स्थापित करने की अनुमति नहीं देगी। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

184. बीएएसएफ समूह के इस अनुरोध के संबंध में कि पहुंच मूल्य को विचाराधीन उत्पाद के व्यवसाय में बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अर्जित निवल मार्जिन की सीमा तक समायोजित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहुंच मूल्य का निर्धारण, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, आयात के पत्तन पर आयातों के निर्धारणीय मूल्य के साथ लागू मूल सीमा शुल्क और उतराई प्रभारों को जोड़कर किया गया है, और यह उस कीमत को दर्शाता है जिस पर संबद्ध सामान भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं। उक्त पहुंच मूल्य की तुलना कारखानागत स्तर पर निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से की जाती है। किसी संबंधित आयातक द्वारा भारत के भीतर उसकी बाद की पुनर्बिक्री पर अर्जित मार्जिन आयात-पश्चात का तत्व है, जो पहुंच मूल्य का भाग नहीं है और उसमें से घटाए जाने योग्य नहीं है। इस अनुरोध को स्वीकार करने से क्षति मार्जिन का निर्धारण उस कीमत के संदर्भ में होने के बजाय जिस पर संबद्ध सामान भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं, संबंधित संस्थाओं के समूह के भीतर आंतरिक वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में होगा, और इससे संबंधित आयातक के माध्यम से निर्यात करने वाला उत्पादक असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात करने वाले उत्पादक की तुलना में अधिक अनुकूल स्थिति में आ जाएगा। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

185. निचले स्तर के मास्टरबैच उद्योग पर शुल्क के प्रभाव, एमएसएमई प्रयोक्ताओं की सीमित कीमत निर्धारण क्षमता, घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता की एकरूपता, एकल घरेलू आपूर्तिकर्ता पर बाजार की निर्भरता और आपूर्तिकर्ता बदलने पर ग्राहक अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अनुरोध इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांचे गए तर्कों की पुनरावृत्ति हैं। प्राधिकारी दोहराते हैं कि निचले स्तर के उत्पाद की कीमत पर सिफारिश किए गए शुल्क का प्रभाव 0.8% से कम परिमाणित किया गया है; यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है कि मास्टरबैच की लागत में इस स्तर की वृद्धि को मूल्य श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता; घरेलू उद्योग की *** एमटी की संस्थापित क्षमता जांच की अवधि के दौरान भारत में *** एमटी की संपूर्ण मांग से अधिक है, जिससे मांग-आपूर्ति का कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता; पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते, बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि वे उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें; और प्रयोक्ताओं तथा आयातकों ने स्वयं रिपोर्ट किया है कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं। रिकॉर्ड में रखे गए ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के साथ बातचीत केवल कीमत पर हुई थी और गुणवत्ता के संबंध में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई थी, और घरेलू उद्योग ने स्वयं संबद्ध सामानों का निर्यात किया है तथा अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाई है। घरेलू उत्पादन की शुरुआत से पूर्व प्रचलित आयात कीमतें अधिक थीं, और प्रयोक्ता उद्योग ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि उस अवधि के दौरान उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार अथवा निर्यात निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

186. घरेलू उत्पादन बंद होने के परिणामों, समान अवसर की बहाली और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन से संबंधित घरेलू उद्योग के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय का उद्देश्य पाटन के क्षतिकारक प्रभाव को निष्प्रभावी करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बहाल करना है, और यहां सिफारिश किया गया उपाय घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित है। आवेदकों की पर्यावरणीय परिपाटियों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों से संबंधित विचार, यद्यपि नोट किए गए हैं, नियमावली के अंतर्गत किए जाने वाले अपेक्षित निर्धारण का भाग नहीं हैं।

187. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि चीन जन.गण. के उत्पादक चीन सरकार के राजसहायता कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत एक पाटनरोधी जांच है, और प्रतिसंतुलनकारी राजसहायताओं का अस्तित्व है या नहीं, यह इन कार्यवाहियों में निर्धारण का विषय नहीं है।

188. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की शेष प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है और पाते हैं कि वे जांच के दौरान पहले ही किए गए और इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांचे गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं। ऊपर यथा-अभिलिखित के सिवाय, दिनांक 16 सितंबर 2026 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों की पुष्टि की जाती है।

ठ. निष्कर्ष

189. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों, तथा ऊपर यथा-अभिलिखित प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और पाटन, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन के रूप में क्षति तथा कारणात्मक संपर्क के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. वर्तमान जांच, यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) के आयातों के संबंध में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत शुरू की गई थी।

ii. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड जांच की अवधि के दौरान समान वस्तु के संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं, संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, और तदनुसार वे नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" हैं तथा नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की सीएएस सं. 52829-07-9 है, वह संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय के अंतर्गत उसकी समान वस्तु है। उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति अपनाने को आवश्यक बनाने वाला कोई उत्पाद विभेदन स्थापित नहीं हुआ है।

iv. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति की अवधारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया है, जिसका निर्माण घरेलू

उद्योग की उत्पादन लागत के संदर्भ में, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करते हुए किया गया है। यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगी उत्पादक की कारखानागत घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

v. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक और काफी हैं।

vi. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार संबद्ध आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन की अपेक्षाएं पूरी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा क्रमशः न्यूनतम और सीमा स्तरों से अधिक हैं, और संबद्ध देशों से आयातों के बीच परस्पर तथा ऐसे आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संचयी आकलन उचित है।

vii. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और उसके मध्यवर्ती उत्पादों के लिए समर्पित उत्पादन लाइनों के साथ नए संयंत्र चालू किए हैं, जिनमें ₹ *** करोड़ से अधिक का संयुक्त निवेश हुआ है, और आवेदकों की विद्यमान अवसंरचना, ग्राहकों अथवा विपणन चैनलों के साथ कोई वास्तविक अतिव्यापन नहीं है। घरेलू उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, और उसे हुई क्षति किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की प्रकृति की है।

viii. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप में वृद्धि हुई, ये भारतीय खपत के ***% थे और घरेलू उत्पादन के ***% के बराबर थे, और जांच की अवधि के दौरान भारत में होने वाले आयातों का लगभग संपूर्ण भाग थे। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत पूरी जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही। यद्यपि घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत के संदर्भ में निर्धारित कीमत कटौती नकारात्मक है, तथापि घरेलू उद्योग, लंबे समय से स्थापित वितरण संबंधों वाले आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा नया उत्पादक होने के कारण, ग्राहक प्राप्त करने के लिए आयातों की पहुंच कीमत से कम पर बिक्री करने के लिए विवश था, और संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत में ***% की कटौती की।

ix. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली उसकी अनुमानित बिक्री कीमत से 36% कम थी, जबकि उसकी बिक्री लागत अनुमानित बिक्री लागत से केवल 11% कम थी। तदनुसार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

x. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी निवेश करते समय अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम रही, उसका उत्पादन अनुमान से ***% कम और उसकी घरेलू बिक्री ***% कम रही तथा उसका क्षमता उपयोग अनुमानित ***% की तुलना में ***% रहा, यद्यपि उसकी *** एमटी की संस्थापित क्षमता भारत में संपूर्ण मांग से अधिक है।

xi. पूरी क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी, जिसके कारण घरेलू उद्योग को बीच-बीच में अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी।

xii. घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन के प्रत्येक वर्ष में, उसके द्वारा अनुमानित लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय के विपरीत, वित्तीय हानि और नकद हानि हुई है तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है, और उसकी संचयी हानियां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन स्थापित करने में उसके द्वारा किए गए निवेश की तुलना में काफी अधिक हैं। घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xiii. गैर-आरोपण विश्लेषण में जांचे गए अन्य ज्ञात कारकों, अर्थात् तीसरे देशों से आयात, मांग में संकुचन, खपत के पैटर्न में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में विकास, उत्पादकता, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन, आवेदकों के अन्य उत्पादों का निष्पादन, आरंभिक अदक्षताएं और प्रचालन संबंधी चुनौतियां तथा संयंत्र बंदी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

xiv. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है, और ऐसे पाटित आयातों तथा इस प्रकार हुए वास्तविक मंदन के बीच कारणात्मक संपर्क विद्यमान है।

xv. संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।

xvi. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध नहीं है। निचले स्तर के उत्पाद की कीमत पर शुल्क का प्रभाव 0.8% से कम परिमाणित किया गया है। घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, और पाटनरोधी शुल्क लगाने से न तो आयात प्रतिबंधित होंगे और न ही संबद्ध सामानों की कमी अथवा भारतीय बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।

ड. सिफारिश

190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना प्रस्तुत करने और जांच में उठने वाले मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है, कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन हुआ है और कि ऐसा वास्तविक मंदन पाटित आयातों के कारण हुआ है, प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।

191. प्राधिकारी, नियमावली के नियम 17(1)(ख) के दूसरे परंतुक के अनुसार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

192. ऊपर यथा-स्थापित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	सामान का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (यूएसडी/एमटी)
1	2	3	4	5	6	7
1	29333990, 38123990	बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड	469.00
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	रियानलॉन काइया कंपनी लिमिटेड	646.00

3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 और 2 के अतिरिक्त कोई अन्य	1070
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	1070
5	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच	1,565.00
6	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	क्र.सं. 5 के अतिरिक्त कोई अन्य	2,052.00
7	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	2,052.00

*टिप्पणी: सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के उप-शीर्ष 29333990 और 38123990 के अंतर्गत किया जाता है।

193. उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट पाटनरोधी शुल्क की व्यक्तिगत दरों का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नानुसार होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेचे गए बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) की (मात्रा) का

विनिर्माण (देश) में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।'

194. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो "कोई अन्य" उत्पादक पर लागू शुल्क दर लागू होगी। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

195. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम और नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th September, 2026

Case No. – AD (OI) – 29/2025

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of BIS (2,2,6,6 Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate ("UV 770") originating in or exported from European Union and China PR.

F. No. 6/32/2025-DGTR :-Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the "Anti-Dumping Rules" or the "Rules").

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), pursuant to an application duly filed by Clean Science and Technology Limited ("CSTL") and Clean Fino-Chem Limited ("CFCL") (hereinafter collectively referred to as the "Applicants" or the "Domestic Industry"), had requested the imposition of anti-dumping duty on imports of Bis (2,2,6,6 Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770) (hereinafter also referred to as the "Product under Consideration" or "PUC" or the "Subject Goods") originating in or exported from the European Union ("EU") and China PR (hereinafter collectively referred to as the "Subject Countries").

2. Whereas, upon examination of the application duly substantiated and filed by the Applicants, the Authority, in accordance with Rule 5 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "Anti-Dumping Rules"), issued a public notice vide Notification No. 6/32/2025-DGTR dated 27 September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the Product under Consideration from the Subject Countries. The investigation was initiated for the purpose of determining the existence, degree and effect of any alleged dumping of the Subject Goods and, consequent thereto, for determining whether the imposition of anti-dumping duty was warranted and, if so, the quantum of such duty that would be adequate to remove the injury allegedly caused to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1. Initiation

i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Section 9A of the Act and Rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.

ii. The Authority issued a public notice dated 27th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of product under consideration from the subject countries.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers, as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

3.2. Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

3.3. Participation by Producer/Exporter

i. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

ii. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. BASF Hong Kong Ltd, China PR
b. BASF SE, Germany
c. Bioray Chemical Co Ltd, China PR
d. Hangzhou Disheng Import and Export Co Ltd, China PR
e. NLC Industry (Hong Kong) Co. Ltd, China PR
f. Qingdao Richkem Co Ltd, China PR
g. Qingdao Unichem International Trade, China PR
h. Rianlon Corporation, China PR
i. Riseway International Ltd, China PR

j. SABO S.p.A., Italy
k. Suqian Unitecommerce Company Limited, China PR
l. Unitechem (Shanghai) Co., Ltd, China PR
m. Yantai Sunshow Chemical Technology Co. Ltd, China PR

iii. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
a. BASF Lampertheim GmbH, EU
b. BASF SE, EU
c. BASF Hong Kong Limited, China PR
d. Rianlon Corporation, China PR
e. Rianlon Kaiya Company Limited, China PR
f. Rianlon Technology Company Limited, China PR
g. Siquan Unitech Corp. Ltd, China PR
h. Siquan Unitecommerce Co. Ltd., China PR

3.4. Participation by Importers/Users

i. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
a. Alok Industries
b. Alok Master Batches Private Limited
c. Ampacet Speciality Products Private Limited
d. Bajaj Plast Private Limited
e. Bajaj Polyblends Private Limited
f. Bajaj Superpack India Private Limited
g. BASF India Limited
h. Blend Colours Private Limited
i. Chandra Mukhi Impex Limited
j. Chemvera Specialty Chemicals Private Limited
k. Cloud Chemicals
l. Cocreate Global Technologies Private Limited
m. Coraplast Industries
n. D D International
o. Deep Polymers Private Limited
p. Diwan Mundhra Bros Private Limited
q. Environ Speciality Chemicals Private Limited
r. Flexituff Ventures International Limited
s. G M Technochem Private Limited
t. High Grade Industries (India) Private Limited
u. J J Plastalloy Private Limited
v. Kandoi Fabrics Private Limited

w. Kandui Industries Private Limited
x. Kanpur Plastipack Limited
y. Konkan Speciality
z. Konkan Speciality Poly Products Private Limited
aa. Lanya Chem Industries Private Limited
bb. Laveek Addchem
cc. LG Polymers India Private Limited
dd. Makwell Plastisizers Private Limited
ee. Manya Polychem Private Limited
ff. Masterplast India Private Limited
gg. Minolta Chem
hh. Mobelchem Specialty Private Limited
ii. Perfect Colourants And Plastics Private Limited
jj. Petrotech Chemica Private Limited
kk. Plasmix Private Limited
ll. Plastene India Limited
mm. Plastene Polyfilms Limited
nn. Plastiblends India Limited
oo. Poly World
pp. Polycromax Compounds
qq. Polyone Polymers India Private Limited
rr. Prabhu Poly Color Limited
ss. Prakash Chemicals Private Limited
tt. Rainbow Polychem
uu. Ras Polytex Private Limited
vv. Reena Organics Private Limited
ww. Rudraksh Polychem
xx. S K Polymers
yy. Samtone Industries
zz. Servo Plastics Private Limited
aaa. Shakti Polyweave Private Limited
bbb. Shree Sales Corporation
ccc. Shri Ambica Polymer Private Limited
ddd. Shri Jagdamba Polymers Limited
eee. Soltex Petro Products Limited
fff. Sonali Polyplast Private Limited
ggg. Styrenix Performance Materials Limited
hhh. Supreme Petrochem Limited
iii. Trigon Specialty Chem LLP
jjj. Welset Plast Extrusions Private Limited
kkk. Zetchem Supply Chain Services Private Limited

ii. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India.

iii. In response to the initiation of the subject investigation, BASF India Limited responded by filing importer questionnaire response.

3.5. Period of Investigation and Injury Period

i. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. Further, since the applicants have been operational only from 2022-23, relevant operational period has been considered.

3.6. Further Procedure

i. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassies of the subject countries, all the known exporters/producers, importers/users and the domestic industry. The following parties responded to the Economic Interest Questionnaire.
   i. The domestic industry
   ii. BASF India Limited
   iii. Siquan Unitech Corp. Ltd, China PR
   iv. Siquan Unitecommerce Co. Ltd., China PR
   v. Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India

ii. An economic interest questionnaire was also shared with the Ministry of Chemicals & Fertilizers. The same has been reshared with them vide email dated 10th September, 2026.

iii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 10th February 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

iv. Submissions were filed in the subject investigation on behalf of the following interested parties including producers, exporters, users, and importers as well as association of users.
   i. Domestic industry
   ii. 'Delegation of the European Union to India' or 'European Commission' Rianlon Corporation, China PR
   iii. Rianlon Kaiya Company Limited, China PR
   iv. Rianlon Technology Company Limited, China PR
   v. BASF Lampertheim GmbH, EU
   vi. BASF SE, EU
   vii. BASF Hong Kong Limited, China PR

viii. Suqian Unitech Corp. Ltd, China PR
ix. Suqian Unitecommerce Co. Ltd., China PR
x. BASF India Limited
xi. Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India

v. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

vi. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

vii. The non-injurious price ("NIP") based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, as per information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

viii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.

ix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

x. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xi. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.

xii. '***' in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for

conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this final findings. Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

xiv. The projected figures wherever used in these final findings, including those relating to production, capacity utilisation, domestic sales, market share, cost of sales, selling price, profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry, are based on the project reports submitted by the domestic industry, namely the project report of CSTL prepared in 2021 and the project report of CFCL prepared in 2022, duly signed by the management of the respective companies and consolidated by reference to the comparable operating years of the two constituents. The said project reports have been furnished on confidential basis and the confidentiality claimed in respect thereof has been accepted by the Authority in terms of Rule 7 of the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by other interested parties

4. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article.

(i) The Rianlon Group, BASF Group and CMMAI submitted that the PUC is a specifically identified chemical compound, BIS (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770), bearing CAS No. 52829-07-9**,** whereas the petition at several places refers to the product manufactured by CSTL as the "like article". They contended that the Authority should verify whether the product manufactured by CSTL corresponds to the exact PUC as defined in the investigation.

(ii) They further submitted that CSTL's environmental clearance does not separately specify UV 770 or an exclusive production capacity for the PUC. According to them, this creates doubt regarding whether CSTL was actually manufacturing the product falling within the defined scope of the PUC during the relevant period.

(iii) Accordingly, the interested parties requested the Authority to verify the product manufactured and commercially sold by CSTL, its specifications and relevant production records, to ascertain whether the product manufactured by CSTL is technically and commercially substitutable with the imported PUC and consequently qualifies as a like article to the PUC.

C.2. Submissions by the domestic industry

5. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:

(i) The Domestic Industry submitted that both CSTL and CFCL manufacture the subject goods bearing CAS No. 52829-07-9, corresponding to the PUC under

investigation. It stated that CSTL was the first domestic producer of the subject goods and CFCL subsequently commenced commercial production of the same product.

(ii) In response to the contention regarding the identity of the domestically produced product, the Domestic Industry relied upon comparative technical data sheets, customer approvals and sales to customers who also use imported UV 770. It submitted that these demonstrate that the product manufactured by CSTL and CFCL is technically and commercially substitutable with the imported PUC and constitutes a like article.

(iii) As regards the reliance placed by the interested parties on CSTL's environmental clearance, clearances are not necessarily issued with separate CAS-wise capacity specifications**,** and therefore the absence of a separately identified capacity for UV 770 does not establish non-production of the PUC. Authority may verify the relevant production and other records of CSTL and CFCL to see if the product produced is a like article.

(iv) The subject goods are classified under Chapter 29 and Chapter 38 of the Customs Tariff Act. The subject goods are imported under the codes 29333990 and 38123990. It is submitted that the Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

6. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

> *"The product under consideration is Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl) Sebacate, also known as UV 770 or Hindered Amines Light Stabilizer 770 (HALS 770). The product under consideration is a low molecular weight organic compound with chemical formula $C_{28}H_{52}N_2O_4$, having CAS number 52829-07-9. It is colourless to pale yellow in colour.*
>
> *The product under consideration is a UV light stabiliser, used to prevent degradation of polymers from exposure to ultraviolet radiation or sunlight, which result in increased life of products. The product under consideration is also referred to as UV Stabilizer 770 or Light Stabilizer 770, and is available under multiple brand names, including but not limited to Tinuvin 770, Sabostab 77, Riasorb 770 and Sunovin 770."*

7. The Authority notes that the product under consideration is Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate ("UV 770")**,** bearing CAS No. 52829-07-9. The Authority has examined the contention of the interested parties that the use of the expression "like article" in the application and the absence of a separately identified UV 770 capacity in CSTL's environmental clearance cast doubt on whether CSTL manufactures the exact PUC. The Authority notes that the expression "like article" is a term recognised under

the Anti-Dumping Rules and the relevant consideration is whether the product manufactured domestically is identical or, in the absence of an identical product, has characteristics closely resembling those of the imported PUC.

8. The Authority has examined the information furnished by CSTL and CFCL concerning the product manufactured by them, including the product description, CAS number, technical specifications, production and sales records and comparative technical information placed on record. It is noted that the product manufactured by CSTL and CFCL bears CAS No. 52829-07-9, which is the same CAS number as the PUC. The information on record further shows that the domestically manufactured product and the imported subject goods have comparable technical characteristics and specifications and are intended for the same end uses. The Domestic Industry has also placed on record information regarding customer approvals and sales to customers using imported UV 770, which supports commercial interchangeability between the domestically produced and imported products. The interested parties have not placed on record evidence demonstrating any material technical or commercial difference that would warrant exclusion of the product manufactured by CSTL or CFCL from the scope of the like article.

9. As regards the environmental clearance relied upon by the interested parties, the Authority considers that the absence of a separate CAS-wise capacity entry for UV 770 in such clearance cannot, by itself, determine whether the PUC was actually manufactured. The question of manufacture is appropriately examined with reference to the production process and contemporaneous production, costing and sales records maintained by the producers. Having regard to the information and evidence on record, the Authority considers that the product manufactured by CSTL and CFCL is identical to, or in any event closely resembles and is technically and commercially substitutable with, the PUC imported from the subject countries**.** The Authority, therefore, considers the product manufactured by CSTL and CFCL as the "like article" to the product under consideration within the meaning of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

10. The Authority, vide the Initiation Notification, had also invited comments on adoption of a PCN methodology. No interested party sought adoption of a PCN methodology and no product differentiation warranting a PCN-wise comparison was identified. Accordingly, the Authority did not consider it necessary to adopt any PCN methodology in the present investigation.

11. The subject goods are imported under HS Codes 29333990 and 38123990, though the customs classification is only indicative and not binding on the scope of the PUC.

12. The Authority has determined to retain the scope of the Product under Consideration as notified at the time of initiation. Accordingly, the PUC is BIS (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770/HALS 770), having chemical formula $C_{28}H_{52}N_2O_4$ and

CAS No. 52829-07-9, used as a UV light stabiliser for polymers and also sold under various trade names such as Tinuvin 770, Sabostab 77, Riasorb 770 and Sunovin 770.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by other interested parties

13. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The Rianlon Group, BASF Group and CMMAI submitted that CSTL's eligibility as a domestic producer should first be established by verifying its actual commercial production of the PUC. According to them, CSTL cannot qualify as a domestic producer merely on account of CFCL being its wholly owned subsidiary.

ii. They further submitted that CSTL and CFCL should not be mechanically clubbed for injury analysis, particularly since they commenced production at different points of time. Suqian Group also contended that the performance, project reports and circumstances of each producer should be examined separately before undertaking any consolidated assessment.

iii. The interested parties accordingly contended that the Authority should determine the producer status and relevant production of each applicant separately before determining the scope of the Domestic Industry and its standing under Rules 2(b) and 5(3).

D.2. Submissions by the domestic industry

14. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The Domestic Industry submitted that CSTL and CFCL are the only producers of the subject goods in India**.** CSTL commenced commercial production of the PUC in ***, while CFCL subsequently commenced commercial production in ***. Accordingly, the applicants constitute the Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfy the requirements of standing under Rule 5(3)**.**

ii. In response to the objection regarding CSTL's producer status, the Domestic Industry submitted that both CSTL and CFCL have actually produced the subject goods and furnished their production, sales, injury and costing records for verification. It contended that CSTL's inclusion in the Domestic Industry is based on its own production of the PUC and not merely on its shareholding in CFCL**.**

iii. As regards consolidation, the Domestic Industry submitted that CFCL is a wholly owned subsidiary of CSTL and both entities are the domestic producers of the PUC, and constitute domestic industry of like product**.** It maintained that consolidated injury information has been furnished for the Domestic Industry, while company-specific information and separate project reports of CSTL and CFCL are also available for examination by the Authority.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

16. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article, or those whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production of such article. The application in the present investigation has been filed by Clean Science and Technology Limited (CSTL) and Clean Fino-Chem Limited (CFCL)**.**

17. The Authority has examined the contention that CSTL should not form part of the Domestic Industry unless its independent production of the PUC is established. As already examined under the PUC and like article section, the product-specific production, sales, stock and costing records on record establish manufacture of the subject goods **by** CSTL from *** and CFCL from ***. Thus, CSTL's inclusion as a domestic producer is based on its own production of the like product and not merely on its corporate relationship with CFCL.

18. The Authority further notes that CSTL and CFCL are the only known producers of the like article in India and together account for the entire Indian production of the subject goods**.** The Authority also notes that the Applicants have neither imported the PUC into India nor are they related to any exporter of the Subject Goods in the Subject Countries or to any importer of the PUC in India**.** Accordingly, there is no ground for their exclusion from the scope of the Domestic Industry under Rule 2(b).

19. As regards the contention that CSTL and CFCL should not be consolidated merely because they are related entities and commenced production at different points of time, the Authority notes that their consideration together is not based on their holding-subsidiary relationship, but on the fact that both are domestic producers of the like article and together constitute the Domestic Industry. Their different commencement dates and operating histories are relevant for examining material retardation and the various injury parameters and have been considered appropriately in the injury examination; however, the same does not warrant exclusion of either producer from the Domestic Industry.

20. The production of the Applicants and their respective share in total domestic production during the POI are given in the table below.

SN	Particulars	Unit	POI
A	**Applicants**	MT	***
1	Clean Science & Technology Ltd.	MT	***
2	Clean Fino Chem Ltd	MT	***
B	**Other Producers**	**MT**	-
C	**Total**	**MT**	***
	% share		
1	Clean Science & Technology Ltd.	%	40-50
2	Clean Fino Chem Ltd	%	50-60
	Total	%	100

21. Accordingly, the Authority considers CSTL and CFCL collectively as the Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules as the Applicants account for the entire domestic production of the like article. The Authority further considers that the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3)**.** The injury information has accordingly been considered for the Domestic Industry as a whole, while entity-specific circumstances have been examined separately wherever relevant for the assessment of injury and material retardation.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties

22. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

i. The interested parties submitted that the indexed sales figures disclosed by the Domestic Industry are incorrect when compared with the disclosed import information. According to them, correctly indexed sales figures would show substantially higher sales than reported by the Domestic Industry, and the discrepancies in the non-confidential version should be rectified.

ii. The interested parties contended that the projections have been claimed confidential in entirety without providing an adequate non-confidential summary or range**.** According to them, this prevents examination of the assumptions, methodology, benchmarks and financial projections relied upon by the Domestic Industry and, therefore, does not permit meaningful scrutiny of the evidence forming the basis of the material-retardation claim.

E.2. Submissions by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.

i. The Domestic Industry submitted that the responding exporters/producers have claimed excessive confidentiality contrary to Trade Notice No. 10/2018**.** In particular, Suqian and BASF have not disclosed details of their production facilities, while Rianlon and BASF have claimed confidentiality over information relating to the production process, product catalogue, shareholders, raw materials, affiliates and channels of distribution.

ii. It further submitted that Suqian has not disclosed the basis of exchange rate, cost-accounting methodology and treatment of by-products/scrap**,** while BASF has claimed confidentiality over its technical data sheet, exchange rates, value chain and basis for claiming level-of-trade adjustment. The exporters/producers have also not adequately disclosed the methodology for adjustments claimed for fair comparison. Further, CMMAI has not disclosed its membership and has claimed its calculation of the impact of proposed duties as confidential**.**

iii. In response to the confidentiality objections raised by interested parties on the sales figures disclosed by the domestic industry, the sales figures derived by the interested parties from indexed demand and import data are incorrect. The index figures are based on actual confidential data furnished to the Authority which can be verified.

iv. The Domestic Industry submitted that the project reports, underlying assumptions, methodology, benchmarks and financial projections are commercially sensitive and have been furnished confidentially to the Authority for verification, while projections have been provided in indexed form. It maintained that use of a common base permits meaningful comparison between projected and achieved performance, whereas separately rebasing both series would not. It further submitted that disclosure of the methodology underlying the projections would adversely affect its commercial interests and that the shutdown details are also confidential and have been furnished to the Authority**.**

E.3. <u>Examination by the Authority</u>

24. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows:

> *"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information"

25. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under.

26. As regards comments by the interested parties on the alleged discrepancy in the indexed sales figures, the Authority has examined the data filed. It is seen that the calculations made by the interested parties are derived from disclosed indexed demand and import information. The Authority has examined the actual information furnished by the Domestic Industry and has relied upon the verified sales figures for the injury analysis.

27. With regard to market share, the Authority notes that disclosure of the absolute market share of the Domestic Industry, read with the available demand information, may permit derivation of its confidential sales volume. The relevant information has, therefore, been disclosed in an indexed/summarised form. The Authority considers the confidentiality claimed in this regard to be justified.

28. As regards the project reports and projections, the Authority notes that the reports contain commercially sensitive information relating to expected capacity utilisation, sales, costs, prices, profitability and business strategy. The reports have been furnished confidentially for examination by the Authority, while the projected and actual performance has been disclosed in indexed form. The Authority considers that the confidentiality claimed over the underlying proprietary information is justified, subject to the requirement that the non-confidential disclosure provides a reasonable understanding of the information relied upon.

29. The Authority has further examined the Domestic Industry's objections regarding confidentiality claimed by the responding exporters/producers in respect of their production facilities and process, raw materials, cost-accounting methodology, treatment of by-products/scrap, exchange rates, channels of distribution, value chain and methodology for adjustments, including level-of-trade adjustments. The confidentiality claims have been examined on their merits and accepted only to the extent considered commercially sensitive and duly justified. The Authority notes that sufficient non-confidential information has been made available to enable the parties to understand the nature of the claims and make their submissions. Where the Domestic Industry itself had access to relevant product information, including BASF's technical specifications,

no material prejudice is found to have arisen from the confidentiality claimed over such information.

30. With regard to CMMAI not disclosing the information on impact of duties, the Authority notes that the impact analysis contains user-specific consumption and commercial information. Disclosure of such information may reveal commercially sensitive information of individual users. The confidentiality claimed over such user-specific information is, therefore, considered justified. The Authority has nevertheless examined the underlying information for the purpose of the public-interest assessment.

31. The Authority also notes that the details relating to plant shutdowns have been furnished on a confidential basis. Considering their commercially sensitive nature, the confidentiality claim has been accepted. The effect of the shutdowns, has been examined separately under the injury and non-attribution analysis and is not determined merely on the basis of the confidentiality claim**.**

32. Accordingly, the Authority has accepted confidentiality wherever warranted and supported by good cause, while ensuring, to the extent possible, that sufficient non-confidential information is available to enable the interested parties to meaningfully exercise their right to respond.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by other interested parties

33. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.

i. The interested parties submitted that Proforma IV-A indicates that the Domestic Industry did not export the subject goods and requested verification of whether any exports were made. They also sought clarification as to whether the information reported for 2022-23 in Proforma IV-A has been annualised**.**

ii. CFCL's capacity for the subject goods is reported at 6,000 MT, which exceeds the domestic demand. It was further contended, based on submissions of users, that only CFCL supplies the subject goods and, therefore, the relevance of considering CSTL's information should be examined.

iii. The interested parties contended that the project reports of CSTL and CFCL cannot be mechanically consolidated, as they were prepared at different times for different entities. They further submitted that CSTL's project report concerns specialty chemicals whereas CFCL's report concerns the subject goods, and sought clarification regarding the date, scope and methodology adopted for consolidation of the projections**.**

iv. They further questioned the consolidation of unmaterialised projections of CSTL with those of CFCL**,** contending that the comparison does not adequately account for the initial fixed costs associated with fresh investment. They also questioned

the projected increase in profitability during the POI vis-à-vis 2023-24 and submitted that the methodology underlying the projections and their consolidation had not been adequately explained.

F.2. Submissions by the domestic industry

34. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.

i. The Domestic Industry submitted that it has furnished the details of exports of the subject goods and that the discrepancy in the non-confidential version arose from a linking error in the indexed export figures.

ii. It clarified that the base-year information represents only three months of operations and that, if annualised, the capacity achieved in the base year is comparable with the projected capacity for the corresponding period.

iii. The Domestic Industry further submitted that Proforma IV-A pertains to both CSTL and CFCL and that omission of CFCL's name on one page was inadvertent. It maintained that the injury information has been consolidated for both applicants.

iv. It stated that the project report for CSTL was prepared in *** and that for CFCL in ***. The Domestic Industry submitted that the projections of the two entities were not mechanically combined and were aligned by comparable operating years for consolidated comparison, while company-specific comparisons are also available.

v. The Domestic Industry also rebutted the contention that CFCL has 6,000 MT capacity for the PUC, stating that the PUC-specific installed capacity is *** MT at CFCL and *** MT at CSTL. It further maintained that CSTL is also a producer of the subject goods and that its information is therefore relevant to the injury analysis.

F.3. Examination by the Authority

35. With regard to exports, the Authority notes that the Domestic Industry has exported the Subject Goods during the relevant period. The information has been disclosed in the injury parameters examined below.

36. The other interested parties have contended that CFCL has a capacity of 6,000 MT, substantially exceeding domestic demand, and that CFCL is the sole producer supplying the Subject Goods and, therefore, CSTL's information should not be considered. The Authority has examined the information on record and notes that the PUC-specific capacity is *** MT for CFCL and *** MT for CSTL**,** and that both CSTL and CFCL have produced the Subject Goods during the injury period. The contention regarding CFCL's capacity, and that only CFCL produces the Subject Goods is, therefore, not borne out by the information on record. The Authority further notes that the information considered for the present investigation pertains exclusively to the Subject Goods and does not include information relating to other products manufactured by the Domestic Industry. On 10th February 2026, the other interested parties sought additional clarifications regarding the information reported in Proforma IV-A and the projections furnished by the Domestic Industry. The Domestic Industry, vide submission dated 11th

February 2026, clarified that the injury information in Proforma IV-A pertains to both Applicants and that the information for 2022-23 has not been annualised. It also provided the relevant period of preparation of the project reports, namely *** for CSTL and *** for CFCL. The Authority has examined these clarifications and the information on record and has taken the same into account for the purposes of the injury analysis.

37. As regards consolidation of the project reports, the Authority notes that separate project reports were prepared for CSTL and CFCL and that the projections have been consolidated after aligning them for the relevant operating periods. The Authority considers consolidated information for assessing injury to the Domestic Industry as a whole, while the company-specific information has also been examined wherever relevant. Further, the information has been considered on a best utilisation asper projections s to neutralise the impact of high fixed costs during the initial stages of operations, so that such start-up costs do not distort the injury assessment.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by other interested parties

38. The other interested parties have requested for individual duty based on information provided as the producers and exporters have cooperated and provided complete responses.

G.2. Submissions by the domestic industry

39. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price, and dumping margin.

i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's accession protocol, and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.

ii. None of the producers/exporters have denied claims of dumping which indicates that the parties are well aware they have resorted to dumping and distorted the Indian market.

iii. The actual dumping margin is much higher than that quantified as the producers/exporters have provided post-invoicing discounts which have not been considered for export price.

iv. Considering that the producers have reported post invoicing discounts, the amounts mentioned on invoices to Indian customers must be compared with the payment received by the exporters

v. Individual duty rate may be given to producers after the due verification of the accuracy and adequacy of the information furnished.

G.3. Examination by the Authority

40. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

> *"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
> *ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
> *(a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
> *(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
> *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

41. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:
    i. BASF Lampertheim GmbH, EU
    ii. BASF SE, EU
    iii. BASF Hong Kong Limited, China PR
    iv. Rianlon Kaiya Company Limited, China PR
    v. Rianlon Corporation, China PR
    vi. Rianlon Technology Company Limited, China PR
    vii. Suqian Unitech Corp. Ltd., China PR
    viii. Suqian Unitecommerce Co. Ltd., China PR

42. It is noted that the information has been examined for accuracy and that the dumping margin has been determined based on information provided by the producers/exporters.

G.3.1. Determination of Normal value and Export Price

1. Normal value for China PR

43. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

> *"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement")*

and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.

15. (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), l4(c) and l4(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or

sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

44. The Domestic Industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and submitted that producers in China PR should be required to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the like product, particularly with regard to the manufacture, production and sale of the PUC. The Domestic Industry has further submitted that, where the responding Chinese producers fail to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value is required to be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

45. None of the producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which states as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

46. In the present case, no evidence has been brought on record by any interested party regarding the price or constructed value prevailing in a market economy third country. Further, since the PUC does not have a dedicated tariff classification, the consideration of export prices from a market economy third country to other countries, including India, is not feasible. It is also seen that imports from other countries into India are miniscule in volume, at 0.11% of total imports. These imports cannot be considered as a basis to arrive at normal value. Accordingly, the Authority has determined the normal value on the basis of the price payable in India, constructed with reference to the cost of production of the Domestic Industry, duly adjusted to account for selling, general and administrative expenses and a reasonable amount of profit.

2. Export price for China PR

Export price for Suqian Unitech Corp., Ltd.

47. During the Period of Investigation, Suqian Unitech Corp., Ltd. ("Suqian Unitech") exported *** MT of the PUC to India through its related exporter, Suqian Unit ecommerce Co., Ltd. ("Suqian Unitecommerce"), which sold the PUC to unrelated customers in India. The Authority notes that all exports of the PUC by Suqian Unitech to India during the Period of Investigation were made through its related exporter, Suqian Unite commerce.

Suqian Unitech Corp., Ltd → Suqian Unitecommerce Co., Ltd → Unrelated customers in India

48. The Authority has determined the export price on the basis of the sale price charged by Suqian Unitecommerce to unrelated customers in India. The Authority has made appropriate adjustments for ocean freight, insurance, inland transportation, port expenses, credit cost and bank charges as reported and based on the findings of the desk verification. Accordingly, the export price at the ex-factory level has been determined as set out in the dumping margin table below.

Export price for Rianlon Kaiya Company Limited

49. During the Period of Investigation, Rianlon Kaiya Company Limited ("Rianlon Kaiya") exported *** MT of the PUC to unrelated customers in India through its related exporters, Rianlon Corporation and Rianlon Technology Company Limited ("Rianlon Technology"). All the three companies have filed complete questionnaire response. Of the total quantity exported, *** MT was exported through Rianlon Corporation, while the remaining *** MT was exported through Rianlon Technology. The sales channel is given below.

Rianlon Kaiya Company Limited →Rianlon Corporation→ Unrelated customers in India

Rianlon Kaiya Company Limited → Rianlon Technology→ Unrelated customers in India

50. The Authority has determined the export price on the basis of the sale price charged by Rianlon Corporation and Rianlon Technology to unrelated customers in India. Appropriate adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland freight, port handling charges, credit costs and bank charges, based on the findings of the desk verification. Accordingly, the export price at the ex-factory level has been determined as set out in the dumping margin table below.

Export price for other producers/exporters in China PR

51. The Authority has determined the export price applicable to all other non-cooperating producers and exporters in China PR on the basis of facts available. Accordingly, the export price so determined is set out in the dumping margin table below.

3. Normal value for European Union

Normal value for BASF Lampertheim GmbH

52. During the Period of Investigation, BASF GmbH sold *** MT of the Subject Goods in the domestic market to its related entity and exported *** MT of the Subject Goods to India. Of the domestic sales, BASF GmbH sold *** MT to BASF SE which has then resold *** MT to unrelated customers. The Authority notes that the volume of domestic sales by BASF GmbH is sufficient in comparison with its exports to India and is, therefore, adequate for the determination of normal value.

BASF GmbH → BASF SE → unrelated customers

53. For the determination of normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to identify profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the Subject Goods. As more than 80% of the domestic sales were made at profitable prices, the Authority has determined the normal value on the basis of the ex-factory selling price in the domestic market. Appropriate adjustments have been made to the selling price for inland transportation, insurance, packing costs and credit costs, based on the findings of the desk verification. Accordingly, the normal value at the ex-factory level for BASF GmbH has been determined as set out in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters in European Union

54. The Authority has determined the normal value applicable to all other non-cooperating producers and exporters from the EU on the basis of facts available. Accordingly, the normal value so determined is set out in the dumping margin table below.

4. Export Price for European Union

Export price for BASF Lampertheim GmbH

55. During the Period of Investigation, BASF Lampertheim GmbH ("BASF Lampertheim") exported ***MT of the PUC to India. Of this quantity, *** MT was exported through BASF SE, which sold the PUC to its related importer, BASF India, for subsequent resale to unrelated customers in India. The remaining *** MT was exported by BASF SE through BASF Hong Kong, which sold the PUC to BASF India, which thereafter resold the same to unrelated customers in India. The sales channel is given below.

BASF GmbH → BASF SE → BASF India → Unrelated customers in India
BASF GmbH → BASF SE → BASF Hong Kong → BASF India → Unrelated customers in India

56. All the companies have filed complete questionnaire response. The Authority has considered the price at which the participating producers have exported the product to India. Appropriate adjustments have been made for ocean freight, insurance and credit costs, based on the findings of the desk verification. Accordingly, the export price at the ex-factory level has been determined as set out in the dumping margin table below.

Export Price for other producers/exporters

57. The Authority has determined the export price applicable to all non-cooperating producers and exporters on the basis of facts available. Accordingly, the export price so determined is set out in the dumping margin table below.

G.3.2. Dumping margin

58. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject countries are as follows:

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	**China PR**					
1.	Suqian Unitech Corp., Ltd.	***	***	***	***	10-20
2.	Rianlon Kaiya Company Limited	***	***	***	***	10-20
3.	Any other producer	***	***	***	***	20-30
B	**European Union**					
1.	BASF Lampertheim GmbH	***	***	***	***	60-70
2.	Any other producer	***	***	***	***	80-90

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by other interested parties

59. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. The test for establishing material retardation as set out in Morocco-Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey focuses not on merely introduction of a new product but the degree of overlap with existing infrastructure. CSTL is not a new entity, and the introduction of the new product must be examined in context of the established manufacturing, research, marketing, and distribution capabilities of CSTL. Considering CFCL is a subsidiary of CSTL, the new product line of CFCL has access to the established channels of CSTL.

ii. The domestic industry cannot be treated like a single entity, as CSTL is an established industry evident by the fact that; (a) they have made significant investments to set up new subsidiary; (b) been in production for more than 2 years. The gap between commencement of production and the period of investigation, in previous investigations has been minimal as held in cases of Fluoroelastomers, Décor paper, Induction and Veneered engineered wooden flooring.

iii. The standard of material retardation is only applicable to CFCL. CSTL is an established producer as it commenced production in 2022-23. The same was found in the anti-dumping investigation of Styrene Butadiene Rubber.

iv. The market share of the domestic industry has increased to 34% and that of the subject imports has declined to 66% in the period of investigation. The market position of the domestic industry is relevant to determine whether it has not been able to establish itself in the market. This is in line with the Panel Report in Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, and past investigations of the Authority.

v. Injury information and projections have been provided only for CSTL. In case the projections are only for CSTL, the same cannot be used for comparison with consolidated performance as it fails to account for the costs, capacities and investment of CFCL.

vi. Since the project report of CSTL relates to broader specialty chemicals and CFCL related to the subject goods, combining the project report provides distorted analysis.

vii. There is significant gap between preparation of project reports and the commencement of production. This creates significant doubts regarding the reliability of projections.

viii. It is not clear whether it was known at the time of first projections that CFCL will also be established. If CFCL expansion was planned in 2021 itself, the consolidated report would have been made in 2021 itself. If it was unplanned, then the 2021 report stands on its own and cannot be consolidated and has no relevance to fresh project report in 2022.

ix. The events indicate that the CSTL projections were achieved as expected and CFCL was established after; CSTL is an established industry, and its projections cannot be added for CFCL, and project report for CSTL has no relevance after project report for CFCL was made.

x. Projections appear to be generated ex post facto for the application. The two projections given show glaring discrepancies in cost of sales, profits, and returns. The reason from providing two projections must be given and the benchmark used must be confirmed.

xi. The Proforma IV-A shows no exports, which contradicts the public statements made by the company. It must be verified if the production has been allocated between exports and domestic markets. In view of absence of information of exports sales, the injury assessment solely on domestic sales would not accurately reflect the economic performance.

xii. The consolidation of projections of two companies has failed to account for the high fixed costs incurred in initial years of operation of fresh investments and projected more than 2 times increase in profitability in the period of investigation as compared to 2023-24.

xiii. Evidence shows that capacity of *** MT per annum was set up in CFCL for multiple products. The domestic industry is a producer of multiple HALS products and not just HALS 770. A comparison of capacity and production only for the like article must be done for accurate examination of injury.

xiv. The increase in demand is much more than the increase in subject imports. This clearly establishes that the growth in demand has been met by the domestic industry and it has been able to expand its sales in the growing market. This does not support that the imports have caused suppression of sales or prevented domestic industry from entering the market.

xv. The decline in share of imports in demand, shows that the domestic industry has developed strongly since its establishment, thereby not indicating material retardation.

xvi. Considering the demand has increased more than twice, it is unreasonable for a new producer to supply such huge volume in first year itself.

xvii. There is no price suppression as decline in cost of sales is more than decline in selling price. Further, the decline in import price is the same as decline in cost of sales, indicating the import price has declined due to decline in selling price. The price undercutting is negative. There is no price pressure.

xviii. The domestic industry has been able to set prices in line with its costs which is evident from the fact that the losses of the domestic industry have declined even with commencement of production in new plant. This shows that the domestic industry is not suffering any material retardation, but these are normal start-up conditions. It would have earned a profit if not for the fresh investments in CFCL.

xix. The landed price has declined in light of decline in costs and not due to dumping in India.

xx. The decline in selling price is not commensurate to decline in landed price. This shows that the domestic industry was not forced to match prices.

xxi. The claims of material retardation are contrary to injury information which shows growth in market share, production, capacity utilization, inventory, productivity per day, employee, per day per employee and reduction in losses.

xxii. The low-capacity utilisation is attributable to the phased commercialisation strategy for multiple products and internal business decisions of the companies and not to import competition. Earnings calls show several other products commercialised only shortly before or after the period of investigation. If capacities are used for multiple products, any underutilisation cannot be due to imports.

xxiii. Publicly made statements in Earning Calls show that the company is not facing any problem selling the subject goods and has started to receive customer approvals. Such statements are inconsistent with the claim that the dumping of subject goods has prevented establishment of an industry.

xxiv. Statements made in the Earnings Calls for post period of investigation indicate that the sales revenue has increased as compared to previous year and is mainly attributed to the light stabilizers segment.

xxv. The environmental clearance reports available in public show that the capacity of CFCL is 6,000 MT for the subject goods, which exceeds the total demand in India.

xxvi. Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement requires isolation of impact of other factors such as start-up inefficiencies, ramp-up costs, delays, demand. The same has not been done.

xxvii. Factors such as start-up difficulties, market development efforts, customer trials, and gestation period are normal and must be distinguished from injury caused due to imports.

xxviii. The indexed figures for capacity in projected year 1 is four times the actual capacity in 2022-23. Any shortfall in production, sale or market share cannot be attributed to dumping before assessing causal link between imports and failure to implement expansion plans. It must be examined if the difference in projected capacity and implemented capacity is due to internal factors and other commercial considerations.

xxix. The decline in selling price is not on account of imports but due to discounts provided by the company, as admitted in the Earnings Calls. The domestic industry is the price setter in the market.

xxx. It is a premature application as CSTL has only been in operation for 1 year and CFCL for one month. The decline in financial performance is due to inherent startup inefficiencies and normal operational challenges of a newly established plant.

xxxi. The company has also faced bottlenecks in scaling up, as reported in Annual Reports. This would directly impact production volumes, capacity utilization, conversion costs and variable cost per unit. The Authority is requested to carry

out a careful non-attribution analysis of operational issues, rather than with movements in import volumes or import prices.

xxxii. No evidence has been given to show retardation, is due to dumping and not start-up challenges.

xxxiii. No information, transaction records, market analyses, or customer correspondence has been given in support of the causal link claimed.

xxxiv. The applicants classify the subject goods as a low-margin product within their portfolio and plans to focus on other high margin products to drive profitability.

xxxv. Strategic prioritisation of other higher-margin products explains capacity allocation and performance outcomes, further weakening any causal link between imports and alleged retardation.

xxxvi. Existence of application labs show that the domestic industry is still undergoing optimisation.

xxxvii. The details of plant shutdown have been claimed confidential. It is standard for new plants to undergo shut down for maintenance. The same cannot be attributed to imports.

xxxviii. The public statements show that the domestic industry has started exporting the subject goods. Given the limited production, diversion to exports explain the fluctuation in domestic sales and the same cannot be attributed to imports.

xxxix. Allocation of net fixed assets on sales ratio is not appropriate as the common assets are used by multiple products and the same will inflate the cost of the domestic industry since its sales volume is low. The allocation must be based on either designed capacity of each product line, actual machine utilization or batch allocation.

xl. The Authority should determine the non-injurious price based on the projected capacity utilization as per its consistent practice seen in the anti-dumping investigation concerning imports of EG steel from Korea RP.

H.2. <u>Submissions by the domestic industry</u>

60. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

i. The criteria for considering material retardation are whether the domestic industry has been able to establish itself and not the time period of production it has undertaken.

ii. The applicants have set up dedicated production lines for the subject goods and a fully integrated backward process for the subject goods.

iii. None of the customers for subject goods are common with the existing products of the domestic industry. The industry segment for subject goods are different and existing marketing channels of the domestic industry have not been utilized.

iv. In the anti-dumping investigation concerning N, N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC), the applicant in that case was in existence long before the introduction of the new product and the case was considered as material retardation.

v. The reliance of previous investigations for Fluoroelastomers, Décor paper, Induction and Veneered engineered wooden flooring is incorrect. On the other hand, in the anti-dumping investigation concerning HIIR, the domestic industry was considered as establishing when it had been in production for more than 2 years.

vi. There is no legal provision prescribing a threshold of market share for considering an industry as established. Establishment of an industry cannot be in isolation to profitability of the industry. The reliance placed on WTO Panel Report for Certain Hot-Rolled Steel from Türkiye concerns steel products with different market conditions distinct from chemical industry.

vii. Further, improvement in certain parameters indicates the efforts made by the producer to establish itself in the market. This is in line with the findings of the Authority in Anodized Aluminium Frames for Solar Panels/modules for China.

viii. The project reports have been combined after considering the relevant operational periods for both companies. Project report of only one producer cannot be considered as injury must be examined for the domestic industry as a whole and not individual constituents. This is consistent with the decisions of WTO Appellate Body and past investigations of Authority.

ix. The individual injury information and separate project reports have also been provided which show that individual performance also indicates that the establishment of the domestic industry has been materially retarded.

x. The required clarifications regarding the project reports have been provided. The project reports provided are for the subject goods only.

xi. The indexation provided to other interested parties is as per base year. Since trend change based on the base year, the trends of projected performance compared with actual and normated performance are different. The comparison in both cases would show that the domestic industry has not been able to achieve its projected performance.

xii. CSTL and CFCL have prepared the project reports in *** and *** and commenced production in 2023 and 2024 respectively. There is no significant gap in the preparation of project reports and commencement of production.

xiii. As regards concerns as why two project reports were prepared instead of one, and the sequential timing of the project reports, it may be noted that two different projects for two companies were prepared as the domestic industry to achieve projected capacity.

xiv. Other interested parties have not provided reasoning behind claiming projections for CSTL as achieved. There is no basis for treating CSTL as an established industry for subject goods as establishment of an industry is considered on product basis. Individual projections show that both applicants have not achieved respective projected performances.

xv. The subject imports have increased in period of investigation, despite the entry of domestic producers.

xvi. The share of imports in production and consumption remains high even after 2 years of operations of the domestic industry.

xvii. The subject imports continue to account for majority in demand despite the domestic industry having sufficient capacity to cater to entire demand. The subject imports have increased in the post period of investigation also.

xviii. There is no demand supply gap in the country and imports are unnecessary.

xix. Prior to production of domestic industry, the producers/exporters have derived maximum profits from the market. The import prices have reduced prices only since the entry of domestic industry in market, since the producer/exporters have dumped aggressively to prevent the domestic industry from establishing in the market.

xx. On account of being new producers, the domestic industry is not able to price its products higher than the imports prices as the foreign suppliers have longstanding relations with customers.

xxi. Since the domestic industry is establishing itself, an appropriate examination of the price effect will be a comparison of the projected cost of sales and selling price to normated costs and selling price. The same was done by the Authority in anti-dumping investigation into imports of Halobutyl-Rubber.

xxii. The landed price is below the projected selling prices, and the price undercutting is positive for projected prices and significant. Further, despite projecting a price lower than past import prices, the price undercutting is positive and significant as import prices have declined further.

xxiii. The selling price is below the cost of sales of the domestic industry.

xxiv. Despite achieving costs lower than projected, the domestic industry has been forced to sell at losses.

xxv. The selling prices are below the landed price in the period of investigation and previous year. The domestic industry has provided discounts as the customers were unwilling to purchase subject goods from them due to low priced imports.

xxvi. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry, which have declined significantly below the projected selling prices.

xxvii. It is natural for a new producer to gain market share and the same does not mean absence of injury. The market share of the domestic industry is low despite having capacity to cater to complete demand.

xxviii. The capacity utilisation of the domestic industry is significantly below the projections despite sufficient capacities being available with the domestic industry.

xxix. While production has increased on an overall basis, monthly production and inventories show that production has been curtailed due to accumulated inventories.

xxx. The sales of the domestic industry have remained below the projected sales, and they have been forced to export even before establishing in the home market.

xxxi. Due to low sales, the market share has been low despite having sufficient capacity to cater to entire demand and is significantly below the projected share.

xxxii. The domestic industry has accumulated inventories which reached its highest in the period of investigation. The inventories increased to a level that the domestic industry was forced to curtail production.

xxxiii. The domestic industry has suffered from financial losses and is unable to break even. The performance is in contrast to the profits projected.

xxxiv. Despite 2 years of operations, the domestic industry is yet to earn any returns on its investments and has only lost money since its operations. Such a situation is not sufficient for sustaining operations.

xxxv. More than half of the investments made have been wiped out due to the continuous losses incurred by the domestic industry.

xxxvi. The ability to the domestic industry to raise capital investments has been significantly hampered due to dumping of subject imports.

xxxvii. The condition has aggravated post period of investigation wherein the import prices have declined further and forced selling prices to reduce. The losses of the domestic industry have increased, and the projected performance has become even more unattainable.

xxxviii. The sales of the domestic industry have increased due to continuous reduction in selling price. The sales have increased but the same are significantly below the projections.

xxxix. While the domestic industry is able to sell its product, the same is at the expense of profits.

xl. Losses in the post period of investigation have increased as compared to period of investigation and 2023-24.

xli. Reliance on public statements and consolidated performance to claim improved sales revenue of the domestic industry is incorrect as the HALS segment includes various light stabilizers such as HALS 944, HALS 622, HALS 119, HALS 783 and HALS 701. These include high-priced products which caused increase in sales revenue for the company as a whole. Information exclusive to the subject goods has been provided which shows the subject imports have materially retarded the establishment of the domestic industry.

xlii. It is not the case that the domestic industry is unable to sell due to the increase in demand. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the total demand and still has surplus capacity available. Further, the domestic industry has suffered on price front also due to the adverse impact on prices.

xliii. The capacity has been considered based on equipment which is only connected to the subject goods. The capacity utilisation has been calculated only for subject goods. The project report and injury information have been provided for the subject goods only.

xliv. The information relied upon by the other interested parties with reference to installed capacity as environmental clearances received by the domestic industry is incorrect. The actual information and project reports provided for capacity installed for the subject goods by both applicants have been provided and must be considered.

xlv. The pricing pattern of the exporters shows deliberate efforts by foreign producers/exporters to drive out the domestic industry. There is a clear link between the dumping and impact of the same on conditions of competition.

xlvi. Reference to de-bottlenecks made in public statements as highlighted by other interested parties is part of common process for establishing and established producers. In fact, the de-bottleneck occurred prior to period of investigation, and the company has not stated that it has not been able to do so. The same does not indicate injury.

xlvii. Even in case of bottlenecked capacity, the inventories have increased which shows that sales which are not related to bottlenecks have been impacted due to dumping.

xlviii. It is immaterial that subject goods are high priced or low-priced products as the domestic industry has incurred losses. A product being low margin does not justify dumping at the expense of viability of the domestic operations.

xlix. The labs set up by the domestic industry for undertaking quality checks for suitability of its products for various applications only boost customer confidence and show that the domestic industry is conscious to maintain desired quality.

l. The costs have been normated to adjust for start-up costs in the base year. The normated costs are below projected costs, and the selling price is low due to dumping, resulting in losses. Customer communications show that selling prices have declined due to dumping.

li. Mere export of subject goods does mean that injury is due to exports. Due to dumping the domestic industry is unable to establish itself in the domestic market. Considering the fixed costs are incurred irrespective production quantity and to keep the same under control, the domestic industry has been forced to keep producing and exporting to avoid accumulated inventories.

lii. The statements made publicly are for all products in the HALS segment and cannot be considered for subject goods alone. The domestic industry has provided normated costs, which corrects the injury caused due to start-up operations.

liii. The concerns raised regarding quality are baseless as the sales of the domestic industry have increased. The customer communications show that the negotiations are solely on prices and not on quality.

liv. The customers can easily switch suppliers. The change in supplier does not need long period and a chemical test only takes approximately 30 to 45 days and no burdensome transition cost.

lv. The projected performance is not unreasonable as the projected costs is comparable to the actual costs and is only adjusted for capacity utilisation. Further, the selling price is as per landed price in previous years. Projected sales allow the domestic industry to cater to a reasonable share in the market. It is also expected to utilise at least half of its capacities.

lvi. Injury is not due to investments in new subsidiary. The domestic industry has incurred losses even before providing for depreciation and interests and CSTL has incurred losses before providing for interest.

lvii. As regards claims of the other interested parties that the domestic industry has undergone standard maintenance-related shutdowns which cannot be attributed to imports, it may be noted that the normation of costs undertaken adjusts any shutdown caused due to newly established facilities.

lviii. The costing information provided does not include the effect of higher fixed costs due to start-up inefficiencies, ramp-up costs or delays, as alleged by other interested parties. Further, demand has increased and the injury is not due to decline in demand.

lix. There is no basis to consider the present investigation as premature as the applicants have already commenced production. There is no need to be in production for a case of material retardation.

lx. Contrary to claims of interested parties, the projected cost cannot be considered as outdated as the normated costs are below such projections.

lxi. The factors listed by other interested parties have not impacted the domestic industry. In case imports enter at undumped prices, the domestic industry would earn profits based on normated costs.

lxii. In response to arguments of other interested parties that allocation of net fixed assets on sales ratio will inflate costs as sales of the domestic industry is low, the domestic industry has submitted that common assets have been allocated based on asset ratio for subject goods and other products.

lxiii. The request of the interested parties for non-injurious price to be based on projected capacity utilisation is contradictory to the claim that the domestic industry is established. Projected capacity utilisation may be referred only if the domestic industry is establishing. Further, the projected capacity utilisation considered must be the third year of operation for CSTL and second year of operation for CFCL.

H.3. Examination by the Authority

61. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such article."*. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales

volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

62. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority has noted that the present application is with respect to material retardation to the establishment of an industry. Thus, prior to undertaking a detailed injury examination, the Authority has examined whether the domestic industry was an established industry to such an extent that the same permits assessment of injury in the form of material injury, or the domestic industry was in the process of establishment and did not have sufficient past history to permit assessment of injury in the form of material injury.

H.3.1. Material retardation to establishment of an industry.

63. The WTO Anti-dumping Agreement or the Anti-Dumping Rules do not provide a definition for "material retardation". Footnote 9 to Article 3 of the Anti-Dumping Agreement merely states as follows –

> *"Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article."*

64. Similarly, Annexure II to the Rules refers to injury having been suffered in the form of 'material injury' or 'threat of material injury', to an established industry, or 'material retardation' to the establishment of industry. There is no further explanation to what constitutes material retardation to the establishment of an industry. It is, however, clear that 'material retardation' to an industry would be in reference to an establishing / unestablished industry and not an industry that is fully established.

65. In Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, the WTO Panel laid down some guidance on determining whether there is establishment of an industry. The Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established. Accordingly, the investigating authority is allowed to use any reasonable methodology which is based on assumptions and inferences. However, these inferences must be based on facts and positive evidence.

66. The Panel also observed that the investigating authority has the discretion in deciding which parameters are relevant to determine whether a new industry has been established. One of the parameters considered to be relevant by the Panel was whether the production constitutes a new 'product line' of an existing company. If an existing industry/company merely introduces a new product line, this may not be considered as

an 'establishing industry'. To examine this factor, the investigating authority would have to look into the degree of overlap in the use of overall infrastructure of the producer (including customer contacts, distribution channels, existing productive, commercial, research, and administrative assets etc.). The relevant portion of the Panel's observation is provided as under.

> *"7.211. We note, at the outset, that we do not pronounce ourselves on these factors or whether they are either prescriptive or definitive for determining whether the domestic industry is unestablished. We accept that a relevant factor may be whether the domestic industry is the only producer of the like product in question in the market. At the same time, we note that whilst there could be only one producer of that product in the market, where that product constitutes merely a new "product line" of an existing industry and benefits from the existing production, marketing and other operations, such shared operations may play an important role in determining whether a distinct new industry has been established. If an existing industry chooses to introduce a new product unlike any other product currently being produced, the introduction of that new product will not necessarily result in the creation of a new industry. It may still be perceived as the introduction of a new product line into the existing industry, depending on the degree to which the overall infrastructure (including the productive, commercial, research, and administrative assets) of the existing industry is implicated. The greater the degree of overlap in the use of overall infrastructure, the less likely the perception that the introduction of the new product marks the establishment of a new industry. The fact that a domestic industry is defined by Article 4.1 of the Anti-Dumping Agreement by reference to like product, and that there are no pre-existing producers of that like product in the domestic market, does not preclude the possibility of that domestic industry utilizing existing infrastructure such as customer contacts and distribution channels, in its introduction of that like product in the domestic market."*

67. The Authority further notes that, in an investigation concerning material retardation to the establishment of an industry, the industry concerned, by its very nature, does not possess a sufficiently long history of operations against which the movement of its economic parameters over the injury period can be meaningfully assessed. An industry which has commenced production from a base of nil or negligible operations will necessarily record improvement in its volume parameters over the injury period, and a trend analysis, which constitutes the conventional basis for assessment of material injury to an established industry, would not by itself reveal whether the establishment of the industry has been retarded. The appropriate benchmark against which the performance of such an industry is to be assessed is, therefore, the performance which the industry reasonably expected to achieve as recorded in the project report, feasibility study or business plan on the basis of which the investment decision was taken. The comparison of the actual performance of the industry with the performance projected in such project report thus constitutes the central element of the evaluation in a case of

material retardation, and the project report is required to be placed on record as the document for such evaluation and comparison.

68. This approach is grounded in the text of the Anti-Dumping Agreement and the Rules. Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement and para (iv) of Annexure II to the Rules require an evaluation of the "actual and potential" decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments and utilisation of capacity, and of the "actual and potential" negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments. In the case of an establishing industry, the potential performance of the industry is best evidenced by its project report. Article 3.1 of the Anti-Dumping Agreement further requires that the determination of injury be based on positive evidence and involve an objective examination. A project report prepared prior to the commencement of production for the purpose of the investment decision, signed by the management of the company and examined by the Authority, constitutes contemporaneous, affirmative and verifiable evidence of the performance which the industry could reasonably expect to achieve, and satisfies these requirements.

69. Considering the above and in the absence of any prescribed methodology that the Authority must follow in deciding whether a domestic industry is established, the Authority has analysed the following parameters while examining whether the case is fit to examine material retardation.

H.3.2. Material retardation to the establishment of the domestic industry in the present investigation

70. It is seen that the applicants have set up a new manufacturing facility for the production of the subject goods by making significant investments. Prior to the commencement of production by the domestic industry, the entire demand for the subject goods was being met by imports. Based on the factors examined below, it is seen that the domestic industry in the present case has not been established and the injury caused to the industry is in the nature of material retardation.

i. Commencement of production by the domestic industry

71. The Authority notes that out of the two applicants, CSTL has declared commercial production on [*** 2023]. At the time, there was no other domestic producer. On 22nd March 2022, CFCL was incorporated as a subsidiary of CSTL, which declared commercial production of subject goods on [*** 2024]. Apart from the above, there are no other domestic producers of the subject goods in India and prior to commencement of such production, the demand was being catered solely by imports. It is noted that CSTL has not been in operation for the four years of the injury period. It has been in operations for [***] months of the injury period. CFCL has only commenced production in the last month of the previous year and has produced throughout the period of investigation. Further, a comparison of the actual and projected production

and sales of the domestic industry reveals that actual production and sales in the period of investigation have not reached the projected levels. Moreover, the domestic industry has not been able to price its product in consonance with the projections made.

ii. Whether the production of the subject goods is merely a new product line in an existing industry

72. As mentioned hereinabove, the WTO Panel has observed that if the production of the industry is merely a new product line in an existing industry, it may not be a case of material retardation. However, the Panel stressed that what is important is the degree to which the existing infrastructure is utilized for the product under consideration. Further, the Panel observed that in addition to a new product line, the Authority must examine the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry.

73. It is seen that the subject goods are a new product being manufactured in the country. The applicants are the only domestic producers of UV 770 in the country. CSTL has invested to commission a new plant in [*** 2022] with production lines for subject goods and its intermediaries. CSTL has developed fully backward integrated process for the subject goods. In March 2022, CSTL set up a new plant under CFCL, its wholly owned subsidiary, for manufacturing specialty chemicals including UV 770. The production operations in the plant of CFCL began with the production of UV 770, along with its intermediary products. The combined investment in the two plants was more than ₹ *** crores. It has been submitted that these intermediaries are not directly saleable in the merchant market and are consumed in production of UV 770 or other products produced by the producer.

74. Thus, the domestic industry has set up a new plant in the same premises of its existing facilities. The details of the plant and machinery that is set up is given in the project reports submitted. The Authority notes that the product is a newly introduced chemical product among a series of other products manufactured by the domestic industry. In view of the above, it is noted that the subject goods produced by the domestic industry is not merely a new product line commenced by the domestic industry. The domestic industry has set up a new plant and entailed significant investment to set up a plant for the like article.

75. The other interested parties have submitted that CSTL is an established industry as it already has established production operations, marketing and distribution networks by virtue of CSTL being a producer since 2003. Further, it has been submitted that only CFCL may be considered as a new industry since CSTL has been in operation for more than 2 years. In this regard, the domestic industry has submitted that the applicants do not have any overlapping customers for the subject goods and its other established products and that the subject goods cater to a distinct industry segment wherein the existing marketing channels of the domestic industry are not utilized. Further, in any case, it has been examined and noted that the production line, and plant and machinery

for the subject goods, do not overlap with other products. As regard, the argument that CSTL is established as it has produced the subject goods for more than 2 years, it is noted that nothing in the Anti-dumping Rules provide such a threshold for examining injury in the form of material retardation. The Authority has previously also considered a producer having production for more than 2 years for injury in the form of material retardation.

iii. Size of production and capacity in comparison to the size of the domestic market as a whole

76. The domestic industry has sufficient capacities to cater to the entire demand in the country. However, the domestic industry has not been able to fully utilize its capacities, and it has not been able to reach its projected levels of capacity utilization. The market share of the domestic industry is only [***] % as against the share of imports which is [***] % in the period of investigation. Despite being the only domestic producer in the market, the domestic industry has not been able to achieve its projected sales. In this regard, the month-wise trend of production and inventory of the domestic industry shows that due to competition from imports and accumulation of inventories, the production of the domestic industry was suspended intermittently in the injury period. Further, the capacity utilization has remained extremely low, at only [***] %. Thus, the domestic industry has not been able to utilize its capacities to a material extent. This shows that the subject imports have not allowed the domestic industry to cater to the domestic market in India.

iv. Ability to reach break-even point

77. It is noted that the domestic industry has incurred financial and cash losses in all periods of its operations. Further, even when costs are considered at optimum capacity utilization, the domestic industry has incurred losses and cash losses in the period of investigation. Despite being the sole producer in the Indian market, the domestic industry is unable to establish itself in the market and break even.

78. It is also seen that the losses incurred by the domestic industry till the period of investigation quite significant as compared to value of the investments made by the domestic industry for setting up production of the subject goods. Further, the losses of the domestic industry have increased significantly over the period.

v. Stability of operations as compared to projected operations

79. As per Annexure-II to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Authority is required to consider both actual and potential performance of the domestic industry.

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential11 decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

80. The Authority notes that the provisions of Annexure II only list out the parameters to be considered in examination of injury to established industries, in the form of material injury or threat of material injury. No parameters have been identified for examination of material retardation to the establishment of industry. Nevertheless, the examination of potential performance is specifically permitted under the Anti-Dumping Rules. Moreover, the provisions of para (iv) contain an inclusive list of parameters, which may be examined. Therefore, the Authority is free to examine further parameters, depending on the requirements of the investigation.

81. The Authority has examined the actual performance of the domestic industry during the period and compared it with the projections made to assess whether the dumping of the subject goods has materially retarded establishment of the domestic industry.

Particulars	Unit	Projected (POI)	Actual	Difference
Production	MT	***	***	-46%
Best Capacity utilisation	%	***	***	-46%
Domestic Sales	MT	***	***	-51%
Profits*	₹ Lakhs	***	***	-120%
Cash Profits*	₹ Lakhs	***	***	-108%
Return on investments*	%	***	***	-126%

** Actual as per best capacity utilization as per project report*

82. The performance achieved by the domestic industry in respect of various economic parameters, such as production, domestic sales, capacity utilisation, profits, cash profits and return on capital employed is materially below the levels projected by the domestic industry at the time of making investments. Further, while the domestic industry projected that it would be profitable in the third year of its operations, it has incurred losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed.

83. The Authority further notes that the above comparison has been undertaken on the basis of the performance of the domestic industry at the best capacity utilisation, being the higher of the capacity utilisation envisaged in the project report, so as to exclude the effect of the high fixed costs of the initial period of operations. When the actual performance of the domestic industry with the best capacity utilisation , is considered,

the injury is further aggravated.. Thus, whether the performance of the domestic industry is assessed on the basis of the actual figures or on the basis of the best utilisation levels as projected in the project report, the performance of the domestic industry is materially below the projected levels.

84. The above analysis indicates that the production of subject goods, by both CSTL and CFCL, is new, and there is no significant degree of overlap with the existing manufacturing facilities of the applicants. Further, the current performance is materially below the projected levels. Accordingly, the Authority holds that the present investigation is that of material retardation to the establishment of the domestic industry in India.

85. With regard to submissions that the performance of applicants in other publicly made statements do not match the performance of the domestic industry, it is noted that the Authority has relied upon the verified information of the applicants with regard to performance of only the subject goods. Reference to other statements of the domestic producers may not be appropriate, as it would include information with regard to performance in other markets, and other products as well.

86. As regards the contention that there has been considerable improvement in volume parameters of the domestic industry including parameters such as capacity utilization, market share, employment and wages, productivity etc., the Authority notes that the improvement in such parameters is largely on account of the commencement of the production by the domestic industry. It is noted that since present investigation is that of material retardation to the domestic industry, comparison of performance over the injury period is not appropriate. Rather a comparison should be made with regard to the fact whether the domestic industry has been able to achieve its targeted performance parameters or not. It is natural that a new industry commencing production would show improvement over the period. The Authority shall, instead, examine whether the performance of the domestic industry is being retarded due to dumping.

87. The projections and injury information have been provided for both applicants, as clarified by the domestic industry in its post hearing submission dated 11th February 2026. The Authority has considered consolidated information for projections and actual performance for examining injury hereinbelow.

88. With regard to the submission that the fixed costs of the domestic industry are high due to it being in the start-up phase, the Authority notes that a comparison has been made between the actual performance of the domestic industry at optimum capacity utilization and the projected performance of the domestic industry. Accordingly, the Authority has not considered the high fixed costs of the domestic industry in the initial phase for determination of injury.

H.3.3. Cumulative assessment of injury

89. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
    a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
    b. A cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products inter se and between the imported products and the like domestic article.

90. In the instant case, volume of imports and dumping margin for each of the subject country is more than the de-minimis. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and is being used for the same applications and by the same segment of customers. Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry.

91. The Authority thus concludes that it would be appropriate to undertake cumulative assessment of injury in the present investigation for the following reasons.
    a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
    b. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
    c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
    d. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

H.3.4. Volume Effect of dumped imports

i. Assessment of Demand (Apparent Consumption)

92. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Sales of domestic industry	MT	-	***	***	***
Trend	Index	-	100	5,637	13,719
Captive Consumption	MT	-	***	***	***
Trend	Index	-	-	-	-
Sales of the Supporting Producers	MT	-	-	-	-
Subject imports	MT	2,634	2,517	2,030	2,472
Other imports	MT	3 3	22	60	3
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	96	96	137

93. The Authority notes that the demand for the subject goods declined marginally in 2022-23 and 2023-24 and thereafter increased significantly during the POI from *** MT in 2021-22 to *** MT during the POI, reflecting an overall increase of about 37%. The sales of the Domestic Industry increased from *** MT in 2022-23 to *** MT during the POI, commensurate with the commencement and gradual ramp-up of domestic production. However, despite the significant increase in domestic sales, subject imports remained substantial and decreased to *** MT during the injury period, accounting for a major part of the growing domestic demand. Imports from other countries remained insignificant throughout the period.

ii. Imports in Absolute and Relative Terms

94. With regard to the volume of dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	2,634	2,517	2,030	2,472
Other imports	MT	33	22	60	3
Total imports	MT	2,667	2,538	2,090	2,475
Subject Imports in relation to					
Domestic production	%	-	***	***	***
Trend	Index	-	100	5	3
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	80	69
Total Imports	%	99%	99%	97%	100%

95. The Authority notes that:

i. The volume of subject imports declined up to 2023-24 and thereafter. increased by 22% in the period of investigation as compared to previous year.

ii. The subject imports account for *** % of the Indian consumption during the period of investigation.

iii. The subject imports in relation to production has declined over the injury period. The decline in subject imports in relation to production is attributable to commencement of domestic production in India. However, the same remains significant and almost double the Indian production.

iv. The subject imports account for almost the entirety of imports into India.

96. The other interested parties have submitted that the demand has increased significantly, and such an increase cannot be catered to by a new producer in its initial years. The domestic industry holds the capacities more than the demand in the country. The production and sales of the domestic industry have increased over the injury period and there is no evidence on record which shows that the domestic industry is not capable of catering to the demand in India. The table below shows the information on capacity and demand. It is seen that the available capacity in the period of investigation was more than the demand in India and therefore, there is no demand and supply gap.

Particulars	**Unit**	**POI**
Capacity of domestic industry	MT	***
Demand	MT	***
Excess supply	MT	***

H.3.5. <u>Price Effect</u>

97. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i. Price Undercutting

98. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries. Table is shown below:

Particulars	**Unit**	**China PR**	**EU**	**Subject Country**
Net sales realization	₹/MT	***	***	***
Landed price	₹/MT	4,40,829	4,31,046	4,37,795
Price undercutting	₹/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting	Range	Negative	Negative	Negative

99. It is noted that the price undercutting is negative. The domestic industry has submitted that the price undercutting is negative as it being a new industry, is not able to charge a price higher than landed price. The landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry. It has been forced to charge lower prices for attracting customers as a new producer in the market.

100. The domestic industry has claimed that the exporters/producers from subject countries have been in the market for almost 20 years and enjoy long established distribution channels. Due to this, the domestic industry is only able to make sales when its product is priced below the imported product. The domestic industry has provided evidence to show that the customers have negotiated a lower price by quoting the import prices. The evidence also shows that the subject goods have been purchased from the domestic industry at prices lower than what it had quoted. This shows that the domestic industry has been forced to sell below the import prices in order to gain customers in the market.

101. The domestic industry has also claimed that the price undercutting is positive when projected selling price is compared with the actual landed price. If the projected selling price of the domestic industry is compared, it is noted that the subject imports are undercutting the projected prices of the domestic industry which establishes that had the domestic industry not reduced its prices drastically and sold at the prices which it had projected while setting up the plant, the price undercutting would have been positive.

Particulars	**Unit**	**POI**
Projected Prices	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	4,37,795
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	40-50%

102. The Authority further notes that the actual price undercutting, based on the actual selling price of the Domestic Industry, is negative during the POI. However, the Domestic Industry, being a new producer seeking to establish itself in the market, was selling at prices below the landed price of imports. Therefore, negative actual price undercutting, by itself, does not establish absence of price effect. The significant difference between the projected selling price and the landed price indicates that the prices prevailing in the market were substantially below the level envisaged by the Domestic Industry at the time of investment. The Authority has considered this comparison as a benchmark for assessing the projected vis-à-vis achieved price performance and price suppression/material retardation.

ii. Price Suppression / Depression

103. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a

significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the actual and projected cost of sales and selling price of the domestic industry. The projected data of the domestic industry has been considered based on the project report duly submitted by the domestic industry which has been signed by the management of the company.

Particulars	Unit	Actual*	Projected	Difference	Difference (%)
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	-11%
Net sales realisation	₹/MT	***	***	***	-36%

** Cost of sales based on best capacity utilization*

104. The Authority notes that the cost of sales of the Domestic Industry during the POI was 11% lower than the projected cost, whereas its actual net sales realisation was 36% lower than the projected selling price. Thus, the Domestic Industry was unable to achieve its projected selling price despite the lower optimum cost of sales. The selling price has declined at a greater rate as compared to the cost of sales. The Authority considers that this shortfall in selling price indicates that the Domestic Industry was unable to realise the prices envisaged at the time of investment.

105. The other interested parties have submitted that there is no price pressure as the decline in cost of sales is more than the decline in selling price and selling price has declined in line with decline in import price. In this regard, it is noted that reliance on trends is inappropriate since the cost of sales of the domestic industry is above the selling price of the domestic industry. Further, selling price of the domestic industry has declined at a higher rate than the decline in the cost of sales to compete with the imports. The domestic industry has not been able to increase its prices above costs due to low priced imports.

H.3.6. <u>Economic Parameters of the Domestic Industry</u>

106. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined hereinbelow.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

107. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	MT	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	467	1,200
Production (PUC)	MT	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	1,760	3,902
Capacity utilization	%	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	377	325
Domestic Sales	MT	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	5,637	13,719

108. The domestic industry has set up new capacity in 2022-23. As the capacities were set up, the production of the domestic industry increased in 2023-24, and further increased in the period of investigation. The capacity utilisation increased in 2023-24, and declined in the period of investigation. The domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.

109. It is however seen that increase in production and domestic sales have increased which was natural considering the new capacities set up by the domestic industry. However, the Authority considers that considering the capacities set up by the domestic industry, the production and domestic sales are very low.

110. The Authority has also compared the actual volume with the projected volume for the period of investigation.

Particulars	Unit	Actual	Projected	Difference	Difference (%)
Installed Capacity	MT	***	***	***	0%
Production	MT	***	***	***	-46%
Capacity Utilisation	%	***	***	***	-46%
Domestic sales	MT	***	***	***	-51%
Export sales	MT	***	***	***	-

111. The Authority notes that:

i. The actual production of the domestic industry is 46% lower than its projected production. As a result, the capacity utilisation is only half of what was projected by the domestic industry.

ii. The domestic sales are 51% less than the projected sales of the domestic industry. Further, while the domestic industry projected selling higher volumes at profitable prices, it has not been able to achieve projected sales even after selling at losses.

112. The other interested parties have submitted that the domestic industry has not been able to meet its projected domestic sales as it has undertaken exports in the period of investigation. The Authority notes that the capacities of the domestic industry have remained under-utilised and the capacity utilization is less than that projected by the domestic industry. The export sales undertaken have allowed the domestic industry to improve their capacity utilization by a mere 2%. Further, the total sales by the domestic industry including domestic sales and export sales are less than the projected domestic sales of the domestic industry. Thus, the claim that the domestic sales are less than projected due to export sales is not appropriate.

113. As regards the claim that the capacity utilisation is low on account of increase in capacity, the Authority notes that while the capacity of the domestic industry is higher than demand, the domestic industry had projected to sell a volume equivalent to ***% of the demand. The projected production and sales volume of the domestic industry is, therefore, not inordinately high, compared to demand. However, even then, the domestic industry has not been able to achieve the projected volumes, resulting in underutilized capacities.

114. The Authority further notes that on month wise comparison of production and inventories, the domestic industry has been able to achieve highest capacity utilization of [***]% within 6 months of production in the period of investigation itself, which is comparable to the projected utilization. However, due to accumulation of inventories, the domestic industry was forced to curtail production intermittently, and the average capacity utilization remained low.

Year	Period	Production	Closing stock	Capacity utilization
23-24	Apr-23	***	***	***
23-24	May-23	***	***	***
23-24	Jun-23	***	***	***
23-24	Jul-23	***	***	***
23-24	Aug-23	***	***	***
23-24	Sep-23	***	***	***
23-24	Oct-23	***	***	***
23-24	Nov-23	***	***	***
23-24	Dec-23	***	***	***
23-24	Jan-24	***	***	***
23-24	Feb-24	***	***	***
23-24	Mar-24	***	***	***
POI	Apr-24	***	***	***
POI	May-24	***	***	***

Year	Period	Production	Closing stock	Capacity utilization
POI	Jun-24	***	***	***
POI	Jul-24	***	***	***
POI	Aug-24	***	***	***
POI	Sep-24	***	***	***
POI	Oct-24	***	***	***
POI	Nov-24	***	***	***
POI	Dec-24	***	***	***
POI	Jan-25	***	***	***
POI	Feb-25	***	***	***
POI	Mar-25	***	***	***

** Based on domestic industry data*

ii. Market share in demand

115. The market share of subject imports, domestic industry and other imports over the period was as under.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	5589	9596
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	80	69
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	189	6

116. It is noted that the market share of the domestic industry has increased over the injury period as it has commenced production during this period. However, the subject imports continue to cater to majority of the market despite the domestic industry having sufficient capacities to cater to entire demand in India.

117. The Authority notes that had the domestic industry reached its projected sales, it would have achieved a market share of [***]%. However, even after selling the subject goods at losses and prices much below the projected prices, the domestic industry has not been able to reach its projected market share, and the imports continue to account for the majority share.

iii. Inventories

118. Inventories of the domestic industry over the injury period were as follows.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***

Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	MT	-	100	645	1,213

119. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period and were the highest during the period of investigation. Further, the inventories of the domestic industry have increased even when it has sold the subject goods at prices below the projected prices and has incurred losses in the period of investigation.

120. The month-wise details of production and inventories shows that the domestic industry has been forced to reduce its production on a monthly basis to control accumulation of inventories. In fact, over the period of investigation, the average inventories held in a month are higher than the average production per month.

Year	Period	Production	Closing stock
23-24	Apr-23	***	***
23-24	May-23	***	***
23-24	Jun-23	***	***
23-24	Jul-23	***	***
23-24	Aug-23	***	***
23-24	Sep-23	***	***
23-24	Oct-23	***	***
23-24	Nov-23	***	***
23-24	Dec-23	***	***
23-24	Jan-24	***	***
23-24	Feb-24	***	***
23-24	Mar-24	***	***
POI	Apr-24	***	***
POI	May-24	***	***
POI	Jun-24	***	***
POI	Jul-24	***	***
POI	Aug-24	***	***
POI	Sep-24	***	***
POI	Oct-24	***	***
POI	Nov-24	***	***
POI	Dec-24	***	***
POI	Jan-25	***	***
POI	Feb-25	***	***
POI	Mar-25	***	***

iv. Employment, productivity and wages

121. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of employees	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	286	257
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	1,760	3,902
Productivity per employee	MT/No	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	616	1,517
Salaries & Wages	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	4,888	7,798

122. The Authority notes that the number of employees has increased till 2023-24 and declined slightly in the period of investigation. Productivity and salary and wages have increased, with increase in production. The domestic industry has not claimed any injury on this account.

v. Profits, cash profits and return on capital employed

123. Information on profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry is given below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI Actual	POI (Optimum capacity utilisation)
Profit per MT	Rs/MT	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-100	-31	-15	-8
Profit Rs lakhs	Rs lakhs	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-100	-1,774	-2,024	-1,076
Cash profits Rs lakhs	Rs lakhs	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	-39,500	-34,000	-17,200
ROCE	%	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-100	-705	-771	-411

124. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry as compared to the projected performance is given in the table below:

Particulars	Unit	Actual *	Projected	Difference %
Cost of sales *	₹/MT	***	***	-11%
Selling price	₹/MT	***	***	-36%
Profits *	₹/MT	***	***	-141%
Profits *	₹ Lakhs	***	***	-120%
PBDIT*	₹ Lakhs	***	***	-108%
Cash profits *	₹ Lakhs	***	***	-108%
Return on capital employed*	%	***	***	-126%

** Actual figures are based on best capacity utilization as per project report*

125. The Authority notes that:
   i. The actual performance of the domestic industry has been considered on performance at optimum capacity utilization to remove any effect of high fixed costs incurred during the initial operational period due to low capacity utilization.
   ii. The domestic industry had projected that it would be in profits in the second year of operations. However, it has remained in losses throughout its operation.
   iii. The profitability of the domestic industry is 141% lower than projected.
   iv. Further, while the domestic industry has been able to achieve a cost of sales below the projected cost of sales, it has still incurred losses instead of projected profits during the period of investigation.
   v. The domestic industry has incurred cash losses as opposed to the cash profits projected.
   vi. The domestic industry had projected to earn positive returns on its investments. However, due to continuous losses incurred, it has recorded a negative return on capital employed in this period.
   vii. When the actual performance of the domestic industry, , is considered, the injury is further aggravated. The injury is thus established both on the basis of the actual figures and on the basis of the best utilisation levels as projected in the project report, and is more pronounced on the actual figures.

vi. Growth

126. The growth of the domestic industry in terms of volume and profitability parameters is as under.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	%	-	-	367%	157%
Production	%	-	-	1,660%	122%
Domestic sales	%	-	-	5,537%	143%
Profit / (loss) per unit	%	-	-	-58%	68%
Cash profits	%	-	-	-2181	47%
Return on capital employed	%	-	-	-850	26%

127. It is noted that the economic parameters have shown positive growth in the injury period as the domestic industry has commenced production in this period. Such parameters are likely to show a positive growth for all industries which commence production and sale of a product in the recent period. The domestic industry continues to operate with losses. However, the domestic industry has not been able to achieve its projected performance in terms of both volume and price parameters.

vii. Ability to Raise Capital Investment

128. The domestic industry has set up capacities for subject goods after investing almost ₹ *** crores. However, in the three years of operations it has incurred losses amounting to more than half of such investments. The domestic industry has not been able to break even and has recorded a negative return on its capital employed due to dumping in India. Thus, the ability of the domestic industry to raise any future investment has been adversely impacted.

viii. Factors affecting prices

129. The domestic industry has been forced to reduce its selling price below the import prices as the customers have negotiated with the domestic industry considering the import prices. Despite achieving cost of sales lower than projected, the domestic industry has not been able to increase its prices, and the landed price has created a strain on the prices of the domestic industry. Thus, the price of imports from the subject countries has adversely impacted the prices of the domestic industry.

ix. Magnitude of Dumping Margin

130. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant.

H.3.7. Examination of the injury

131. Based on the above, the Authority concludes that:

i. The volume of subject imports has increased in absolute terms in the period of investigation as compared to the preceding year. Although the subject imports in relation to consumption and production have declined consequent to the commencement and ramp-up of domestic production, the same remained significant during the period of investigation, accounting for ***% of Indian consumption and being equivalent to ***% of domestic production**.**

ii. The landed price of the subject imports remained below the cost of sales of the Domestic Industry during the period of investigation. The Authority notes that the Domestic Industry was unable to recover its cost of sales at the prevailing import prices, thereby constraining its ability to achieve remunerative prices.

iii. The actual selling price achieved by the Domestic Industry remained significantly below the selling price projected at the time of making the investment. The Authority has considered the projected selling price as a benchmark for assessing the projected vis-à-vis achieved performance of the Domestic Industry and not for determining price undercutting. The Authority further notes that the price undercutting based on the actual selling price of the Domestic Industry is negative during the period of investigation.

iv. The subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry.

v. The market share of the subject imports remains significant despite commencement of production of the domestic industry. The market share of the domestic industry is much below the projected market share.

vi. The production and sales of the domestic industry is significantly below its projected production and sales.

vii. The capacities of the domestic industry is significantly underutilized.

viii. While the domestic industry has capacities enough to cater to the entirety of demand in India, the market share of the subject imports have continued to cater to majority of market in India.

ix. The domestic industry has faced accumulation of inventories due to which it was forced to curtail its production.

x. The domestic industry has incurred losses in all years of its operations as opposed to projected profits.

xi. The domestic industry has incurred cash losses and recorded negative return on capital employed.

xii. The profitability of the domestic industry is significantly lower than the projected performance.

xiii. The imports have adversely affected the ability of the domestic industry to raise capital investments.

xiv. The dumping margin for the subject countries is positive and significant.

H.3.8. Non-attribution analysis and causal link

132. Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement and para (v) of Annexure II to the Rules require the Authority to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and to ensure that the injury caused by such other factors is not attributed to the dumped imports.. In a case of material retardation, where the performance of the domestic industry is assessed with reference to its projected performance, the Authority has examined whether the shortfall in performance vis-à-vis the projections is explained by any factor other than the dumped imports.

133. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third countries

134. It is noted that apart from the subject countries, imports from other countries are not substantial in quantity and thus, the injury is not attributable to such imports.

b. Contraction in demand

135. The demand for the subject goods has increased during the injury period. Hence, injury is not attributable to contraction in demand.

c. Pattern of consumption

136. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

137. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry. Since the domestic industry is the sole producer of the subject goods in the country, there is no possibility of inter-se competition between the domestic producers causing injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

138. There has been no change in technology or plant by the domestic industry which could have led to injury to the domestic industry. In fact, the plants of the domestic industry are newly established in India.

f. Productivity

139. The productivity per day and per employee of the domestic industry has increased during the injury period, in line with the increase in production. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry

140. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products

141. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

142. The other interested parties have claimed that capacity utilisation is low due to simultaneous commercialisation of other products and focus on high margin products. The Authority notes that the domestic industry has dedicated capacities for production of the subject goods. The capacity considered in the projections and actual performance related to the subject goods only and is not impacted by other products.

143. As regards the submission that the focus on high profits products has resulted in injury of low profit products, such as the subject goods, it is noted that at present, the domestic industry has incurred losses and cash losses during the injury period instead of earning any profits. In any case, even if the subject goods are low profit products, it does not justify dumping in India which threatens the viability of domestic industry.

i. Injury due to start-up inefficiencies and operation challenges of new industry

144. The interested parties have highlighted that the injury to the domestic industry is due to start up inefficiencies, process losses, high rejection rates, batch cycle times, customer approvals and bottlenecks. It is noted that the Authority in its examination above has compared the performance of the domestic industry at optimum capacity utilization with the projected performance of the domestic industry. The same shows that the domestic industry has suffered injury even when start up inefficiencies and high costs due to low capacity utilization is not considered. Further, the other interested parties have not provided any information or evidence to support their claims regarding process losses, batch cycle time and rejection rates. It is noted that the domestic industry has been able to increase its production in India over the injury period and it has been forced to curtail production due to inventory build up which is apparently as a result of dumping in India.

j. Other factors

145. The other interested parties have claimed that injury is due to plant shutdowns. It is noted that the domestic industry was forced to shut down its plant, due to absence of demand for domestic product. In any case, the injury has been considered at optimum capacity utilization and thus, any plant shutdown does not impact the performance considered by the Authority.

146. The interested parties have contended that the shortfall in performance vis-à-vis the projections may be on account of the domestic industry having failed to install the projected capacity or to achieve its planned expansion milestones. The Authority notes that the installed capacity of the domestic industry during the period of investigation at *** MT is identical to the capacity envisaged in the project reports for the corresponding period. The project has, therefore, been implemented as planned, and the shortfall in production, capacity utilisation and sales cannot be attributed to any failure in project implementation. The domestic industry has further achieved a cost of sales lower than projected which establishes that the projections were neither unrealistic nor unachievable on the cost side.

147. In order to separate and distinguish the effects of the dumped imports from those of the other factors, the Authority has decomposed the shortfall in the profitability of the domestic industry vis-à-vis its projections into the element attributable to cost of sales and the element attributable to selling price. Factors such as start-up inefficiencies, process losses, scale-up bottlenecks, plant shutdowns, low capacity utilisation and high

fixed costs, to the extent they have any effect, would manifest themselves in the cost of sales of the domestic industry.

148. The net sales realisation of the domestic industry has been constrained by the landed price of the subject imports, which remained below the actual as well as the optimum cost of sales of the domestic industry, and the customer communications on record show that the domestic industry was compelled to reduce its prices by reference to the prices of the subject imports.

k. Conclusion on non-attribution

149. Having examined each of the other known factors, the Authority concludes that none of the other known factors, whether considered individually or collectively, explains the material retardation to the establishment of the domestic industry or breaks the causal link between the dumped imports and the injury suffered. The injury suffered by the domestic industry is attributable to the dumped imports from the subject countries. The Authority further notes that the injury is aggravated when the actual figures of the domestic industry are considered, and is established even when the performance of the domestic industry is considered at the best utilisation levels as projected in the project report, so that no part of the injury found can be ascribed to start-up inefficiencies or other factors peculiar to the initial phase of operations.

H.3.9. Analysis of causal link

150. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that:

i. The subject imports have been dumped, and the dumping margin is positive and significant.

ii. The subject imports have increased in India at prices which are below the cost of sales of the domestic industry and have suppressed and depressed the domestic prices.

iii. The subject imports are priced below the optimum and projected cost of sales of the domestic industry.

iv. Due to low priced imports, the domestic industry has not been able to achieve its projected sales.

v. The domestic industry holds a minor share in the demand despite commencement of production and holding capacities enough to cater to the entire demand in India.

vi. The landed price of imports started to decline during the period the domestic industry commenced operations. The prices have declined since and forced the domestic industry to reduce its prices below projected levels and below imports to gain customers.

vii. The domestic industry is unable to achieve its projected production and sales.

viii. The domestic industry has incurred financial losses in all years of its operations and is unable to break even.

ix. While the domestic industry projected profits in its operations, it has incurred losses and cash losses.

x. It has incurred cumulative losses equal to more than half of the investments made to set up production.

xi. While the domestic industry projected a positive return on capital employed, it has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

xii. The shortfall in the performance of the domestic industry vis-à-vis its projections is attributable to the depressed selling price, the domestic industry having achieved a cost of sales lower than projected on both actual and optimum basis.

xiii. The injury is established both on the basis of the actual figures and on the basis of the best utilisation levels as projected in the project report, and is further aggravated when the actual figures are considered.

151. The Authority, therefore, concludes that the material retardation to the establishment of the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries, and that the injury suffered by the domestic industry is attributable to dumping.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

152. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been compared with the landed price of subject goods from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best quarterly utilization of the raw materials and utilities and best quarterly utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

153. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

154. With regard to the contention that high costs due to start-up operations must be optimised, the Authority notes that the non-injurious price has been determined based on higher of [***] %or quarter wise capacity utilization of the domestic industry. Hence, the Authority has not considered high costs due to start-up operations by the domestic industry.

155. Based on the landed price and non-injurious price determined above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury Margin Table

SN	Name of Producer	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	**China PR**					
4.	Suqian Unitech Corp., Ltd.	***	***	***	***	20-30
5.	Rianlon Kaiya Company Limited	***	***	***	***	20-30
6.	Any other producer	***	***	***	***	40-50
B	**European Union**					
3.	BASF Lampertheim GmbH	***	***	***	***	30-40
4.	Any other producer	***	***	***	***	40-50

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1. Submissions by other interested parties

156. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The impact provided by the applicants is understated as the subject goods form 20% of total cost of masterbatches and it is a major cost component.

ii. The masterbatches producers are majorly MSME and work on contracts for plastic processors. They have limited pricing power and cannot pass on the increase in raw material costs.

iii. The impact of duties on employment, competitiveness, and export performance of the downstream industry must be examined.

iv. Imposition of duty will restrict imports and expose users to supply and quality risks and price volatility. This threat is increased given the bottlenecks faced by the domestic industry and the growing demand.

v. The subject goods require long customer approvals and change in supply sources would disrupt existing supply chains and commercial arrangements and add burden of transition costs on users.

vi. There are quality concerns related to product supplied by the domestic industry which increases the operational burden for user industry. In case of exports of downstream product requires approvals, which the domestic industry does not have.

vii. Application labs set up by the applicants indicate that production is undergoing optimization.

viii. The public interest analysis must balance the interests of upstream and downstream manufacturers and consumers.

J.2. <u>Submissions by the domestic industry</u>

157. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The dumped imports have prevented the sole producers from establishing in the market. The domestic industry has been forced to sell at losses to compete with the dumped imports. This has impacted the performance of the domestic industry, which is much below the projected performance.

ii. Imposition of duties would allow establishment of domestic manufacturing capacities.

iii. The duties would allow the domestic industry to establish in the market. This would also protect the viability of the investments made for research and development for setting up indigenous capacities.

iv. The duties will ensure that the fair prices to prevail and incentivise new domestic producers to enter the market which will expand the sourcing options for the user industry.

v. In case the sole producers shut operations, the user industry would be exposed volatile external supply chains.

vi. There is no demand supply gap in the country and even if duties were to lead to cessation of imports, there would be no shortage of supply for the user industry.

vii. The subject goods are only an additive and forms a small portion in the end product. The impact of proposed duties is negligible in the end product.

viii. The import prices have been high in the past and the user industry has imported the subject goods in absence of a domestic industry. No adverse impact has been shown as a result of higher prices prevailing in the past. Users cannot claim that any price increase due to imposition of duties would pose a threat to their operations.

ix. The presence of a domestic industry would allow users to maintain lesser inventories and help reduce inventory and warehousing expenses.

x. The prices of subject imports have decline as the applicants set up production in the country to drive them out of the market. In absence of a domestic industry, a few foreign producers will monopolise the market and increase the prices to the detriment of the users. This has been seen previously in the anti-dumping investigation into imports of N, N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC) from China PR (F. No. 06/53/2020-DGTR).

xi. The domestic industry focuses on green chemistry by using catalysts instead of harmful solvents which minimise hazardous waste and emissions.

xii. The domestic industry routinely engages in CSR activities for the upliftment of the lower socio-economic segments of the society. The domestic industry is

required to maintain material profits to be able to engage in these CSR initiatives, which has been threatened by the dumped imports.

xiii. The producers/exporters from China receive veracious subsidies which render the cost and prices in China unreliable and destroy the market conditions in India.

J.3. Examination by the Authority

158. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

159. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.

160. The Authority notes that the dumping of subject goods in India has materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The domestic industry invested almost ₹ [***] crores for setting up production capacities in the country. However, the subject imports have prevented the domestic industry from achieving its projected performance. The domestic industry has incurred significant losses during the injury period and has not been able to break even. The subject goods are a product which was not being produced in India, and the domestic industry has set up first production facilities in India for manufacturing of the same.

161. It is noted that the applicants are the only domestic producers in the country. It is necessary that the domestic producers are able to sustain production operations to ensure there is domestic supply source and promote future investments in domestic production capacities. In case, the current market situation is not remedied and remains unfair, the domestic producers will likely not be able to sustain production and will shut

down. This will bring India back to complete reliance on imports of the product under consideration.

162. The Authority notes that the users have claimed that the subject goods is a major cost component and constitutes ***% of total cost of masterbatches. In this regard it is noted that the subject goods are consumed as additives in masterbatches. The users have not provided any evidence in support of their claims. Further, masterbatches are used for manufacturing other downstream products and there is no evidence that any increase in cost of the masterbatches due to increase in cost of raw material cannot be passed on further. The impact of the duty has been quantified below. It is noted that the impact of the duties recommended is less than 0.8%.

Particulars	**Unit**	**Rate**
Price of FIBC	₹/Kg	205
Polypropylene content in FIBC	Kg/KG	2.15
Masterbatch content in FIBC	Kg/Kg	0.043
PUC used in FIBC*	Kg	0.008600
ADD	₹/Kg	***
Cost of ADD in FIBC	₹/Kg	***
Impact of duty		0.73%

**As per SION*

163. In this regard, it is also noted that the price of imports prior to the commencement of domestic production was higher than the import prices in the period of investigation. The importer/user industry has not shown that such high prices had adversely affected their operations and performance in the past. Thus, imposition of anti-dumping duty and access to raw material at fair prices will not have an adverse impact on the performance of the downstream industry.

164. The other interested parties have contended that imposition of duty will restrict imports, jeopardise supply chain and increase transition cost of users. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that the same are at fair prices. Further, the users and importers have reported that there are no long-term contracts with suppliers and thus, it is not the case where the users will not be able to switch to domestic sources post imposition of anti-dumping duty.

165. The Authority further notes that there is no demand supply gap in the country. Availability of subject goods from multiple sources including the domestic producers will help maintain fair prices in India and allow users to control the inventory expenses as there will be no need to maintain high inventories for the subject goods. Moreover, presence of a domestic source in the country will only add to the sourcing options of the users and protect the users from external supply chain blockages.

166. The other interested parties have submitted that the downstream industry is MSME in nature and have limited pricing power. It has also been claimed that the duties will impact the employment, competitiveness and export performance. The Authority notes that there is no evidence to demonstrate that the downstream industry would not be able to pass on cost increases further to the final consumer. It is further noted that the customer communications provided by the domestic industry shows the domestic industry has supplied at lower prices due to the users quoting lower import prices and thus, the users in India have acted as a price setter in the market. Moreover, the users have not provided any information and evidence to show the competitiveness, and employment has suffered in the past when the prices in the market were higher.

167. It is further noted that the prices in the domestic market started to decline post commencement of production by the domestic industry. In case, the domestic producers are unable to break even, they will have to cease operations with regard to the subject goods in the domestic market. The prices are likely to increase in case of shut down of the domestic producers.

168. As regards the export performance of the downstream industry, it is noted that subject goods may be imported under export incentive schemes, such as advance licenses, duty free for production of exportable products. Therefore, the Authority does not find merit in the contention that the downstream industry would face an undue burden in case of imposition of duty.

169. The other interested parties have also claimed that the product supplied by the domestic industry have quality issues and the subject goods require specific approvals for exports of downstream products. It is noted that no evidence has been provided by the interested parties in this regard. The domestic industry itself has exported the subject goods and have been able to increase its domestic sales in the Indian market. Further, customer communications show that the users have negotiated on prices and have not raised any concerns of quality of the goods sold by the domestic industry. Thus, the contention that the product supplied by the domestic industry is not of desired quality is not supported by merit. same is rejected.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

170. In accordance with Rule 16 of the Rules, the Authority issued a disclosure statement dated 16th September 2026 disclosing the essential facts under consideration, and granted time to all the interested parties to furnish their comments thereon. Comments on the disclosure statement have been received on behalf of the Rianlon Group, the BASF Group, M/s Suqian Unitech Corp., Ltd. and M/s Suqian Unitecommerce Co., Ltd., the Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India and the domestic industry. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which

has already been adequately examined by the Authority, has not been repeated for the sake of brevity.

K.1. <u>Submissions of other interested parties</u>

171. The following comments were submitted on behalf of the other interested parties on the essential facts disclosed by the Authority:

i. The Rianlon Group, the BASF Group and CMMAI have no comments on the general disclosure and background of the case, on the procedure followed by the Authority, on the scope of the product under consideration proposed in the disclosure statement, or on the determinations recorded by the Authority in respect of confidentiality, which are stated to be consistent with the practice adopted across several investigations.

ii. The issue raised in respect of CSTL was not merely whether CSTL had recorded production of a product described as the "like article", but whether CSTL had in fact manufactured and commercially sold the product under consideration as defined in the initiation notification, namely Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl) Sebacate bearing CAS No. 52829-07-9. The reference in paragraph 17 of the disclosure statement to production, sales, stock and costing records does not address the issue raised unless those records have been verified to relate specifically to CAS No. 52829-07-9.

iii. The environmental clearance of CSTL placed on record does not identify any production capacity attributable specifically to the product under consideration. If the statutory approvals obtained by CSTL do not record exclusive manufacture of CAS No. 52829-07-9, and if the production facilities for the product under consideration are instead established under a separate legal entity, namely CFCL, it must be examined whether CSTL has independently manufactured and sold the product under consideration at all. It appears that CFCL was established as a subsidiary for the purpose of undertaking manufacture of the product under consideration.

iv. If the product manufactured by CSTL is not CAS No. 52829-07-9, the Authority is required to examine, in terms of Rule 2(d) of the Rules and paragraphs 3.34 and 3.35 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, whether such product is identical or alike in all respects to the product under consideration or has characteristics closely resembling it. The conclusion in paragraph 18 of the disclosure statement that CSTL and CFCL together account for the entire Indian production proceeds on the prior conclusion that CSTL is a producer. If neither requirement is met, CSTL should not be included in the domestic industry and its data should not form part of the injury or material retardation analysis.

v. Material retardation is intended to protect a developing industry which has not yet established itself in the market. CSTL is an established specialty chemicals manufacturer and the mere introduction of the product under consideration cannot automatically be equated with the establishment of a new industry. The

relevant test is the degree of overlap with the existing infrastructure, and where a producer utilises existing management, technical expertise, financial resources, customer relationships and commercial networks, the product represents an extension of an existing business rather than the creation of a new industry. The threshold for a finding of material retardation is therefore not met.

vi. The domestic industry has failed to provide transparent and verifiable evidence to substantiate its claim of material retardation. The project reports, which form the basis of the alleged benchmark performance, have been kept entirely confidential, preventing the interested parties from examining the assumptions relating to capacity utilisation, costs, sales, demand and profitability.

vii. Any gap between projected and actual performance cannot automatically be attributed to imports. Project implementation, commissioning timelines, capacity installation, customer development, market acceptance, start-up inefficiencies and the normal gestation challenges associated with a new product are likely contributors to the performance of the domestic industry. If the domestic industry itself failed to install the projected capacity or to achieve planned expansion milestones, the resulting shortfall cannot be attributed to dumped imports without a demonstrated causal link. Material retardation requires objective evidence that imports prevented the industry from establishing itself, and not merely that actual performance fell short of ambitious projections.

viii. The indexed data does not demonstrate either price depression or price suppression. The cost of sales of the domestic industry declined significantly over the injury period, from an index of 100 to 45, while its net sales realisation declined at a much slower rate, from 100 to 84. Since costs fell more sharply than selling prices, the domestic industry was neither forced to sell below cost nor unable to recover its costs on account of imports. A finding of price suppression requires evidence that rising costs could not be passed on through higher selling prices because of imports, whereas in the present case costs did not increase but declined substantially. The domestic prices did not track the decline in import prices, indicating that the domestic industry was not compelled to match import pricing.

ix. The performance of the domestic industry has been significantly affected by internal operational inefficiencies, process optimisation efforts and scale-up bottlenecks rather than by imports. In its earnings call, the company acknowledged that it had not yet reached optimum operating efficiency and that ongoing improvements in process efficiencies were expected to meaningfully improve EBITDA, and its annual reports confirm the existence of bottlenecks during the scale-up of UV 770 production. The Authority must conduct a proper non-attribution analysis distinguishing the effects of process inefficiencies, commissioning issues, yield losses and scale-up challenges from any alleged impact of imports.

x. The actual performance data disclosed by the Authority itself shows significant improvement in the position of the domestic industry over 2022-23, 2023-24 and the period of investigation in respect of installed capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, number of employees, productivity per day, productivity per employee and salaries and wages, and the normated profit per MT improved from an index of (–)100 in 2022-23 to (–)31 in 2023-24 and further to (–)8 in the period of investigation. These trends are not consistent with a finding of material retardation, irrespective of the projections.

xi. The entire foundation of the disclosure statement rests on material retardation, which is based on a comparison of the actual performance of the domestic industry against certain projections. It is economically irrational to consolidate one set of projections of CSTL with another set of projections of CFCL within a one year time frame when the first set of projections had not materialised. Where fresh investment was made, fresh capacity installed and commercial production commenced at CFCL in ***, that is, almost at the beginning of the period of investigation, the projected profitability ought to have undergone moderation as compared with the earlier projections of 2021, since fresh investment takes time to generate a return on account of high fixed costs in the initial years. The projected profits were not rationalised and the Authority has accepted consolidated projections without disclosing the methodology adopted for consolidating the projections of two constituents which commenced production at different times.

xii. The losses incurred by the domestic industry have declined by approximately 92% over a period of three years despite fresh investment in the second year. The Authority has treated the decline in losses as an indicator of material retardation only because the decline is not in accordance with the consolidated projections. These facts do not show material retardation to the establishment of an industry.

xiii. The return of 22% on capital employed adopted for the determination of the non-injurious price is too high for the chemical industry. The Rules use the expression "reasonable" pre-tax return without defining it, and what is reasonable must be evaluated on a case-to-case basis having regard to the nature of the industry, prevalent economic conditions, gestation period and existing interest rates. The 22% return was referred to only as a guideline in the notes approved on the file at the time the Rules were notified in 1995, with reference to price control orders of 1976-77 framed for fixing the prices of drugs and pharmaceuticals when the prime lending rate was 18%, whereas the current rate at which Indian banks offer project funds is approximately 9.75% to 10.50%. Reliance is placed on the observation of the Hon'ble CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others v. Designated Authority, 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri.-Del.), that calculating the non-injurious price by assuming such a high rate of return gives an inflated picture of price underselling or injury margin. The return on capital employed of the BASF

antioxidants site at Jurong, Singapore, placed on record as Exhibit-A, shows negative returns between 2022 and 2025.

xiv. Without prejudice to the above, the high fixed costs and start-up costs of the applicants must be normated while computing the non-injurious price and the injury margins for the responding producers. Rule 4(iii) of Annexure III to the Rules requires the Authority to make necessary adjustments to costs for any inefficient utilisation of production capacities. Reliance is placed on the final findings of the Authority dated 12th July 2017 in the anti-dumping investigation concerning Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 and 1700 series from the European Union, Korea RP and Thailand, in which the costs of a new producer were normated by adopting project standards as per the project report or the best achieved capacity utilisation, so as to address the abnormally high start-up costs of new entrants.

xv. As the applicants commenced commercial production only during the injury period, the anti-dumping duty, if recommended, should be limited to two years, by which time a complete four-year injury period of commercial production and sale of the product under consideration would be available for the purposes of a sunset review.

xvi. The methodology recorded in the disclosure statement, namely determination of the non-injurious price on the basis of the capacity utilisation envisaged in the project report or the highest capacity utilisation achieved in any quarter during the period of investigation and the preceding years since commencement of production, whichever is higher, is in accordance with the consistent practice of the Authority and may be confirmed in the final findings.

xvii. The imposition of anti-dumping duty would be contrary to public interest. The product under consideration is a critical input for the manufacture of UV masterbatch, an industry largely comprised of MSMEs, and reportedly constitutes around 20% of the manufacturing cost of UV masterbatch. Any anti-dumping duty would significantly increase input costs, compress margins and adversely affect the competitiveness, employment and export performance of downstream manufacturers, many of whom operate with limited pricing power and may be unable to pass on higher raw material costs. Concerns regarding the quality consistency of the domestic product, its ongoing process optimisation and customer acceptance indicate that the product of the domestic industry is still undergoing market stabilisation. Given a domestic demand of approximately 3,500 MT and dependence on a single domestic supplier, any operational disruption could create supply reliability issues, price volatility and supply concentration risks, and downstream users may require three to four months to obtain customer approvals when switching suppliers.

K.2. <u>Submissions of the domestic industry</u>

172. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement and the methodology adopted therein:

i. The determinations recorded in the disclosure statement may be confirmed in the final findings, namely that the applicants account for a major proportion of the total domestic production, are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the product under consideration in India and have not imported the subject goods during the period of investigation, and accordingly constitute the domestic industry under Rule 2(b); that the domestic industry is an establishing industry and the injury is required to be examined in the form of material retardation; that the product under consideration has been exported at dumped prices; that the domestic industry has faced price suppression, incurred financial and cash losses and recorded negative returns on investment; that the performance of the domestic industry is significantly below its projections on account of the dumped imports; that there exists a causal link between the dumped imports and the injury so suffered; and that the dumping margin and the injury margin are positive.

ii. In the absence of a domestic industry, the users in India would be left to the mercy of the foreign producers, who would enjoy an absolute monopoly and price the goods at significantly high prices to the detriment of consumers. In the anti-dumping investigation concerning N,N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC) from China PR (F. No. 06/53/2020-DGTR), the imports were being exported at abnormally high prices in the absence of a domestic industry and the prices crashed once the domestic industry set up production facilities in the country. Similarly, in the anti-dumping investigation concerning Epichlorohydrin from China PR, Korea RP and Thailand (F. No. 6/15/2023-DGTR), import prices surged after the sole domestic producer shut down and plunged when a new domestic producer entered the market.

iii. The domestic industry is presently seeking relief only to the extent that the subject imports are priced at fair and competitive levels. Imposition of duties to that extent would ensure sufficient competition in the market while also ensuring that the domestic industry is able to earn remunerative returns.

iv. It is in the interest of the public at large to have a strong and competitive domestic production of the product under consideration. Encouraging domestic manufacturing would boost employment and add to the growth of the national economy, whereas if the injury suffered by the domestic industry is allowed to continue, domestic production of the product would become unsustainable. The domestic industry also uses proprietary catalysts which enable chemical reactions without harmful solvents or reagents and operates several processes without solvents, thereby minimising hazardous waste and emissions, and undertakes corporate social responsibility initiatives, including zero liquid discharge systems, water recycling, emission reduction, energy efficiency programmes and support for education of the underprivileged, which are directly linked to its performance.

v. There is sufficient evidence showing that the producers in China PR benefit from various subsidy programmes of the Government of China, rendering the costs and prices in China PR unreliable on account of government intervention.

K.3. Examination by the Authority

173. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments by the interested parties and the domestic industry, and considered relevant by the Authority, are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority, has not been repeated for the sake of brevity.

174. With regard to the submissions of the Rianlon Group, the BASF Group and CMMAI that the status of CSTL as a producer of the product under consideration bearing CAS No. 52829-07-9 has not been established and that the data of CSTL should therefore be excluded, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that it has examined the product-specific production, sales, stock and costing records of CSTL, which relate exclusively to the product under consideration, together with the product description, CAS number, technical specifications, comparative technical data sheets and evidence of customer approvals and sales to customers who also use imported UV 770. The said information establishes that the product manufactured by CSTL bears CAS No. 52829-07-9 and is technically and commercially substitutable with the imported product under consideration. The absence of a separate CAS-wise capacity entry in an environmental clearance does not, by itself, determine whether the product under consideration was actually manufactured, that question being appropriately examined with reference to the production process and contemporaneous production, costing and sales records maintained by the producer. The interested parties have placed no evidence on record demonstrating any material technical or commercial difference between the product manufactured by CSTL and the product under consideration. The submission is, therefore, not accepted and the determination recorded in these final findings remains unchanged.

175. With regard to the contention that the threshold for a finding of material retardation is not met inasmuch as CSTL is an established specialty chemicals manufacturer and the product under consideration is merely a new product line of an existing business, the Authority notes that this contention has been examined in detail in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that on the record of the present investigation the applicants have commissioned new plants with dedicated production lines for the product under consideration and its intermediates, have developed a fully backward integrated process, and have made a combined investment

of more than ₹ *** crores. The plant and machinery and the production lines for the product under consideration do not overlap with those of the other products of the applicants, the customers for the product under consideration are not common with the customers for their existing products, and the existing marketing channels of the applicants are not utilised for the product under consideration. Nothing in the Rules prescribes a threshold in terms of the period of production for examining injury in the form of material retardation. The submission is not accepted.

176. With regard to the submission that the project reports have been kept entirely confidential, thereby preventing the interested parties from examining the assumptions underlying the projections, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the project reports contain commercially sensitive information relating to expected capacity utilisation, sales, costs, prices, profitability and business strategy, and that the confidentiality claimed in respect thereof has been accepted in terms of Rule 7 of the Rules. The reports have been furnished on a confidential basis for examination by the Authority, and the projected and achieved performance of the domestic industry has been disclosed in indexed or summarised form in respect of production, capacity utilisation, domestic sales, market share, cost of sales, net sales realisation, profits, cash profits and return on capital employed. The Authority considers that sufficient non-confidential information has been made available to enable the interested parties to understand the nature of the claim and to meaningfully exercise their right to respond.

177. With regard to the submissions of M/s Suqian Unitech Corp., Ltd. and M/s Suqian Unitecommerce Co., Ltd. that the consolidation of the projections of CSTL and CFCL is economically irrational and that the methodology adopted for such consolidation has not been disclosed, the Authority notes that the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules is required to be examined as a whole, and that injury is required to be assessed in respect of the domestic industry and not in respect of its individual constituents. The project report of CSTL was prepared in 2021 and that of CFCL in 2022, and the projections have not been mechanically combined but have been aligned by reference to comparable operating years of the two constituents before consolidation. The Authority has, in addition, examined the entity-specific project reports and the entity-specific achieved performance, which show that neither constituent has achieved its respective projected performance. The Authority further notes that the comparison undertaken in these final findings is between the projected performance and the actual performance of the domestic industry, the actual performance has been considered based on the higher of the capacity utilisation envisaged in the project report or the best quarterly capacity utilisation achieved since commencement of production, so that the effect of the high fixed costs attributable to the initial years of operation, including those arising from the fresh investment at CFCL, stands neutralised.

178. With regard to the contention that the improvement recorded in installed capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, employment, productivity and salaries

and wages, and the reduction in the quantum of losses over the injury period, are inconsistent with a finding of material retardation, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that in an investigation concerning material retardation to the establishment of an industry a comparison of performance across the injury period is not, by itself, determinative, since an industry commencing production from a base of nil or negligible operations will necessarily record improvement in its volume parameters. The relevant comparison is between the performance projected at the time of making the investment and the performance actually achieved. On that comparison, the production of the domestic industry during the period of investigation is 46% below the projected production, its domestic sales are 51% below the projected sales, its capacity utilisation is ***% as against the projected ***%, and it has incurred losses of ₹ *** lakhs and cash losses of ₹ *** lakhs as against projected profits of ₹ ***lakhs and projected cash profits of ₹ *** lakhs, recording a return on capital employed of (–)*** % as against the projected ***%. The reduction in the quantum of per unit losses does not establish that the domestic industry has been able to establish itself, the domestic industry having remained in losses and cash losses in every year of its operations and having been unable to break even. The submission is not accepted.

179. With regard to the submission that the indexed data does not demonstrate price depression or price suppression inasmuch as the cost of sales of the domestic industry declined more steeply than its net sales realisation, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that reliance upon the trend of indices over the injury period is inappropriate in the present case, since the base year represents only three months of operations of a single constituent at abnormally high start-up costs, so that the movement of the index reflects the ramp-up of operations rather than the conditions prevailing in the market. The appropriate comparison in a case of material retardation is with the projected cost of sales and the projected selling price. On that comparison, the cost of sales of the domestic industry during the period of investigation was 11% below the projected cost of sales, whereas its net sales realisation was 36% below the projected selling price, establishing that the domestic industry was unable to realise the prices envisaged at the time of investment despite having achieved a cost of sales lower than projected. It is further noted that the net sales realisation of the domestic industry at ₹ *** /MT remained below its cost of sales of ₹ *** /MT, and that the landed price of the subject imports at ₹ *** /MT also remained below the cost of sales of the domestic industry, during the period of investigation. The submission is not accepted.

180. With regard to the submission that the performance of the domestic industry is attributable to internal operational inefficiencies, process optimisation and scale-up bottlenecks disclosed in its earnings calls and annual reports, and that a proper non-attribution analysis has not been undertaken, the Authority notes that this contention has been examined in the non-attribution analysis in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the injury examination in the present investigation

has been undertaken on the basis of the performance of the domestic industry at optimum capacity utilisation, so that the effect of start-up inefficiencies, low capacity utilisation and high fixed costs in the initial period of operations stands excluded from the assessment, and that the interested parties have placed no information or evidence on record quantifying process losses, batch cycle times or rejection rates. The Authority further notes that the public statements relied upon pertain to the hindered amine light stabiliser segment of the applicants as a whole, which comprises several products including HALS 944, HALS 622, HALS 119, HALS 783 and HALS 701, and not to the product under consideration alone, whereas the Authority has relied upon the verified information relating exclusively to the product under consideration. It is also noted that the de-bottlenecking referred to in the public statements occurred prior to the period of investigation, and that the accumulation of inventories which compelled the domestic industry to curtail production intermittently is not explained by the operational factors relied upon. The submission is not accepted.

181. With regard to the submission that the return of 22% on average capital employed adopted for the determination of the non-injurious price is excessive and unreasonable, the Authority notes that the non-injurious price has been determined in terms of Annexure III to the Rules, which requires that a reasonable return be allowed on the average capital employed for the product under consideration towards recovery of interest, corporate tax and profit. The Authority has consistently allowed a pre-tax return of 22% on average capital employed for this purpose across investigations, and the said return is allowed uniformly and is not determined by reference to the rate of interest prevailing at any given time, the return being intended to cover interest, corporate tax and profit taken together. The return on capital employed of a site of the BASF Group at Jurong, Singapore, placed on record as Exhibit-A, relates to a different producer, a different product and a different market, and does not afford a basis for departing from the methodology prescribed under Annexure III in the present investigation. No material has been placed on record in the present investigation warranting a departure from the consistent practice of the Authority. The submission is, therefore, not accepted.

182. With regard to the submissions that the impact of high fixed costs and start-up costs of the applicants must be removed while computing the non-injurious price and the injury margins, and to the request of M/s Suqian Unitech Corp., Ltd. that the methodology recorded in the disclosure statement be confirmed, the Authority notes that the non-injurious price in the present investigation has been determined by adopting the best quarter-on-quarter utilisation of raw materials and utilities achieved during the period of investigation and the preceding years since commencement of production, valued at the rates prevailing during the period of investigation, and by considering the fixed cost at the higher of [***]% capacity utilisation as envisaged in the project report or the highest capacity utilisation achieved in any quarter during the period of investigation and the preceding years since commencement of production. The high fixed costs attributable to the start-up phase and to the low capacity utilisation of the domestic industry have accordingly not been considered in the determination of the non-injurious price. The

methodology so adopted is in accordance with Rule 4(iii) of Annexure III to the Rules.The said methodology is confirmed, and the observation recorded in the disclosure statement stands clarified accordingly.

183. With regard to the request of the Rianlon Group and the BASF Group that the anti-dumping duty, if recommended, be limited to a period of two years, the Authority notes that Section 9A(5) of the Act provides that an anti-dumping duty imposed under the said section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of its imposition, and that the Rules provide for a review of the measure in terms of Rule 23 where circumstances so warrant. The present investigation concerns material retardation to the establishment of the domestic industry, which has been unable to break even in any year of its operations and whose cumulative losses exceed half of the investment made by it in setting up production of the product under consideration. A period shorter than the statutory period would not permit the remedial effect of the measure to be realised or the domestic industry to establish itself. The request is, therefore, not accepted.

184. With regard to the submission of the BASF Group that the landed value should be adjusted to the extent of the net margin earned by BASF India Limited in the business of the product under consideration, the Authority notes that the landed value has been determined, in accordance with the consistent practice of the Authority, as the assessable value of the imports at the port of importation together with the applicable basic customs duty and landing charges, and represents the price at which the subject goods enter the Indian market. The said landed value is compared with the non-injurious price of the domestic industry determined at the ex-factory level. The margin earned by a related importer on its subsequent resale within India is a post-importation element which does not form part of the landed value and is not liable to be deducted therefrom. Acceptance of the submission would result in the injury margin being determined by reference to the internal commercial arrangements within a group of related entities rather than by reference to the price at which the subject goods enter the Indian market, and would place a producer exporting through a related importer in a more favourable position than one exporting to unrelated customers. The submission is, therefore, not accepted.

185. With regard to the submissions concerning the impact of the duty on the downstream masterbatch industry, the limited pricing power of MSME users, the quality consistency of the product of the domestic industry, the dependence of the market on a single domestic supplier and the time required for obtaining customer approvals upon a change of supplier, the Authority notes that these submissions are reiterations of contentions already examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the impact of the recommended duty on the price of the downstream product has been quantified at less than 0.8%; that no evidence has been placed on record to show that an increase of that order in the cost of masterbatch cannot be passed on further down the value chain; that the installed capacity of the domestic industry at

*** MT exceeds the entire demand in India of *** MT during the period of investigation, so that no demand-supply gap arises; that the imposition of anti-dumping duty does not restrict imports but only ensures that they enter the Indian market at fair prices; and that the users and importers have themselves reported that there are no long-term contracts with suppliers. The customer communications placed on record show that the negotiations with the domestic industry were solely on price and that no concern as to quality was raised, and the domestic industry has itself exported the subject goods and increased its domestic sales. The prices of imports prevailing prior to the commencement of domestic production were higher, and the user industry has not demonstrated that its competitiveness, employment or export performance was adversely affected during that period.

186. With regard to the submissions of the domestic industry concerning the consequences of a cessation of domestic production, the restoration of a level playing field and the encouragement of domestic manufacturing, The Authority notes that the purpose of an anti-dumping measure is to offset the injurious effect of dumping and to restore conditions of fair competition in the Indian market, and that the measure recommended herein is confined to the extent necessary to remove the injury to the domestic industry. The considerations relating to the environmental practices and the corporate social responsibility initiatives of the applicants, while noted, do not form part of the determination required to be made under the Rules.

187. With regard to the submission of the domestic industry that the producers in China PR benefit from subsidy programmes of the Government of China, the Authority notes that the present investigation is an anti-dumping investigation under Section 9A of the Act read with the Anti-Dumping Rules, and that the existence or otherwise of countervailable subsidies is not a matter falling for determination in these proceedings.

188. The Authority has examined the remaining post disclosure comments of the interested parties and finds that they are reiterations of submissions already made during the course of the investigation and already examined in the relevant paragraphs of these final findings. Save as recorded hereinabove, the essential facts disclosed vide the disclosure statement dated 16th September 2026 stand confirmed.

L. CONCLUSION

189. Having regard to the contentions raised, the information provided and the submissions made by the interested parties, and the facts available before the Authority as recorded above, and on the basis of the above analysis of dumping, injury in the form of material retardation to the establishment of the domestic industry and causal link, the Authority concludes that:

i. The present investigation was initiated under Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules on the basis of a duly substantiated application filed by Clean Science and Technology Limited and Clean Fino-Chem Limited

concerning imports of Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770) originating in or exported from the European Union and China PR.

ii. Clean Science and Technology Limited and Clean Fino-Chem Limited account for the entire Indian production of the like article during the period of investigation, are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the product under consideration in India and have not imported the subject goods, and accordingly constitute the "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and satisfy the requirement of standing under Rule 5(3) of the Rules.

iii. The product manufactured by the domestic industry bears CAS No. 52829-07-9, is technically and commercially substitutable with the product under consideration imported from the subject countries and is a like article thereto within the meaning of Rule 2(d) of the Rules. No product differentiation warranting the adoption of a product control number methodology has been established.

iv. None of the producers/exporters from China PR has claimed market economy treatment so as to rebut the presumption of non-market economy status. The normal value for China PR has accordingly been determined under Para 7 of Annexure I to the Rules on the basis of the price payable in India, constructed with reference to the cost of production of the domestic industry, duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin. The normal value for the European Union has been determined on the basis of the ex-factory domestic selling price of the cooperating producer.

v. The product under consideration has been exported to India from the subject countries at prices below its normal value, resulting in dumping. The dumping margins determined for the producers/exporters from the subject countries are above the de minimis level and are significant.

vi. The requirements for a cumulative assessment of the effect of the subject imports in terms of Article 3.3 of the Anti-Dumping Agreement read with para (iii) of Annexure II to the Rules are satisfied, the dumping margin and the volume of imports from each subject country being above the de minimis and threshold levels respectively, and a cumulative assessment is appropriate having regard to the conditions of competition between the imports from the subject countries inter se and between such imports and the like article produced by the domestic industry.

vii. The applicants have commissioned new plants with dedicated production lines for the product under consideration and its intermediates, entailing a combined investment of more than ₹ *** crores, with no material overlap with the existing infrastructure, customers or marketing channels of the applicants. The domestic industry has not been established, and the injury suffered by it is in the nature of material retardation to the establishment of an industry.

viii. Imports of the product under consideration from the subject countries increased in absolute terms during the period of investigation as compared to preceding year, accounted for *** % of Indian consumption and were equivalent to ***

% of domestic production, and constituted substantially the entirety of the imports into India during the period of investigation. The landed price of the subject imports remained below the cost of sales of the domestic industry throughout the period of investigation. While the price undercutting determined with reference to the actual selling price of the domestic industry is negative, the domestic industry, being a new producer seeking to establish itself against suppliers with long standing distribution relationships, was constrained to sell below the landed price of imports in order to secure customers, and the projected selling price of the domestic industry was undercut by the landed price of the subject imports by *** %.

ix. The net sales realisation of the domestic industry during the period of investigation was 36% below its projected selling price, whereas its cost of sales was only 11% below the projected cost of sales. The prices of the domestic industry have accordingly been suppressed and depressed by the subject imports.

x. The production, capacity utilisation, domestic sales and market share of the domestic industry remained materially below the levels projected at the time of making the investment, its production being *** % and its domestic sales *** % below projection and its capacity utilisation being *** % as against the projected *** %, notwithstanding that its installed capacity of *** MT exceeds the entire demand in India.

xi. The inventories of the domestic industry increased throughout the injury period and were the highest during the period of investigation, compelling the domestic industry to curtail its production intermittently.

xii. The domestic industry has incurred financial losses and cash losses and has recorded a negative return on capital employed in every year of its operations, as against the profits, cash profits and positive return on capital employed projected by it, and its cumulative losses are quite significant in comparison to the investment made by it in setting up production of the product under consideration. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely affected.

xiii. The other known factors examined in the non-attribution analysis, namely imports from third countries, contraction in demand, changes in the pattern of consumption, conditions of competition and trade restrictive practices, developments in technology, productivity, the export performance of the domestic industry, the performance of other products of the applicants, start-up inefficiencies and operational challenges and plant shutdowns, have not caused injury to the domestic industry.

xiv. The dumped imports of the product under consideration from the subject countries have materially retarded the establishment of the domestic industry in India, and there exists a causal link between such dumped imports and the material retardation so suffered.

xv. The injury margins determined for the producers/exporters from the subject countries are positive and significant.

xvi. Imposition of anti-dumping duty is not against the wider public interest. The impact of the duty on the price of the downstream product has been quantified at less than 0.8%. The installed capacity of the domestic industry is sufficient to cater to the entire demand in India, and the imposition of anti-dumping duty will not restrict imports or lead to scarcity of the subject goods or to a situation of monopoly in the Indian market.

M. RECOMMENDATION

190. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and that adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to furnish information and to present their views on the issues arising in the investigation. Having concluded that the product under consideration has been exported to India from the subject countries at dumped prices, that the establishment of the domestic industry has been materially retarded and that such material retardation has been caused by the dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary on imports of the product under consideration from the subject countries.

191. The Authority, in terms of the second proviso to Rule 17(1)(b) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.

192. Considering the facts and circumstances of the case as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years.

DUTY TABLE

S N	Heading/ sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount (USD)/ MT
1	2	3	4	5	6	7
1	29333990, 38123990	Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770)	China PR	Any country including China PR	Suqian Unitech Corp., Ltd.	469.00
2	-do-	-do-	China PR	Any country including	Rianlon Kaiya Company Limited	646.00

				China PR		
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than S. No. 1 and 2	1070
4	-do-	-do-	Any country other than China PR and European Union	China PR	Any	1070
5	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	BASF Lampertheim GmbH	1,565.00
6	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any other than S. No. 5	2,052.00
7	-do-	-do-	Any country other than European Union and China PR	European Union	Any	2,052.00

*Note: Customs classification is only indicative and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration. The product under consideration is imported under sub-headings 29333990 and 38123990 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.

193. The application of the individual rates of anti-dumping duty specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770) sold for export to India covered by this invoice was

manufactured by (company name and address) in (country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'

194. If no such invoice is presented, the rate of duty applicable to "any other" producer shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the customs authorities under the applicable customs law and regulations.

N. FURTHER PROCEDURE

195. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act and the Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.03 11:19:44 +05'30'